राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का १९वां दिवस [संख्या १५

शुक्रवार, दिनांक १३ सितम्बर, १९६८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-०३ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[उद्योग, शिक्षा, यातायात, राजकीय उपक्रम, सहकारी आयुर्वेद, विद्युत्, पशुपालन कृषि एवं सामान्य प्रशासन विभाग]

घड़ियां बनाने का लाइसेन्स

३८४. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले में 'रन वैल' नामक फर्म को दीवाल घड़ियां बनाने का लाइसेन्स प्राप्त है ?

(२) उक्त फर्म ने उत्पादन करना कब से प्रारंभ किया ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त फर्म को एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट एवं आयात लाइसेन्स दिये गये हैं ? अगर हां, तो कब-कब व कितनी-कितनी के ?

(४) उक्त आयातित वस्तुओं के प्रतियोगिता प्रमाण-पत्र किसने कब दिये ?

उप मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (१) जी हां ।

(२) १९६०-६१ में ।

(३) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) चूंकि इनके उद्योग से सम्बन्धित कुल फाइलें भारत सरकार के सी० बी० आई० विभाग के इंसपेक्टर को इनके विरुद्ध कच्चे माल के दुरुपयोग के सम्बन्ध में मार्च, ६६ में दे दी गई हैं । अतः यह सूचना देना सम्भव नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कम्पनी के मालिक का नाम क्या है ?

श्री भीमसेन : मालिक के नाम की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स ब्यूरो इसकी तफतीश कर रहा है ?

Page No. 2

उद्योग-मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यही तो उत्तर में कहा है। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, आयातित वस्तुओं के प्रयोगिता प्रमाण-पत्र किसने कब दिये उत्तर में बताया है कि उद्योग विभाग से सम्बन्धित कुछ फाइलें भारत सरकार के सी०-बी० आई० विभाग के इन्सपेक्टर को इनके विरुद्ध कच्चे माल के दुरुपयोग के सम्बन्ध में मार्च, ६६ में दे दी गई हैं। अतः यह सूचना सम्भव नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या राज्य सरकार यह कहने की स्थिति में है कि कम्पनी ने बिना उत्पादन किये जितना कच्चा माल प्राप्त किया लाइसेन्स के जरिये उस सारे माल का ब्लेक कर दिया और उत्पादन एक पैसे का भी नहीं किया है?

श्री हरिदेव जोशी : अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट में इस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया अभी इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। यह मामला सी० बी० आई० को दे दिया गया है। बहुत मुमकिन है जल्दी ही चालान हो।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स के कागजात सीज करने से पहले उद्योग विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की?

श्री हरिदेव जोशी : उद्योग विभाग के इनिशियेटिव पर ही जांच की है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : सरकार ने सी० बी० आई० को रेफर करने से पहले इसेन्शियल कॉमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत उस व्यक्ति का चालान क्यों नहीं किया?

श्री हरिदेव जोशी : सी० बी० आई० को देना ज्यादा उचित समझा है क्योंकि इसमें दूसरे लोग इन्वोल्व हैं, जिनकी जांच जरूरी है और सी० बी० आई० ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : उद्योग विभाग के नोटिस में यह कब आया था, फर्स्ट टाइम?

श्री हरिदेव जोशी : एग्जेक्ट डेट तो अभी नहीं है। मैंने कहा न कि ६६ में दिया गया है। उसके पहले दो बार गवर्नमेंट के पास इस प्रकार की शिकायतें आई थी। पहले प्राईमा-फेसी देखी है।

श्री भैरोंसिंह : ६६ के पहले नहीं है यह है आपका मतलब।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि सारी फाइलें सी० बी० आई० के पास है। मेरे पास तो केवल एक नोट है-सेक्रेटेरियेट में। उसके आधार पर ही यह इन्फॉर्मेशन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

प्रश्न संख्या ३८५

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

ऑर्डर! ऑर्डर!!

Page No. 3

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस फर्म का मालिक भाटिया फरार हो चुका है ? (पुनः) प्रश्न के सम्बन्ध में जहां एक ओर माननीय मंत्री महोदय ने सूचना दी है कि सी० बी० आई० जांच कर रही है तो क्या यह सही है कि फर्म का मालिक भाटिया फरार है और उसका आज तक पता नहीं है—व्हेयर अबाऊट मालूम नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं नहीं कह सकता हूं अभी।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! शिक्षा मंत्रीजी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राजस्थान के कई छोटे-छोटे कारखानों को कच्चा माल नहीं मिलता है और इस फर्म को दे दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : सी० बी० आई० मामले की जांच कर रही है। आपको कह दिया गया न। यह बोलने में देर हो रही है, शिक्षा मंत्रीजी को इसका उपयोग कर रहे हैं क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अलवर का कहां से आ गया ?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो आप ही ज्यादा जानते होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या हुआ क्वेश्चन का ?

श्री अध्यक्ष : मैं दूसरा ले लेता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ! प्रश्न संख्या १८९

बाड़मेर जिले में बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

१८९. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बाड़मेर जिले में बसों के किसी मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया है ?

(२) जोधपुर से चोहटन वाया बाड़मेर बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव कबसे विचाराधीन है ?

(३) उक्त मार्ग का कब तक राष्ट्रीयकरण किया जायगा ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री समरथलाल) : (१) जी नहीं।

(२) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(३) फिलहाल कोई योजना नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या राज्य सरकार उक्त मार्ग को महत्वपूर्ण नहीं समझती है ?

श्री समरथलाल : क्या ?

श्री अध्यक्ष : उपरोक्त मार्ग को महत्वपूर्ण नहीं समझती है क्या राज्य सरकार ?

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : मार्ग महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन कॉर्पोरेशन की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको भी नहीं लिया। आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस पर विचार किया जायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या सुरक्षा की दृष्टि से यह मार्ग महत्वपूर्ण नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव : महत्वपूर्ण हो सकता है – नेशनल पॉइन्ट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह आपको बता दिया लेकिन कॉर्पोरेशन की आर्थिक दृष्टि से विचार करेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसको योजना में कब तक ले लेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : यह आपको अभी नहीं बता सकता।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या यह सही है आपके निगम में ५० गाड़ियां बेकार खड़ी हैं जिनका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव : ५०० गाड़ियों के निगम में ४-५ गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। उनको भी सुधारने की कार्यवाही चल रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इतना लम्बा डामर रोड है, इसको आप नेशनलाइज क्यों नहीं करना चाहते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : कोई डामर रोड और लम्बी रोड होने से ही राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाता है। निगम की आर्थिक स्थिति को देखना होता है और दूसरी कई व्यवस्थाएं हैं...

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी !

रीजनल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, अजमेर की डिग्रियों को मान्यता

३८५. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा अजमेर में रीजनल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन सन् १९६३ से खोला गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस कॉलेज में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हायर सैकेण्डरी (साइन्स) परीक्षा पास होना है और इस कॉलेज में चार वर्ष के कोर्स के बाद बी० टेक० एड. बी० एससी०, बी० एड० आदि डिग्रियां दी जाती हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस कॉलेज के विद्यार्थियों की परीक्षायें राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती हैं तथा डिग्रियां भी राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रदान की जाती हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त डिग्रियों को राजस्थान विश्वविद्यालय मान्यता प्रदान नहीं करता और इस कॉलेज से डिग्री प्राप्त छात्रों को एम० ए० अथवा एल एल० बी० में प्रवेश नहीं दिया जाता ?

(५) क्या यह सही है कि राज्य सरकार भी इस कॉलेज के डिग्री प्राप्त छात्रों को ट्रेन्ड ग्रेज्युएट या साधारण ग्रेज्युएट भी स्वीकार नहीं करती और इसलिये उनको राज्य सेवाओं में नहीं लिया जाता ?

(६) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार इन डिग्रियों को मान्यता प्रदान करती है ?

(७) क्या यह सही है कि इस कॉलेज से डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों के दो बैच निकल चुके हैं जो कि उपरोक्त विवशताओं के

Page No. 5

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कारण ना अपना अध्ययन आगे जारी रख पाये हैं और ना ही राज्य सेवा में लिये गये हैं ?

(८) क्या राज्य सरकार ने इस कॉलेज की डिग्रियों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) जी हां।

(२) द्वितीय श्रेणी हायर सैकेन्डरी साइन्स न्यूनतम योग्यता है।

(३) जी हां।

(४) इस संस्था की चार वर्षीय बी. एस सी. बी. टेक. एड. की (बी. एड.) उपाधियां राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एम. ए., एम. एस सी. कोर्स में प्रवेश के लिये मान्य हैं।

(५) इस संस्था के समस्त कोर्स को राजस्थान में नियुक्तियों के लिये मान्यता दी हुई है।

(६) इस संस्था के चार वर्षीय बी. टेक. एड. और एक वर्षीय बी एड. (कॉमर्स) को भारत सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी है। अन्य कोर्स की मान्यता का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

(७) यह सही नहीं है। सन् १९६७ के बैच में से ३९ विद्यार्थी पास हुये। उनमें से ३७ को नियुक्ति मिल गई व दो ने एम. ए. व एम. एड. में प्रवेश ले लिया।

(८) मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग ४ और ५ का जवाब क्लीयरली सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : ४ और ५ का उत्तर वापिस पढ़ दें।

श्री धीरसिंह : इस संस्था की चार वर्षीय बी. एस्सी. (बी. एड.) व बी. टेक. एड. उपाधियां राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एम. ए., एम. एससी. कोर्स में प्रवेश के लिये मान्य हैं।

(५) इस संस्था के समस्त कोर्स को राजस्थान में नियुक्तियों के लिये मान्यता दी हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इन सारे ग्रेजुएट्स को जो आपने ३९ बताये उनके लिये आपने कहा कि एम. ए. में उनको दाखिला मिल सकता है तो एलएल. बी. में भी उनको दाखिला मिल जाना चाहिये लेकिन वास्तविकता यह है कि नहीं मिलता है। श्री नित्यानन्द शर्मा करौली के स्टूडेन्ट हैं जिन्हों ने एप्लाई किया लॉ में दाखिल होने के लिए लेकिन उनको दाखिला नहीं मिला और यह कहा कि चूंकि मान्यता प्राप्त नहीं है ये डिग्रियां इसलिये उनको दाखिला नहीं मिल सकता है।

श्री धीरसिंह : आपने प्रश्न (४) में एम. ए. और एम. एससी के लिये पूछा है एलएल. बी. के लिये नहीं पूछा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एलएल. बी. के लिये भी पूछा है आप देख लें।

श्री धीरसिंह : एलएल. बी. का उत्तर अभी मेरे पास नहीं है। जहां तक एम. ए.,

(श्री धीरसिंह)

एम. एससी. का सवाल है उसमें दाखिला मिल सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इन स्टूडेन्ट्स को जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं उनको सैकिण्ड ग्रेड टीचर्स के अन्दर सर्विसेज नहीं दी जाती है ?

श्री धीरसिंह : सीनियर टीचर्स के लिए राज्य सरकार ने इनको मान्यता निश्चित रूप से दे रखी है। इसका उत्तर (५) में दे रखा है। इस संस्था के समस्त कोर्स को राजस्थान में नियुक्तियों के लिये मान्यता दी हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस कॉलेज के स्टूडेन्ट को दाखिला न तो एम. ए. में मिला है और न एलएल. बी. में मिला है और न उनको बी. एससी. मानते हैं, न साइन्स में जा सकते हैं, न इन्हें ग्रेजुएट्स मानते हैं, न उनके आगे पढ़ने के लिये रास्ता खुला है, न नौकरियों के लिये रास्ता खुला है। यह इन लड़कों की विचित्र स्थिति है। माननीय उप-मन्त्री महोदय ने जो सूचना दी है वह एम. ए. में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं, मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह इस चीज को अगर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एम. ए. में हो सकता है तो जब एम. ए. में हो सकता है तो एल एल. बी. में भी हो सकता है। मैंने एक स्पेसिफिक उदाहरण दिया है श्री नित्यानन्द शर्मा करौली के लड़के का जिसको अजमेर में न तो एम. ए. में दाखिला मिला है और न लॉ में मिला है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय क्या कहते हैं इसके लिए ?

श्री धीरसिंह : मैं जानकारी करके बता सकता हूं। एम. ए. में तो मिल सकता है और नियुक्तियों के लिये भी उनको ट्रेन्ड माना जा रहा है। सिर्फ एलएल. बी. की इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है वह मैं दे दूंगा।

प्रश्न संख्या ३८७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी !
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

धौलपुर हाईटेक प्रेसीसन ग्लास लि० को घाटा

३८८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) धौलपुर हाईटेक प्रेसीसन ग्लास लि० में सरकार ने कुल कितनी पूंजी लगाई और उसमें अब तक कुल कितना घाटा हुआ ?

(२) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आधार पर इस कम्पनी में सरकारी पूंजी लगाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय एवं उससे पूर्व विचारणीय प्रश्न के सम्बन्ध में जांच करने का निर्णय लिया है ?

(३) क्या यह सही है कि इस कम्पनी को सरकारी क्षेत्र में चालू नहीं करने की राय वित्त सचिव ने दी थी ? यदि हां, तो फिर यह निर्णय किसने लिया ?

उप-मन्त्री राजकीय उपक्रम (श्री प्रद्युम्न-सिंह) : (१) सरकार ने कुल ७,६०,००० रु०

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

की हिस्सा पूंजी लगाई है। इस कम्पनी को १४,८८,२३४ रु० का घाटा हुआ।

(२) उनका सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

(३) जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह धौलपुर हाईटेक में राज्य सरकार को अब तक १४,८८,२३४ रु० का जो घाटा हुआ है इसके अनुसार राज्य सरकार की जो हिस्सा पूंजी थी वह ७,६०,००० रु० की है वह तो बट्टे खाते चली गई इसमें अब ७ लाख के करीब गवर्नमेन्ट को घाटा होगा तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है कि इसको अगर प्रारम्भ रखा जायगा तो कितने दिनों में यह प्रोजेक्ट घाटा पूरा करके मुनाफे में चला जायेगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो आपको मालूम ही है कि घाटे के बहुत कारण हैं और उनमें से काफी को दूर कर दिया गया है। जब फैक्टरी को दुबारा चलाया गया इस बात की उम्मीद है कि फैक्टरी मुनाफे में चलेगी और इस घाटे की पूर्ति को पूरा कर सकेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसका अनुमान क्या है ? अध्यक्ष महोदय, ७,६०,००० रु० की हिस्सा पूंजी और नुकसान है १४,८८,२३४ रु० का। इसका मतलब यह है कि हिस्सा पूंजी तो हमारा गया ही और उसके बाद भी और नुकसान हो गया फिर उसी को चालू कर रही हैं। इसके लिए पहले भी कहा गया था। पहली चीज तो यह है कि इसको शुरू ही गलत किया गया है। आपकी कमेटी की रिपोर्ट थी वह धौलपुर में चालू करने के बारे में नहीं थी।

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जो फैक्ट्स है वह अभी सदन के समक्ष रखे जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स की ओपीनियन लेकर गवर्नमेन्ट ने इसको फिर से शुरू किया है और आशा है कि इसमें घाटा नहीं होगा। शुरूआत भी अच्छी हुई है और घाटे के जो कारण थे पहले जो ब्रेकेज होती थी, माल पड़ा रह जाता था इससे मार्केट की दिक्कत होती थी इन सारी चीजों को खत्म कर दिया गया है और पुराना माल सारा बिक चुका है। इसलिए अब घाटे के चान्सेस नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कम्पनी में हिस्सा पूंजी लगने के सिलसिले में नीतियों के विरुद्ध जो राज्य सरकार ने पूंजी लगाई इसकी जांच के लिए प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की है सरकार ने उस संबंध में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है या करने का विचार है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसका (२) में उत्तर दे दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरा सवाल यह है कि प्रतिवेदन में यह बात कही गई है कि वित्त विभाग की स्पष्ट राय में इतने स्तर पर इसमें सरकारी पूंजी लगाने का आदेश दिया गया यह कहां तक सच है ? अगर सच है तो इस प्रकार का व्यवहार सरकार ने क्यों किया ?

श्री हरिदेव जोशी : यह सूचना मुझे ऐसा लगता है सही प्राक्कलन समिति के पास नहीं पहुंची। लेटर स्टेज के ऊपर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने इसको फिर से

Page No. 8

(श्री हरिदेव जोशी)

एग्जामिन किया और फाइनेन्स कमिश्नर ने स्वयं ने अमुक कन्डीशन्स जो थी वह प्रेस्क्राइब की और उसी के हिसाब से कम्पनी शुरू की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने के बाद यह जो प्रतिवेदन में अंकित किया गया है उसके अनुसार राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुँची है और पहले यह कहा गया था कि जो फैक्चुअल चीज है यह गलत लिखा गया है जिसको आप हाउस में आज कह रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा है कि विचाराधीन है कि क्या किया जाना चाहिए और किस तरह से किया जाना चाहिए। प्राक्कलन समिति को लिखा जाना चाहिए या दूसरे किसी प्रकार की चीज को देखा जाना चाहिए। यह विचाराधीन है।

सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार ने फिर दुबारा चालू करने का निर्णय लिया है तो हाउस जानना चाहता है कि इस फैक्टरी में जिसमें १५ लाख रुपये का घाटा हो चुका है उसके संबन्ध में फैक्टरी को दुबारा चालू करने के पहले यह सदन जानना चाहेगा कि यह घाटा बढ़ेगा या घटेगा। अगर घटेगा तो क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि कितने वर्ष में यह घाटा पूरा होकर फैक्टरी मुनाफे में चलने लग जायेगी, उसका पीरियड बता दें ?

श्री हरिदेव जोशी : जो केस नये सिरे पर बना है। इस फैक्टरी को गंगानगर शुगर फैक्टरी ने लीज पर लिया है और जिस प्रकार के सजेशन एक्सपर्ट्स ने दिये हैं वह तीन मोटी चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि ओवर हैड एक्सपैंडीचर कम से कम होने चाहिए, वर्किंग कैपिटल पूरा मिलना चाहिए और तीसरी चीज यह है कि ब्रेकेज और सामान पड़ा रहना इसको अवोइड किया जाना चाहिए। अब तीनों चीजों के लिए प्रिकाशन्स ले लिये गये हैं और इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि फैक्टरी से माल निकलते ही कम्पनी की लाइबिलिटी नहीं होगी और वह सीधे ही जो एजेन्ट है उसको दे दिया जायेगा और इसी प्रकार से जो हमारे पास में लगभग १ या १॥ लाख का माल था वह बिक चुका है और जितना हमारा प्रॉडक्शन है, एक्स-फैक्टरी माल उसकी अब कम्पनी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनती है। इसलिए इसमें देखना यह है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और मार्केट की अपार्चुनिटी हो। ये दोनों चीजें हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पीरियड बता दें।

श्री हरिदेव जोशी : इस प्रिकाशन लेने का अर्थ यह कि अब कम्पनी शुरूआत से ही घाटे में नहीं रहेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो अनुमानित पूंजी इसमें इन्वेस्ट की गई है वह कितनी होगी और अनुमानित लाभ का क्या अन्दाजा है ?

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट ने केवल स्टार्ट करने के लिए एक लाख रुपये दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने जो प्रिकाशन बताये हैं कि ये प्रिकाशन लेने

(श्री भैरोंसिंह)

से लाभ नहीं होगा तो उसके पहले क्या सरकार ये प्रिकाशन नहीं ले सकती थी ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं, जो एग्रीमेंट हो चुका था उसमें कमिटमेंट दूसरी तरह के थे। वे सारे इस प्रकार के थे कि वे उसी ट्रैक पर चल सकते थे इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बन्द कर दिया। उस समय तो यही चीज थी यह डेड इन्वेस्टमेंट हो गया है इसमें से निकल नहीं पाते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स की ओपीनियन ली गई और एक्सपर्ट्स की ओपीनियन लेकर उन्होंने जिस प्रकार की राय दी उस प्रकार काम किया।

एक कारण और भी था जो शायद माननीय सदस्यों को मालूम होगा। वह यह था धौलपुर में दो कम्पनियों में आपस में कम्पीटिशन था जिसके कारण से मार्केट खराब हुआ और दोनों कम्पनियां भरी हैं। उस स्थिति में सुधार हुआ है और मैं समझता हूं कि इकोनामिक फुटिंग पर यह चल जायगी।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन बिल्कुल दूसरा है। आपने तीन प्रकार के प्रिकाशन्स लिये हैं। इस प्रकार की बात थी कि इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट की ओपीनियन पर यह प्रिकाशन लिये गये हों यह आधारित नहीं है। आपने कहा कि ओवरहैड एक्सपेन्सेज कम किये जायं, ब्रेकेज की जो अव्यवस्था थी उसको कम किया है। ये दोनों चीजें ऐसी थी कि जिनमें टेक्निकल एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है तो उसकी आवश्यकता के बिना ही आप प्रिकाशन ले सकते थे।

श्री हरिदेव जोशी : कई चीजें हैं। जब एक बार कम्पनी शुरू करते हैं तो सार्वजनिक कमिटमेंट्स हो जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ब्रेकेज का कोई कमिटमेंट होता है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां। मैंने एक कान्ट्रेक्ट दिया कि जैसे-जैसे माल बिकता जायगा कोन्ट्रेक्टर या सेलिंग एजेन्ट वह माल मंगाता जायगा और वैसे-वैसे कम्पनी भेजती जायगी। यह कमिटमेंट था। अब कमिटमेंट यह है कि जो भी प्रोडक्शन होगा वह सारा प्रोडक्शन उसका होगा और वह बाध्य होगा उसको खरीदने के लिए।

श्री भैरोंसिंह : जो माल फरनेस में टूट जाता है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं एक्स-फैक्ट्री माल की कह रहा हूं। जो माल प्रोडक्शन हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : प्रोडक्शन होने में भी ब्रेकेज होता था।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यही निवेदन किया है कि पहले यह होता था कि हमने माल को प्रोड्यूज किया और उसको वहां से उठाकर गोडाउन में रखा और वहां से निकाला और फिर ले गये, लेकिन अब यहां के सारे प्रोडक्शन की उसकी जिम्मेदारी है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री सालोदिया।

Page No. 10

मालपुरा मार्केटिंग सहकारी समिति के विरुद्ध लिक्वीडेशन की कार्यवाही

३८६. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मालपुरा मार्केटिंग सहकारी समिति ने कब तक कितने की खरीद व बिक्री की और उसमें समिति को कितना फायदा या नुकसान रहा ? यदि नुकसान रहा तो कितना और क्यों ?

(२) इस सहकारी समिति को अब तक कितनी सबसिडी व कर्जा किस-किस काम के लिए कितना-कितना दिया गया और उसको उन्हीं कामों में खर्च किया गया या नहीं और अब समिति में कितना बकाया कब से है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सच है कि समिति ने अपना गोदाम १५ हजार रुपयों में गिरवी रख रखा है ? यदि हां, तो उस गोदाम निर्माण में कितना रुपया खर्च किया और उसमें से सरकार से कितना मिला था ?

(४) क्या यह भी सच है कि उक्त सहकारी समिति के लिक्वीडेशन की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां तो कब से ?

(५) लिक्वीडेशन की कार्यवाही इतने लम्बे समय तक चलते रहने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री रामदेवसिंह) : (१) मालपुरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति में अब तक ९,४९,९८८.०३ रु० की खरीद व ८,९३,३५९.३८ रु० की बिक्री की गई। समिति में ८,७७०.१२ का शुद्ध लाभ रहा।

(२) इस समिति को अब तक कितनी सबसिडी व कर्जा किस कार्य के लिए दिया उसकी सूचना संलग्न तालिका "ए" पर संलग्न है।

(३) समिति ने अपना गोदाम राज्य सरकार से प्राप्त ऋण के पेटे राज्य सरकार को रहन रखा है। गोदाम निर्माण पर २४,६७५.२८ रु० खर्च हुए थे। गोदाम निर्माण हेतु राज्य सरकार से १८,७५०.०० रु० ऋण व ६,२५०.०० अनुदान कुल २५,०००.०० रु० मिला था।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने जो आंकड़े दिये हैं प्रश्न सं० १ में ये कब तक के हैं ? ९ लाख तक की खरीद की है और ८ लाख की बिक्री की है तो ये कब तक के आंकड़े हैं ?

सहकारी मंत्री (श्री शोभाराम) : ६०-६१ से ३०, जून ६७ तक के आंकड़े हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें और इसमें डिफरेन्स है। आप कहते हैं कि ९ लाख का व्यापार किया और ८ लाख की बिक्री की है उसके बाद में ८,७७०.०० रु० का मुनाफा रहा, यह कैसे हो सकता है ?

Page No. 11

श्री शोभाराम : कुल मिलाकर ९,४९,९८८.०० रु० की खरीद थी और बिक्री ८,९३,३५९.०० रु० की है और इसमें स्टॉक पड़ा हुआ है। जो सात साल के अन्दर शुद्ध लाभ हुआ है वह ८,७७०.१२ रु० का है।

श्री जयनारायण सालोदिया : स्टॉक कितना है ?

श्री शोभाराम : स्टॉक इस वक्त जो पड़ा हुआ है वह ९९,९९९.०० रु० का है।

श्री जयनारायण सालोदिया : फिर भी ये आंकड़े नहीं होते हैं। ९ लाख की खरीद हुई और ८ लाख की बिक्री हुई उसके बाद आप निकालते हैं तो ५३,३३३.०० रु० का स्टॉक होना चाहिए। फिर ९० हजार का स्टॉक कैसे रहा ?

श्री शोभाराम : ऐसा नहीं है। यह जो खरीद हुई है ९,४९,०००.०० रु० की इसमें ९९ हजार शामिल हैं। जो बिक्री हुई है वह ८,९३,०००.०० रु० की हुई है तो इनके दोनों के डिफरेन्स से मुनाफे का सवाल नहीं पैदा होता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : पैदा होता है। स्टॉक और बिक्री को मिलायेंगे तो ज्यादा स्टॉक हो गया। उसमें डिफरेन्स हो गया। आप और मिला लें स्टाक और बिक्री को। ८ लाख की बिक्री और ९९ हजार के स्टॉक को मिलायेंगे तो ज्यादा होगा।

श्री शोभाराम : इसमें शुद्ध लाभ और सकल लाभ में फर्क होता है। ग्रास प्राफिट जो होता है उसमें से गोदाम का किराया, आदमियों का खर्चा जो होता है उसको काटने के बाद जो बचता है वह नेट प्रोफिट होता है और वह कम होता है। ग्रास प्राफिट की बात आपकी समझ में आती है। लेकिन नेट प्राफिट तो जो खर्चा होता है स्टॉफ पर, गोदाम किराये पर, बिजली-पानी पर उसको काटकर निकाला जाता है। यह जो मैंने आपको बताया है वह शुद्ध लाभ बताया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : जब इस कोआँपरेटिव में इतना शुद्ध लाभ है तो १५ हजार में गवर्नमेंट को मकान गिरवी रखने की क्यों नौबत आगई ?

श्री शोभाराम : यह नियम की बात है। गोदाम के लिए जो ऋण देते हैं और अनुदान देते हैं तो जब तक वह कर्जा नहीं चुक जाता है तब तक मोर्टगेज सबको करना पड़ता है। ऐसा नियम है। अगर उसमे मोर्टगेज डीड नहीं भराये तो वह बेचने का अधिकारी हो जाता है। ऐसा नियम है।

श्री जयनारायण सालोदिया : सबसिडी दिये जाने के क्या नियम हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने सबसिडी का पूछा है और इन्होंने जवाब दिया है। इसके नियम क्या हैं। इनको सबसिडी ५० हजार रुपये हर साल देते जा रहे हैं।

श्री शोभाराम : जहां तक गोदाम बनाने का सवाल है...

श्री जयनारायण सालोदिया : गोदाम से अलग।

श्री शोभाराम : उसके लिए जो सबसिडी मिलती है वह ७५ पर्सेन्ट तो ऋण होता है और २५ पर्सेन्ट सबसिडी होती है।

(श्री शोभाराम)

जैसा कि यहां पर बताया गया है १८,७५०.०० रु० तो ऋण और ६,२२५.०० रु० सबसिडी। यही पैटर्न है। गोदाम के लिए २५ हजार का ऋण देते हैं। इसमें इस प्रकार का नियम है।

श्री जयनारायण सालोदिया : बाकी की जो तीन दफा सबसिडी दी है और हर साल सबसिडी दी है इस कोआपरेटिव को तो पूछना चाहता हूं कि विभाग से कोआपरेटिव को सबसिडी देने के क्या नियम बने हुए हैं, और यदि हैं, तो क्या प्रावधान है ?

श्री शोभाराम : परिशिष्ट "ए" जो इसके साथ लगा हुआ है उसमें कोई भी सबसिडी दो दफा नहीं है सिवाय इसके कि व्यवस्थापन कोई भी दो दफा रिपीट नहीं हुई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : दी गई है।

श्री शोभाराम : आप देखियेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : दी गई है, जैसे कि आपने एक दफा व्यवस्था के लिए दी है ..

श्री शोभाराम : मैंने बताया है कि व्यवस्था के लिए मैनेजेरियल सबसिडी दो दफा दी गई है और बाकी सबसिडी अतिरिक्त स्टाफ के लिए और गोदाम निर्माण हेतु है।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह ठीक है। गोदाम को छोड़िये आप, लेकिन व्यवस्था के लिए आपने कई बार सबसिडी दी है तो मैंने नियम के लिए निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नैक्स्ट। श्री जुझारसिंह !

ग्राम दुवालिया में आयुर्वेदिक औषधालय

३६०. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) :** क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम दुवालिया, पंचायत समिति पिड़ावा में आयुर्वेदिक अस्पताल कब मन्जूर हुआ था और वहां कब से कब तक चलाया गया ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम दुवालिया से यह औषधालय अब गादिया तब्दील कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) गादिया से कितनी-कितनी दूरी पर सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल पाटन व पिड़ावा तहसील के गांवों में चल रहे हैं ? दुवालिया से सबसे नजदीक का आयुर्वेदिक औषधालय कहां है और उसका दुवालिया से फासला क्या है ?

(४) आयुर्वेदिक औषधालयों को खोलने व तब्दील करने में किन बातों का ध्यान रखा जाता है व किन संस्थाओं की राय शामिल की जाती है ? क्या दुवालिया से औषधालय बदलने के पूर्व पंचायत समिति पिड़ावा या जिला परिषद्, झालावाड़ को पूछा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद विभाग (श्री समर्थलाल) : (१) यह आयुर्वेदिक चिकित्सालय मार्च, ६६ को मन्जूर हुआ वह दिनांक २२-४-६ से २-१०-६७ तक चलाया गया।

(श्री समर्थलाल)

(२) जी हां, निःशुल्क भवन की समुचित व्यवस्था न होने व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उप-केन्द्र डेढ़ मील के फासले पर उपलब्ध होने के कारण।

(३) तहसील पाटन एवं पिड़ावा के गांवों में चल रहे औषधालयों की दूरी इस प्रकार है :—

तहसील	ग्राम औष०	गादिया से दूरी
पिड़ावा	कनवाड़ी	९
	माखनिया	५
	रामपुर	८
पाटन	कनवाड़ा	७
	भूमकी	९

दुवालिया से सबसे नजदीक औषधालय रामपुर मे है जो ६ मील पर स्थित है।

(४) औषधालय खोलने के लिये जिला परिषद् के पारित प्रस्ताव, निःशुल्क भवन व्यवस्था एवं जिले की १००० की जनसंख्या के औचित्य को ध्यान में रखा जाता है। तथा औषधालय का स्थानान्तरण दोनों प्रकार के औषधालयों का एक स्थान या पांच मील की परिधि में होने पर या निःशुल्क भवन व्यवस्था उपलब्ध न होने पर उस स्थान पर कर दिया जाता है, जहां भवन की ठीक व्यवस्था हो और जहां अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न हो। पंचायत समिति या जिला परिषद् से पूछने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : आज आपकी आवाज दबी हुई है।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि दुवालिया गांव मे औषधालय भवन बनाया जा रहा है और जब इस स्थान से औषधालय ट्रान्सफर किया गया था उस समय यह भवन आधा बन चुका था ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद(श्री जयकृष्ण शर्मा): इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है।

श्री जुझारसिंह : मैं जानकारी दे रहा हूं जिस समय औषधालय को ट्रान्सफर किया उस वक्त दुवालिया में औषधालय भवन आधा बन चुका और अब वह कम्प्लीट हो चुका है इस स्थिति में औषधालय को तब्दील करने क्या कारण था ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जिस समय औषधालय तब्दील किया गया उस समय इन्सपेक्टर की रिपोर्ट थी कि वहां औषधालय भवन का निर्माण नहीं हो रहा है।

श्री जुझारसिंह : यह गलत है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अगर गलत है तो इसकी जानकारी करा ली जायगी। अगर वहां औषधालय भवन का निर्माण हो गया है तो आगे जो नये औषधालय खोले जायेंगे उस वक्त इसका ध्यान रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) प्रश्नकर्ता !

श्री जुझारसिंह : नया औषधालय खोलने का प्रश्न नहीं है। यह औषधालय डेढ़ वर्ष तक दुवालिया मे चल चुका है उसके बाद उपमंत्री जी कन्हैयालाल पटेल, जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, ने जान-बूझकर दूसरे गांव को प्रोत्साहन देने के लिए, इस गांव को जलील करने के लिये इस औषधालय को

(श्री जुझारसिंह)

ट्रान्सफर किया है। इनके जवाब से मालूम होता है कि कम से कम तीन ऐसे स्थान हैं जहां पर नये औषधालय खुले है, पांच छः मील के अन्दर तीन औषधालय खुले हुए हैं। क्या यह सही है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में पहले ही औषधालय बहुत ज्यादा हैं और जिस स्थान पर यह औषधालय तब्दील किया गया है वहां पर कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहां के ग्राम निवासियों ने औषधालय भवन दे दिया है, औषधालय भवन वहां पर है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि उनके वहां भी औषधालय भवन तैयार हो रहा है—इस प्रकार की कोई इत्तला विभाग के पास नहीं है। मैंने जैसा पहले कहा, इस प्रकार की कोई बात है तो उसकी जानकारी कर ली जायगी। जहां तक सवाल इस औषधालय को तब्दील करने का है तो हरएक व्यक्ति को चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध करने का अधिकार है इसलिये इसमें उपमंत्री का सवाल नहीं है। गादिया का गांव है यह उसी तरह है जैसे दूसरे गांव हैं, इस गांव के निवासियों को सुविधायें उपलब्ध करने के लिये औषधालय का स्थानान्तरण किया गया है।

श्री जुझारसिंह : क्या गादिया में कोई सरकारी औषधालय भवन बना दिया गया है, जिस नई जगह पर तब्दील हुआ है वहां पर सरकारी भवन है या गांव वालों ने बनाया है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : गांव वालों ने मकान दिया है।

श्री जुझारसिंह : कहां पर दिया है ? जिन्होंने दिया है वह फाइनली उनको दे दिया है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : क्या ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री जुझारसिंह : किसी के मकान में रख दिया है, कोई गादिया में नया बनाया हुआ मकान नहीं है। दुवालिया में मकान बन चुका है, जिस वक्त में वहां से रिमूव किया गया था उस वक्त वह भवन आधा बन चुका था। आपको जान-बूझ कर गलत इन्फार्मेशन दी गई है। सिवाय इसके कि उस गांव के आदमियों को परेशान करना है, और कोई कारण नहीं है वहां से तब्दील करने का।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जैसा मैंने कहा, मकान की बात लेकर बार-बार कहें कि वहां है और मैं कहूं कि नहीं है, इसके बजाय मेरा कहना है कि अगर वहां भवन बन चुका है तो मैं जानकारी करा लूंगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर) : क्या यह सही है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् ने इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया था कि अमुक औषधालय को अमुक स्थान पर परिवर्तित कर दिया जाय ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जैसी माननीय सदस्य को इत्तला दी गई है, पंचायत समिति और जिला परिषद् से पूछने का प्रश्न नहीं उठता। हर एक बात ऐसी नहीं है कि पंचायत समिति या जिला परिषद् से प्रस्ताव आये उस पर राज्य सरकार अपना एक्शन ले, यह आवश्यक नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो औषधालय खोलते हैं उसमें यह कन्डीशन लगाते हैं कि पंचायत समिति और जिला परिषद् के प्रस्ताव आने के बाद में उस जगह पर औषधालय खोला जायगा, क्या यह सही नहीं है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो उत्तर दिया अगर माननीय सदस्य ने वह सुना होता तो प्रश्न करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। निःशुल्क भवन व्यवस्था, दस हजार की आबादी, जिला परिषद् एवं पंचायत समिति का प्रस्ताव– कई बातें हैं जिनके आधार पर मान्यता दी जाती है। इसलिये माननीय सदस्य का कहना कि पंचायत समिति और जिला परिषद् के प्रस्ताव पर औषधालय खोले जाते हैं, यह बात ठीक नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या जिला परिषद् और पंचायत समिति के प्रस्ताव का महत्व नहीं है ? क्या यह सही है कि जिला परिषद् और पंचायत समिति के प्रस्ताव की परवाह किये बिना उप-मन्त्रीजी की दिलचस्पी का पूरा ध्यान रखा गया ? इस बात की पूरी जानकारी करायें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह बात ठीक है कि गांव वालों की दिलचस्पी का ध्यान रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने फर्माया कि नैक्स्ट टाइम औषधालय खोले जायेंगे तब इसका ध्यान रखा जायगा। मेरा निवेदन यह है कि जब वहां पर एक औषधालय चालू था, उस औषधालय को जान बूझ-कर वहां से बदला गया तो बदले हुए औषधालय को वहां पर वापिस लाने में क्या आपत्ति है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री जयकृष्ण शर्मा : वापिस भेजने का प्रश्न इसलिये पैदा नहीं होता क्योंकि यह राज्य सरकार ने सोच कर तब्दील किया है। जैसा आपने कहा कि भवन बन चुका है और गांव वालों ने इस तरह के औषधालय के लिए अच्छा मकान बना दिया है तो मैं उस स्थिति में आपको यह कहने के लिये तैयार हूं कि यदि ऐसी बात है तो भविष्य में खयाल रखा जायगा। वैसे जिस गांव में यह औषधालय तब्दील किया गया है उसमें ज्यादा जरूरत की वजह से तब्दील किया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या राज्य मन्त्री यह आश्वासन देंगे, क्या जिस प्रकार माननीय सदस्य कह रहे हैं उसके ऊपर यह कहने को तैयार हैं कि अगर ग्राम दुवालिया के अन्दर, आप इस नतीजे पर पहुंचे, कि इस औषधालय के लिये भवन बनाया जा चुका है, तो क्या आश्वासन देंगे कि यदि सरकार यह सही पायेगी तो वापस इस औषधालय को वहां पर शिफ्ट किया जायगा ?

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : कह दिया उन्होंने।

श्री जयकृष्ण शर्मा : वापिस शिफ्ट करने को नहीं कह सकता और औषधालय खोलने का चल रहा है उसमें मैं विचार करूंगा। मैं समझता हूं कि इसमें अन्तर नहीं है, अगर वहां प्राथमिकता देने के समय औषधालय खोलें तो वह चाहे नया हो या पुराना, उससे अन्तर आने वाला नहीं है।

Page No. 16

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह दल-बदलू मन्त्रियों के पास और कोई काम नहीं है सिवाय इसके।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : जो औषधालय दुवालिया से गादिया में स्थानान्तरित किया गया है, क्या यह सही है कि गादिया, दुवालिया से छोटा गांव है और बिल्कुल उसके नजदीक है और वहां भवन नहीं है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं १९६१ की जनसंख्या के आधार पर कह सकता हूं कि इनमें बहुत कम अन्तर है। मैं समझता हूं कि गादिया की दुवालिया से थोड़ी ज्यादा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सरकार की यह नीति है कि जिस स्थान पर औषधालय खोला जाय उस स्थान से दूसरे स्थान पर बदला नहीं जायगा ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या सरकार की नीति है कि जहां सब प्रकार....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब एक बार कहीं औषधालय खोला जाता है....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री देवीदत्त ऑर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि औषधालय बदल दिया गया तो मन्त्री दल बदल देंगे ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री रामचन्द्र आर्य (सेहर) : कोई टाइम लिमिट नहीं देंगे कि कब तक औषधालय खोल देंगे ? कोई टाइम लिमिट नहीं दे सकते ?

श्री अध्यक्ष : नया खुल रहा है। ऑर्डर प्लीज ! दूसरा प्रश्न ले लिया गया है। श्री आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : औषधालय को ट्रान्सफर करने की...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !!

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार इस औषधालय को वापिस वहीं भेजेगी जहां से हटाया है इसका आश्वासन दें पहले।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर ! श्री आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रश्न को टाल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, इसको दबा देना चाहते हैं, इस प्रकार की यह गलत कार्यवाही..

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य ! मैं आपको नाम से पुकारता हूं। स्थान ग्रहण करें।

विद्युत् मंत्री !

श्री भैरोंसिंह : आप इतने जोरों से नहीं बोलें, नहीं तो आपके पैरों में दर्द हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : आपका भी मुझे ख्याल है, हृदय रोग है आपको।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : पैरों का ख्याल रखना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय, आसन के पैरों का।

श्री अध्यक्ष : पैर दुबारा बन सकते हैं, हृदय नहीं बन सकता।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : आप दोनों....

श्री केसरीसिंह हाड़ा : पैरों में दर्द होगा तो आसन का पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जायगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप दोनों ही कष्ट क्यों करते हैं उनको आप सुनें।

उपमंत्री (श्री खेतसिंह) : अब आप मुझे सुनें।

श्री लक्ष्मीसिंह : मंत्रीजी बड़ी देर से कष्ट पा रहे हैं।

बारां से अटरू व छीपाबड़ोद क्षेत्र के बिजली के खम्भे

३९१. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आज से करीब ६ माह पूर्व बारां से अटरू व छीपा-बड़ोद क्षेत्र में जो बिजली के खम्भे खड़े किये गये थे उनमें से अधिकांश खम्भे उखड़ कर गिर गये हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान के कितने-कितने खम्भे गिरे पड़े और किस कारण से गिरे और उसका कितना नुकसान हुआ?

(२) क्या सरकार ने उसकी जांच करवाई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (१) यह इस हद तक सही है कि बिजली के ३ खम्भे छीपाबड़ोद-सालपुरा सैक्शन में सालपुरा के पास सम्भवतः तेज हवा व अधिक वर्षा के कारण गिर गये थे। इसके अतिरिक्त छीपा-बड़ोद-अटरू सैक्शन में करीब ४ मील की लाइन के बहुत से खम्भे झुक गये थे इन सबको वापिस ठीक करने में २५०० रु० का खर्चा हुआ है। अब यह लाइन ठीक कर दी गई है।

(२) इस बात की जांच चालू है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकार अब तक की जांच के आधार पर क्या इस निर्णय पर पहुंची है कि ये जो खम्भे उखड़े हैं या मुड़े हैं, इसका कारण क्या है?

श्री खेतसिंह : जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि अभी जांच चालू है इसलिये मैं अभी नहीं कह सकता कि इन खम्भों के गिरने का कारण क्या था, सीमेंट कम थी या गड्ढे कम गहरे खोदे गये या ए. ई. एन. ने गड़बड़ की या ठेकेदार की मिस्चीफ थी, यह जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह काम विभागीय आधार पर करवाया गया या ठेकेदार ने किया। यदि विभागीय कार्य था तो कुल कितना खर्चा हुआ?

श्री खेतसिंह : यह मैंने निवेदन किया कि २५०० रुपया वापिस ठीक करवाने में लगा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह पूछ रहा हूं कि यह काम विभागीय आधार पर करवाया गया था क्या, यदि विभागीय आधार पर करवाया गया तो कुल कितना खर्चा हुआ यह बतायें?

श्री खेतसिंह : मैंने जवाब दिया कि यह ३० मील लम्बी लाइन थी। अभी नहीं कह सकता कि विभागीय करवाया गया या ठेकेदार से करवाया गया। पर यह सत्य है कि कुछ खम्भे टूट गये, कुछ मुड़ गये, इसकी सीरियल जांच चालू है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या यह सही है कि इस लाइन पर काम में आने वाला सब मेटीरियल बेच दिया गया है ?

श्री खेतसिंह : मेरी जानकारी में नहीं है। यदि माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो मैं उनका आभारी होऊंगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या रामचरण ठेकेदार को यह ठेका दिया गया था ?

श्री खेतसिंह : यह मुझे मालूम नहीं हैं। यदि लिखित में माननीय सदस्य यह सब देंगे तो मैं जांच करवा दूंगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यदि मंत्री महोदय जांच करावें तो मैं साबित करवाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री खेतसिंह : मैं निश्चित तौर पर आश्वासन देता हूं कि यदि लिखित में पूरे ब्यौरे के साथ देंगे....

श्री हरिदेव जोशी : मय सबूत के।

श्री खेतसिंह : तो मैं जांच करवाऊंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये जो बिजली के खम्भे गिरे हैं, क्या इनको ठीक रखवाने का काम चालू है ?

श्री खेतसिंह : वापिस दुरुस्त करा दिया है, काम चालू है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री महोदय गलत सूचना दे रहे हैं। काम चालू है, पूरा नहीं हुआ है। मन्त्री महोदय ने कहा कि बिजली के खम्भे गिरे वे बरसात के कारण गिरे और मुड़े हैं, यह गलत है। एक आदमी की झोंपड़ी से बिजली का खम्भा गिर गया, मुड़ गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इन खम्भों के लगाने में कितनी बोरियां सीमेंट की खर्च हुईं ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि यह मैं बताऊं कि कितनी सीमेंट की बोरियां खर्च हुईं।"

श्री अध्यक्ष : कितनी गैतियां काम में ली गईं ?

श्री खेतसिंह : कितने मजदूर काम में लगे ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जितनी सीमेंट आई थी उनमें से अधिकांश बोरियां बेच दी गईं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि अधिकांश सीमेंट की बोरियां बेच दी गईं ?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया कि यह सही नहीं है, यदि तथ्य रखें तो मैं जांच करवाने के लिये तैयार हूं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या यह सही है कि इस प्रकार बिजली के खम्भे गिरने और मुड़ने की शिकायत आमतौर पर सारे राजस्थान में है ?

Page No. 19

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री खेतसिंह : यह तो हो सकता है कि तेज बरसात हो तो हर राज्य में खम्भे गिर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ३९२।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! माननीय सदस्य। नेक्स्ट ३९२।

अपग्रेड किये गये स्कूल

३९२. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान में इस वर्ष किन-किन मिडिल स्कूलों को अपग्रेड किया गया है और किन-किन प्राथमिक शालाओं को अपग्रेड कर मिडिल स्कूल बनाया गया है ? इसके आधार क्या हैं और क्या ये सब स्कूलें उन आधारों में आती हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी नहीं आतीं ? किस-किस स्कूल द्वारा कौन-कौन सा आधार पूरा नहीं होता ?

(२) राजस्थान में कौन-कौन से मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करने का और कौन-कौन सी प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करने की मांग थी ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा उनकी छात्र संख्या, स्कूल भवनों में कमरों की संख्या या भवन की स्थिति भी बतलायें।

(३) पंचायत समिति, जिला परिषद् शिक्षा निरीक्षक व डाइरेक्टर द्वारा किन-किन स्कूलों को अपग्रेड करने की सिफारिश की गई थी व किस-किस आधार पर ?

(४) उनमें से कौन-कौन सी अपग्रेड की गई और क्यों ? क्या यह सही है कि जनता द्वारा पर्याप्त बनाये हुए और पूरी छात्र संख्या वाले स्थान पर भी स्कूलें अपग्रेड नहीं की गई हैं ?

(५) बिना पंचायत समिति, जिला परिषद् और शिक्षा निरीक्षक को सिफारिश या मांग के कौन-कौन सी अपग्रेड की गई हैं और क्यों ?

(६) जो अपग्रेड की गई हैं उनकी छात्र संख्या, भवन के कमरों की साइज व संख्या उस हैसियत को स्कूल से उनकी दूरी बतलाई जावे।

(७) जिस पंचायत समिति क्षेत्र में अपग्रेड की गई हैं, उसमें उस हैसियत को पहले से कितनी स्कूलें हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (१) जिन माध्यमिक शालाओं को सन् १९६८-६९ में उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया, उसकी सूची संलग्न है : (परिशिष्ट अ)।

प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया है उसकी भी सूची संलग्न है : (परिशिष्ट ब)।

शालाओं का क्रमोन्नत परिशिष्ट "स" में बताये गये आधारों पर आधारित है।

जी हां, ये शालाएं परिशिष्ट (स) में बतलाये गये आधारों पर ही क्रमोन्नत की गई हैं। प्रश्न नहीं उठता।

(२) जिन-जिन प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक शालाओं

Page No. 20

(श्री धीरसिंह)

में क्रमोन्नत करने की मांग थी, उनमें से परिशिष्ट "अ" व "ब" के अलावा क्रमोन्नत नहीं की गई है। उनकी सूचियां परिशिष्ट "द" "दा" पर है। परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में क्रमशः परिशिष्ट द' व 'दा' जोड़ने से कुल मांग स्पष्ट हो जाती है।

इन शालाओं में वर्तमान में कितनी छात्र संख्या, भवनों में कितने कमरों की संख्या है, या भवन की स्थिति क्या है, यह बतलाना इस समय सम्भव नहीं है क्योंकि राजस्थान के जिलों के गांव-गांव से एकत्रित करने में समय लगेगा। जारी की गई स्वीकृतियों में भी अपर निदेशक को उन शर्तों की पूर्ति हेतु लिखा गया जिस आधार पर शालाओं को क्रमोन्नत होना था।

(३) जिन-जिन शालाओं को क्रमोन्नत किया गया है या नहीं किया गया है तथा पंचायत समिति, जिला परिषद् द्वारा सिफारिश की गई, उनके नाम के सम्मुख (=) का चिन्ह अंकित है। अन्य जो भी शेष शालाएं क्रमोन्नत की गई हैं या नहीं की गई हैं, उनके क्रम में एक बैठक में, जिसमें सभी सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक, निरीक्षिकाएं, उपनिदेशक तथा अपर निदेशक सम्मिलित थे, विचार किया और मुख्यतया वित्तीय उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं शालाओं को क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया जो स्थान के औचित्य व प्राथमिकता के प्रश्न को पूर्ण करती थीं। कई अन्य शालाएं भी निर्धारित आधार की पूर्ति करती थीं लेकिन धनाभाव के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका। और भविष्य के लिये विचारार्थ रख दिया गया। जिला परिषद् व पंचायत समितियों ने आवश्यकतानुसार मांग प्रस्तुत की थी।

(४) जिन शालाओं को क्रमोन्नत किया गया व नहीं किया है, उनकी सूचियां परिशिष्ट "अ" व "द" "दा" में हैं। जिन शालाओं को क्रमोन्नत नहीं किया जा सका है उसका उत्तर प्रश्न १ में दे दिया गया है। सम्भव है कुछ ऐसे स्थान हों जहां पर जनता द्वारा भवन की सुविधा उपलब्ध करने पर राज्य सरकार वित्तीय अभाव के कारण शाला को क्रमोन्नत नहीं कर सकी।

(५) प्रश्न १ के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

(६) यह सूचना उपलब्ध करना अभी सम्भव नहीं है जैसा कि प्रश्न २ के उत्तर में स्पष्टीकरण किया जा चुका है।

(७) जिन-जिन पंचायत समिति क्षेत्रों में जो शालाएं क्रमोन्नत की गई हैं उनमें उस हैसियत की पहले कितनी शालाएं हैं, उनकी सूचना संलग्न डायरेक्टरी ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन १९६७-६८ में है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री दौलतराम सारण : नहीं अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जो स्कूलें खोली हैं उनमें से अधिकांश स्कूलें जिला परिषद्, पंचायत समिति और इन्सपेक्टर्स की सिफारिशों के विरुद्ध हैं ?

श्री धीरसिंह : पंचायत समिति, जिला परिषदों और इन्सपेक्टर्स से मांगें एकत्रित की गईं, इसके अलावा जनता द्वारा भी सीधी मांग राज्य सरकार के समक्ष आई, उन सब

Page No. 21

(श्री धीरसिंह)

मांगों को एकत्रित करके राज्य सरकार ने जैसे-जैसे आवश्यक जहां-जहां पर समझा, जो शर्तें परिशिष्ट "स" में है वे जहां-जहां उपलब्ध हैं, वहां-वहां खोली हैं और यह लिख दिया गया है कि उन शर्तों को लोग उपलब्ध करा देंगे तो शालाएं शुरू कर दी जायेंगी। चालू होने पर, रिपोर्ट आने पर ही मालूम हो सकेगा कि वहां उन आधारों की पूर्ति की है या नहीं।

जिला परिषदें और पंचायत समितियें सिफारिश करके भेज दें और राज्य सरकार वहां-वहां खोल दे ऐसी नीति सरकार ने नहीं अपना रखी है। वह तो मांग प्राप्त करने के लिये जिला परिषद् पंचायत समिति, इन्सपेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर, एडीशनल डायरेक्टर आदि से, सभी से मांगती है....

एक माननीय सदस्य : भाषण हो रहा है क्या ?

श्री नत्थीसिंह : आपने किसका ध्यान रखा ?

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि ऐसी कई जगह स्कूलें खोली गई हैं जहां के लिये जनता की तरफ से कोई मांग ही नहीं आई है ?

श्री धीरसिंह : आप नाम बतायें, यह तो सारे राजस्थान की जानकारी एक सामान्य रूप से मांगी है। विशेष शाला का नाम बतायेंगे तो अलग से केस को एग्जामिन करके बता दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : मैंने सूची मांगी है कि जनता की तरफ से कहां से मांग है, आपने सूची दी है उसमें अनेकों स्थानों पर जनता की तरफ से कोई मांग नहीं है। जनता की तरफ से कोई मांग नहीं, जनता की तरफ से, पंचायत समिति की तरफ से, जिला परिषद् की तरफ से, इन्सपेक्टर आॅफ स्कूल्स की तरफ से कोई मांग नहीं जिनका नाम उन्होंने भेजा नहीं वहां स्कूलें खोल दीं और जहां पर भवन हैं, जिला परिषद्, पंचायत समिति और निरीक्षक ने सिफारिश करके भेजा है, वहां आपने स्कूलें नहीं खोलीं।

श्री धीरसिंह : मैंने बताया कि यह कोई हमारे लिये बाइंडिंग नहीं है कि इन्सपेक्टर मन्जूरी दे दे या इन्सपेक्टर रिजेक्ट कर दे तो हम उस केस को वापिस नहीं खोल सकते। हम उनके कमेंट्स मंगा लेते हैं और उसके बाद निर्णय करने का डिस्क्रेशन राज्य सरकार को है। इन्सपेक्टर ने रिजेक्ट भी कर दिया, लेकिन राज्य सरकार अगर आवश्यकता समझती है तो वह उसके खिलाफ फैसला कर सकती है। हर केस के इन्डीवीजुअल मेरिट्स को देखकर फैसला किया जाता है, हर जगह के स्कूल की स्थिति अलग-अलग है, उन सब बातों को विचार में रख कर ही सरकार निर्णय करती है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर ! प्रश्नकर्ता।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, निरीक्षक को जानकारी नहीं है, जिला परिषद् को जानकारी नहीं है, पंचायत समिति को जानकारी नहीं है और यहां बैठे-बैठे मंत्रीजी को उनके आॅफिस में सारी सूचना उपलब्ध हो गई।

Page No. 22

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि सरकार को डिस्क्रेशन है, जैसा चाहे वैसा करें।

श्री दौलतराम सारण : वह तो सही है, लेकिन जो शर्तें हैं वह यह बताती हैं कि उन्होंने व्यर्थ खोले और पक्षपात के तरीके से खोले।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : क्या गांव में स्कूल नहीं खोलने चाहियें ?

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : आपने कहा था कि जहां पंचायत समिति में सैकेन्डरी स्कूल नहीं हैं, वहां सैकेन्डरी स्कूल खोलने में प्राथमिकता दी जायेगी और आपने भाषण में भी........

श्री अध्यक्ष : लिखा था।

श्री धीरसिंह : जिस पंचायत समिति में कोई सैकेन्डरी स्कूल नहीं है और हाई स्कूल नहीं है, उसको प्राथमिकता दी जाये, यह दृष्टिकोण भी सामने रखा गया था, और उसको भी कंसीडर किया जाता है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : शिव, श्रीनगरी और शेरगढ़ में न तो पहले हाई स्कूल है और न अब खोला गया। इसका क्या कारण है ?

श्री धीरसिंह : हर केस को मेरिट्स पर कंसीडर करते हैं। आप एक पर्टीकुलर स्थान के बारे में पूछ रहे हैं, यह बाद में बता सकूंगा। अभी तो माननीय सदस्य ने सारे राजस्थान के बारे में जनरल पूछा है। अगर किसी इन्डिवीजुअल केस के बारे में पूछना है तो अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री दौलतराम सारण : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस पंचायत समिति में पहले ही स्कूल था वहां पर भी दूसरा खोला गया है ?

श्री धीरसिंह : वहां पर भी खोले गये हैं और जहां स्कूल नहीं था वहां पर भी खोले गये हैं। सारे क्राइटेरिया पर काम किया जाता है। कहीं इन्सपेक्टर के यहां से मांग आई है, कहीं पर पब्लिक के डेपुटेशन मिलते हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है। सब जगहों को देखकर हम तय करते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आपने दे दिया है।

श्री नत्थीसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो जिलेवार सूची दी है उसमें २६ जिलों में से उदयपुर जिले में ही सबसे ज्यादा स्कूल्स खोले गये हैं और उससे ज्यादा घनी आबादी वाले जिले हैं वहां इतने स्कूल्स नही खोले गये, उदयपुर में उनसे दुगुने स्कूल्स खोले गये। तो यह जो आपने चार आधार बताये उनमें से कौनसे के अन्दर यह आता है ?

श्री अध्यक्ष : यह क्या डिस्क्रेशन के आधार पर ही किये गये हैं ?

श्री धीरसिंह : इसके लिये जो मैंने आधार बताये वे ये हैं :—

(१) माध्यमिकशालाओं के लिये उन पंचायत समितियों को प्राथमिकता दी गई थी जहां एक या दो ही माध्यमिक शालाएं थीं।

(२) शाला के स्थानों का निर्णय करते

(श्री धीरसिंह)

समय निम्न बातों को ध्यान में रखा गया:—

(अ) उच्च माध्यमिक शाला के लिये कम से कम ३० लड़कों की शाला में व २० लड़कियों की शाला में होनी चाहिये।

(ब) माध्यमिक शाला के लिये २० लड़के लड़कों की शाला के लिये, तथा १५ लड़कियां लड़कियों की शाला के लिये होनी चाहिये।

(स) उचित भवन व्यवस्था हो या जनता भवन का समुचित प्रबन्ध करने का आश्वासन दे।

(द) पिछड़े क्षेत्र व ऐसा क्षेत्र जहां आदिवासी जन-जाति, अनुसूचित जाति के लोग हों, वहां प्राथमिकता देना।

श्री नत्थीसिंह : यह तो हमने पढ़ रखा है। लेकिन इसका पालन हर जिले में किया गया है या उदयपुर के लिये ये रूल्स रिलैक्स कर दिये गये हैं।

श्री धीरसिंह : जो सैंक्शन निकली हैं उसमें लिखा है कि निर्धारित जन–सहयोग के बाद ही स्कूल चालू होंगे। दूसरे कुछ एडीशनल सैंक्शन•••

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये एडीशनल कहते हैं, यहां तो पांच-पांच साल से स्कूल के भवन बने पड़े हैं, जनता ने रुपये जमा कराये हैं, पर्याप्त मात्रा में लड़के भी हैं, फिर भी स्कूल नहीं खोला जा रहा है, यह क्यों ?

श्री रामकिशन (वैर) : वहां पर उस गांव के लिये वहां के कांग्रेसी प्रमुख ने डाटा लगा दिया होगा।

श्री धीरसिंह : यह नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : आपको शायद पता नहीं है।

श्री धीरसिंह : यह आधार नहीं है।

श्री प्रेमसिंह : क्या यह सही है कि जिला परिषद्, कोटा ने ग्राम क्वाडा के लिये सिफारिश भेजी थी, वहां मिडिल स्कूल के लिये। लेकिन वहां के कांग्रेस अध्यक्ष ने....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री प्रेमसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत समिति छापड़ के लिये जिला परिषद् कोटा की सिफारिश के बावजूद भी छापड़ में मिडिल स्कूल नहीं खोला गया और बहरोड़ पंचायत समिति में खोला गया, वहां के मण्डल कांग्रेस के अध्यक्ष की सिफारिश पर ?

श्री धीरसिंह : मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष की सिफारिश का या जिला कांग्रेस कमेटी के सिफारिश का कोई आधार नहीं है। जिला परिषद् और पंचायत समितियां सिफारिश करती हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे पास डिमाण्डस ज्यादा हैं इसलिये समो केसेज को एग्जा करके डिस्क्रेशनरी पावर्स को यूज करके खोले गये हैं।

श्री प्रेमसिंह : क्या यह सही है कि ग्राम मामूल ने ८००० रुपये जन सहयोग की राशि भी जमा करादी परन्तु उसके बाद भी वहां स्कूल नहीं खोला गया ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। इस तरह विस्तृत उत्तर नहो दे सकते माननीय मंत्री महोदय।

Page No. 24

श्री वृद्धिचन्द जैन : वित्त मन्त्री द्वारा जो बजट भाषण दिया गया था उसके पृष्ठ २५ पर लिखा है कि उन पंचायत समितियों में जहां पर कोई सैकेन्डरी स्कूल या हाई स्कूल नहीं है वहां सैकन्डरी स्कूल खोला जायेगा, लेकिन शिव, श्रेग्गणी और शेरगढ़ इन तीनों जगहों पर हाईस्कूल नहीं खोला गया है, इसका क्या कारण है ? नहीं तो बजट स्पीच में आपने ऐसा क्यों कहा ?

श्री धीरसिंह : मैं इन्डिवीजुअल केसेज के बारे में एजामिन करके ही बतलाता हूं। वहां पर अगर शर्तों को पूरा करने के लिये जनता की तरफ से आश्वासन नहीं दिया गया हो तो इसलिये भी रह सकता है। हमने कह दिया कि खोलेंगे लेकिन जनता की तरफ से अगर सहयोग कम आया तो नहीं खोल सकते।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उन्होंने पूरी शर्तों का पालन किया है। मकान वगैरा सब तैयार हैं।

श्री आइदानसिंह (भीनमाल) : जालौर में सिर्फ एक ही प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड किया है यह क्यों ?

श्री धीरसिंह : वह तो सारे राजस्थान की सूची माननीय सदस्य के पास है।

श्री नत्थीसिंह : आप सूची देख लीजिये न ?

श्री अध्यक्ष : आपने सूची देख ली।

श्री आइदानसिंह : आपके पास सूची है, मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो डिस्क्रेशन सरकार काम में लाती है वह साधार है या निराधार है ? और अगर साधार है तो ..

श्री अध्यक्ष : दोनों का मिश्रण है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : निराकार है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह सही है अध्यक्ष महोदय कि जहां पहले ही तीन-तीन फर्लांग पर स्कूल हैं, वहां और भी खोले जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न तो पूछ ही रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : भाषण न दें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आधार नहीं है तो निराधार है।

श्री अध्यक्ष : आप निराधार भाषण न दें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आधार तो बता दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा-सु०) : बीकानेर जिले में कितने मिडिल स्कूल खोले गये ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से...

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा।

Page No. 25

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : बीकानेर जिले की नोखा पंचायत समिति का प्रस्ताव था, और इस साल इस भयंकर अकाल के होते हुए वहां के लोगों ने ७० हजार रुपये जन-सहयोग के दिये। वहां के लोगों ने मिल कर मिडिल स्कूल के लिये भवन निर्माण कराया, पंचायत समिति ने प्रस्ताव भेजा, जिला परिषद् ने प्रस्ताव भेजा। सब प्रस्ताव होने के बावजूद भी हमारी पंचायत समिति नोखा के क्षेत्र में स्कूल नहीं खोला गया और दूसरी पंचायत समिति में खोला गया।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर भाषण नहीं, प्रश्न पूछें।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : जानबूझकर राजनैतिक आधार पर स्कूल खोले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : जानबूझकर राजनैतिक आधार पर नोखा पंचायत समिति में स्कूल नहीं खोले गए।

श्री धीरसिंह : कहीं भी राजनैतिक आधार काम में नहीं लिया गया। जो जनता से मांग आती है उसके अनुसार और वित्तीय साधन कितने उपलब्ध थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि यहां स्कूल इसलिये नहीं खोला गया कि इसकी आधारशिला उप-मन्त्री के बजाय भीमसेनजी के द्वारा रखवाई गई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भावनायें प्रकट की हैं, उससे स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण दीखती है। राजस्थान का शासन राजनैतिक आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में भी इतने नीचे स्तर पर जाकर काम करता है, राजनैतिक आधार पर स्कूल खोले जाते हैं, राजनैतिक आधार का उपयोग किया जाता है यह गंभीर विषय है। शिक्षा के सम्बन्ध में आपको ऐसा नहीं करना चाहिये। आप उद्योगों के सम्बन्ध में, ऋण के सम्बन्ध में और पैसा बांटने के सम्बन्ध में ऐसी बात करें तो समझ में आ सकती है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार का रवैया कि राजनैतिक आधार पर स्कूल खोले जायें, इससे ज्यादा निंदनीय और घिनोना काम राज्य सरकार का नहीं हो सकता।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी मैं देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं लिया जायगा।

श्री दौलतराम सारण : बीकानेर शहर में ४ माध्यमिक स्कूल और बीकानेर जिले में केवल १ मिडिल स्कूल खोला गया और बीकानेर शहर में पिछले साल भी स्कूल खोले हैं। मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने पूछा था कि जिन जगहों से प्रार्थना-पत्र स्कूलों के लिये आए हैं वहां की सूची दी जाय, तो मुझे जो सूची दी गई है, उस सूची में आधे से अधिक स्कूलों के नाम नहीं हैं और बिना जनता के प्रार्थना-पत्रों के कुछ लोगों के टाउट्स के इशारों पर स्कूल खोले गये हैं। राजनैतिक दबाव से खोले गये हैं। जनता की जहां मांग थी, वहां भवन थे जहां ७०-७० हजार रुपये जनता ने लगा दिये वहां नहीं खोले गये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

(शोरगुल)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि छबड़ा तहसील में माध्यमिक स्कूल नहीं है ?

श्री आईदानसिंह : जो श्री सतीशचन्द्रजी ने बात कही है वह मैं साबित करना चाहता हूं, बिल्कुल सही है। जालौर में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक स्कूल अपग्रेड हुआ था लेकिन क्योंकि दुर्जनसिंह वहां पधार गये, तो स्कूल भी उनके साथ चला गया।

श्री नत्थीसिंह : इकरारनामा की शर्त होगी।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर !

श्री श्रवणलाल : समस्या गंभीर है, माननीय सदस्यों के दल बदलने से स्कूल भी चले जाते हैं और औषधालय भी चले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल। श्री नत्थीसिंह। सहकारी मन्त्री।

(स्थगित प्रश्न)

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! सहकारी मन्त्री।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मैं एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। भूतपूर्व......

श्री विजयसिंह : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर। दो-तीन दिन से लगातार मन्त्रियों के बारे में प्रश्न पूछता रहा हूं, हर दिन चले जा रहे हैं और आज प्रश्न १९५ था, वह मैंने मुख्य मन्त्रीजी पर लगाया था।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सुविधा का प्रश्न है। ऑर्डर प्लीज, सहकारी मन्त्री !

श्री श्रवणलाल : व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न १९३ के बारे में आपने मेरा नाम पुकारा और मैंने अपना प्रश्न बोल दिया था और उपमन्त्री इसके जवाब में कुछ पोइन्ट्स बोल चुके थे। मैं चाहूंगा कि उसको लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद मन्त्री !

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने मिडिल स्कूल का प्रश्न उठाया था वह इस साल में आने का नहीं है। भूतपूर्व अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, श्री रामनिवास मिर्धा, ने नोखा मण्डी में स्कूल की आधारशिला रखी थी, मैं उस बारे में विशेष जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो कार्य प्रणाली का प्रोसीजर है, उसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से की गई है। अब आप कहें कि भूतपूर्व अध्यक्ष ने यह स्कूल खोला यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Page No. 27

श्री चुन्नीलाल–इंदलिया : अध्यक्ष महोदय.... ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! थोड़ा नियमों को पढ़ लें। श्री श्रवणलाल !

किशनगढ़ रेनवाल के वैद्य को बकाया का भुगतान

१९३. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, किशनगढ़ रेनवाल के वर्तमान वैद्य को करीब १५ हजार रुपया पिछले वर्षों के वेतन के रूप में चुकाये गए हैं ?

(२) उक्त वैद्य जिन वर्षों का उन्हें वेतन चुकाया गया है, कहां-कहां पर कार्य करते रहे हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य ने सन् १९५८ में अप्रेल में विभाग को त्याग-पत्र दे दिया था ?

(४) क्या यह सही है कि वे जोबनेर पंचायत समिति के सहवृत्त सदस्य भी रहे हैं ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य किशनगढ़ रेनवाल के न्याय पंचायत के सदस्य रहे हैं ?

(६) क्या यह सही है कि उन्होने सन् १९६४-६५ में किशनगढ़ रेनवाल ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव भी लड़ा था ? यदि हां तो क्या परिणाम निकला ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री समर्थलाल) : (१) जी हां, १२९७०.७३ रुपये चुकाये गए।

(२) रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से त्याग-पत्र स्वीकृत किए जाने के विरुद्ध की गई अपील के निर्णय की प्रतीक्षा में रहे।

(३) जी हां, मई १९५८ में जिला बोर्ड जयपुर, को दिया था।

(४) जी हां।

(५) जी हां, सन् १९६३-६४ में रहे हैं।

(६) जी हां, चुनाव में हार गए।

श्री श्रवणलाल : आपने जो १२९७०.७३ रु० चुकाए हैं, कौनसे सन् के हैं, कब से कब तक ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो १२९७०.७३ की धनराशि आपने चुकाई है, कौनसे सन् की है, कब से कब तक ?

आयुर्वेद राज्य-मंत्री (श्री जयकृष्ण शर्मा): जब से उन्होंने त्याग-पत्र दिया और ड्यूटी जोइन की ?

श्री श्रवणलाल : किस तारीख से किस तारीख तक ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : १९५८ से लेकर...

श्री केशरीसिंह हाड़ा : १९५८ तारीख नहीं है, सन् होता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ३-९-५८ से १-९-६९ तक।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि संबंधित वैद्य द्वारा एक बार त्याग-पत्र देने के बाद दुबारा आपने नियुक्ति दी ? अगर हां तो कब ? आपने खंड तीन में कहा

Page No. 28

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जी हां। क्या यह सही है कि इसी वैद्य द्वारा आयुर्वेद विभाग से इस्तिफा देने के बाद इसके अन्दर नियुक्ति दी थी और दी थी तो कब ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : आयुर्वेद विभाग से इस्तिफा देने के बाद वह उस विभाग का कर्मचारी नहीं था। जयपुर में जिला बोर्ड के तहत आयुर्वेद विभाग का कर्मचारी होकर काम करता था। जिला बोर्ड के अध्यक्ष को आपने इस्तिफा दे दिया था। जिला बोर्ड के अध्यक्ष ने इसका इस्तिफा एक माह के अन्दर, जो एक माह का नोटिस दिया था, उसके अन्दर स्वीकार नहीं किया। उसने फिर पत्र लिखा कि चूंकि आपने ३-९-५८ तक मेरा इस्तिफा मन्जूर नहीं किया है, इसलिए मेरी ड्यूटी मानी जाय और उन्होंने रुग्ण अवस्था की छुट्टी ली। उसकी एप्लीकेशन ली गई, उसके बाद इस्तिफा मन्जूर किया गया २३-९-५८ को। उन्होंने कहा कि २३-९-५८ से रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से इस्तीफा मन्जूर नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने राज्य सरकार के उप-मन्त्री को अपील दायर कर दी और अपील चलती रही और उसके बाद जब फैसला हुआ तो जिला बोर्ड का जो फंड राज्य सरकार के पास पड़ा हुआ था उसके अन्दर से इस कर्मचारी को तनख्वाह दी गई और यह कर्मचारी १-९-६६ के बाद आयुर्वेद का कर्मचारी नहीं था।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि जब उप-मंत्री ने उनकी अपील पर फैसला किया तो उन्हें मालूम था कि इस व्यक्ति ने इस्तिफा देने के बाद भिन्न-भिन्न स्थानों पर चुनाव लड़ा है और उसके बाद स्थान ग्रहण किया है यहां तक अंत में जाकर १९६७ में चुनाव लड़ा। जिस समय अपील मन्जूर की और पैसा दिया जाना स्वीकार किया उस समय भी मंत्रीजी को ज्ञात था कि इस्तिफा जो दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए दिया था।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह नहीं है। इस बारे में विभाग को जानकारी नहीं थी। उस कर्मचारी की अपील स्वायत्त शासन विभाग में पेंडिंग थी। उस समय वह कहां-कहां चुनाव लड़ा इसकी जानकारी प्रश्न आने के बाद प्राप्त की गई है क्योंकि सैकड़ों कर्मचारी हैं, कौन चुनाव लड़ता है, कौन हारता है, यह सब जानकारी विभाग को हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन रुपयों का भुगतान करने से पहले राज्य सरकार को यह जानकारी मिल गयी थी कि इस व्यक्ति ने अमुक-अमुक चुनाव लड़े हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सरकार के पत्रादि में ऐसी सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ए. जी. के ऑब्जेक्शन्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेन्स है, इसी सम्बन्ध में हाउस में पिछले वर्ष चर्चा आ चुकी है, फिर कहते हैं कि सरकार को मालूम नहीं है तो क्या यह सरकार है या भड़भूंजे की दूकान है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : सरकार तो नहीं है।

(विरोधी पक्ष द्वारा—वाह-वाह, वाह की आवाजें)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

ये शब्द आपने कहे हैं। आपने जैसा कहा वैसा ही सुनेंगे आप।

श्री नत्थीसिंह : सही बात थी वह कह दी आपने।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ 'ऑर्डर' सर। "यह भड़भूंजे की दूकान" सरकार के लिये कहा जाना संसदीय शब्द नहीं है।

श्री लखणलाल : चुनाव लड़ता रहे और तनख्वाह भी लेता रहे ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ? माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्या मन्जूर करेंगी कि यह राजस्थानी कहावत है और कम से कम वह इसका विरोध नहीं करेंगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : राजस्थानी शब्द में यह गाली का उपयोग है।

श्री नत्थीसिंह : भड़भूंजा गाली कैसे है ?

श्री अध्यक्ष : यह मुझसे प्रश्न किया गया है कि संसदीय है या असंसदीय। मैंने सदन से सुझाव नहीं मांगा है।

श्री विजयसिंह : प्रश्न यह है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! पहला तो हो गया दूसरा यह है।

श्री विजयसिंह : दूसरा यह है कि सफेद बालों को काला करना...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

माननीय सदस्य काले को सफेद और सफेद को काला करते हो।

श्री रामकिशन : सरकार भड़भूंजे की दूकान है या नहीं तो भड़भूंजा भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है इस देश का।

श्री अध्यक्ष : यह मुझ से पूछा गया है कि संसदीय है या असंसदीय। मैंने नहीं माना है। मैं इस शब्द की व्याख्या नहीं करना चाहता। यह आम फेम भाषा का शब्द है। यह इतना कन्टेम्पचुअस नहीं है कि मैं इस पर अपना निर्णय दूं।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस प्रकार के ऑडिट ऑब्जेक्शन्स आये या नहीं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने ऑब्जेक्शन किया कि इनको फाइनेन्स से पेमेन्ट नहीं किया जावेगा। इसलिये उनको जिला बोर्ड का जो फण्ड पड़ा हुआ था उसमें से इनका वेतन चुकाया गया।

श्री भैरोंसिंह : आपके कहने के अनुसार यह फैसला डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने किया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : नहीं जी।

श्री भैरोंसिंह : किसने किया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : राज्य सरकार से दुबारा नियुक्ति होने के बाद अपना कानूनी अधिकार था उसने मांगा और वह उसको मिला।

Page No. 30

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसके बारे में लॉ डिपार्टमेन्ट से राय मांगी गयी थी और लॉ डिपार्टमेन्ट ने यह कहा था कि इसको पेमेन्ट नहीं किया जाय। एग्रीव्ड पार्टी को कोर्ट में जाकर मामला पेश करना चाहिये ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : लॉ डिपार्टमेन्ट ने २८-६-६६ को अपनी राय दी और उसी राय के आधार पर ही दुबारा पुनर्नियुक्ति की गयी।

श्री मदनसिंह दांता : इसका मतलब यह है कि आपको पहले इसका ज्ञान था। जब कि आपने अभी फरमाया था कि इसका ज्ञान नहीं था ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : किसका ज्ञान नहीं था ?

श्री मदनसिंह दांता : इस वैद्य का।

श्री जयकृष्ण शर्मा : लॉ डिपार्टमेन्ट ने इस पर ओपिनियन दी कि पुन: नियुक्ति की जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक बार नियुक्ति दे देने के बाद रिअपोइन्टमेन्ट दिया गया लॉ डिपार्टमेन्ट की राय के अनुसार ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : लॉ डिपार्टमेन्ट की राय के अनुसार दुबारा नियुक्ति की गयी। आयुर्वेद विभाग के अनुसार यह जिला बोर्ड का कर्मचारी था जो लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के अधीन था, लोकल सेल्फ मिनिस्टर को अपील की लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ली गयी, आयुर्वेद का कर्मचारी था इसलिये यह स्वाभाविक था कि आयुर्वेद डिपार्टमेन्ट में आता। वह आयुर्वेद डिपार्टमेन्ट में आया और वहां नियुक्ति होने के बाद उसने अपना क्लेम पेश किया और उसके बाद जो पीरियड बीतता था जिससे अपील की थी उस पीरियड की तनख्वाह मिली। जैसा मैंने बताया कि जिला बोर्ड के पास फन्ड था और वह एडमिनिस्ट्रेटर पास था, उस फण्ड में से ही इसको पैसा दिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिला बोर्ड का पैसा स्वायत्त शासन विभाग के पास था उस पैसे को आयुर्वेद डिपार्टमेन्ट को पेमेन्ट करवाया गया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : आयुर्वेद डिपार्टमेन्ट ने पेमेन्ट नहीं कराया। लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के यहां से १-६-६६ को एल. पी. सी. दी जब आकर आयुर्वेद विभाग में अपील की तो उसके फैसले पर उसको पेमेन्ट कराया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पेमेन्ट के बारे में लॉ डिपार्टमेन्ट ने कहा था कि पेमेन्ट नहीं किया जाना चाहिये ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : पेमेन्ट नहीं देने का सवाल नहीं होता। उसकी पुनर्नियुक्ति की गयी तो देना ही था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री कृष्णकुमार गोयल : केवल एक प्रश्न !

जनता के धन पर इससे बढ़ कर और कोई डकैती नहीं हो सकती। ५८ में कर्मचारी था और वहां से इस्तिफा देकर चुनाव लड़ा। इस्तिफा देने के बाद तीन-स्थानों से चुनाव लड़ा है। १९५८ के अप्रेल में आयुर्वेद विभाग से त्याग-पत्र दिया। जोबनेर पंचायत समिति में सहवृत्ता सदस्य

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रहा, किशनगढ़ रेनवाल के न्याय पंचायत का सदस्य रहा, और किशनगढ़ रेनवाल ग्राम पंचायत के सरपंच का भी इसने चुनाव लड़ा, इस प्रकार ६७ तक भिन्न-भिन्न स्थानों पर चुनाव लड़ता रहा, सरकार इस व्यक्ति को १२.१४ हजार का पेमेन्ट कर दे इससे बढ़कर सरकारी खजाने पर डकैती नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !!

श्री श्रवणलाल : एक और प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न कई हैं। एक भी अलाऊ अब नहीं करूंगा।

श्री श्रवणलाल : मैंने सप्लीमेन्टरी नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका प्रश्न वापिस रख लिया था। इसका मतलब यह नहीं है कि आगे और प्रश्न रखे जायं।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, केवल एक ही सप्लीमेन्टरी।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

स्थगित प्रश्न
(३०-८-६८)

सहकारी समितियों का एकीकरण

१००. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सहकारी समितियों को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई निर्धारित नीति है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार अथवा सहकारी विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों का जो एकीकरण अब तक किया गया है उनमें से अधिकांश सहकारी समितियों की असहमति होते हुए भी सहायक रजिस्ट्रारों ने राजस्थान सहकारी अधिनियम, १९६५ की धारा १७ में रजिस्ट्रार को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया है ? यदि हां, तो अब तक एकीकृत की गई समितियों में से सहकारी समितियों की सहमति से स्वीकृत की गई सहकारी समितियां एवं ऐसी सहमति के अभाव में सहायक रजिस्ट्रारों द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग से अस्वीकृत की गई सहकारी समितियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि सहायक रजिस्ट्रारों द्वारा सहकारी समितियों की आपत्तियों के बावजूद भी एक ग्राम पंचायत में स्थित समस्त सहकारी समितियों का एकीकरण करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार एकीकृत की गई सहकारी समितियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि मई, जून व जुलाई १९६७ व १९६८ में भी ऐसे एकीकरण के आदेश दिये गये हैं ?

(५) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों की राय की भी ऐसे एकीकरण के समय उपेक्षा की गई है ?

उप-मंत्री, सहकारी विभाग (श्री रामदेवसिंह) : (१) जी हां। निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(श्री रामदेवसिंह)

(२) जी नहीं। कुल १५१७ समितियों का एकीकरण किया गया है, जिनमें से सहमति से १०५४ समितियों का एकीकरण हुआ है तथा ४६३ समितियों का एकीकरण धारा (१७) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। सहकारी समितियों की सूची परिशिष्ट 'अ' और 'ब' पर संलग्न है।

(३) जी हां। समितियों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(४) जी हां।

(५) यह सही नहीं है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों की राय की भी ऐसे एकीकरण के समय उपेक्षा की गई है। राजस्थान सहकारी अधिनियम, सन् १९६५ की धारा १६ व १७ के तहत जो एकीकरण किया गया है उसके लिए प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंक को उनकी राय हेतु धारा १६ के तहत १ माह का व धारा १७ तक तहत २ माह का नोटिस दिया गया लेकिन नोटिस का उत्तर नियत समय में प्राप्त न होने की दशा में एकीकरण की स्वीकृति अधिकृत अधिकारी द्वारा दे दी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि १ हजार सहकारी समितियों की सहमति की बात कहते हैं तो क्या उन समस्त कस्बों में सहकारी समितियों के साधारण सदस्यों को नियमित रूप से बुलाया गया ?

सहकारी मंत्री (श्री शोभाराम) : हमारे पास सूचना आयी है उसी के आधार पर दी गई है।

श्री नत्थीसिंह : उनके विभाग की शिकायतें मिली हैं या नहीं। जितनी सहकारी समितियों की सहमति की बात करते हैं उनके इन्सपेक्टरों ने दस्तखत करवा लिये थे और कह दिया कि सहमति हो गई। बिना नोटिस दिये बिना कुछ किये ही केवल दस्तखत करा लिये कागजों पर, रजिस्ट्रार महोदय के यहां दरख्वास्ते दी गई। फिर कहते हैं कि सहमति से बुलाई। जांच कराने के लिये तैयार हैं क्या ?

श्री शोभाराम : १००० से ऊपर की सूची आपके सामने रखी है। उसमें आप यह बतावें कि कहां-कहां ऐसी शिकायतें हैं, जिनके रेग्यूलेशन पास नहीं हुये हैं, उनकी सूची हमको दें।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि जिन सहकारी समितियों की सहमति से एकीकरण करने की बात कही गयी है उनकी जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं बुलायी गयी और जनरल बॉडी में प्रस्ताव पास कराके सहमति नहीं ली गई ?

श्री शोभाराम : यह हमने कहा है कि ४६० से ऊपर कुछ सहकारी समितियां ऐसी थीं कि जिसमें उन्होंने सहमति नहीं दी। धारा १७ और रूल १३ के अंदर ऐसा प्रोवीजन है कि अगर सहमति प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी सोसायटी में रजिस्ट्रार को अधिकार है कि अमलगमेशन, एकीकरण करने की कार्यवाही इम्पलीमेंट करें। दो बुनियादी प्रश्न हैं। हमारे सम्मुख एक प्रश्न यह उठा कि एक पंचायत क्षेत्र में अगर दो वायेबल यूनिट बन सकते हैं, एक सोसायटी उस क्षेत्र में एक वायेबल यूनिट हो तो उसका काम करने दें। रजिस्ट्रार साहब से श्रीमान्

(श्री शोभाराम)

नत्थीसिंहजी की बात हुई थी तारीख २२ जुलाई, १६६८ को एक निर्देश इस प्रकार का निकाला गया था कि अगर पंचायत क्षेत्र में कुछ वायेबल यूनिट्स जो छोटी समितियां हैं, जो हमारा मापदण्ड रखा गया था, वह पूरा करती है तो उसको एक सक्षम इकाई के मुकाबले में कबूल कर लिया जाय। २२ जुलाई, १६६८ के बाद, जो पहले कार्यवाही हो गई, उसको जो इम्पेक्ट पड़ा है, उसको हम देख रहे हैं। १०५४ ने जो सहमति दी या १५०० दोनों को मिला कर उसमें, उस सूची को हम देखना चाहते हैं कि एकीकरण होकर कितनी सक्षम इकाइयां हो सकती हैं। उनको हम सक्षम इकाई करके देंगे।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने प्रारंभ में वृहद् सहकारी समितियां जो ५०० थी उनका गठन किया और उनको तोड़कर ग्रामवार सहकारी समितियां बनाई। अब उनको तोड़कर पंचायतवार बनाने की नीति घोषित की है। आखिर सरकार की क्या निश्चित नीति है और किस आधार पर यह गठन किया जा रहा है ?

श्री शोभाराम : यह निश्चित नीति गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशन, डाइरेक्शन हैं, उसके अनुसार है। जो वायेबल यूनिट है, उसका मापदण्ड एक लाख रुपये का लोन और एडवान्स तथा नॉन क्रेडिट ऑपरेशन रखा है। इस मापदण्ड के आधार पर वायेबल यूनिट नहीं बनेगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन एडवान्स नहीं करेगी। यह दो साल पहले तय हुआ और जब यह प्रश्न गवर्नमेन्ट के सामने आया तब हमको यह पालिसी एडाप्ट करनी पड़ी। यह बुनियादी प्रश्न है। जो स्वयं वायेबुल हो पंचायत क्षेत्र में। इसके फलस्वरूप जितनी बड़ी होगी, करेंगे। तीसरा प्रश्न सहमति का है। सहकारी समिति अपनी सहमति नहीं देती है। इसके तीन कारण हैं। एक तो मिलने के बाद हैडक्वार्टर कहां रहेगा ? मिलीजुली पार्टी में जिसके पास मेम्बर कम हैं, बड़ी यूनिट में, संचालक मण्डल में संचालक कम होंगे और ज्यादा मेम्बर वाले कब्जा करते हैं। तीसरी बात को हम अभी एग्जामीन करना चाहते हैं। एक सोसायटी अच्छी तरह से चले, उसके विलीनीकरण में कार्यपूंजी बहुत कम हो, लाइबिलिटीज ज्यादा हो, उस सोसाइटी को हम नहीं मिलाना चाहते हैं। इस प्रकार के आदेश देना चाहते हैं ताकि सक्षम सोसाइटी जो अच्छी तरह से काम कर रही है, विलीनीकरण का उस पर प्रभाव नहीं पड़े।

श्री दौलतराम सारण : वृहद् सहकारी समितियों को ग्रामवार विभाजित करके गठित करने का निश्चय किया था। उस समय राज्य सरकार ने यह महसूस किया था कि सदस्यों में सम्पर्क नहीं हो पाता है, इसलिये सहकारिता की भावना नहीं आती। ग्राम वालों में पारिवारिक भावना, सहकारी भावना पैदा होती है, सम्पर्क रहता है, इसलिये ग्रामवार सहकारी समितियां बनायी जाये। अब राज्य सरकार इस नीति को किस आधार पर बदलकर पंचायतवार लेना चाहती है। पंचायतवार अब जो सहकारी समितियां बनेंगी, उनमें व्यक्तिगत परिचय और सम्पर्क रहेगा, क्या अब यह राज्य सरकार महसूस करती है ?

Page No. 34

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय संक्षेप में स्पष्टीकरण दें।

श्री शोभाराम : विकेन्द्रीकरण की नीति अपनायी गयी....

श्री दौलतराम सारण : एक पंचायत, एक स्कूल और एक ग्राम सेवा सहकारी समिति...

श्री शोभाराम : एक पंचायत क्षेत्र में एक छोटी सहकारी समिति बनी। यह सोचा गया कि इनमें बहुत नजदीक का सम्बन्ध रहेगा। जब हमने तीन-चार साल उनकी कार्यविधि देखी तो उसमें यह देखा कि वे सेक्रेटरी के वेतन का भुगतान भी नहीं कर पायी हैं। निश्चत तौर से उनका काम ठप्प हो गया। फूल टाइम पेड सेक्रेटरी नहीं रहेंगे, मैनेजर नहीं रखेंगे एक सोसाइटी के ऊपर तो मैं समझता हूं वह सोसाइटी नहीं चल सकती। हम चाहते हैं कि जो मापदण्ड रखा है, उसमें एक सोसाइटी का एक लाख से ऊपर का टर्न ओवर नहीं होता वह नहीं चल सकती। इसीलिये विलीनीकरण का प्रश्न आया है।

श्री अध्यक्ष : सब प्रश्न स्थगित हुए।

श्री नत्थीसिंह : एक सप्लीमेंटरी और करना चाहता हूं। मन्त्रीजी ने यह बताया कि जितनी सोसाइटी का विलीनीकरण हुआ, वह नियमानुसार हुआ है। इनमें कई डिफंक्ट्स सोसाइटी भी हैं। पहले इनका लिक्वीडेशन करना चाहिये और उसके दूसरे मेम्बर बनने चाहिये थे। इस तरह डिफंक्ट्स सोसाइटी को अच्छी सोसाइटी में अमलगेमेटेड कर दिया गया है।

श्री शोभाराम : डिफंक्ट्स सोसाइटी की परिभाषा में वे नहीं आती हैं। विलीनीकरण से नुकसान होता है तो यह देखने की बात है। लाइबिलिटीज कितनी है, कितना कर्जा है उस सोसाइटी में तो उस सोसाइटी का विलीनीकरण नहीं होना चाहिये। डिफंक्ट्स और डिफाल्ट सोसाइटी की परिभाषा दूसरी प्रकार की है।

श्री नत्थीसिंह : डिफंक्ट्स का अमलगमेशन किया है ?

श्री शोभाराम : कई साल से जिनका कार्य नहीं चल रहा है उनकी असेट्स और लाइबिलिटीज को लिक्वीडेशन करते हैं तो नुकसान नहीं होता है। डिफंक्ट्स सोसाइटी को भी रिहेबिलिटेट करने की स्कीम है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्नों को भी मैंने स्थगित कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : फिर कैसे काम चलेगा ?

श्री अध्यक्ष : यह चल रहा है। समय काफी लग गया। उसमें मुझे भी विवशता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट ३ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात मंत्री की कार का एक्सीडेन्ट

२८७. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि यातायात मंत्री के पास जो आर० एस० एल० ८४०४ सरकारी कार थी उसका एक्सीडेन्ट हो गया ? यदि हां, तो यह एक्सीडेन्ट किसने किया.

(श्री मोहनलाल मोदी)

तथा कहां पर हुआ ? तथा गाड़ी को कौन चला रहा था ?

(२) क्या यह सही है कि मोटर गैरेज द्वारा इस कार की मरम्मत करा ली गई ? यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा हुआ ?

(३) क्या राज्य सरकार इस कार पर खर्च हुई रकम सम्बन्धित मंत्री से वसूल करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोतर

ग्राम कुराड़ में आयुर्वेदिक औषधालय की मांग

४४९. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के विभिन्न जिलों में कितने-कितने आयुर्वेदिक औषधालय चलाए जा रहे हैं ? यह भी बतायें कि हर जिले में औसतन कितनी-कितनी आबादी पर आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया है ?

(२) सन् ६८-६९ के लिये राजस्थान में कुल कितने नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने हैं और किन-किन स्थानों पर किन आधारों पर ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम कुराड़, तहसील सांगोद, जिला कोटा में बरसों से आयुर्वेदिक औषधालय की मांग है ? यदि हां, तो यहां औषधालय नहीं खोले जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में १९३५ औषधालय चल रहे हैं जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है एवं जिले की १०,००० की जनसंख्या पर औषधालय खोला जाता है।

(२) २५ नये औषधालय खोले जाने हैं। खोलने का आधार जिला परिषद् से पारित प्रस्ताव, निःशुल्क भवन व्यवस्था एवं जिले की १०,००० की जनसंख्या के औचित्य का परीक्षण कर खोले जाते हैं।

(३) वर्ष ६७-६८ में औषधालय की मांग थी, परन्तु राज्य सरकार के सीमित वित्तीय साधनों के आधार पर उस वर्ष के ल २५ औषधालय ही खोले जा सके थे। १९६८-६९ के प्रस्तावों में इस स्थान पर औषधालय खोले जाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अचरोल क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों की जांच

४५०. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सहकारी विभाग के नियमानुसार कोई भी राज्य कर्मचारी सहकारी विभाग को छोड़कर किसी भी सहकारी समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकता है ?

Page No. 36

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(२) क्या यह सही है कि तहसील जमवारामगढ़ को अचरोल क्रय-विक्रय सहकारी समिति का अध्यक्ष श्री वैद्य नारायणलाल निराला जो कि राजकीय आयुर्वेद औषधालय में वैद्य है इस समिति का कई वर्षों तक अध्यक्ष रहा है? यदि हां, तो किस नियम से?

(३) क्या यह सही है कि उक्त अध्यक्ष पर अपने कार्यकाल में करीब छः हजार रुपये के गबन व गोलमाल के गम्भीर आरोप हैं?

(४) क्या विभाग के किसी जांच अधिकारी ने इस गबन व घोटाले सम्बन्धित मामलों की जांच की है? यदि हां, तो उक्त अध्यक्ष के ऊपर किस प्रकार के आरोप पाये गये हैं?

उत्तर

(१) राजस्थान सहकारी नियम, १९६६ के नियम ३९ के अनुसार तथा सहकारी विभाग के आदेश क्रमांक फा० ४ (९) को आप १/६५ दिनांक २५-११-६७ के अनुसार कोई भी राज्य कर्मचारी केवल उपभोक्ता सहकारी समितियां, वेतन भोगी सहकारी समितियों, गृह निर्माण सहकारी समितियां तथा ऐसी समितियों जिनमें केवल राज्य कर्मचारी ही सदस्य हों, के अध्यक्ष हो सकते हैं।

(२) जी हां, श्री वैद्य नारायणलाल निराला अचरोल क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि० के अध्यक्ष दिनांक २०-३-६५ से दिनांक २९-७-६७ तक रहे और वे राजकीय आयुर्वेद औषधालय में वैद्य हैं। वे जिस समय अध्यक्ष बने उस समय राजस्थान सहकारी नियम, १९५७ प्रभावशील थे और उनमें ऐसी अयोग्यता नहीं थी, जिसके अनुसार राजकीय कर्मचारी समिति के अध्यक्ष नहीं हो सकते थे। यह अयोग्यता राजस्थान सहकारी समितियां नियम, ६६ में है, जो दिनांक २३-७-६७ से प्रभाव में आये और इस नियम के प्रभाव में आने पर श्री वैद्य नारायणलाल निराला को दिनांक २९-७-६७ को हटाया गया।

(३) जी हां। श्री नारायणलाल के विरुद्ध गबन व कुछ दुरुपयोग का ६१५१)२४ का मामला जांच में जानकारी में आया है।

(४) समिति का आडिट करवाने तथा समिति की लेनदारियों व स्टॉक का सत्यापन की पुष्टि करवाने पर श्री वैद्य नारायणलाल निराला के विरुद्ध निम्नलिखित गबन व दुरुपयोग के मामले पाये गये :—

(१) समिति से अवैधानिकता से राशि उठाई जिसका दुरुपयोग किया.... १३७९-९७

(२) शिवदयाल शर्मा से २०००) रु० की टीप उधारी की वसूली कर रकम जमा नहीं कराई मय ब्याज गबन।....२३५२-०७

(३) श्री राधेश्याम अग्रवाल, जयपुर से ११२० रु० वसूल कर गबन कर लिया गया नकद राशि का जो मय ब्याज.... १४९९.२०

(४) मौलाना सवाई जयपुर खादी उत्पादक सहकारी समिति की राशि का गलत भुगतान कर ३०० रु० का भुगतान किया गया, जो मय ब्याज.... ३३०.००

(श्री सहकारी मंत्री)

(५) राधेश्याम पाण्डे के हिस्सा के १५०) रु० जमा न करके गबन किया गया.... .... १५०.००

(६) दिसम्बर, ६४ में सदस्यता वृद्धि अभियान के दौरान में जो राशि हिस्सा व प्रवेश शुल्क को वसूल हुई उसका गबन ४०८.००

(७) दिनांक २६-८-६८ को जयपुर से जमवारामगढ़ जाने की २५.०० रु० चार्ज किये जबकि २.०० रु० में जाना-आना हो सकता है। अत: २३ रु० का दुरुपयोग किया २३.००

(८) दिनांक २-३-६७ को ३७.०० रु० समिति से उठाकर दुरुपयोग किया ...३७.००

(९) पंचायत समिति, आमेर से २.०० रु. प्रवेश फीस के गबन २.००

योग ..६१५१.२४ रुपया

अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

भूतपूर्व रियासतों के समय दी गई भूमि

४५१. श्री देवीदत गाड़िया (बारां): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों में से कई ऐसी रियासतें थीं जिनने अपने शासन काल में कई उद्योगपतियों व अन्य धनाढ्य व्यक्तियों को सरकारी भूमि व अन्य स्थान लीज पर मोनोपोली सिस्टम आधार पर दे रखी थी ?

(२) यदि हां तो किन-किन रियासत द्वारा किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि व अन्य स्थान किस-किस कार्य के लिये दी गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

मोमासर का सरकारी गढ़ (मकान) की मरम्मत

४५२. श्री सहदेव (आमेर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या मोमासर (जिला चूरू) में कोई सरकारी गढ़ है जिसमें पुलिस चौकी, पटवारी का दफ्तर और रिहायश है ?

(२) क्या यह मकान काफी पुराना है और काफी बड़ा है ? इसके साथ काफी खुला स्थान भी है ?

(३) इस मकान (गढ़) की मरम्मत कब करवाई गई थी ?

(४) क्या यह सही है कि आज हजारों की लागत से भी यह भवन नहीं बन सकता परन्तु वर्षों से मरम्मत न करने के कारण यह भवन गिर पड़ने की स्थिति में हो गया है ?

(५) क्या यह सही है कि इसमें कुछ परिवर्तन और सुधार तथा मरम्मत करके इसे पुलिस चौकी, पटवार मण्डल, विश्राम गृह और रिहायश के उपयुक्त बनाया जा सकता है ?

(६) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी शीघ्र व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No. 38

(श्री सहदेव)

(७) क्या सरकार इस गढ़ को स्थानीय पंचायत को देने के लिये तैयार है ताकि वह इसे ठीक करवा सके ? नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। यह मकान काफी पुराना अवश्य है परन्तु बहुत बड़ा नहीं है, न हीं इसके साथ बहुत खुला स्थान है।

(३) इस गढ़ का हिस्सा जिसमें पटवार खाना है, की मरम्मत सन् १९६७ में व पुलिस चौकी वाले हिस्से की मरम्मत इस वर्ष (१९६८) मे करवाई गई है।

(४) जी हां। भवन गिरने की स्थिति में नहीं है।

(५) जी नहीं।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

(७) जी नहीं। क्योंकि गढ़ में उपलब्ध स्थान के अनुसार पुलिस चौकी, पटवारी का दफ्तर एवं रिहायश ही रखा जा सकता है।

सवाई माधोपुर क्षेत्र में बिजली

४५३. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार-सु.) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चालू वर्ष में ग्रामीण विद्युत् योजना के विस्तार के लिये राज्य सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

(२) सवाई माधोपुर एक्सटेंशन क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने चालू वर्ष में कितने रुपयों की विद्युत् विस्तार के लिये स्वीकृत किए हैं और उसमें से कब तक किस-किस योजना के विस्तार में कितनी-कितनी धन-राशि व्यय की है ?

(३) सवाई माधोपुर एक्सटेन्शन क्षेत्र में चालू वर्ष में किस-किस विद्युत् विस्तार योजना को पूरे किए जाने का राज्य सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(१) नवीन ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु, कोई प्रावधान न होने के कारण कोई योजना नहीं बनाई गई है अस्तु इस सन्दर्भ में नीति अपनाने का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। ४६०० कुओं को कनेक्शन देने की योजना अवश्य है, जो प्राथमिकता के आधार पर तकनीकी साध्यता एवं पुर्नप्राप्ति (रिटर्न) के आधार पर दिये जाते हैं।

(२) कुओं को कनेक्शन देने हेतु, ओग्यूमेन्टेशन एवं अन्य कार्यों हेतु सवाईमाधोपुर डिविजन में इस वर्ष २४,१०,००० रुपये रखे गये हैं। इनमें से करीब ५८ हजार रुपये का खर्चा जुलाई तक हुआ है। जिसमें १५ हजार रुपया का खर्चा चौथ का बरवाड़ा पर ट्रांस-फार्मर लगाने हेतु, ४० हजार रुपया १९ कुओं को कनेक्शन देने पर एवं बाकी का अन्य छोटे-मोटे कार्यों के लिये है।

(३) चालू वर्ष में निम्नांकित कार्य पूरा करने का लक्ष्य है :—

(१) खेड़ा उपखण्ड पर बड़ा ट्रांसफार्मर लगाना।

Page No. 39

(श्री मुख्य मंत्री)

(२) हिण्डौन में एल० टी० लाईन का बढ़ना एवं बड़ी क्षमता की ट्रांसफार्मर लगाना।

(३) २५० कुओं का विद्युतिकरण करना।

इसके अलावा अन्य स्थानीय लाइनों का प्रसारण आदि कार्य है।

धौलपुर में बिजली की व्यवस्था

४५४. श्री बनवारीलाल (धौलपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) धौलपुर में कितने किलोवाट पावर देने की और विद्युत् देने का प्रावधान रखा गया है?

(२) दिन में कई बार बिजली चले जाने का एवं वाल्टेज घटने व बढ़ने का क्या कारण है?

(३) क्या सरकार इस तरह के ब्रेक डाऊन एवं फ्लक्चुएशन को रोकने का कोई इन्तजाम कर रही है? अब तक क्या इन्तजाम किया गया है?

उत्तर

(१) धौलपुर में एक १००० के० वी० के० ३३/११ के० वी० का ट्रान्सफार्मर है।

(२) लाइन में फॉल्ट होने से विद्युत् बन्द होती है। सिस्टम में भार बढ़ने व घटने के कारण वोल्टेज बढ़ती घटती है। वोल्टेज ३६० वोल्ट से ४४० वोल्ट्स तक रहता है, जो लगभग परमिसिबल लिमिट में ही है।

(३) ब्रेक डाउन कम करने के लिये लाइन की देखभाल बराबर कराई जा रही है। जहां तक फ्लक्चुएशन का प्रश्न है लगभग वहीं परमिसिबल लिमिट्स में ही है।

निलम्बित कर्मचारी

४५५. राजवी श्री रूपसिंह (परबतसर-सु०): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में किस विभाग के कितने-कितने मुलाजिमान सस्पेन्डेड हैं व कब से हैं?

कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

पशु मेलों में सुविधाएं

४५६. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में पशु मेले काफी तादाद में लगाये जाते हैं? यदि हां, तो कुल कितने मेले, किस-किस स्थान पर कौनसी तारीखों में लगाये जाते हैं? अलग-अलग सूची जिले व तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(२) क्या यह सही है कि पशु मेला में पशु प्रतियोगिता द्वारा इनाम दिया जाता है? यदि हां तो प्रत्येक मेले में कितने रुपये इनाम में दिये जाते हैं, अन्य खर्च इस कार्य पर कितना किया जाता है, कितने कर्मचारी इस कार्य के लिये तैनात किये जाते हैं और उन कर्मचारियों का कितना खर्च किया जाता है?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

अलग-अलग कार्य का खर्च का ब्योरा दिया जाकर सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि जन-प्रतिनिधियों को भी पशु प्रतियोगिता में निर्णायक नियुक्त किया जाता है ? यदि हां, तो उन जन-प्रतिनिधियों का खर्चा किस विभाग द्वारा दिया जाता है और कुल कितना खर्चा जन-प्रतिनिधियों पर होता है ? अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि इस कार्य में बहुत अधिक खर्चा किया जाता है ? यदि हां, तो प्रति वर्ष पशु मेलों पर कुल कितना रुपया खर्चा किया जाता है ? अलग-अलग मेलावाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या यह सही है कि पशु मेलों में पशु बिक्री व मेला टैक्स बड़ी तादाद में वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो कुल कितना बिक्री टैक्स व मेला टैक्स प्रत्येक मेला से टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है और किस रेट से टैक्स वसूल किया जाता है ? मेलेवाइज कुल वसूली की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(६) क्या यह सही है कि पशु मेलों के स्थान पर जनता की सुविधा के लिये बिजली, पानी, दवा, विश्राम गृहों पर भी कुछ खर्चा किया जाता है ? यदि हां, तो आमदनी का कितना भाग इन सुविधाओं पर प्रत्येक मेला में खर्चा किया जाता है ? अलग-अलग मेलावाइज ब्योरा सहित कुल कितनी धनराशि खर्च की जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां, राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले पशु मेलों की सूची जिले व तहसीलवार संलग्न है।

(२) जी हां, विभाग द्वारा पुरस्कार वितरण हेतु दी जाने वाली राशि तथा अन्य खर्च की सूची (१९६७-६८) संलग्न है। प्रत्येक मेले के समय तथा महत्ता को देखते हुए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। कर्मचारियों पर कोई खर्च नहीं किया जाता है। उनको सरकार के नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाता है।

(३) जी हां, जन प्रतिनिधियों में लोक सभा के सदस्य। विधान सभा के सदस्यों और पंचायत समितियों के प्रधानों और जिला प्रमुखों को निर्णायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। विभाग द्वारा जन-प्रतिनिधियों पर कोई व्यय नहीं किया जाता है। खर्चे सम्बन्धित सूची देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं, सामान्य रूप से जितना खर्च करना चाहिए उतना ही किया जाता है। मेलावाईज खर्च की सूची संलग्न प्रश्न संख्या २ के उत्तर में कर दी गई है।

(५) जी नहीं, यह विभाग पशु मेला विधेयक, १९६३ द्वारा निर्धारित दरों पर कर लेता है एवं १९६७-६८ के मेलों में वसूल किये गये मेले कर की मेलावाईज सूची संलग्न है। बिक्री कर वाणिज्य कर विभाग लेता है। राज्य से बाहर जाने वाले पशुओं पर कर लेता है।

(श्री पशु-पालन मंत्री)

(१) जी हां, पशु मेलों की आमदनी में से कुछ भी व्यय नहीं किया जाता। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राशि में से ही उक्त व्यय वहन किया जाता है जिसका उत्तर प्रश्न संख्या २ के उत्तर में करदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

वूल ग्रेडिंग सेन्टर नागौर का भवन

४५७. श्री मोहम्मद उस्मान (नागौर) : क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नागौर में वूल ग्रेडिंग सेन्टर का भवन बनाने में कितनी रकम खर्च हुई ?

(२) उक्त भवन किस उद्देश्य से बनाया गया ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त भवन जिस उद्देश्य हेतु बनाया गया था उसके लिये काम में नहीं लिया जा रहा है ?

(४) क्या इससे राज्य सरकार को फिजूल खर्च का नुकसान नहीं हुआ ? अगर हुआ तो उसके लिये कौन दोषी है कि जिसने स्कीम पास की ?

(५) उक्त भवन को अब किस उपयोग में लिये जाने की योजना है ?

उत्तर

(१) इस भवन के निर्माण कार्य पर १,४१,०००) रुपये व्यय हुए।

(२) उक्त भवन का निर्माण नागौर क्षेत्र में होने वाली समस्त ऊन का स्टोर व वर्गीकरण करने के उद्देश्य से किया गया।

(३) यह भवन जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया था उसको कार्यान्वित करने के मध्य में ही वित्त की कमी के कारण वर्गीकरण कार्य को कुछ समय के लिये स्थगित करना पड़ गया है। किन्तु उक्त क्षेत्र की ऊन वहां एकत्रित कर स्टोर की जा रही है।

(४) भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार राज्य में कुल १४ ऊन वर्गीकरण केन्द्र खोले जाने थे उसमें नागौर का केन्द्र भी सम्मिलित था परन्तु जैसा कि प्रश्न तीन में व्यक्त किया गया है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण कार्य को स्थगित करना पड़ा है। अतः इसे फिजूल खर्च नहीं कहा जा सकता।

(५) आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल होते ही इस केन्द्र को वर्गीकरण के काम में लिया जायगा।

सहकारी समिति, गोठड़ा द्वारा दिया गया गेहूं

४५८. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सहकारी समिति गोठड़ा, तहसील हिन्डौली द्वारा श्री भैरूलाल नीपड़, ग्राम गोठड़ा को बीज के लिये देने हेतु १५० मन गेहूं दिया गया था ?

(२) यदि हां, तो यह गेहूं इनको कब दिया गया था और इन्होंने इसे किस-किस को दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या इसकी वसूली कर ली गई है ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

Page No. 42

(श्री सहकारी मंत्री)

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

साहूकारी अधिनियम

४५९. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान में साहूकारी विधेयक किस साल में पास हुआ और कब से लागू हुआ ?

(२) इस कानून के अन्तर्गत हर जिले में कितने लाइसेन्स-होल्डर हैं ?

(३) इस कानून की अवहेलना करने पर कितनों पर अभियोग लगाये गये ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पंचायत समिति, रामगढ़ द्वारा गेहूं की खरीद

४६०. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

रामगढ़ पंचायत समिति (अलवर) में गेहूं गतवार का कितना बीज किस रेट पर, किन-किन व्यक्तियों से खरीदा गया ? उस समय गेहूं का बाजार भाव क्या था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

पंचायत खिलौरा में बीज वितरण कार्य

४६१. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रामगढ़ पंचायत समिति (अलवर) की पंचायत खिलौरा दस गांवों के मध्य स्थित है जहां पर बीज गोदाम व को-ऑपरेटिव स्टोर दोनों हैं और जहां से सदैव बीज वितरित होता रहा है ?

(२) फिर इस स्थान से बीज वितरण का कार्य बीजवा पंचायत में क्यों ले जाया गया ?

(स्थगित किया गया)

अचरोल क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गोदाम

४६२. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सहकारी विभाग ने तहसील जमवारामगढ़, ग्राम अचरोल क्रय-विक्रय सहकारी समिति को गोदाम बनाने के लिये कर्जा व अनुदान के रूप में रकम दी है ? यदि हां, तो कुल कितना रुपया किस-किस प्रकार से दिया ?

(२) क्या उक्त सोसाइटी ने गोदाम बनाया है ? यदि हां, तो इस गोदाम के लिए सोसाइटी ने ठेका देने का प्रस्ताव कब पास किया और किस तारीख को किस ठेकेदार को कितने रुपयों का ठेका किस तारीख को टेण्डर आमन्त्रित करके दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(३) सोसाइटी ने गोदाम निर्माण के लिये किस-किस प्रकार से रकम खर्च की ? क्या यह गोदाम बन कर तैयार हो गया है ?

उत्तर

(१) जी हां। अचरोल क्रय-विक्रय सहकारी समिति को गोदाम निर्माण के लिये वर्ष ६५-६६ में ऋण की प्रथम किश्त ६,३७५) रु० तथा अनुदान ६,२५०) रु० दिया गया तथा वर्ष ६६-६७ में ऋण की दूसरी किश्त ६,३७५) रु० दिया। इस प्रकार कुल ऋण व अनुदान २५,०००) रु० दिया गया।

(२) जी हां। समिति ने पहले स्वयं ही अपनी देख-रेख से गोदाम निर्माण कार्य प्रारम्भ किया लेकिन बाद में दि. १५-१२-६५ को टेण्डर मांग कर दिनांक ५-१-६६ के प्रस्तावानुसार श्री नारायणसहाय पुत्र मुरलीधर कारीगर को २५,०००) रु० में ठेका स्वीकार किया जिसमें यह शर्त थी कि जितना निर्माण कार्य समिति द्वारा किया जा चुका है उतनी रकम २५,०००) रु० की राशि में से कम कर दी जायगी और शेष राशि में ठेकेदार गोदाम पूर्ण करवायेगा। सूची की आवश्यकता नहीं है।

(३) गोदाम निर्माण पर निम्न राशि खर्च हुई:—

१. समिति द्वारा निर्माण कार्य का चुकारा	६०८६.४०
२. ठेकेदार को भुगतान	१५४००.००
योग ...	२१,४८६.४०

गोदाम निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ठेकेदार का कार्य सन्तोषप्रद नहीं रहा तथा उसके द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।

बढ़ता हुआ रेगिस्तान और डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड

४६३. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि केन्द्र द्वारा राजस्थान व गुजरात प्रदेश में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए एक योजना बनाई गई है ? अगर हां, तो सरकार राजस्थान में इस योजना के तहत क्या-क्या कार्य करवाने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस योजना को चलाने के लिए डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड स्थापित किया गया है ? अगर हां, तो आज तक इस बोर्ड ने राजस्थान में कौन-कौनसे क्षेत्र चुने हैं और उन क्षेत्रों में क्या-क्या कार्य किये जावेंगे ?

(३) क्या इस बोर्ड ने जिला जैसलमेर व बाड़मेर में भी इस योजना के तहत कोई विकास की योजना बनाई है ?

उत्तर

(१) हां यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान, गुजरात और हरियाणा प्रदेश में रेगिस्तान इलाकों के विकास हेतु मरु विकास मण्डल का गठन किया गया है।

Page No. 44

(श्री कृषि मंत्री)

राजस्थान सरकार ने निम्न कार्य कराने का प्रस्ताव किया है और हमारी योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है:—

(१) भू एवं जल संरक्षण कार्य—
५००० एकड़

(२) चरागाह विकास—
१०,६५० एकड़

(३) लूणी तहसील के ऐसे गांवों में जहां कि पीने के पानी का अभाव है या पानी खारा है, ऐसे गांवों में पीने के पानी की सुविधा।

(४) चुने हुए १० गांवों के तालाबों का सुधार।

(५) पांच स्थानों पर पवन चक्कियां लगाना।

(६) पेय जल के इस्तेमाल में आने वाले १० नल-कूपों में प्रत्येक पर ५० एकड़ में हरे चारे की फसल पैदा करना।

(२) जी हां, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में उक्त योजना के तहत कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। राज्य भू-संरक्षण अधिकारी द्वारा भू-संरक्षण कार्यों के लिये उपर्युक्त स्थानों का चयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लूनी पंचायत समिति क्षेत्र में पेय जल योजना जल-प्रदाय विभाग के माध्यम से बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

(३) मरु विकास योजना के अन्तर्गत जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में पेय जल नल-कूपों पर सिंचित व असिंचित चारे की फसलों के उगाने का कार्यक्रम, चरागाह विकास, गांवाई तालाबों का सुधार व पवन चक्कियों के लगाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों को ट्रैक्टर व पम्पिंग सेट्स के लिए ऋण

४६४. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों को:—

(१) ट्रैक्टर खरीदने के लिये कितना ऋण दिया गया है?

(२) पम्पिंग सेट लगाने के लिये कितना-ऋण दिया गया है, तथा

(३) किन-किन जिलों में कितना-कितना दिया गया है?

उत्तर

(१) ट्रैक्टर ऋण सभी जातियों को जिसके पास १०० बीघा जमीन काश्त के लिए है, दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातिवार ब्योरा नहीं रखा जाता है।

(२) यह ऋण पंचायत समितियों द्वारा दिया जाता है।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Page No. 45

निगम की बसें व छात्रों को कन्सेशन

४६५. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जब रेलों में छात्रों को कन्सेशन दिया जाता है तो राज्य सरकार राजस्थान रोडवेज की बसों में छात्रों को कन्सेशन क्यों नहीं देती है ?

(२) राजस्थान में जब अधिकांश मार्गों पर रोडवेज की बसें चलती हैं तो छात्रों को उनके अवकाश के समय कन्सेशन क्यों नहीं देती ?

उत्तर

(१) यह प्रश्न निगम के विचाराधीन है, निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायगा।

(२) संविदा (on contract) के आधार पर दी जाने वाली बसों में तो छूट दी ही जाती हैं। जहां तक दैनिक सर्विस का प्रश्न है इस पर विचार किया जा रहा है।

घड़ी का प्रोटेक्टर और ग्लास तैयार करने वाली कम्पनियां

४६६. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में घड़ी का प्रोटेक्टर और वाच ग्लास तैयार करने वाली कितनी प्रमाणित कम्पनियां है ?

(२) इन कम्पनियों को कच्चा माल उपलब्ध कराने का क्या प्रावधान है ?

(३) क्या यह सही है कि बीकानेर की वर्मा प्लास्टिक कम्पनी को अभी तक कोई कच्चा माल नहीं दिया गया है तथा सारा ऋण एक मुश्त वसूल कर लिया गया है जब कि उक्त कम्पनी का प्रोप्राईटर स्वर्णकार है और सरकार स्वर्णकारों को धन्धा करने की विशेष सुविधाएं प्रदान करती हैं ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त कम्पनी का ऋण प्रोप्राईटर का घर नीलाम करके वसूल किया है जब कि ऋण किश्तों में वसूल करना चाहिये ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी के प्रोप्राईटर के बार-बार प्रार्थना करने पर भी सरकार ने ऋण किश्तों में वसूल नहीं किया तथा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) इस समय राजस्थान में घड़ी का प्रोटेक्टर और वाच ग्लास तैयार करने वाली कोई कम्पनी नहीं है।

(२) इस प्रकार की कम्पनियों को कच्चे माल के आयात के लिये विभाग द्वारा एसेन्शिएलिटी सर्टिफिकेट दिये जाते हैं और देशी कच्चे माल के लिये सम्बन्धित केन्द्रीय अधिकारियों को सिफारिश की जाती है।

(३) जी नहीं।

उक्त कम्पनी के प्रोप्राईटर को दो बार ऋण स्वीकृत किये गये। एक बार २,००० रु० का और दूसरी बार १,००० रु० नकद। दोनों ऋणों के पेटे एक भी किश्त जमा न कराने के फलस्वरूप पी० डी० आर० के

Page No. 46

(श्री उद्योग मंत्री)

अन्तर्गत रहननामे की धारा दो व तीन की उप-धारा तीन के अनुसार पहिले ऋण का पूरा मूल-धन वसूल कर लिया गया।

(४) जी हां। ऋण की शर्तों के अनुसार अगर ऋण की किश्तें समय पर जमा नहीं करायी जाती हैं तो ऋण की कुल राशि एक-मुश्त वसूल करने का प्रावधान है। इसी के अनुसार यह वसूली की गई।

(५) जी नहीं।

विद्युत् पावर की कटौती

४६७. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा में किस-किस फैक्ट्री की कितनी-कितनी विद्युत् पावर की कटौती कितने समय से की हुई है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि जिन फैक्ट्रियों की विद्युत् पावर की कटौती की गई है उसके बाद भी पूर्व की भांति रा मैटीरियल उतना ही मिल रहा है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत दिया जा रहा है?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) राजस्थान का रा मैटीरियल का कोटा यहां के उद्योगों की वास्तविक आवश्यकता से १५ व २० प्रतिशत से ज्यादा नहीं मिलता है और बिजली की कटौती के बाद भी यह कोटा उनके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए जो कोटा प्राप्त होता है उसका हिस्सेवार बंटवारा कर दिया जाता है। इससे ज्यादा कटौती करना उद्योगों के हित में नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

न्यूनतम वेतन अधिनियम

४६८. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के कई औद्योगिक संस्थानों व कारखानों में अभी तक न्यूनतम वेतन अधिनियम (मिनिमम वजेज एक्ट) लागू नहीं हुआ है?

(२) यदि हां, तो किन-किन कारखानों व औद्योगिक संस्थानों में लागू नहीं हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(१) जी नहीं। न्यूनतम वेतन अधिनियम के परिशिष्ट १ व ११ में वर्णित उन सभी उद्योगों में न्यूनतम वेतन लागू कर दिया गया है जो कानून के अन्तर्गत आते हैं।

(२) न्यूनतम वेतन अधिनियम के परिशिष्ट १ के अन्तर्गत समाविष्ट उद्योगों में से क्रमशः ४, ९ व १२ पर उल्लेखित उद्योगों में न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसे संस्थानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या इस राज्य में १००० से कम है।

(श्री उद्योग मंत्री)

(३) संलग्न परिशिष्ट की क्रम संख्या १३ से १६ पर उल्लेखित उद्योगों को श्रमिकों की मांग पर राज्य सरकार ने परिशिष्ट में जोड़कर उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

कपूर का कोटा

४६९. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ५४ से ६८ तक राजस्थान के प्रत्येक जिले के किस-किस व्यक्ति व फर्म को किस-किस कार्य के लिये कपूर का प्रति वर्ष कोटा दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को कपूर का जो कोटा दिया गया उसका कइयों ने सही उपयोग नहीं किया ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(स्थगित किया गया)

कोटा में नालीदार चद्दरों का वितरण

४७०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(१) क्या यह सही है कि जनवरी, १९६८ में कोटा के एक रजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट ने अलॉटेड चद्दरें प्राप्त कीं ? अगर हां, तो कब व कितनी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त चद्दरें डीलर को डीकन्ट्रोल के पहले अलॉटेड कोटे के विरुद्ध प्राप्त हुई थीं ? अगर हां, तो किस विभाग की व इनका वितरण किस प्रकार हुआ ?

उत्तर

(१) जी हां सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी है।

(२) जी हां। वितरण का कृषि विभाग से सम्बन्ध है।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

परीक्षा सेन्टर खेड़ली से गायब हुए परीक्षा के पेपर

४७१. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सन् १९६७ की परीक्षा के सेन्टर खेड़ली के पेपर किसकी सुरक्षा में रखे गये थे ? अलमारी की चाबी किसके पास थी ?

(२) परीक्षा कार्य में कौन-कौन कर्मचारी कार्य कर रहे थे ? पेपर अलमारी से कौन निकाला करता था ?

(३) क्या पेपरों के रखे जाने वाले स्थान की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था थी ? यदि थी, तो अलमारी से पेपर चोरी कैसे हुए ? यदि नहीं, तो उचित कस्टडी में पेपर क्यों नहीं रखे गये ?

(४) क्या यह सही है कि अलमारी (गोदरेज) की चाबी पहले से ही गुम थी ? पहले यह चाबी किसके कस्टडी में थी ? खोई हुई चाबी किसके पास मिली ?

(५) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक २१-३-६७ को बिना स्वीकृति प्राप्त किये

Page No. 48

(श्री गंगासहाय)

मुख्यावास को छोड़कर अलवर चले गये थे ? मुख्य स्थान छोड़ कर गये थे तब चार्ज किस कर्मचारी को देकर गये थे ? क्या पेपरों के सीलबन्द लिफाफे सम्भाल कर गये थे ?

(६) क्या यह सही है कि अभी तक वास्तविक व्यक्तियों को पेपर चोरी काण्ड में मुअत्तल नहीं किया गया है ? जिम्मेदार व्यक्तियों को मुअत्तल न करने के क्या कारण हैं ?

(७) क्या इस काण्ड की पूरी जांच की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(८) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक ने पेपर काण्ड हो जाने के बाद २३-३-६७ को बिना स्वीकृति अलवर जाने की स्वीकृति के लिये पत्र शिक्षा निरीक्षक अलवर को भेजा था जिसे निरीक्षक महोदय ने रिजेक्ट कर दिया ?

(९) क्या यह सही है कि इस काण्ड का चालान पुलिस द्वारा कोर्ट में ६-३-६८ तक नहीं किया गया ?

उत्तर

(१) श्री हुकमचन्द वर्मा, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेड़ली, उक्त सेन्टर के बोर्ड द्वारा नियुक्त सुपरिन्टेन्डेन्ट थे। अतः पेपर उनकी सुरक्षा में थे। अलमारी की चाबी, जिसमें पेपर रखे गए थे, उनके पास थी।

(२) परीक्षा कार्य में प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त विद्यालय के अन्य कर्मचारी भी जिनकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा अथवा सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा की गई थी, कार्य कर रहे थे। पेपर अालमारी में से प्रधानाध्यापक द्वारा निकाले जाते हैं।

(३) पेपरों के रखे जाने वाले स्थान की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था थी परन्तु विद्यालय के ही एक कर्मचारी द्वारा अवांछनीय कार्यवाही करने के कारण ऐसी अप्रिय घटना घटित हुई।

(४) यह सही है कि अलमारी (गोदरेज) की चाबी पहिले से ही गुम थी। यह चाबी विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक के पास से खो गई बताई। खोई हुई चाबी के मिलने की कोई सूचना इस कार्यालय को नहीं है।

(५) यह सही है कि प्रधानाध्यापक श्री हुकुमचन्द वर्मा दिनांक २३-३-६७ को बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये मुख्यावास को छोड़ कर चले गये थे। अपनी अनुपस्थिति में उन्होंने किसी भी अध्यापक, बाबू अथवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पेपर की सुरक्षा के विषय में कोई हिदायत नहीं दी। क्योंकि विद्यालय का ही एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मगनप्रसाद जो एक विश्वसनीय व्यक्ति बताया जाता है, को उस भवन में जहां पेपर रखे जाते थे, प्रधानाध्यापक द्वारा सोने के लिये नियुक्त किया हुआ था।

(६) यह सही नहीं है कि अभी तक वास्तविक व्यक्तियों को पेपर चोरी काण्ड में मुअत्तल नहीं किया गया है। उन्हें मुअत्तल करने की कार्यवाही अविलम्ब की गई थी।

(७) इस काण्ड की जांच सचिव, माध्यमिक बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा २८-३-६८ को ही की जा चुकी थी। बाकी जांच

(श्री शिक्षा मंत्री)

पुलिस द्वारा की गई है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को नहीं है।

(८) ऐसा नहीं हुआ। श्री वर्मा ने विद्यालय निरीक्षक, अलवर को दि. २३ मार्च, १९६७ को २४ व २५ मार्च, १९६७ के दिन आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिये खेड़ली से एक आवेदन-पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि :—

"निवेदन है कि दिनांक २४, २५ मार्च, १९६७ को बोर्ड की कोई परीक्षा नहीं है। परन्तु विभाग के आदेशानुसार परीक्षा के दिनों की कमी पूरी करने के लिये स्कूल नियमानुसार रहेगा। मैं दिनांक २३ मार्च, १९६७ को परीक्षा के बाद अलवर जा रहा हूं। कृपया २४, २५ मार्च, १९६७ का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करें।"

निरीक्षक, अलवर ने श्री हुकुमचन्द वर्मा का उक्त आवेदन स्वीकार नहीं किया।

(९) इस काण्ड की सूचना स्थानीय पुलिस थाने में २३-३-६७ को ही प्रधानाध्यापक द्वारा कर दी गई थी। सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला पुलिस थाने, खरेली में धारा ३८० के अन्तर्गत क्रम संख्या १८/६७ पर रजिस्टर कर लिया गया था और श्री महेशचन्द्र शर्मा, एस० एच० ओ०, खरेली इसकी जांच-पड़ताल कर रहे थे। पुलिस द्वारा की गई जांच पड़ताल की प्रगति के विषय में कार्यालय को अभी तक अवगत नहीं कराया गया है।

सूरजमल नागरमल फर्म द्वारा रतनगढ़ में संचालित स्कूलें

४७२. श्री रावतराम (छापर-सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) सूरजमल नागरमल फर्म, रतनगढ़ द्वारा संचालित चूरू जिले में कुल कितनी प्राइमरी स्कूलें गांवों मे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि इन स्कूलों को सरकार अपने अधीन लेने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(३) इन स्कूलों में अब तक जो अध्यापक रहे हैं उनके बारे में सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार उन्हें बदस्तूर कायम रखेगी ?

उत्तर

(१) सूरजमल नागरमल फर्म, रतनगढ़ द्वारा उनके चैरिटी ट्रस्ट श्री हनुमान प्रबन्ध समिति, शिक्षण संस्था, रतनगढ़ के तत्वावधान में निम्न स्थानों पर १७ शालायें चलाई जा रही हैं :—

श्री हनुमान ग्राम्य पाठशाला :—

(१) बागसरार, (२) सुडसर, (३) पेनलसवार, (४) बांसडाका, (५) भारपलसर, (६) मालेरी, (७) रानासर, (८) बड़ीसवई, (९) तालियासर, (१०) हरियासर, (११) मदासर, (१२) बेजासर, (१३) बड़ाबकुलसर, (१४) अडमलसर, (१५) कुडवारी, (१६) मेहरासर उपाध्यान तथा (१७) हनुमान बालिका विद्यालय (प्राथमिक), रतनगढ़।

(श्री शिक्षा मंत्री)

(२) व (३) प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं।

राज्य की शिक्षण संस्थाएं

४७३. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में कुल प्राइमरी पाठशालाएं कितनी हैं ? माध्यमिक व हायर सैकेन्ड्री व सैकेन्ड्री स्कूल कितनी हैं ? कृषि, मेडिकल व इंजीनियरिंग व डिग्री कॉलेज कितने हैं ? कन्या प्राइमरी पाठशालाएं व लड़कियों के हाई स्कूल तथा माध्यमिक शालाएं कितनी-कितनी हैं ?

उपरोक्त स्कूलों व कॉलेजों में कुल कितने-कितने छात्र-छात्राएं शिक्षा पा रहे हैं ?

उत्तर

शाला/कॉलेज	संख्या	नुमानित छात्र संख्या
१	२	३
प्राथमिक	१८,९७९	२०.१३ लाख
माध्यमिक	१,९४२	४.३२ ,,
हायर सैकेन्ड्री	३४७	१.८३ ,,
सैकेन्ड्री	१३५	
कृषि कॉलेज	४	—
मेडिकल कॉलेज	५	—
इंजीनियरिंग कॉलेज	३	—
डिग्री कॉलेज	८२	४०.४४०
कन्या प्राथमिक शालाएं	९९८	५.४४ लाख
कन्या माध्यमिक शालाएँ	२५४	०.७३ ,,
कन्या सैकेन्ड्री स्कूल	१३९	०.२७ ,,
कन्या हायर सैकेन्ड्री	३५	

मेडिकल कॉलेज अजमेर, जोधपुर जयपुर, उदयपुर एवं बीकानेर की छात्र संख्या उपलब्ध होने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कृषि एवं इन्जीनियरिंग कॉलेज की सूचना उपलब्ध होने पर प्रस्तुत करदी जायेगी।

न्यू हाई स्कूल, कोटा की साइन्स लेबोरेटरी

४७४. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि न्यू हाई स्कूल, कोटा की साइंस लेबोरेटरी सम्पूर्ण न होने के सम्बन्ध में बोर्ड ने आपत्ति की है ? यदि हां, तो कब व क्या ?

(२) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या व्यवस्था की ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाठ्य पुस्तकों की तब्दीली

४७५. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिण्डौली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा अलग-अलग पाठ्य-पुस्तकें कितने साल तक एक कक्षा में पढ़ाई जाती हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि पाठ्य-पुस्तकों में ४ साल से पहले तब्दीली नहीं होनी चाहिये ?

Page No. 51

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

(३) राजस्थान में गत साल जो पाठ्य-पुस्तकें पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक छात्रों के उपयोग में आती थीं वे कितने सालों पहले सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थीं ?

उत्तर

(१) पाठ्य-पुस्तकों को परिवर्तित करने के लिये कोई निर्धारित अवधि नहीं है। पुस्तकों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता को देखते हुए समयानुसार उन्हें उन्नत एवं परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना होता है तो अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा नया पाठ्यक्रम प्राप्त होने पर नई पुस्तकें लिखवाई जाती हैं।

(२) ऐसा कोई नियम नहीं है।

(३) गत साल जो राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकें पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक छात्रों के उपयोग में आती थीं, वे निम्न सत्रों में सरकार द्वारा स्वीकृत एवं प्रकाशित की गईं :—

वर्ष १९५७-५८ में

हिन्दी कक्षा १ से ५
अंकगणित कक्षा ३ से ५
सामान्य विज्ञान कक्षा ३ से ५
सामाजिक ज्ञान कक्षा ३

वर्ष १९५८-५९ में

सामाजिक ज्ञान कक्षा ४ एवं ५

स्थगित प्रश्न
(६-९-६८)

मुकदमों की संख्या

२५८. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन-सु०): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) राजस्थान के प्रत्येक जिलेवार ऐसे कितने मुकदमे हैं जो गत १० वर्षों से चले आ रहे हैं ? इन मुकदमों के फैसले कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

(२) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार का यह आदेश है कि प्रत्येक मुकदमे को ३ वर्ष से ज्यादा नहीं लगना चाहिये ? यदि हां, तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राजस्थान उच्च न्यायालय में १० वर्षों से चले आ रहे जिलेवार मुकदमों की सूची संलग्न है। पुराने मुकदमों को जल्दी फैसले करने के सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय उच्च न्यायालयों को समय-समय पर लिखता है।

(२) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

स्थगित प्रश्न
(६-९-६८)

बूंदी की जूडिशियल अदालत

२५९. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बूंदी की जूडिशियल अदालतें कितनी हैं और कौन-कौन सी ?

Page No. 52

(श्री भैरोंसिंह द्वारा)

(२) हर एक अदालत में गत पांच वर्षों में कितने-कितने मुकदमें दायर हुए और कितने-कितने फैसल हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) बूंदी में निम्नलिखित जूडिशियल अदालतें हैं:—

१. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बूंदी ।
२. मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बूंदी ।
३. अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बूंदी नं० १
४. अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बूंदी नं० २
५. अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बूंदी नं० ३

(२) चाही गयी सूचना संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

(१२.२८ म. प.)

स्थगन प्रस्तावों संबंधी अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री भैरोंसिंह, श्री रामानंद अग्रवाल, श्री केदारनाथ, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा द्वारा डी. ए. वी. कॉलेज, अजमेर की कृषि संकाय की ग्रान्ट इन एड में ३३।। प्रतिशत की कमी करने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कृषि मन्त्री महोदय द्वारा स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल वक्तव्य दिया जाय । मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें रामगढ़ के बन्धे में पाल के नीचे से पानी निकलने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख है । इस विषय में राज्य सरकार से जानकारी की गई है । जानकारी प्राप्त होने पर इस पर निर्णय लिया जा कर माननीय सदस्यों को सूचित किया जायेगा ।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि निम्न दो स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु पेंडिंग रखा गया था । इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं :—

(१) जवाई बांध की तख्तगढ़ नहर की एक नई शाखा की खुदाई से खड़ी फसल को हानि के बारे में श्री फूलचन्द बाफना द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(२) राजस्थान विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिये बन्द कर देने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व-निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाय । अतः मैं इन्हें प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं :—

Page No. 53

(श्री अध्यक्ष)

(१) जिला गंगानगर में घग्घर की बाढ़ से तहसील नोहर व टीबी में काश्तकारों की फसल डूबने से हुई हानि के बारे में श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(२) करौली तहसील के कोटा छावर में एक रणधीरसिंह नामक व्यक्ति की कथित हत्या के बारे में श्री श्रवणलाल व श्री केशरीसिंह हाड़ा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(३) जिला कोटा की छीपाबड़ोद, छबड़ा, बारां, शाहबाद व अटरू की पंचायत समितियों में तकावी व अन्य कर्ज की एकमुश्त वसूली के बारे में श्री प्रेमसिंह सिंघवी, श्री नन्दलाल, श्री महेन्द्रसिंह, श्री बृजवल्लभ बोहरा, श्री लाभचन्द वैद व श्री कृष्णकुमार गोयल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(४) कोटा जिले के तहसील लाड़पुरा के बेथून ग्राम में चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में भूमि की नीलामी के बारे में श्री बृजवल्लभ बोहरा, श्री लक्ष्मण तानीवाल, श्री महेन्द्रसिंह व श्री नन्दलाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(५) ग्राम बोरड़ी, तहसील बारां में दिनांक १०-८-६८ की शाम को मदनलाल मीणा की २०-२५ व्यक्तियों द्वारा कथित हत्या के सम्बन्ध में पुलिस की कार्यवाही से असन्तोष के बारे में श्री नन्दलाल, श्री बृजवल्लभ बोहरा, श्री प्रेमसिंह सिंघवी, श्री लाभचन्द वैद, श्री महेन्द्रसिंह व श्री देवीदत्त गांडिया द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय...

श्री दुर्गालाल बाड़दार : अध्यक्ष महोदय, आपने जो मेरे स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है..

श्री अध्यक्ष : अभी शिरोधार्य का सवाल कहां आता है, मैंने कहा है जानकारी करके निर्णय दूंगा तब शिरोधार्य का प्रश्न आयेगा।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर) : लेकिन मुझे सन्देह है...

श्री अध्यक्ष : आपको सन्देह नहीं होना चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : आपकी जानकारी प्राप्त करने में सन्देह नहीं। लेकिन मेरा अनुभव है राज्य सरकार से जो कोई जानकारी चाहते हैं उसका मुझे अनुभव है कोई मामला सार्वजनिक निर्माण मंत्री के पास भेजेंगे तो वहां से उत्तर आयेगा कि यह मेरे से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रोबेबलिटीज मत करिये।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई चारा नहीं। इसके अलावा कि बिना जानकारी करके कुछ भी व्यवस्था दूं। आप सदस्य नियमों से अवगत हैं...

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था उसमें मैंने सरकार द्वारा जो नहर बनाई गई है उसके फूट जाने से वहां के लाखों रुपयों का नुकसान-काश्तकारों को हुआ है, का मेरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। पिछली साल भी उस

(श्री रामचन्द्र आर्य)

ढाणी को नुकसान हुआ था वह डूब में आ गई थी और टीबी तहसील की काश्त डूबने से काफी नुकसान हुआ, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी गई । इससे बढ़कर और क्या महत्व का विषय हो सकता है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ! माननीय श्री आर्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं निवेदन करना चाहूंगा .....

श्री अध्यक्ष : इनके भाषण को रिकार्ड न किया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री आर्य कह रहे थे वह बांध पिछली साल भी टूटा और इस साल भी टूटा इसमे काफी काश्तकारों को नुकसान हुआ । ऐसी हालत में आप मंत्री महोदय से स्टेटमेन्ट दिलाने की व्यवस्था करें क्योंकि यह मामला काफी लोगों से ताल्लुक रखता है । इसका आप स्टेटमेन्ट दिलवा दीजिये ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति तो नहीं दी बोलने की तो अनुमति दें ।

श्री अध्यक्ष : बोलने की अनुमति नहीं दूंगा । माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के अन्दर...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ! मैं बार २ निवेदन कर चुका हूं कि मैंने जिन स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे दी है उनके बारे में यहां पर न बोला जाय ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कोटा जिले के अन्दर भयंकर अकाल है वहां पर १२ साल का लगान वसूल कर रहे हैं और उस पर १८ पर्सेन्ट ब्याज लगाकर....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ! यह प्रतिदिन की समस्या उपस्थित होती जा रही है मुझे जिन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना था उन पर व्यवस्था दे दी है और जिन पर मेने वक्तव्य दिलाना उचित समझा उन पर भी निर्णय दे दिया है । फिर भी मुझे अपने निर्णय के पुनरावलोकन के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा उस पर मैं ध्यान दे रहा हूं । अब इतना समय हो चुका है, खासा कार्य बाकी है । यदि थोड़ा समय भी रहता तो मैं उदासीन हो जाता हूं बोलने के प्रश्न पर । माननीय सदस्यों को किन्हीं निर्णयों पर यहां कन्वेस करना उचित नहीं । मैं समय के मामले में थोड़ा सा दृढ़ रहना चाहता हूं ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कई बार स्थगन प्रस्तावों के विषय पर आपके द्वारा जो निर्णय दिये जाते हैं उनमें आप कई परिस्थितियों का ध्यान रखकर निर्णय देते है । कहीं स्कूल के विषय का प्रस्ताव था तो उस पर स्टेटमेन्ट दिला दिया और कहीं बाढ़ से तबाही होगई उसके बारे में स्टेटमेन्ट भी दिलवाना उचित नहीं समझते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस प्रश्न को आप यहां न उठायें ।

श्री नत्थीसिंह : आप उस प्रस्ताव पर भी सहानुभूति का रूप अपनाइये जहां पर बान्ध के टूट जाने से काफी नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में रामानन्दजी ने मेरा ध्यान पुनः आकर्षित किया है वही पर्याप्त होगा। माननीय सदस्य को अगर डी० ए० वी० कॉलेज के संबंध में वक्तव्य दिलाने में यदि आपत्ति है तो मैं उस पर पुनर्विचार कर सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : मेरा एक परम्परा का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, जब आपका निर्वाचन इस पद पर हुआ उस समय आपने कहा था कि मैं सदन में चली आ रही परम्परा को पूरी तौर से निभाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, आपसे पूर्व जो अध्यक्ष थे वे जब ऐसी परिस्थिति आया करती थी तो अपनी कुर्सी को पीछे खिसका कर बैठ जाया करते थे और स्थगन प्रस्तावों पर आधा घंटा बोलने देते थे। अतः आप भी प्रश्नोत्तर के बाद जब स्थगन प्रस्तावों की बारी आये कुर्सी पीछे खिसका लिया करें ताकि जिनको बोलना हो तो बोल लें।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप जब कोई अन्य सदस्य बोलते है तो आप उनको माननीय माननीय सदस्य कहकर पुकारते हैं। लेकिन जब श्री आर्य बोलने खड़े होते हैं तो इनको आप सीधा नाम लेकर ही पुकारते हैं इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और श्री दौलतराम सारण ने जो प्रश्न उठाये हैं उनका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। बिजनेस निरन्तर बढ़ता हुआ जा रहा है इसको ध्यान में रखते हुए भी मैं उदार वृत्ति से माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देता रहा हूं। बिना कुर्सी के पीछे खिसकाये या आगे बढ़ाये मैं समय के बारे में उदासीन हो जाता हूं। ज्यों-ज्यों बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा है, समय का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। आज जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है हमेशा प्रश्नोत्तर का समय बारह और सवा बारह बजे से ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन आज साढ़े बारह बजे तक प्रश्न ही चलते रहे। मैं आपसे सहयोग चाहता हूं, मैं पीछे बैठा रहूं या आगे बैठा रहूं इससे आप अर्थ का अनर्थ न करें।

श्री आर्य के लिये जो कहा गया इस पर मुझे कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे न कहने को माननीय सदस्य अर्थ समझ लेंगे। वैसे माननीय आर्य के व्यवधान पर मैं अधिक ध्यान नहीं देता रहा हूं। अब मैं आगे का बिजनेस लेना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यानी आप मुझे खतरनाक आदमी समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : यानी मैं क्या समझता हूं न समझता हूं, माननीय सदस्यों ने स्वयं ने देख लिया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा जिस प्रकार की व्यवस्था आप देते हैं उसके बारे में हाउस में चर्चा होगी उसमें रूल्स और परम्परा की भी बात आयेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी उदारता इस पर भी निर्भर नहीं करती कि विरोधी दल सदन में कितने प्रश्न उठाते हैं। आपकी उदारता तो इस बात

(श्री भेरोंसिंह)

पर निर्भर करती है कि आप गवर्नमेन्ट के कितने ग्रोमीशन्स, लेप्सेज या कमीशन्स के बारे में कमी करवा सकते हैं। कितनी चर्चा उनकी विधान सभा में होती है या नहीं होती है। सरकार के ग्रामीशन्स ग्रौर लेप्सेज के बारे में ज्यादा सतर्क रहें ग्रौर उस पर ग्राप उदार वृत्ति का परिचय दें तो सरकार सुधरेगी ग्रौर हम भी ग्रपना कर्त्तव्य पूरी तौर पर निभा पायेंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : यह सत्र बहुत ग्रधिक महत्त्वपूर्ण रहा है। जिस चीज की चर्चा उठाई गई ग्रौर जिस गति से यह सत्र चल रहा है उसमें लेप्सेज, ग्रोमीशन्स, कमीशन्स के बारे में ग्रब तक जितना यह सत्र चला है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जहां तक मेरी उदार वृत्ति का प्रश्न ग्राता है यह तो प्रत्येक माननीय सदस्य की विवेचना का प्रश्न है; जिस पर यह ग्राधारित है। मैं उदार नहीं रहता या रहता हूं इस बारे में विवाद में न पड़ कर मैं मौन ही रहना उचित समझता हूं।

यह सत्र मैं समझता हूं पूर्व सत्रों से बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। ग्रोमीशन्स ग्रौर कमीशन्स के बारे में ग्रधिक उदार रहता हूं इसके बारे में ग्रापका मानस जरूर बोलता होगा। कोई न कोई नीति जरूर मेरी है मैं कहीं भी संकुचित रूप से नियन्त्रण नहीं करता हूं। प्रश्नोत्तरकाल इस बात का द्योतक है।

श्री ग्रध्यक्ष : फिर भी सदस्यों की भावनाग्रों को समझता रहा हूं यदा-कदा। चूंकि सत्रावसान के दिन नजदीक ग्राते जा रहे हैं इसलिये इस सम्बन्ध में थोड़ा नियंत्रण ग्रधिक करना पड़ रहा है। फिर भी मैं इसका ख्याल रखूंगा, ऐसी मेरी मान्यता है।

ग्राप मुझे इस कुर्सी से ग्रागे-पीछे खिसका देते हैं इस पर मैं भी निवेदन नहीं करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कुर्सी का सवाल नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्य के पास रहा है वह।

एक माननीय सदस्य : मेरा स्थगन प्रस्ताव।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा तो संकेत करूंगा ग्रापको।

श्री श्रवणलाल : स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के सम्बन्ध में, ग्रापके ग्रादेश हुए कि उन पर स्टेटमेन्ट दिये जावेंगे या केन्सिल किया गया या उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। तो ग्रापके उन ग्रादेशों की ग्रध्यक्ष महोदय, यहां पर ग्रवहेलना की जाती है, किस तरह?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर-ग्रॉर्डर प्लीज! कृपया स्थान ग्रहण करें। यह व्यवस्था का नहीं है। स्थान ग्रहण करें कृपया माननीय सदस्य। यह व्यवधान का प्रश्न है, व्यवस्था का नहीं है। मैं इस पर इजाजत नहीं दूंगा। ग्रॉर्डर प्लीज!

श्री श्रवणलाल : उनके बारे में न स्टेटमेन्ट दें, न जानकारी दें ग्रध्यक्ष महोदय। मैंने २४ तारीख को प्रस्ताव दिया था कि

Page No. 57

(श्री श्रवणलाल)

एक लड़की के साथ में बलात्कार किया गया और उसका शील भंग किया गया हो...

श्री अध्यक्ष : यह नहीं लिखा जावे।

श्री श्रवणलाल : २४ तारीख को दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से बात कर लें। आपकी कोई परेशानी या उद्विग्नता है तो सन्तोष दिलाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री श्रवणलाल : सन्तोष कैसे करें अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : मैं लेने का प्रयत्न करूंगा यदि समय हुआ तो। रिपोर्ट प्रस्तुत करने दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लिस्ट ऑफ बिजनेस है। स्टेटमेन्ट नहीं होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : यहां रखा जावे तो प्रश्न करिये।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कार्य सलाहकार समिति के सोलहवें प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सोलहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के १६वें प्रतिवेदन पर यह सदन सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गई।

मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य

सिचाई व सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियुक्तियों के अन्दर पक्षपात सम्बन्धी प्रश्न पर सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का वक्तव्य

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष : २।

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री अपना वक्तव्य दें इससे पूर्व मैं कुछ जानकारी करना चाहूंगा। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि माननीय खाद्य मन्त्री श्री परसरामजी मदेरणा ने अकाल राहत के सम्बन्ध में और अकाल राहत की डिबेट के दौरान सदन में एक प्रश्न उठाया था कि पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से जो राहत कार्य हुआ है वह पी. डब्ल्यू. डी. की गलती से गलत हुआ है। इसके विरोध में सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्य-मन्त्री को कि अकाल राहत मन्त्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग पर आरोप लगाया है वह बेबुनियाद है। या तो इनकी जांच कमीशन नियुक्त करके करवाई जावे या मेरा त्याग-पत्र स्वीकार किया जावे। क्या उन्होंने इस तरह का त्याग-पत्र दिया है।

श्री अध्यक्ष : (अन्य सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) ऑर्डर-ऑर्डर प्लीज ! माननीय निर्माण मन्त्री जी जितने इस पर

(श्री अध्यक्ष)

सोच लें। मैं गलती कर गया हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का उपस्थापन अवशेष था। श्री गृह मन्त्री जी !

लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ (२) के अन्तर्गत मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के १५वें वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (१-४-६४ से ३१-३-६५ तक) व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित जिसमें आयोग की राय न मानने के कारण दिये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय निर्माण मन्त्री महोदय, स्पष्टीकरण करना चाहते थे आप ?

शासकीय वक्तव्य

श्री अमीनुद्दीन अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं एक थोड़ी सी सफाई पेश करना चाहता हूं। यह बिल्कुल गलतफहमी है कि मैंने कोई त्यागपत्र दिया। कोई त्यागपत्र का सवाल पैदा नहीं होता। जो भी कुछ मेरी तजवीज थी इस विभागीय कार्य से थी। वह भी अपने दूसरे मन्त्रीजी की सलाहमशविरा के सम्बन्ध में था। हम दोनों एक राय होकर चलते हैं। कोई गलत काम नहीं है और ना इस नजर से ही देखा जावे। उन्होंने भी यकीन दिलाया है और वाकई गलत काम है तो जांच होनी चाहिये। तो वह महकमाना जांच का सवाल है। किस हद तक सही है या गलत है, जांच की जावे। जो काम जिस तरह होना चाहिये था वह सही हुआ है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बतावें आपने यह चिट्ठी लिखी या नहीं कि अकाल राहत मन्त्री ने हाउस में स्टेटमेन्ट दिया वह गलत था और उसकी जांच होनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : प्रतिलिपि हो तो बता दीजिये न ?

श्री भैरोंसिंह : वह भी बतला दी जावेगी।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरा तो ऐसा नोट था। आपस में एक्सचेन्ज होते हैं। हाउस में चर्चा हुई तो आपस में करें। आपस के विभाग का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आपसी चर्चा हुई है। मन्त्री ने स्वीकार कर लिया आपसी चर्चा हुई।

श्री भैरोंसिंह : वह लिखित रूप में मुख्य मन्त्री को दी है या नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मुख्य मन्त्रीजी को रोजाना नोट देते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : रोज के नोटों का सवाल नहीं है, हाउस में जो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जो रोज नोट देते हैं हरे-हरे, उनकी बात है या दूसरे नोटों की बात है ?

श्री भैरोंसिंह : हरे और लाल नोटों की बात नहीं है। परसराम मदेरणा ने स्टेटमेन्ट दिया सदन में उसकी सत्यता को चुनौती देते हुए आपने क्या प्रोटेस्ट में मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा है। वह आदान-प्रदान हमेशा का है उसकी नहीं पूछ रहा हूं।

Page No. 59

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने प्रोटेस्ट में कुछ नहीं लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : तो यह लिखा कि परसरामजी ने जो कहा वह गलत है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : क्यों बताया जाय कि मैंने क्या लिखा ?

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य दें।

श्री भैरोंसिंह : फिर कौनसी बात सही मानी जावे अध्यक्ष महोदय। पहले तो हाँ भर गये। पर बाद में दामोदरलालजी ने धमकाया तो गलत कह गये। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नवाब साहब सीधे-सादे हैं तो गृह मन्त्रीजी आंख से डरा दें ऐसा तो नहीं होना चाहिये। कम से कम आप विराजमान हैं सदन में तब तो गृह मन्त्रीजी अपने कलीग को आंख निकाल कर तो नहीं डरावें। सही बात हाउस में कहने दिया करें।

श्री अध्यक्ष : मैं उनकी आंख नहीं देख पाया।

श्री भैरोंसिंह : आप देखना भी मत अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी की आंखें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जब गृहमन्त्री जी मन्त्री महोदय को भी धमकी दे सकते हैं तो औरों की तो क्या बात है। और वह भी आपके आसन के नीचे।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री रामकिशन : भाव मुद्राएं तो देखा करें।

श्री अध्यक्ष : मुद्राएं देखने में दोनों कुशल हैं। माननीय रामकिशनजी भी कुशल हैं और ये भी।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, जनशक्ति विभाग लगभग सात वर्ष पूर्व सन् १९६१ में स्थापित किया गया था और इस शाखा ने अप्रेल, १९६८ से ही बेरोजगार अभियांत्रिक कार्मिकों की सूची बनाना शुरू किया है।

बेरोजगार अभियांत्रिक कार्मिकों (स्नातक एवं डिप्लोमाधारी) की सूची जनशक्ति विभाग से उनके पत्र क्रमांक एफ. (४१) आयो। ६८ दिनांक ३ जून, १९६८ के द्वारा प्राप्त हुई थी जिसके द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गये थे।

सरकारी नीति के अनुसार विभागों में समस्त रिक्त स्थानों की पूर्ति इसी सूची में से किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम उन कार्मिकों की नियुक्ति की जावेगी जो सरप्लस हो चुके हैं। सरप्लस कार्मिकों की सूची तैयार की जा रही है जो शीघ्र भेजी जावेगी। तदुपरान्त इस विभाग से एन. ए. सी. लेकर फिर नई भर्ती सूची में से की जावेगी।

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की जा रही है। इस विभाग में अभियान्त्रिकों के पदों की कटौती के कारण सहायक अभियांत्रिकों की कोई नई नियुक्तियां नहीं की गई हैं। इसके अलावा ६६ सहायक अभियांत्रिकों को १९६७ में सेवा से निकालना पड़ा और ४७ सहायक अभियांत्रिकों को अभी अगस्त सन् १९६८ में सरप्लस करना पड़ा। इन उपरोक्त कारणों से जनशक्ति विभाग द्वारा बनाई गई वरिष्ठता सूची के आधार पर नियुक्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनशक्ति विभाग द्वारा कोई वरिष्ठतासूची तैयार नहीं की गई है और सिर्फ तकनीकी

Page No. 60

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

कर्मचारियों की ही नियुक्ति के लिये भिजवाई गई है, जिसके अनुसार यदि कोई सरप्लस कर्मचारी न मिले तो विभागों द्वारा सूची में से चुन करके नियुक्ति की जा सकती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रस्ताव में जितनी भी नियुक्तियां आज तक राजस्थान कैनाल, सिचाई विभाग व पी. डब्ल्यू. डी. आदि में हुई है वे पूर्णतया पक्षपात व मन्त्रियों के हस्तक्षेप से हुई व मैन पावर डिपार्टमेन्ट द्वारा मेरिट लिस्ट का कोई ध्यान न रखा जाकर की गई बतलाई, ऐसा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है कि डिप्लोमा होल्डर की भर्ती अधिदर्शक के पद पर व डिग्री-होल्डर की भर्ती या तो अधिदर्शक के पद पर या सहायक अभियन्ता के पद पर होती है। जहां तक सहायक अभियन्ता के लिये चयन करने का प्रश्न है, राजस्थान सर्विस ऑफ इन्जीनियर्स इरिगेशन ब्रान्च रूल्स, १९५४ के प्रावधान के अनुसार ७५ प्रतिशत पदों के लिये चयन लोक सेवा आयोग द्वारा होता है व २५ प्रतिशत पद अधिदर्शकों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। पदोन्नति के लिये नियमानुसार एक कमेटी बैठती है, जिसके अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनका कोई प्रतिनिधि होता है। इसलिये इसमें पक्षपात व हस्तक्षेप का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि सहायक अभियन्ता की भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चयन सन् १९६६ में किया गया था उसके पश्चात् पदों के अभाव में सहायक अभियन्ता के पद पर कोई नियुक्ति सीधी भर्ती कोटा के अन्तर्गत नहीं की गई है। जहां तक पदोन्नति से इन पदों को भरने का सवाल है, डी. पी. सी. द्वारा चयन १९६७ में किया गया था उसके पश्चात् किसी भी अधिदर्शक को पदोन्नत नहीं किया गया है।

अधिदर्शकों के पदों को भरने के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि नवम्बर, १९६६ से पहले इन पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी। नवम्बर, ६६ के बाद ये पद आयोग की परिधि से बाहर हो गये हैं। अधिदर्शकों के लिये सेवा नियम सन् १९६७ में बने।

राजस्थान सबोर्डिनेट इन्जीनियरिंग रूल्स, १९६७ के नियम ९ के अनुसार जिन अधिदर्शकों को १-१-१९६७ को ९ मास का सेवाकाल नहीं हुआ है तथा अन्य रिक्त पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के इसी के आधार पर सिचाई विभाग के अधिदर्शकों के रिक्त पद जो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं को भरने के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं, जिनके प्राप्त होने की अन्तिम तिथि १२-८-६८ रखी गई थी। इस विज्ञापन में अधिदर्शकों के १०० पद रिक्त बतलाये गये, जिनमें से अधिकांश पद अस्थायी रूप से भरे हुए हैं। राजस्थान नहर परियोजना पर नव पद सृजित होने के फलस्वरूप सिचाई विभाग में कार्य कर रहे ऐसे अधिदर्शक जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना से पद समाप्त हो जाने पर सिचाई विभाग में समावेश कर लिये गये थे, के पुनः राजस्थान नहर परियोजना में स्थानान्तरण कर दिये गये, जिसके फलस्वरूप लगभग ४३ पद रिक्त हुए। दिनांक २७-६-६८ को यह निर्णय लिया गया

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कि सिंचाई विभाग अपने अधीनस्थ अधिदर्शकों के रिक्त पद प्रतिरिक्त बेरोजगार इन्जीनियरों को एब्जार्ब करने के बाद नई नियुक्तियों द्वारा भर लें। इसी के अनुसार एवं ऊपर वर्णित विज्ञापन के आधार पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जांच के बाद अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु दिनांक १६-९-६८ को बुलाया जा रहा है। साक्षात्कार के उपरान्त योग्य व्यक्तियों की ही नियुक्ति होगी।

जब तक राजस्थान सबोर्डिनेट इन्जीनियरिंग सर्विस रूल्स के नियम १९ के अनुसार चयन नहीं होता तब तक अधिदर्शकों के रिक्त पद सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई अस्थाई रूप से ६ माह की अवधि हेतु भरने के लिये सक्षम अधिकारी हैं। मैन पावर डिपार्टमेन्ट के निर्णय व वहां से प्राप्त सूची सभी अधीक्षण अभियन्ताओं को भेज दी गई है तथा समय-समय पर भेजी जाती है। जहां तक विदित है सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा नई नियुक्तियां आयोजन विभाग से प्राप्त सूच में से ही नियमानुसार की गई हैं तथा कोई पक्षपात आदि नहीं किया गया है। मैन पावर डिपार्टमेन्ट द्वारा भेजी गई सूची में कोई मैरिट लिस्ट नहीं होती बल्कि रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रार्थना-पत्र देने पर एवं योग्य पाये जाने पर ही अभ्यर्थियों की एड-हाक नियुक्ति की जाती है।

(१२.५४ म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : सभापति महोदय, १-१०-६७ को कितने ओवरसियरों की सर्विसेज टर्मिनेट कीं और कितने असिस्टेंट इन्जीनियर्स सरप्लस किये गये, उनको एब्जोर्ब करने का क्लेम एक साल में कितने टेम्परेरी अपॉइन्टमेन्ट किये गये? एड-हाक बेसिस के आधार पर वे किस आधार पर किये हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय चेयरमेन महोदय....

श्री रामकिशन : एक-दो बात और रह गई है।

श्री केदारनाथ : जो मैन पावर डिपार्टमेन्ट खोला आपने और जो दरख्वास्तें मांगी गई हैं उनकी लिस्ट आपने मेरिट के लिहाज से बनाई है या जैसे दरख्वास्त आई है वैसे बनाई है? तीसरे चीफ इन्जीनियर इरिगेशन एक हो और वह बोर्ड का होना चाहिये, राजस्थान केनाल का चीफ इन्जीनियर हो और बोर्ड का वह मेम्बर हो। इसके अलावा एक-दो बात और है। चौथे अपॉइन्टमेन्ट्स का आधार होता क्या है? सभापतिजी, दो वेकेन्सी होती है जो लोग डिप्लोमा-होल्डर्स और डिग्री-होल्डर्स हैं उनको तीन साल से नहीं दे पाये। वे जयपुर आते हैं, पैसे खर्च करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, वे खुद तो परेशान होते ही हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। सभापतिजी, ऐसा कोई फार्मुला निकालें ताकि उनको मालूम पड़ जाय कि वेकेन्सी में उनका नाम आ जाय। इस नीति से कोई फार्मुला अडाप्ट कर लें तो लोगों की परेशानी दूर हो सकती है। हमारे इलाके में तीन से पांच हजार रु० तक अपॉइन्टमेन्ट देने के मांगते हैं। कहते हैं ५ हजार रु० दिला दो तो अपॉइन्टमेन्ट दिला देंगे। यह प्रश्न मैं माननीय अध्यक्ष के सामने भी लाया था और कहा गया था कि आइन्दा कोई ऐसा फार्मुला तय कर देंगे ताकि किसी को परेशानी न हो।

श्री रामकिशन : एक-दो बात और है। इनमें जितने ओवरसियर बोर्डर रोड से सरप्लस हुए हैं अभी १०० स्थान सिंचाई विभाग में बताये हैं। इन १०० को दो साल से छोड़ दिया गया और ४३ नये आदमियों को नियुक्ति दे दी गई है। यह किस प्रकार हुआ है? पुराने आदमियों को छोड़ दिया गया और नयों को कैसे नियुक्ति दे दी गई? १५ और नई नियुक्तियां दी जा रही हैं। जिस पंचायत समिति में जगह खाली हो रही है तो वह पंचायत समिति अपने लेवल पर नियुक्ति दे रही है। इसलिये मेरा सुझाव है कि ३-४ विभाग में जहां ओवरसियर लगाये जाते हैं जैसे वाटर वर्क्स है, सिंचाई विभाग है, पी. डब्ल्यू. डी. है इन सब में सरप्लस कितने हैं? इनकी सूची बनाई जाय और सरप्लस में जो सीनियोरटी है उस लिहाज से उनको एब्जोर्ब किया जाय। एक बात और है ४३ जगह हैं उनमें आप फर्स्ट क्लास वालों को ले रहे हैं, आप कैसे भी लें मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, फर्स्ट क्लास वालों को सैकिण्ड क्लास वालों को लें, यह डिविजन दिया है या तो आप एक बात रखिये, सबकी एप्लीकेशन मांग लीजिये और हाइएस्ट मार्क्स जिनके हों उनको ले लीजिये। यह नहीं हो कि आप सबको बुला लें और वे जयपुर आयें, मैन पावर डिपार्टमेन्ट के चक्कर लगायें और अन्त में उनको बिना किसी नतीजे के जाना पड़े। तो मैं समझता हूं कि वे वैसे ही बेरोजगार घूम रहे है और वृद्ध मां-बाप के ऊपर फिजूल सौ-दो सौ रुपये का खर्चा कराते हैं। यह जो नियुक्तियां इन्टेरिम पीरियड में दे दी हैं जबकि आपके पास ओवरसीयर्स सरप्लस हैं उनको छोड़कर नियुक्तियां किस आधार पर दीं? एडवरटाइजमेन्ट होने के बाद भी इस बात पर आप स्पष्ट उत्तर दें।

(१ म. प.)

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (सिंचाई मंत्री) : माननीय चेयरमेन महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों की इस शंका को दूर करना चाहता हूं कि सरप्लस होते हुए भी हमने क्यों नियुक्तियां दे दीं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का सरप्लस डिक्लेयर करने का एक विभाग है। हर विभाग जो-जो कर्मचारी उनके यहां से सरप्लस डिक्लेयर करवाना चाहता है जगह नहीं होने की वजह से जिनको एम्प्लॉयमेन्ट नहीं दे सकते और वह यह चाहते हैं कि यह सरप्लस डिक्लेयर हो जायें तो वह सरप्लस नियमों के तहत होते हैं तो वह जी. ए. डी. के पास लिस्ट भेजते हैं और वह उनको सरप्लस डिक्लेयर करके एक लिस्ट बनाकर जिन-जिन विभागों में जगह होती हैं और जहां-जहां से डिमान्ड आती है वहां उनको भेज दिया जाता है और उनको एब्जोर्ब किया जाता है।

(१.०१. म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमारे पास ५५ ओवरसियर्स या ४७ ओवरसियर्स पी. डब्ल्यू. डी. सरप्लस डिक्लेयर कर रही है उनको एब्जोर्ब करना हमारा काम है। अब हमारे यहां जो उनको एब्जोर्ब करना है वह जगह उन ४३ आदमियों से संबंधित नहीं है क्योंकि ४७ आदमी ऐसे हैं कि जो पंचायत समितियों के ओवरसियर थे। पी. डब्ल्यू. डी. की ओर से उनको केटेगराइज कर दिया। अब अगर पी. डब्ल्यू. डी. के सरप्लस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

एम्लाईज हमारे पास आते हैं तो हमें सारे पंचायत समितियों के ओवरसियर्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। इसलिए जितने उधर से आते हैं उतने ही सारे पंचायत समितियों में लग जाते हैं। इसलिए जब भी वे आते हैं उनके लिए स्थान वहां पर मोजूद हैं क्योंकि वे आयेंगे ही उन पंचायत समितियों में जहां जगह खाली हो जायेगी।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चीफ इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी., इरिगेशन, राजस्थान कैनाल सबकी मिलीजुली बैठक होकर यह पाया गया था कि जो राजस्थान कैनाल और दूसरी जगह ओवरसियर्स की इरिगेशन डिपार्टमेन्ट को जरूरत है इसलिए क्योंकि सरप्लस की लिस्ट थी। वह हमको दे दी और उनको एब्जोर्ब कर लिया और उसके बाद में और ओवरसियर्स के जरूरत पड़ी क्योंकि पहले ओवरसियर्स का राजस्थान कैनाल में कम काम था इसलिए ओवरसियर्स को वहां से कम करके उनको दूसरी जगह भेज दिया था। अब चूंकि उसका अलॉटमेण्ट बढ़ गया तो वापिस जो पहले ओवरसियर्स वहां काम करते थे उनको वहीं भेज दिया। इसलिए जहां-जहां पर वे काम कर रहे थे वहां स्थान रिक्त हो गए और क्योंकि रूल्स में एन. ई. को ६ महीने के लिए टेम्पोरेरी अलॉटमेण्ट करने का अधिकार है इसलिए टेम्पोरेरी तौर पर उन जगहों को उनसे भर लिया। लेकिन वह अलॉटमेन्ट तो आरजी तौर पर होता है और परमानेन्ट अपाइन्टमेन्ट हमारे चीफ इन्जीनियर और दूसरे लोग जो बैठते हैं उनकी कमेटी के द्वारा होता है। इसलिए उनको उन्होंने इन्टरव्यू के लिए १६ तारीख से २१–२२ तारीख तक बुला लिया। उसमें यह जरूर है कि एक तरफ यह कहा जा रहा था कि मैरिट्स का मामला होना चाहिए तो उसमें लोगों को भ्रम नहीं रहे। नहीं तो फिर वही ३ हजार और ढाई हजार वाली बात आ जाती है जैसा कि अभी श्री केदारजी ने कही। और फर्स्ट डिवीजनर्स को बुला लिया तो माननीय सदस्य का यह एतराज रहा कि इससे काफी उन लोगों का खर्चा होता है। एप्लीकेशन्स सभी ने दी हैं लेकिन इन्टरव्यू के लिए फर्स्ट डिवीजनर्स को बुलाया है तो यह तो मेरे ख्याल से अच्छा फीचर है कि हम मैरिट्स पर जाना चाहते हैं। यह इसलिए किया गया कि जो हमको पहले एम्प्लॉयमेन्ट एड-हॉक बेसिस पर देने का अधिकार है - उसके लिए मैन पावर डिपार्टमेन्ट ने यह तय किया कि लिस्ट में जिनके नाम हैं उनका ही अपॉइन्टमेन्ट कर सकते हैं। यह लिस्ट मैन पावर डिपार्टमेन्ट की है और इसमें मैरिट्स के अनुसार लिस्ट बनी हुई नहीं है। तो उनका कहना है कि उनकी जो लिस्ट है उसी में से अपॉइन्ट कर सकते हैं दूसरों को नहीं। तो उस लिस्ट की प्रतियां सभी जगह हैं। लिस्ट में डिवीजन या मैरिट्स नहीं है। वहां तो जो नाम दर्ज हो जाते हैं वे ही अंकित हो जाते हैं। इसलिए यह बात सही है कि एड-हॉक अपॉइन्टमेण्ट जहां-जहां अलग-अलग जगह हुए हैं उसमें मैरिट्स का ध्यान नहीं रखा गया लेकिन फिर भी सही जानकारी की डिटेल अभी मेरे पास नहीं है लेकिन उसमें भी काफी फर्स्ट डिवीजनर्स हैं या ऐसे हैं कि जो इरिगेशन डिपार्टमेन्ट में ही काम करते थे और वह रिट्रेन्च हो गए उनमें से भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग नये फर्स्ट डिवीजनर्स हैं और कुछ दूसरे डिवीजन के भी हो सकते हैं लेकिन वे सभी एड-हॉक अपॉइन्टमेन्ट्स थे और पुख्ता

Page No. 64

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अपॉइन्टमेन्ट के लिए १६ तारीख को इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया है।

तीसरी बात जो माननीय सदस्य ने उठाइ रोड्स और बिल्डिंग्स के बारे में तो उनके लिए मैंने निवेदन कर दिया, मैरिट्स लिस्ट के लिए निवेदन कर दिया, राजस्थान कैनाल में जगह हुई तो पुरानों को भेज दिया। इसलिए राजस्थान कैनाल का सवाल नहीं रहता है। जहां स्थान रिक्त हुए हैं वहां अपॉइन्टमेन्ट्स हो गए। इसलिए मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों के दिमाग में जो शंकायें थीं उनका स्पष्टीकरण करने की मैंने कोशिश की है और मैं तो स्वयं इसको पसन्द करता हूं कि ग्र.इन्ग्र को ऐसी निति अपनाई जाये जिससे पक्षपात का या दूसरे आरोप सरकार पर या किसी पर नहीं लगें।

श्री रामकिशन : आपने असली मुद्दा छोड़ दिया। आपने सरप्लस का मुद्दा बताया कि नियमों के अनुसार किस तरह से सरप्लस डिक्लेयर होते है और जहां जगह होती है उनको जी. ए. डी. से भेज दिया जाता है। लेकिन ६७ में बोर्डर रोड्स से हटाये गये वह नियमों के अनुसार सरप्लस तो नही थे ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको भी अधिकार था एप्लाई करने का।

श्री रामकिशन : इन्होने एप्लाई किया है। उनको नहीं लेकर ऐसों को ले लिया है जिनका न तो डिवीजन था और न मैरिट था और ऐसे ५४ केसेज है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह निवेदन किया है कि यह एडहॉक बेसिस पर ६ महीने के लिए अपॉइन्ट किये हैं। हम सरप्लस को एब्जार्ब करने के लिए बाध्य हैं बाकी के लिए तो उनके पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट जानें। उन्होंने एप्लाई किया और एम. ई. ने अपॉइन्ट किया तो उसमें मनाई नहीं है और मेरिट्स में आ जाते हैं तो लिया जा सकता है और फर्स्ट डिवीजन वाली बात है तो मुझे अभी सूचना मिली है कि ५० परसेन्ट या अबव वालों को भी इस इन्टरव्यू में बुला लिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो भी अपॉइन्टमेन्ट्स हुए हैं उन अपॉइन्टमेन्ट् का सारे स्टेट के लेवल पर उनकी कोई सीनियोरिटी नहीं रखी जाती है। जिस सर्किल में उनका अपॉइन्टमेन्ट होता है उनका रेकर्ड उसी सर्किल में है। इसलिए जब आप सरप्लस डिक्लेयर करते हैं तो कायदे के अनुसार जो सबसे जूनियर हैं सबसे पहले उनको रिट्रेन्च करें और सबसे पहले उनको सरप्लस करें। लेकिन अभी व्यवहार में यह है कि आप एक पर्टीकुलर सर्किल से कर देते हैं, तमाम सर्किल का आपके पास कोई रेकार्ड नहीं है एक इन्टीग्रेटेड तरीके का जिससे आप कह सकें कि सारे राजस्थान के लेवल पर इन एडहॉक बेसिस पर कौन सबसे पीछे आया है उनको लें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और माननीय निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन्होंने जो अभी ४० जूनियर इन्जीनियर्स को सरप्लस डिक्लेयर किया है तो वे जूनियर इन्जीनियर्स दरअसल में सबसे जूनियर नहीं हैं। इन विन्ड आफ टाइम सबसे पहले सर्विस में लगे हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके सर्विस में रख लेने के बाद में जिनका एपाइंटमेन्ट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किया गया है और जो लोग सीनियर हैं उन लोगों को सरप्लस डिक्लेयर कर दिया है तो निश्चित तौर से इसका आधार सिवाय मनमानी और पक्षपात के और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि सबसे समान व्यवहार करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि जब आप सरप्लस डिक्लेयर करें, तो उस समय आप एडहॉक तरीके से एक–दो जगह को लेकर न करें, बल्कि तमाम वृत्तों में जहां भी ऐसे एपाइन्ट-मेन्ट हैं वहां-वहां की सीनियोरिटी के आधार पर उनके एपाइन्टमेन्ट्स की दृष्टि से उनकी तमाम की सीनियोरिटी मंगाकर डिक्लेयर करें। एक तो आयन्दा के लिए ऐसा करें, और एक पर्टीक्यूलर इस केस में जो कि ४७ लोगों को सरप्लस डिक्लेयर किया है उनके पास ऐसीलिस्ट मौजूद हो जो कि उनको मिलनी चाहिए, लेकिन सीनियोरिटी की लिस्ट ऐसी छपी हुए नहीं है कि जिसको वे लोग कायदे के अनुसार दिखाकर आपके सामने रिप्रे-जेन्टेशन कर सकें। उन्होंने कहीं से इन्फ-र्मेशन निकाल कर कुछ उन्होंने नाम दिये हैं वे इस समय मेरे पास नहीं हैं। कल यदि आप चाहें तो मैं दे सकता हूं जिसमें उन्होंने यह बताया है कि उनसे जूनियर लोग जो उनके बाद में लगे थे उनको सरप्लस डिक्ले-यर नहीं किया गया और उनको कर दिया। एक तो इस ग्रीवेन्स को ठीक करना चाहिए।

दूसरा जो आपने यह एश्योरेन्स दिया है कि जब भी आपके डिपार्टमेंट में अगर कोई जगह खाली होगी, जब भी आप कोई नया सर्किल बनाना चाहें तो उन लोगों को पहले उसमें एब्जार्ब करेंगे और बाद में उनको इरिगेशन डिपार्टमेन्ट में भेजेंगे। उसमें भी आपने यह एश्योरेन्स दिया था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में भेजने पर उनका जो लियन है डिपार्टमेंट में उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी सर्विस कन्डीशन्स पर असर नहीं पड़ेगा और जैसे भी कोई जगह खाली होगी उनको प्रायोरिटी दी जायगी, उनको एपॉइन्टमेन्ट में, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय, अब उन लोगों को ४७ को सरप्लस डिक्लेयर करके उन तमाम को एकमुश्त इरि-गेशन डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है जबकि आप इस हफ्ते में जल्दी ही एक नया सर्किल अपने ही डिपार्टमेंट में खोलने वाले हैं। तो मेरा यह कहना है कि एक बार आप भेजें और फिर वापिस बुलाएं तो इसकी क्या मसलत होगी। आपको भी दिक्कत होगी और उनको भी परेशानी होगी। अगर वास्तव में आप कोई नई पोस्टें क्रियेट कर रहे हैं और नया कोई आप एपॉइन्टमेंट दें तो सरप्लस डिक्लेयर होने वालों को दें। नं० एक।

नं० २ यह है कि जिस तरह से आपने कमिटमेंट किया था कि उन लोगों को वापिस बुला लिया जायगा। उनको आप भेज रहे हैं और उनको नया एपॉइन्टमेंट दे रहे हैं। उन तमाम कन्डिशन्स को और अपने कमिट-मेंट को उसमें लेना चाहिए। अभी आपके विभाग के अधिकारी उनको यह कहते हैं कि आयन्दा जब भी हमारे यहां जगह खाली होगी तो आप भी उसमें एप्लीकेन्ट के रूप में आ सकते हैं और उस वक्त कन्सीडर करेंगे। आपके कमिटमेंट का मकसद यह नहीं था और न ही सरप्लस डिक्लेयर होने वालों के साथ में नये एपॉइन्टमेंट का व्यवहार होना चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके सामने कुछ कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर दुबारा चर्चा कर रहे हैं। पूरी डिबेट हो गई।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय दोनों ही सज्जन आदमी हैं और इस मंत्रिमंडल में सबसे अच्छे आदमी हैं। इनको मैं अच्छा समझता हूं, लेकिन फिर भी हमारे इलाके के छात्र जो यहां पर नौकरी के लिए आते हैं उनमें आम यह चर्चा है कि ३-३, ४-४ हजार रुपया देने से यहां एपॉइन्टमेंट होता है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में तसल्ली करवायें कि उन विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट में कोई हेर-फेर न हो। आज उनमें इस अव्यवस्था के कारण असन्तोष फैल रहा है वह असन्तोष क्या है ?

इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि राजस्थान में बाहर के छात्रों को भी नियुक्तियां दी गई हैं, मेरी जानकारी में ऐसा है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले राजस्थान में हो जो लोग यहां पर बेकार घूमते हैं उन छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए न कि बाहर के लोगों को। किसी दबाव के कारण या किसी रिश्तेदार को जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब रहा सवाल दूसरा कि इस मंत्रिमण्डल के अन्दर जो सज्जन बैठते हैं उनके भी रिश्तेदार हैं और इन बैन्चों पर जो बैठते हैं एम० एल० ए० लोग उनके भी रिश्तेदार हैं। तो उनके रिश्तेदारों का सवाल, भाई-भतीजों का सवाल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो बढ़ती हुई बेकारी है उससे उन लोगों के दिलों में छुरियां चल रही हैं कि यह सत्ताधारी दल अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके और किसी छात्र के साथ में इस तरह की पक्षपातपूर्ण नियुक्ति करके उनके हक को मारे। यह सबसे दुःखद बात है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है। हमारी जानकारी में यह आया है कि यहां पर जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं, वे इस आधार पर हो रही हैं, भाई-भतीजावाद, पार्टी वाले या दल के आधार पर या लालचवश रिश्वत लेकर इस प्रकार से हो रही हैं। यह आम अफवाह यहां पर है। जो विद्यार्थी यहां पर घूम रहे हैं उनकी यह शिकायत है। तो इस सदन के सामने यह तसल्ली दिलाई जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : आम शिकायत का कोई मतलब नहीं। कोई स्पेसिफिक बात हो तो कहें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह शिकायत सही है तब तो इसको आपको दूर करना चाहिए। यदि सही नहीं है तो असन्तोष बढ़ने का कोई कारण पैदा नहीं होगा। जब न्याय की बात करेंगे तो असन्तोष नहीं होगा। (श्री रामनारायण चौधरी के बोलने पर) मैं मंत्रीजी से उपाध्यक्ष महोदय की मारफत यह कह रहा हूं। आप से नहीं कह रहा हूं और हाउस को जानकारी दे रहा हूं। इस पर आप लोगों को ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए। वह दिन दूर नहीं है जबकि आप इन बैंचों पर नहीं होंगे तो वे आपसे हिसाब लेंगे। उनकी मेरिट लिस्ट मौजूद रहेगी और एन्क्वायरी होगी तो ऐसा नहीं हो कि आपको जेल जाना पड़े। इस प्रकार की ज्यादती जब इस तरफ से होती है तब यह असन्तोष पैदा हो रहा है। मैं यह, उपाध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित मंत्री से तसल्ली चाहता हूं, वे इस सदन में यह तसल्ली दिलवायें कि आयंन्दा जो भी नियुक्तियां होंगी वे बिल्कुल ही

Page No. 67

(श्री रामचन्द्र आर्य)

पक्षपात से दूर रहकर और बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से जिस तरह से लोगों का हक है उस तरह से उन लोगों को नौकरियां मिलना चाहिए, और उन लोगों को पहले मिलना चाहिए जिन लोगों का हक बनता है। यदि आप इस ओर ध्यान देंगे तो यह शिकायत नहीं रहेगी। अब रहा सवाल सब लोगों को नौकरी देने का वह आपके बस की बात नहीं है। वह हमारे देश की हालत नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक मिनिट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। इसी प्रस्ताव पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने पहले अपनी बात कह दी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान में जितनी बेकारी फैल रही है और उस बेकारी के पीछे जो भावना पैदा हो रही है और लोगों में गलतफहमियां हो रही हैं उनको इस सरकार को दूर करना चाहिये और उन लोगों को न्याय मिलना चाहिये।

मेरा यही निवेदन है कि सम्बन्धित दोनों मन्त्रियों से कि मेरी बातों पर सही तरीके से ध्यान दें कि आयन्दा इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी और जो गड़बड़ हुई है उन लोगों को आप हटायें। यदि आपको जानकारी में नहीं है तो हम जानकारी देंगे और आप विश्वास दिलायें कि जो गलत एपॉइंटमेन्ट्स हुए हैं उनको आप हटायेंगे। तब तो आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो नादिरशाह की हुकूमत में भी लोग जीते थे मरे नहीं थे तो आपकी हुकूमत में भी कुछ दिन लोग तकलीफ उठा लेंगे। इसके सिवाय कुछ हल नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं यही बात कहना चाहता हूं कि नियुक्तियों के बारे में पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप पहले भी कह चुके हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सम्बन्धित दोनों मन्त्रियों से यह प्रतिज्ञा करायें कि ऐसी पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां नहीं होंगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन बातें कही। सबसे पहली बात तो यह कही कि राजस्थान के बाहर वालों को अपॉइन्ट नहीं करना चाहिये और राजस्थानियों को ही अपॉइन्ट करना चाहिये। इसको करने के लिये राजस्थान वाले जो इन्जीनियर हैं, ओवरसियर हैं उनके लिये मैन पावर सेल इसलिये कायम किया गया है कि वह इन सारी बातों की छान-बीन करके जो राजस्थान के हैं और अनएम्प्लॉईड जितने लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाये और उनका रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद राजस्थानी हैं या नहीं, जो इरिगेशन डिपार्टमेन्ट है या पी. डब्ल्यू. डी. है या दूसरे डिपार्टमेन्ट्स हैं, वह इसमें नहीं जाते। वह यह मान कर चलते हैं कि जो विभाग है वह विभाग विजिलेंट है और उस विभाग ने सही तौर पर जानकारी करके रजिस्ट्रेशन किया है, इसलिये हमने कोई ऐसा आदमी अपॉइन्ट नहीं किया जो बाहर का आदमी है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

दूसरी बात कही कि अपॉइन्टमेन्ट के अन्दर रिश्वत ली जाती है और दो हजार, तीन हजार की बात भी उन्होंने कही। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। इसके साथ-साथ माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा उदाहरण हो जिससे वह प्रमाणित कर सके कि किसी भी सरकारी अधिकारी ने, किसी व्यक्ति ने किसी उम्मीदवार से रिश्वत लेकर कोई अपॉइन्ट दिलवाने की बात की है, किसी काम्पीटेन्ट अधिकारी ने किसी से रिश्वत ली है तो प्रमाण सहित बतायें तो मैं जांच करवाऊंगा और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जायगी। हम इस बात में गुरेज नहीं करते। माननीय सदस्य के पास प्रमाण हों तो वह दें, उस पर हम अवश्य-अवश्य कार्यवाही करेंगे।

तीसरी बात कही भाई-भतीजावाद की, तो मन्त्रियों के न कोई भाई हैं न कोई भतीजे हैं...

श्री रामकिशन : क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई नहीं है।

श्री रामकिशन : योगी पुरुष हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी हैं जिन्होंने अपॉन्टमेन्ट किया है, मैंने आपको निवेदन किया कि जो लिस्ट चुने हुए लोगों की हैं उसको ही एडॉप्ट करके अपॉइन्टमेन्ट किया है और परमानेन्ट अपॉइन्टमेन्ट के लिये इन्टरव्यू १६ तारीख को हो रहे हैं, उसमें एक आदमी नहीं बैठता है. उसमें चीफ इन्जीनियर बैठता है, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर बैठता है और चार-पांच ऑफिसर बैठते हैं, उनके सामने इन्टरव्यू होगा, वह उसमें मेरिट को देखेंगे, रहन-सहन को देखेंगे और जो कण्डिशन्स ऑफ सर्विस हैं, इन्टरव्यू में जो देखने की चीजें हैं उनको देख कर और पहला अपॉइन्टमेन्ट है या किस मेरिट पर है उसके हिसाब से अपाइन्टमेन्ट देंगे। मैं समझता हूं कि आपकी जो मन्शा है कि ठीक तरह के लोगों का निष्पक्ष रूप से जल्दी से जल्दी अपॉइन्टमेन्ट हो, इसकी पूर्ति होगी।

श्री रामकिशन : मैंने आपको सूचना दी है...

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य जो नियम हैं, उनको जानते हैं।

श्री रामकिशन : मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि सूचना दें तो वह सूचना हमने दी। अब किस तरह से सूचना दें, तरीका आप बता दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने कहा कि दो हजार, तीन हजार लेते हैं।

श्री रामकिशन : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। पैसे की चर्चा चल रही है ..

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अपॉइन्टमेन्ट में।

श्री रामकिशन : अपॉइन्टमेन्ट में, उसकी सूचना एक तरह से दी गई, मेरे मार्फत दी गई। अब और तरीका क्या है ? हमारे सामने तो देते नहीं हैं।

श्री नत्थीसिंह : देते जरूर हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके पास कोई ठोस सूचना हो तो वह दीजिये, मैं उसकी इन्क्वायरी कराऊंगा और क्या करूं ?

श्री रामकिशन : ठोस और पोली का फैसला किस आधार पर करेंगे। मैंने कल ही सूचना दी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपकी सूचना इससे ताल्लुक रखती नहीं है। आपने खुद ने कहा, मैं कहना चाहता हूं—

श्री रामकिशन : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नेगोसियेशन चल रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मिस्टर रामचन्द्र ने जो कहा उससे आपकी बात ताल्लुक नहीं रखती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं...

श्री रामकिशन : नेगोसियेशन्स चल रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान सरकार के अन्दर तबादले करने में दस-दस हजार लिये जाते हैं। इस बारे में मनफूलसिंहजी खड़े होकर कहें कि अपॉइन्टमेन्ट में पैसे नहीं लिये जाते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एबसर्ड, टौटेली रोंग!

श्री मनफूलसिंह : बिल्कुल नहीं लिये जाते हैं। आप बिल्कुल गलत कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त हुई चर्चा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने जो अपाइन्ट रेज किया था वह पी० डब्ल्यू० डी० से ताल्लुक रखता है।

श्री अमीनुद्दीन (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह देता हूं दो मिनिट में। पी० डब्ल्यू० डी० के संबंध में दो सवाल उठाये, एक तो सरप्लस के बारे में और एक यह कि राजस्थान बेसिस पर उसकी सीनियोरिटी लिस्ट नहीं रखी गई, बल्कि जिनको हटाया गया है उनके अलावा उनसे ज्यादा जूनियर लोग मौजूद हैं, जो हटाये जा सकते थे। इसके मुतल्लिक यह है कि सबकी लिस्ट है, राजस्थान बेसिस पर रखी जाती है सीनियोरिटी लिस्ट और जिन ४७ आदमियों को सरप्लस करार दिया गया है वह उसी लिस्ट के मुताबिक किया गया है। अब सवाल यह है कि इनमें से कुछ मेरे पास भी आये इन्जीनियर सबॉर्डिनेट सर्विस के यह कहने के लिए कि वह वास्तव में जूनियर नहीं हैं, उनसे ज्यादा जूनियर लोग भी हैं। मैंने उनसे रिप्रेजेंटेशन लेकर उनकी जांच के लिये भेज दिया है और पूछा है कि क्या यह सही है कि उनको हकतलफी हुई है। ऐसा यदि है कि जूनियर को पहले जाना चाहिये तो कतई पहले जूनियर जायगा उसके बाद दूसरा जायगा। सवाल यह है कि जो सरप्लस हैं उनको हटाया नहीं जायगा। वह मुलाजमत के अन्दर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पी० डब्ल्यू० डी० में न होकर जब वहां जगह नहीं हो उनको ईरिगेशन डिपार्टमेन्ट में खपाया जा रहा है, या रख लिया जायेगा। और जैसा मैंने यहां विश्वास दिलाया था कि जिस वक्त हम नई डिवीजन रेज करते हैं, जब कभी नई अपॉइन्टमेन्ट करते हैं तो लाजिमी तौर से हमारा फर्ज होता है और मेरा खास तौर पर फर्ज है, जैसा मैंने उन बच्चों को यकीन दिलाया कि उनको जिस तरीके से सरप्लस करार दिया गया है उसी तरह से पी० डब्ल्यू० डी० में वापिस ले लेंगे–इसमें उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, हानि नहीं होगी।

(श्री अमीनुद्दीन)

यह तो अकाउन्ट्स डिपार्टमेन्ट की वजह से किया गया है, पी० डब्ल्यू० डी० से इर्रिगेशन में कर दिया गया है वरना इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ख्याल किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। सिंचाई मंत्रीजी वक्तव्य देंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य सर्व श्री रामचन्द्र आर्य, नत्थीसिंह वगैरह द्वारा प्रस्तुत किया गया स्थगन प्रस्ताव जो राजस्थान कैनाल क्षेत्र में सन् १९५५ के बाद समस्त अलॉटीज काश्तकारों को एलॉटशुदा रकबे का सालाना नवीनीकरण न किये जाने एवं उस रकबे से बेदखल किये जाने के सम्बन्ध में है उसके सम्बन्ध में वस्तुतः स्थिति इस प्रकार है।

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में राजस्थान टेम्पोरेरी कल्टीवेशन लीजेज कन्डीशन, १९५५ के प्रावधान के अनुसार एक साला आरजी काश्त के लिये भूमि सन् १९५६ से दी जाती रही है। सन् १९५५ के बाद एवं सन्-१९६० तक आरजी काश्त के लिये भूमि का आवंटन होता था। इसके बाद एक साला आरजी काश्त के लिये भूमि निलामी के द्वारा दी जाने लगी और अब तक यही पद्धति फलौदी क्षेत्र की आराजी के सम्बन्ध में व इस वर्ष अनूपगढ़ शाखा तक की राजकीय भूमि के लिये अपनाई जाती है।

राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर योजना भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, १९६७ दिनांक १८-१२-१९६७ से लागू हुए हैं और इन नियमों के तहत राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में भूमिहीन कृषक, भाखरा भूमिहीन कृषक एवं पंचायत समिति को पुख्ता आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। इन नियमों के तहत भूमिहीन कृषकों से प्रार्थना-पत्र १-१-१९६८ से ३१-३-१९६८ तक मांगे गये थे जिसके फलस्वरूप १५००० से अधिक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। इन भूमिहीन कृषकों के प्रार्थना-पत्र पर जांच शुरू हो गई है और आवंटन की कार्यवाही सलाहकार समिति की राय से की जा रही है। सन्-१९५५ के बाद के अस्थाई कृषकों के पास जो भूमि थी वह राजकीय भूमि थी और उक्त भूमि का पुख्ता आवंटन किया जाना आवश्यक था तो उक्त नियमों के अनुसार ऐसे आरजी काश्तकार अगर भूमिहीन होने पाये जाते हैं उनको निर्दिष्ट प्राथमिकता के आधार पर भूमि का पुख्ता आवंटन किया जाता है और साधारणतया उनकी कब्जाशुदा भूमि उन्हीं को नियम १६ में दी गई सीमा तक पुख्ता आवंटन की जाती है। जो भूमिहीन कृषक उसी गांव का है जिसमें कि भूमि स्थित है उसको प्रथम प्राथमिकता दी जाती है और ऐसे अस्थाई कृषकों को बेदखल नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं अगर सन् १९५५ के आरजी काश्तकार उस गांव का हमेशा से रहने वाला न भी हो फिर भी अगर वह सन् १९५५ के बाद लगातार काश्त करता आ रहा हो तो उसको कब्जाशुदा भूमि में से नियमों में वर्णित सीमा तक भूमि का आवंटन किया जाता है बशर्ते वह भूमिहीन की परिभाषा को पूरा करता हो। अब तक सन् १९५५ के बाद किसी भी आरजी काश्तकार को बेदखल नहीं किया गया है और ज्यों-ज्यों उनके कब्जेशुदा जमीन के पुख्ता आवंटन के मामले नातिक होते जायेंगे त्यों-त्यों उनको उनकी मौजूदा कब्जाशुदा जमीनों

Page No. 71

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पर पुख्ता आवंटन किया जाकर बदस्तूर कब्जा कायम रखने या हकदारी नहीं होने की सूरत में कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी। संक्षेप में स्थिति यह है कि सन् १९५५ से बाद के सन् १९६० के पहले के आरजी काश्तकारान को भूमिहीन होने व राजस्थान के बाशिन्द होने के आधार पर नवीनीकरण किया जाता रहा है। इसके पीछे धारणा यही थी कि पुख्ता आवंटन नियम न बने तब तक ऐसे लोगों को काश्त का मौका मिलता रहे और जमीन खाली न रहे। परन्तु अब नियम बन कर लागू हो चुके हैं और नियमों में निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के आधार पर भूमिहीनों को पुख्ता आवंटन किया जावेगा। जिस गांव में जितनी भूमि उपलब्ध होगी उसी के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर आवंटन होगा। जो व्यक्ति इन प्राथमिकताओं पर नहीं आवेंगे उन्हें बेदखल करना होगा क्योंकि उसी गांव में उन्हें भूमि देने के लिये सरकार बाध्य नहीं है।

जो भी कार्यवाही की जा रही है वह नियमानुसार की जा रही है और क्रियान्वित इस प्रकार की जा रही है कि आरजी काश्त वालों को कम से कम तकलीफ हो। ऐसी अवस्था में यह कहना कि काश्तकारों में बड़ा भय और असंतोष पैदा हो गया है भ्रांतिजनक है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें मैं यह जानना चाहूंगा कि १९५५ के बाद के अलोटीज काश्तकारों को जमीनें दी गई हैं, क्या उनको उस वक्त भूमिहीन मान कर और राजस्थान के वाशिन्दे मान कर जो पूरी मिसलें बनी, रेकार्ड बना, उन लोगों ने पूरा रेकार्ड पेश किया उसके बाद में आज से १३ साल पहले उन्हें वह जमीनें अलोट हुई और उस वक्त से साल दर साल नवीनीकरण करना बताया, तो उन काश्तकारों को सही माने में भूमिहीन माना जाना चाहिये था परन्तु जो नियम अभी सरकार ने लागू किये उन नियमों द्वारा आज वे भूमिहीन, जिन भूमिहीनों ने वह रकबा अलोट करवाया था, १९५५ के बाद में, वह भूमिहीन इस नियम के मुताबिक इस परिभाषा में नहीं आते हैं। जिस तरह ९५,९२९ दरख्वास्तें भूमिहीनों द्वारा दी गई, जिसमें एक कमेटी भी बनाई गई है, पर वह कमेटी इन नियमों से परे नहीं जा सकती, क्योंकि एक राजस्थानी होना जरूरी है। राजस्थान में जिनको भूमि दी गई वे राजस्थान के पुराने वाशिन्दे हो गये, उनके मकान हैं, वोटर लिस्ट में उनके नाम हैं, सालाना वे चुनावों में भाग लेते हैं, पर १९५५ के वाशिन्दे नहीं साबित होने से उनकी दरख्वास्तें रिजेक्ट कर दीं। आज आप उनसे १९५५ के पहले का रेकार्ड मांगते हैं कि उस रेकार्ड से साबित करो कि १९५५ से पहले के राजस्थान के वाशिन्दे हो, अब १३-१४ साल पहले का रेकार्ड वे कहां से लाये, उनके पास कोई अलग रेकार्ड नहीं है कि वह रेकार्ड ला कर पेश करें और साबित करें। इसलिये १३ और १४ अगस्त को रावतसर में अलोटमेंट कमेटी की बैठक हुई वहां पर १९९ दरख्वास्तों में से केवल ५ को १५-१५ बीघा का अलोटमेंट हुआ, १९४ दरख्वास्तें खारिज हो गई।

उस नियम में यह भी लगाया है कि भूमिहीनों को १२॥ प्रतिशत रुपया पहले जमा कराना पड़ेगा, वह भी उन लोगों को नहीं मिलेगा।

Page No. 72

(श्री रामचन्द्र आर्य)

तो यह जो तीनों नियम बनाये हैं ये बड़े ही दुखदाई हैं और काश्तकारों के हकों को मारने वाले हैं। इस बात को ले कर उस इलाके के काश्तकारों में बड़ी चिन्ता है। किसी ने एक मुरब्बा पर, किसी ने ३० बीघा पर, किसी ने ४० बीघा पर, सबने काश्त कर रखी हैं और काफी लोगों ने दरख्वास्तें नहीं दी हैं, क्योंकि नियम पढ़ कर उन्होंने देखा कि हमें इस तरह से जमीनें मिलने वाली नहीं हैं, क्योंकि इस तरह के भूमिहीनों की परिभाषा में हम आते नहीं है, इसलिये यह रकबा हमें नहीं मिल सकता, इसलिये उन्होंने यह मांग की कि सरकार हमारी शर्तों को मंजूर करे, १९५५ में जो अलोटशुदा रकबा है वह लम्बी किस्तों में हमें अलोट करें, जिससे हम उस पर काश्त करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें।

अलोटीज के बारे में आपने नियम बनाये हैं, उनमें इस सारी स्थिति को नजर में रखते हुए संशोधन करने का पुन: विचार आप करना चाहते हैं तब तो आप कह सकते हैं कि काश्तकार विरोधी सरकार नहीं है, काश्तकारों के साथ बुरा नहीं हुआ। नहीं तो मैं कहूंगा कि यह सरकार राजस्थान कैनाल और गंगानगर के काश्तकारों की जड़ उखाड़ना चाहती है, उनसे लड़ना चाहती है, तो यह भी बता देना है कि किस तरह से जमीनें बेचें और किस तरह से रुपयों की थैलियां भर कर लायेंगे, यह मैं इस सदन में बता दूंगा। क्योंकि उनकी जमीन छीनेंगे तो फिर वे जमीन के बगैर जियेंगे कैसे, जमीन छीनने से तो मरना पसन्द करेंगे। सरकार की स्थिति यह है कि काला बाजार वाले लोगों को १८ लाख एकड़ जमीन जो गंगानगर में पड़ी है, उनके हाथों बेच कर, उन्हें वहां बसाना चाहती है और वहां के काश्तकारों के उनके खेतों का मजदूर बना देना चाहती है। इस प्रकार की स्थिति गंगानगर की १० लाख जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि उनका फायदा करने की आपकी नीति है तो सदन को विश्वास दिलाये कि नियमों में संशोधन कर के उनको वह जमीनें दी जायेंगी। यदि जिद्द पर ही रहना चाहते हैं तो गड़बड़ होगी, मैंने सरकार की जानकारी के लिये यह प्रस्ताव पेश किया कि गलत नियम बनाये जाकर वहां के काश्तकारों के साथ अन्याय किया है, और सारे सदन को यह मालूम होना चाहिये कि हजारों की तादाद में वहां के काश्तकारों के खिलाफ धारा ९१ के तहत कार्यवाही होगी, उनको बेदखल किया जायगा और इस तरह से वहां आन्दोलन शुरू हुआ तो ऐसी स्थिति होने से पहले सरकार का कर्त्तव्य है कि वहां सदियों से रहने वाले किसानों को इन पाबन्दियों से मुक्त करें। १५ बीघा भूमि आप वहां देते हैं रावतसर की जमीन में ५ मन बीघा से ज्यादा पैदा नहीं होता, वहां १५ बीघा भूमि लेने वाले किसान पहले तो मिलेंगे नहीं और यदि ऐसे लेने वाले किसान मिले भी तो वे फौरन इस १५ बीघा भूमि को गिरवे रखेंगे क्योंकि १२९२ रुपया भूमिहीन किसान जमा नहीं करवा सकते।

इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि जो मुद्दा मैंने उठाया है, इस पर राज्य सरकार का क्या रुख है? यदि आप यह चाहते हैं कि नहीं हम तो वहां से थैलियां भर-भर कर ही लायेंगे हम तो मानेंगे ही नहीं तो आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा।

Page No. 73

(श्री रामचन्द्र आर्य)

हमारा तो कर्त्तव्य है कि सही तस्वीर, अपने इलाके का सही चित्र आपके सामने रखें, क्योंकि आखिर हम भी इस सदन में बैठते हैं, राजस्थान में कोई गड़बड़ी होती है और यहां की व्यवस्था बिगड़ती है तो उसका असर यहां भी पड़ता है।

मैं आशा करता हूं कि यह बुरा बर्ताव आप उनके साथ नहीं करेंगे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : एक पॉइन्ट की जानकारी चाहता हूं। क्या यह सही है कि सूरतगढ़ के पास सरदारगढ़ इलाके में दो परिवारों को टू पीसेज ऑफ लैंड अलोट की है? क्या यह सही है कि कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस बारे मे जांच हो गई है कि ये ये भूमिहीन हैं तो जो एक बार भूमिहीन साबित हो गये, उनके लिये दुबारा जांच कमेटी बनाने में सरकार की क्या नियत थी?

जो लोग दरख्वास्त देते वक्त स्टैम्प नहीं लगा सके थे क्योंकि तीन रुपये के स्टैम्प की कीमत उस समय स्टैम्प्स नहीं मिलने के कारण ब्लेक में १२ रुपये हो गई थी, तो महज इस बिना पर कि उन्होंने स्टैम्प्स नहीं लगाये, उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट नहीं की जाय।

चौथा पॉइन्ट मैं जोइन्ट फेमिली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, किसान का बेटा बालिग होने पर शादी होते ही आम तौर पर अलग परिवार माना जाता है, इस लिये तहसीलदार की डिस्क्रिशन पर यह छोड़ें कि कौनसी जोइन्ट फेमिली है और कौनसी जोइन्ट फेमिली नहीं है, यह उन लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिये आप बालिग लड़के का अलग परिवार मानें, क्योंकि एक्ट में यह नहीं है। अन्त में यही कहना है कि जितनी जांच कर रहे हैं, हमें यह तो मालूम पड़ जाय कि जांच के दौरान में कितने पर्सेन्ट भूमिहीन साबित हुए और कितने खारिज हुए?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने स्थगन प्रस्ताव इस बात का आया था कि जिनका नवीनीकरण होता चला आ रहा था, वह नवीनीकरण न करने से वे बेदखल किए जायेंगे, इसलिए असंतोष पैदा हो रहा है। गंगानगर और नौहर से जो माननीय सदस्य आते हैं उन्होंने जो प्रश्न रखे सदन के सामने, वे इस प्रश्न से कहीं भी ताल्लुक नहीं रखते। वह तो सारे राजस्थान कैनाल एलॉटमेंट रूल्स और उसके पीछे क्या नीति सरकार की रही है और माननीय सदस्यों की उस नीति के बारे में क्या धारणा है, उस बारे में प्रश्न पूछा है, जिसका स्थगन प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है और न स्थगन प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए उन प्रश्नों के जवाबों की जानकारी करना आवश्यक था। इसलिए विस्तार से इन सब मुद्दों पर इस प्रसंग में जबाव नहीं दे सकता। फिर भी कुछ मोटी-मोटी बातें तो उठाई है उनके बारे में जो कुछ जानकारी मुझे इस समय उपलब्ध है. वह देने का प्रयत्न करूंगा।

माननीय सदस्य ने कहा कि दरख्वास्तों पर बहुतसे लोगों ने स्टैम्प्स नहीं लगाए उसके कारण उनकी दरख्वास्तें खारिज नहीं करनी चाहिए। यह मसला पहले ही मेरे सामने आ चुका है और चूंकि हमने पहले ही निर्णय ले लिया है जिसके अनुसार कोई भी दरख्वास्त जिस पर एलॉटिंग ऑथोरिटी निर्णय देती है

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उससे पहले-पहले वह स्टैम्प ड्यूटी भी लगा दे तो वह इस बिना पर खारिज नहीं की जायगी। दरख्वास्त कन्सीडर करने से पहले स्टैम्प ड्यूटी लगा दें तो कोई एप्लीकेशन केवल उस बिना पर खारिज नहीं की जायगी कि उन्होंने स्टैम्प निर्धारित समय में नहीं लगाया। यह आदेश पहले ही प्रसारित कर दिया है।

साथ ही यहां दो-तीन तरह की बातें कही गई। एक तरफ विधान सभा में कई बार प्रश्न उठाया जाता है कि भूमिहीनों को जमीन नहीं मिलती है और राजस्थान से बाहर रहने वाले लोग जमीन पर धीरे-धीरे कब्जा करते जा रहे हैं और यहां के रहने वाले भूमि से वंचित रह जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, हमने यह प्रावधान किया कि जो १९५५ से पहले का राजस्थान का निवासी है, वह इस कानून की परिभाषा में आते हैं तो उनको जमीन दी जाय। आज माननीय सदस्य कहते हैं कि इससे किसी को नहीं मिलेगी, वह न्यायसंगत बात नहीं है। बाहर के लोगों को जमीन न मिले उससे बचने के लिए यह प्रावधान रखा जाय, इससे आपको खुशी होनी चाहिये और शंका करना न्यायसंगत नहीं होगा।

यहां यह भी प्रश्न उठाया गया कि बहुतसे लोगों के पास जमीनें हैं लेकिन आर्जी तौर पर उनको एलाट की गई है तो उनको भी भूमीहीन माना जाय ताकि वह जमीन भूमिहीनों की हैसियत से उनको दी जाय, तो परेशानी से बच जायं। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि आर्जी तौर पर काश्त देते समय सारी दरख्वास्तों की स्क्रूटिनी उन नियमों के अन्तर्गत नहीं हो सकती थी जो १९६७ में बने हैं। इसलिए १९६७ में बने हुए नियमों के आधार पर जो अधिकृत हैं, जिनको जमीन मिलनी चाहिए, उसका फैसला हम पुरानी फाइल के आधार पर कर लें, यह न्यायसंगत नहीं होगा। इसमें कई आपत्तियां हो सकती हैं। इसलिए इन्क्वायरी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे केसेज में पुरानी फाइलों को भी काम में लिया जा सकता है और उससे ही संतोष हो जाता है तो नई इन्क्वायरी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आदेश हमने जरूर प्रसारित कर दिए हैं कि अगर उनसे ही सन्तोष हो जाता है तो इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है। सबसे अधिक इस बात का महत्व कम इसलिए भी हो जाता है कि पहले केवल एलॉटिंग ऑथोरिटी को जमीन आवंटन करने के अधिकार थे। माननीय सदस्यों ने यहां प्रश्न उठाया कि नॉन-ऑफिशियल्स को भी इनमें लिया जाय और सलाहकार समिति बनाई जाय। तो हमने सर्क्यूलर जारी किया कि उस क्षेत्र के विधायक, सरपंच और शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स का विधायक अगर उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है तो दूसरा प्रतिनिधि भी उसमें हो। इस तरह से नॉन-ऑफिशियल्स की सलाहकार समिति डिप्टी कमिश्नर, कॉलोनाइजेशन, जो एलॉटिंग ऑथोरिटी है, सीनियर आफिसर हैं, उसको सलाह देने के लिए बनाई थी तो सारे फाइल्स जो एलॉटमेंट के बारे में होते हैं, उनकी स्क्रूटिनी की बात आती है एलॉटिंग ऑथोरिटि के पास, वह सलाहकार समिति में पेश होती है। वहां पर अगर कोई गलत रिपोर्ट आई है तो वहां पर उठाई हुई उस बात को सही तरीके से हल करवाने को प्रयत्न नॉन-ऑफिशियल्स सदस्य कर सकते हैं। इस तरह की समिति पहले नहीं थी।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पहली बात यह समिति राजस्थान कैनाल में भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाई गई है और शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रतिनिधि उसमें इसलिए रखा गया है कि उनके हितों की रक्षा खास तौर से कर सकें। तो मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों को इस बात को शंका नहीं होनी चाहिए कि पक्षपात किया जाकर और कानून के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी। रहा सवाल कि कानून ही ऐसा बना, नियम ही ऐसे बनें जो माननीय सदस्य को पसंद नहीं आते तो वह अलग से प्रश्न है क्योंकि बेसिक प्रश्न हमेशा सदन में रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं २५ बीघा, राज्य सरकार चाहती है १५ बीघा हो, कुछ लोग चाहते हैं कि हर एडल्ट मेम्बर को सेपरेट फैमिली मानकर उनको जमीन दे दी जाय। राज्य सरकार चाहती है कि जिनके पास भूमि है उनको नहीं दी जाय, जिनके पास बिल्कुल नहीं है उनको पहले दी जाय। उनसे बचने के बाद अगर जमीन बच जायगी तो सोचा जा सकता है। तो यह हेव्ज और हैव-नाट्स की लड़ाई है। असमानता को दूर करने के लिए राज्य सरकार समाजवादी तरीके से चलने के लिए कटिबद्ध है इसलिए १५ बीघा का फैसला किया गया ताकि भूमिहीनों को जमीन अवश्य मिले। इसलिए एक ही परिवार में ५-५ ७-७ आदमी भूमि आवंटित करवायें लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्सवाले यूं ही रह जायं, डेजर्टेड ऐरियाज के लोग वहां रह जायं, यह राज्य सरकार को पसंद नहीं है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर यह नीति अपनाई गई और नियम बनाए गए। विरोधी पक्ष की ओर से पहले भी यह प्रश्न उठाया गया, उस समय भी स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया था और वही बात आज है उन नियमों की जो गरीबों के हित में हैं, हरिजनों के हित में हैं और जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है उनके हित में है। उसको राज्य सरकार इस स्टेज पर परिवर्तन करना वाजिब नहीं समझती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जिन लोगों की आज फसलें तैयार हैं मौके पर और नवीनीकरण के बारे में दरख्वास्तें दी हैं, मैंने यह प्रश्न उठाया है। अपने प्रस्ताव के अंदर कि इस साल के लिये आप उन लोगों को नवीनीकरण करने के लिए आदेश जारी करेंगे, अगर नहीं करेंगे....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने वक्तव्य में स्पष्ट कह दिया है कि एक भी आदमी बेदखल नहीं किया गया। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो पुख्ता आवंटन के अधिकारी हैं, उनको पुख्ता आवंटन कर दिया जायगा। वे लोग बेदखल उसी सूरत में किए जायेंगे जिस सूरत में नियमों के अंतर्गत उस भूमि आवंटन के वे अधिकारी नहीं करार पाते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपके नियमों के अनुसार तो १०० आदमियों में से मुश्किल से २ आदमी जमीन पाने के हकदार हैं

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दरख्वास्तें ६५,००० हैं। जमीन कितनी है, आपको पता है। ६५ हजार दरख्वास्तें मन्जूर करके और राजस्थान को छोड़कर गुजरात में बसाया जाय तब तक भी एलॉट नहीं कर सकते।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान कैनाल के गंगानगर जिले में १८ लाख एकड़ जमीन खाली है, सरकारी आंकड़े हैं मेरे पास....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : जमीन है वहां खाली पड़ी हुई है, बंजर है, आप नहीं देते हैं। वहां पर काश्तकार मजदूर बन जाते हैं। किसान विरोधी सरकार की नीति है और हमारे वहां से जीतकर आए हैं उसकी बदौलत आप कुर्सी पर बैठे हैं। आप पर तो गरीब जनता की मेहरबानी है। जहां तक १९६९) रुपये जमा कराने की घोषणा करते हैं, नियम नये बनाइये, नहीं तो इनको जमीन नहीं मिल सकती। कुछ पर यह कानून लागू है। सुखाड़ियाजी ने गंगानगर में कहा था कि हम ५-५ बीघा दें तब भी जमीन पूरी नहीं होती है। जो आदमी बसे हुए हैं उनको उजाड़ो मत। जो गंगानगर से ७ आदमी यहां आए हैं, वे इधर आ कर बैठ जायं अगर गंगानगर को बचाना है नहीं तो गंगानगर की दस लाख जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा और आप भी कुर्सी पर नहीं रहेंगे। यह मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं। गंगानगर जिले के काश्तकारों को तबाह करने के लिये यह आपकी साजिश है। पहले भाखरा डेम में तबाह किया और जबराजस्थान केनाल में तबाह कर रहे हो और बचा हुआ जो रकबा है, पांच सौ भूमिहीन परिवार हैं उस जमीन को नीलाम करके रुपया बांटना चाहते हैं और उन गरीबों को जमीन नहीं देना चाहते। आप इन मुद्दों पर विचार करें। मैं समझता हूं आपके अकेले की राय नहीं है। मास्टरजी यहां नहीं है। मास्टरजी से राय करलें। वरना गंगानगर की जनता बगावत करेगी, गलत नियम बना कर लोगों की जमीनों को छीन रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण समाप्त हुआ।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में ही समाप्त करता हूं।

इसी सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था। मेरी यह मांग थी कि आप उस पर विचार करें। उसको काफी समय हो गया। आपके दिमाग में कोई रेखा नहीं खींची है। फिर प्रस्ताव दिया कि ठंडे दिमाग से केबिनेट मीटिंग में बैठ कर विचार करें और मुख्य मन्त्रीजी से सलाह करें कि गंगानगर जिले के लोगों के साथ जब उनको राजस्थान में शामिल किया था तो क्या-क्या वायदे किये थे और क्या-क्या आश्वासन दिये थे कि हम पंजाब में जैसा कानून है वैसा करेंगे। लेकिन आज पंजाब और हरियाना में जो काश्तकारों को सहूलियतें हैं वे आज हमारे यहां के काश्तकारों के पास नहीं हैं इसलिये हमको तो सोचना पड़ेगा कि हम आपके साथ रहें या नहीं। आप हमारे काश्तकारों को तबाह कर रहे हैं। जितने कानून बनाये हैं हमारे काश्तकारों के खिलाफ बनाये हैं। मैंने यह प्रस्ताव रखा है, आप नहीं मानेंगे ..

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें, (श्री रामचन्द्र आर्य के बोलते रहने पर) आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर, आॅर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं अधिक न कह कर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इतना ही कहूंगा कि आप इस पर विचार करें।

श्री श्रवणलाल : मैं एक जानकारी चाहूंगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस जिला, तहसील के नागरिक हैं चाहे भूमिहीन हों, मजदूर हो, शिड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब्स का हो उनके लिये आपके नियमों के होते हुए भी पहले उनको प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न।

चर्चा समाप्त हुई।

विधायी कार्य।

माननीय राजस्व मंत्रीजी.

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल अध्यक्ष महोदय ने कुम्हेर पंचायत समिति के प्रधान के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर आज वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था की थी। आज उसके सम्बन्ध में वक्तव्य होना चाहिये। वरना वहां बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो जावेंगी।

उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष ने यह कहा था कि कल या परसों। इसलिये कल दिया जावेगा।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि (एकीकरण तथा विखण्डन निवारण) (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि (एकीकरण तथा विखण्डन निवारण) (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६८ को पुरःस्थापित करता हूं

श्री उपाध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा।

श्री हरजीराम बुरड़क।

आधे घण्टे की चर्चा

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी थी उसमें पूरी जानकारी नहीं मिलने के कारण मैंने यह आधे घण्टे की चर्चा मांगी थी। उस सम्बन्ध में कुछ मुद्दे बाकी रह गये थे उसके लिये मुझे कहना है:—

पहला यह है कि अधिग्रहण करते समय सरकार ने यह आदेश निकाला था उसका तत्कालीन समिति ने पालन नहीं किया। न समिति ने प्रस्ताव भेजा, न सामान सौंपा, न भवन सौंपा, और न सामान दिया और न ही एग्रीमेन्ट किया। इतनी अवहेलना करने के बाद भी विद्यालय को ज्यों का त्यों चलाने का फैसला किया। और सारा खर्चा अपनी ओर से करने का निर्णय किया जबकि चलाने के पूर्व सारी सम्पत्ति विद्यालय को सरकार को सौंपनी चाहिये थी और एग्रीमेंट भी करना चाहिये था। आज तक का हिसाब भी उनको सौंपना चाहिये था सरकार को। अनुदान आज तक विद्यालय को दिया उसका कोई हिसाब नहीं है। कहां-२

(श्री हरजीराम बुरड़क)
खर्च किया, किस-किस मद में खर्च किया इसकी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। विद्यालय को लेते समय सरकार ने यह जानकारी नहीं की है कि इस सम्पत्ति का सरकार मालिक बन रही तो विद्यालय की ओर से लेना और विद्यालय में लोगों का लेना कितना है। मौजूदा स्टाफ को कितनी तनख्वाह देनी है इतनी अनियमिततायें होते हुए भी सरकार ने स्कूल को सम्हाला और उस समिति को और अनुदान दिया। इस प्रकार से इस विद्यालय के अधिग्रहण करने में सारी की सारी अनियमित कार्यवाही की गई।

इस विद्यालय को किस प्रकार लेने की आवश्यकता पड़ी यह सरकार ने अपने उत्तर में नहीं बताया। मौजूदा समय में ३, ४ हायर सैकेन्डरी स्कूल हैं और आप में गवर्नमेन्ट हाई स्कूल है और उसके हैडमास्टर को ही उस विद्यालय को सम्हलाया फिर इसको अलग नाम से चलाने की क्या आवश्यकता है।

आज तक जितने भी विभागीय अधिकारियों ने इस संस्था का निरीक्षण किया सरकार के आदेश उनके पास थे, फिर भी उनके पालन कराने के लिये उन्होंने क्या-क्या कार्यवाही की सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। जो भी वहां से स्टाफ लिया गया अपने उत्तर में यह बताया मंत्री महोदय ने कि जो भी योग्य स्टाफ पाया गया उसको लिया गया। प्राइवेट संस्था में जितना भी स्टाफ था उसको ज्यों का त्यों ले लिया। हनुमानदत्त शास्त्री हैं वे १५ साल से सैकिन्ड ग्रेड टीचर हैं इससे पूर्व सहायता-प्राप्त स्कूल में थे न तो वे शास्त्री हैं, न कोई डिग्री उन्होंने कहीं से प्राप्त की है फिर भी उनको सैकिन्ड ग्रेड टीचर बना दिया गया है। जब सरकार के ध्यान में आया तो उनको डिग्रेड किया। लेकिन १५ साल तक उनको वहां सैकिन्ड ग्रेड टीचर रखा तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये थी वह नहीं की गई। जो स्टाफ आज तक काम करता था वह का वह ही नियुक्त है। कई घोटाले हैं। सरकार के या तो सामने नहीं आने दिये जाते या उन पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती।

(२ म० प०)

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मल्टी-परपज हायर सैकेन्डरी स्कूल लाडनूं में प्राइवेट चलता था, उसको सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है लेकिन लेने से पहले यह कतई ध्यान नहीं दिया गया है इस संस्था की जो प्रबन्ध समिति इस संस्था को चला रही थी उसका कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं आया और न कोई एग्रीमेन्ट किया कि जितनी भी लेनदारी, देनदारी है उसके हम जिम्मेवार हैं। इस संस्था के अन्दर बहुत अधिक सामान था क्योंकि इस संस्था को चार लाख और बहत्तर हजार और कई सौ का अनुदान सन् १६५६ से पिछले साल तक दिया गया। इस संस्था के द्वारा कई प्रकार की मशीनरी, मोटरें, लुहारी का सामान और बिजली का दूसरा सामान स्कूल के अन्दर चलाने के लिये खरीदा गया था। ये बड़ी कीमती मशीनें थी। इसको किसी जिम्मेदारी के साथ में सरकार को नहीं सौंपी और न पुराना रिकार्ड सरकार को दिया गया। सिर्फ जो टूटा-फूटा सामान था, उसकी लिस्ट बनाकर दे दी।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य। संक्षेप में कहें। थोड़ा समय है।

श्री रामचन्द्र श्रार्य : बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी जांच नहीं होगी तब तक पूरा चित्र सामने नहीं होगा। इस संस्था ने अनुदान लेकर बड़ा दुरुपयोग किया है। अयोग्य मास्टर रखे। वहां जो स्टाफ आज है वही रख लिया। पुरानी गड़बड़ियों को छिपाने के लिये वे इसमें सहायक बने हुए हैं। इसलिये पहले इस स्टाफ को वहां से हटवाया जाय। जो सामान संस्था के अन्दर खरीदा गया जिस किसी के भी द्वारा, उसके सारे वाऊचर्स, हिसाब, सरकार के सामने आना चाहिये जिससे पता चले कि कितना सामान संस्था ने खरीदा और कितना सरकार के सुपुर्द किया। इसके अलावा संस्था द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक लाख रुपये जमा करवाये गये थे। यह एक प्राइवेट संस्था थी। जो रकम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जमा थी, वह सरकार को संस्था ने नहीं बतलाई और न लिख कर दिया। उसमें से उपाध्यक्ष महोदय ५५ हजार रुपया उस व्यक्ति ने जिसकी यह संस्था थी उसने उठा लिया। इस प्रकार जिस संस्था में घोटाला हो और सरकार ने ४।। लाख रुपये खर्च किये हों उसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी जिसने चार्ज लिया महसूस नहीं करते हैं। राजस्थान में इस प्रकार के अनेक घोटाले हैं जिसके साथ में यह भी एक घोटाला है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस स्टाफ को हटाया जावे, पुराना रिकार्ड मंगाया जावे और जो एक लाख रुपया जमा था, वह वसूल किया जावे, उसमें से ५५ हजार रुपया उठा लिया है। उसकी भी वसूली की जावे। जितना भी अनुदान दिया गया और खर्च हुआ उसका पाई-पाई का हिसाब होना चाहिये। १ लाख ४२ हजार रुपये बिल्डिंग के लिये सरकार से लिये गये। लेकिन वह संस्था आज भी प्राइवेट तौर पर चल रही है। कितने ही हाईस्कूल, हायर सैकेन्डरी स्कूल वहां पर है फिर प्राइवेट स्कूल वहां चले और अनुदान दिया जावे? इसकी जड़ में जाने से आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन लोगों ने घोटाला किया है। इस संस्था को बिना एक्जीक्यूटिव कमेटी के प्रस्ताव लिये एक ही आदमी ने इसको सौंपा है गैर जिम्मेदाराना तरीके से। इसलिये इस संस्था के बारे में एक सही तरीके से जांच करने के लिये कोई कमीशन नियुक्त करें जिससे वहां के लोग, वहां की जनता, प्रतिनिधि उसमें आपका पूरा सहयोग दे सकें। जितने घोटाले हुए हैं, वह सामने आयें और संस्था का चार्ज सही ढंग से मिलना चाहिये। उन्होंने सामान नहीं दिया। एक लाख रुपये की लेनदारी को नहीं बताया।

(घंटी)

यह सारा आपकी जानकारी में है। किन्तु सरकार की तरफ से जो उत्तर दिया गया उसमें जो खामियां थी इसलिये आधे घंटे की चर्चा मांगी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य क्या आधे घण्टे का आप अकेले ही उपयोग करना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो इसके बारे में कहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय!

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : जो चर्चा की मगर उसमें जो बिन्दु उपाध्यक्ष महोदय, उठाये गये हैं, उनके बारे में निवेदन है कि सरकार ने जो विद्यालय टेक ओवर

(श्री उप-मंत्री)

किया है, उसका सामान तत्काल उसी समय ले लेना था। इस बारे में आज तक पत्र व्यवहार किया जा रहा है। वे उसकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। जो अनुदान उनको बिल्डिंग के लिये दिया गया था उसका उन्होंने उपयोग कर लिया था। उनको कुल बिल्डिंग के लिये १ लाख ४५ हजार २५० रुपये का अनुदान दिया गया था जिसके विपरीत उन्होंने एक लाख ६६ हजार १५० रुपये का काम किया है। पी० डब्ल्यू० डी० ने इसका निरीक्षण किया और उसका प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा चुका है। जो बिल्डिंग ग्रांट उनको दी गई थी, उसका उन्होंने फूल यूटिलाइजेशन किया है बल्कि उससे विशेष खर्च किया है। जो आवर्तक ग्रांट दी गई है, वह पहले खर्च करने के बाद में पेमेन्ट की जाती है। इसलिये इसमें कोई दुरुपयोग करने का प्रश्न नहीं उठता। वाऊचर्स, रसीदों को इन्सपेक्टर देखते हैं। उसके बाद आवर्तक ग्रांट एक महीने बाद में देते हैं। पर्चेज के लिये १ लाख १ हजार ६३६ रुपये दिये। इसमें जो तमाम सामान स्कूल के लिये परचेज करना चाहिये था, वह उन्होंने किया है। परचेज का सर्टिफिकेट हमारे पास में है। केवल उसकी लिस्ट जो चार्ज में दे देनी चाहिये थी, उसमें विलम्ब हो रहा है। इसका जल्दी से जल्दी चार्ज लेने की कोशिश की जा रही है।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है। प्रश्न के भाग दो में यह नहीं बताया गया कि विद्यालय की लेनदारी तथा देनदारी कितनी-कितनी थी ? वह भी सामान की लिस्ट के साथ में, चार्ज में दे देनी चाहिये थी। अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ है, बाकी जो चार्ज लिस्ट आयेगी उसके अन्दर ही विद्यालय की लेनदारी, देनदारी के बारे में मालूम होगा। जहां तक लाइबिलिटिज का सवाल है, टेकिंग ओवर के ऑर्डर में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गवर्नमेन्ट की कोई लाइबिलिटिज नहीं होगी। टेकिंग ओवर करने से पहले देनदारी का जिम्मा इस संस्था का ही होगा।

तीसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि जो विद्यालय टेक ओवर किया गया है, उसका संस्था की प्रबन्ध समिति से कोई एग्रीमेन्ट नहीं करवाया गया है। यह सही है कि उस वक्त जो प्रपोजल भेजा कि हम इसको सरकार को दे सकते हैं। गवर्नमेन्ट ने अपने ऑर्डर में शर्त मुकर्रर करके इसको टेक ओवर करने का निर्णय लिया किन्तु एग्रीमेन्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है।

चौथा चर्चा का बिन्दु आपने उठाया है कि जो अनुदान की राशि दी गई है, उसका खर्च करने का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है जबकि प्रश्न में पूरा ब्योरा मांगा था। इस अनुदान की राशि के तीन हिस्से हैं। पहला भवन निर्माण, दूसरा परचेज के लिए और तीसरा आवर्तक, रेकरिंग एक्सपेंसेज यह तीन तरह की ग्रांट्स हमने दी थी। बिल्डिंग के लिए १ लाख ४५ हजार रुपये की ग्रांट हमने दी थी। उसका उन्होंने १ लाख ६६ हजार रुपया खर्च किया है। पी. डब्ल्यू. डी. का सर्टिफिकेट हमारे को प्राप्त हो गया है। परचेज के लिये उनको एक लाख रुपये की ग्रान्ट दी गई थी। इसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो गया है कि उनके द्वारा तमाम उपकरण साइंस के प्रेक्टिकल का सामान वगैरह खरीद लिया गया है। आवर्तक ग्रांट पहले खर्च करने के बाद दी जाती है। इसलिये इस ग्रांट का मिस यूज करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(श्री उप-मंत्री)

पांचवी बात यह बतायी गयी है कि विद्यालय का ग्रधिग्रहण करने से सरकार को एक लाख रुपये का नुक्सान हुग्रा है। सरकार को इसके ग्रन्दर नुक्सान होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। बिल्डिंग के लिये जो ग्रांट दी गई है, उसको उन्होंने यूटिलाइज़ कर लिया है। ग्रब जो हिसाब दिया जायगा, उसके प्राप्त होने पर उसमें यदि कोई चीज कम पायी गयी तो उसको वसूल करने की सरकार की तरफ से कार्यवाही की जायेगी। इसमें लीगल डिफिकल्टी जरूर ग्रायेगी कि एग्रीमेन्ट नहीं है। हम किस तरह से रिकवर करेंगे, किन्तु जो ४८ हजार रुपया स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास में उनका पहले से पड़ा हुग्रा है, उसका पेमेन्ट नहीं करने के लिये हमने लिख दिया है। उनको भी हिदायत दे दी गई है कि ग्राप हमको पूरा चार्ज दें, लेनदारी ग्रौर देनदारी का पूरा हिसाब दें ग्रौर पूरे उपकरण संभलायें नहीं तो जो ४८ हजार रुपये की राशि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास में है, वह ग्रापको पेमेन्ट नहीं की जायगी। इसे चार्ज देने तक रोक रखा है। चार्ज जल्दी से जल्दी ले लेंगे ग्रगर चार्ज नहीं देंगे तो जो नुक्सान होगा उसको सरकार लेगी। कानूनी एक्शन इसके ग्रन्दर लेने में दिक्कत है लॉ डिपार्टमेन्ट को कन्सल्ट कर लेंगे।

स्कूल को टेक ग्रोवर करने के लिये एग्रीमेन्ट की ग्रनुपालना नहीं होगी तो इमीजियेटली कानूनी कार्यवाही करने से पहले इस स्कूल का नाम जौहरी मल्टीपरपज हायर सेकेन्ड्री स्कूल को बदल कर गवर्नमेन्ट के नाम पर स्कूल कर देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : ग्रापने जो इसी तरह के प्रश्न का उत्तर ४ तारीख को दिया था उसको सही माने या ग्राज जो उत्तर दिया गया है उसको सही माने।

श्री धीरसिंह : दोनों ही सही हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : इसमें ग्रापने एक लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बताया जब कि सहायता का नथमल की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं ग्राया...

श्री धीरसिंह : एक लाख रुपये जमा थे जिनमें से ड्रा कर लिया है जो बेलेन्स में है वह ४८ हजार रु० है। उसको देने पर रोक लगाई है। टेकिंग ग्रोवर करने से पहले ही ड्रा कर लिया था।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या ४ तारीख के बाद निकाले हैं ?

श्री धीरसिंह ; ग्रॉर्डर दिया था उससे पहले निकाले थे। मैंने जैसा कि निवेदन किया इसके टेक ग्रोवर करने के बाद में हिसाब नहीं दिया। एक लाख रुपये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जमा थे उसमें कुछ इकट्ठा पैसा ड्रा कर लिया। ४८ हजार रुपया बाकी बचा है जिसके लिये कह दिया है कि ग्रग्रिम ग्रादेश तक भुगतान नही करें।

श्री हरजीराम बुरड़क : ग्रापने पहले कहा था कि एक लाख रुपया जमा है। ग्रगर संस्था उस एग्रीमेन्ट का पालन नहीं करेगी तो उसके खिलाफ ऐसा करेंगे। ग्रापने उत्तर में साफ तौर से स्वीकार किया है कि संस्था ने एग्रीमेन्ट का पालन नहीं किया है। ग्रब ग्राप कहते हैं कि नहीं करेंगे तो यह कार्यवाही करेंगे। पहले ग्रापने किस ग्राधार पर कह दिया कि नही किया है।

श्री धीरसिंह : एग्रीमेन्ट का पालन नही किया तो स्कूल को ले लिया गया ग्रौर ग्रगर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

संस्था और नियमों या या एग्रीमेन्ट का पालन नहीं करेगी तो उनको कराने की कोशिश करेंगे। जो मकान था वह तो सरकार के कब्जे आ गया है। अब केवल 'परचेजेज की एक लाख रुपये की बात रहती है जिसके अगेन्स्ट ४८ हजार का तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उनका रुपया जमा है वह रुकवा दिया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : चार तारीख के उत्तर में आपने बताया है कि न मकान और न कोई सामान ही संभलवाया। कमरे में जो पड़ा सामान था उसकी लिस्ट दी है। यह अन्दाज नहीं लगता है कि वह कितने का है।

श्री धीरसिंह : मकान का सवाल है वह टेक ओवर कर लिया है उसका केवल रजिस्ट्रेशन बाकी है जिस को इमूवेबल प्रोपरटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की तहत रजिस्ट्री होनी है।

श्री हरजीराम बुरड़क : दो साल के बाद में अभी तक आप चार्ज नहीं ले पाये हैं तो फिर इस स्कूल को चालू कैसे कर रखा है। उनके नाम का बोर्ड कैसे लगा है ?

श्री धीरसिंह : दोनों स्कूल्स को अमलगमेट कर दिया है। यह सरकारी खर्चे से चल रही है।

पैसे के बारे में शंका प्रकट की कि उन्होंने खर्च नहीं किया उसके लिये मैं कहना चाहता हूं बिल्डिंग जो १.४५ हजार की थी वह हमने ले ली है। जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना बाकी है।

परचेजेज के बारे में जितना सामान मिल जायगा वह ले लेंगे और उनके सर्टिफिकेट जमा कर लेंगे और इसके अलावा ४८ हजार रुपया रुकवा दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : दो साल स्कूल को लिये हुए हो गये मशीनरी उसने सारी उठा ली है। रुपया निकलवा लिया जांच आप कर नहीं रहे हैं तो ध्यान सरकार का कहां है। उत्तर आपने पहले कुछ दिया और अभी कुछ दे रहे हैं दोनों में कौनसा सही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : स्कूल को सरकार ने ले लिया उसके बाद कमेटी को अनुदान क्यों दिया ?

श्री धीरसिंह : स्कूल के टेक ओवर करने के पहले दिया है उसके बाद नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामचन्द्र आर्य : चर्चा समाप्त कहां हो चुकी है ? आप जांच क्यों नहीं करवाते सरकार के जवाब से तसल्ली होनी चाहिये। सही नतीजा जांच के बाद ही सामने आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामचन्द्र आर्य : इतना बड़ा घोटाला है। इसकी जांच होनी चाहिये यह आश्वासन मन्त्री जी दें तभी चर्चा समाप्त होगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : एग्रीमेंट नहीं हुआ इसका नाम किस हिसाब से चल रहा है।

श्री धीरसिंह : एग्रीमेंट में कोई शर्त नहीं थी अगर वे चार्ज वगैरा पूरा नहीं देते हैं, मूवेबल प्रोपरटी को ट्रान्सफर नहीं कर

(श्री धीरसिंह)

हैं तो लीगल एक्शन होगा उसके मुताबिक कार्यवाही करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : नाम अभी तक उसका कैसे चल रहा है ?

श्री धीरसिंह : टेक ओवर किया गया उसी नाम से चल रहा है। एग्रीमेंट नहीं हो तब तक चल सकता है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अब कार्यवाही कब तक हो जायेगी ?

श्री धीरसिंह : मैंने जैसा उत्तर में कहा चार्ज लिस्ट बन रही है बिल्डिंग के लिये पैसा दिया उसका युटिलाइजेशन हो चुका है। मुवेबल प्रोपरटी अगर हेण्ड ओवर नहीं करेगा उसके लिये ४८ हजार रुपया रुकवा दिया है। मार्जिन रखा है। अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो कानूनी कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त हुई। आर्डर प्लीज आर्डर !

श्री हरजीराम बुरड़क : इन्सपेक्टर को तो इसलिये भेजा था अपना टाइम बढ़ाने के लिये उसकी सर्विस की अवधि समाप्त हो गई थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। इसका उत्तर नहीं दिया जावेगा।

नियम १२७ के अन्तर्गत चर्चा

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नयम १२७ के अन्तर्गत, मैं भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों को काश्त एवं आबादी की भूमि के आवंटन में अनिश्चित नीति पर थोड़े समय की चर्चा करना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह : थोड़ा जोर से कृपया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोर से लो। तब पिछे हटोगे।

श्री मदनसिंह : यह महसूस किया गया था कि राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में अनेकों बार यहां चर्चाएं चलीं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रक्खे गये, प्रश्न रक्खे गये, और चीफ मिनिस्टर साहब की ओर से विश्वास भी दिलाया गया। सम्बन्धित मन्त्री ने भी नियम बनाने के सम्बन्ध में विश्वास दिलाया तो इससे उनकी हालत सुधरेगी और उनके साथ न्याय होगा।

पर आखिर जाकर नतीजा क्या हुआ। अधिक अच्छा नहीं हुआ। आज भी सैंकड़ों की तादाद में, ऐसे केस हैं जो अगर सदन में मैं प्रस्तुत करूंगा तो आप भी स्वीकार करेंगे कि वास्तव में उनके प्रति अन्याय हुआ है। उनके नाम मेरे पास हैं।

आज उन भूमिहीन सैनिकों को भूमि आवंटन होने के बाद में दो-दो साल कब्जा और मकान आवंटन होने के बाद में राजस्व के डिप्टी मिनिस्टर गंगारामजी चौधरी ने जातिवाद के आधार पर, कलक्टर के यहां जीतने के बाद, अपीलान्ट कोर्ट से जीतने के बाद भी कैंसिल करके खिलाफ फैसला दिया है। वे मिसालें मैं दूंगा।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, उन फौजियों के लिये भी बताऊंगा कि जिनको

(श्री मदनसिंह)

आवंटन होकर कब्जा दे दिया, आज भी काश्त चल रही है उन के आवंटन के आर्डर स्थगित कर दिये हैं इन गंगारामजी ने जातिवाद के आधार पर। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, कानून भी परिवर्तन किया गया ऐसा मैं समझता हूं। उस परिवर्तन के सम्बन्ध में बागडोर गंगारामजी चौधरी के हाथ में है और जितने भी घोटाले हुए हैं, सारे तथ्य मैं पेश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ़ तहसील में ग्राम नयाबास है वहां के एक सिपाही हैं जो चीन की लड़ाई में शामिल थे। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने आदेश दिये कलेक्टर को कि इनको जमीन मिलनी चाहिये। आदेश के अनुसार तहसीलदार ने सुमेरसिंह सैनिक को भूमि आवंटन की। दो तीन साल से कब्जा मिला। मकान बनाया। इसके बाद यहां के सीकर जिला कांग्रेस के नेताओं ने गांव वालों को भड़काया कि इस जमीन को मैं गोचर भूमि ऐलान करवा दूंगा मन्त्री महोदय से। आवंटन के वक्त गोचर भूमि नहीं थी। आवंटन के वक्त औरों को भी मिली थी। पर सम्बन्धित सीकर के नेता ने ऐलान किया कि इतने वोट आइन्दा से ठाकुर मदनसिंह को नहीं दिये जावें तो इस भूमि के गंगाराम चौधरी से वापिस आर्डर कैंसिल करवा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य ताज्जुब करेंगे कि यह केस कलक्टर के पास चला, कलक्टरी में इस फौजी की जीत हुई। अपीलेट अथोरिटी के पास केस चला, वहां भी उसकी जीत हुई। अब स्थानीय कांग्रेस के नेता जो थे गंगारामजी के पास वहां के पचास साठ की तादाद में जाटों की टोली को लेकर गये यह कह कर कि आइन्दा हम वोट फलां ठाकुर मालमसिंह को नहीं देकर उसको देंगे और सुमेरसिंह के खिलाफ निर्णय दिया तो। यह बात मालूम होते ही मैंने गंगारामजी को फोन किया और कहा कि यह ५०/६० आदमियों का डेपुटेशन जिस केस के बारे में आपसे मिल रहा है उसमें ये तथ्य हैं। उन्होंने फोन पर ही मुझे कहा कि इस केस के सम्बन्ध में आप ख्याल न करें। पर अध्यक्ष महोदय आप आश्चर्य करेंगे कि उसी केस को गंगारामजी चौधरी ने उलट दिया जिनके पास वह केस केवल निगरानी के लिये गया था। जो निगरानी न करके पूरा फैसला दे दिया और पहले के फैसलों को सभी कोर्टों के फैसलों को उलट दिया और कह दिया कि इस उम्मेदसिंह सैनिक को भूमि आवंटन गलत ढंग से किया गया। इससे ज्यादा पक्षपात और अन्याय क्या होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वह फौजी मेरे पास आया कहने लगा कि ठाकुर साहब मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। जहां मन्त्री लोग कानून तोड़कर हमारे विपक्ष में इस तरह चलते हैं तो फिर क्या है। कानून में पावर आप इसलिये लेते हैं कि आवंटन में अगर कहीं कोर्ट के स्तर पर गलती भी हो सकती है तो उसे ऊपर आकर सुधारा जा सके। पर ये इस तरह से सुधारते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ़ तहसील में ही ग्राम कोटोर के अन्दर कलक्टर ने एलान किया था कि फलां भूमि सिवाय फौजियों के और किसी को नहीं मिलेगी। आप ताज्जुब करेंगे कि वह फौजियों के लिये

(श्री मदनसिंह)
निश्चित की गई जमीन वहां के सरपंच और बेगाराम चौधरी ने अपने कब्जे में कर ली। उस का भी फैसला कलेक्टर ने फौजियों के पक्ष में दिया। बेगाराम के खिलाफ दिया। पर इन्हीं गंगारामजी ने जाति के आधार पर और पक्षपात के आधार पर वह जमीन बेगाराम को दिलवा दी। फौजियों के बारह तेरह परिवार थे उनको आवंटन से अलग कर दिया। उस बेगाराम का मैं एक खाता पेश कर रहा हूं सदन में जिसके पास पचास बीघा भूमि से भी अधिक भूमि उसके खाते में दर्ज है। इतनी भूमि होने के बावजूद भी वह भूमि और हड़प ली गंगारामजी चौधरी की महरबानी से जातीयता के आधार पर। वह मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मुख्यमन्त्री के सामने या सम्बन्धित मन्त्री खेतसिंहजी हैं उनके सामने पेश करता हूं जिन्होंने दावा किया था कि अगर फौजियों के साथ अन्याय होगा तो मैं देखूंगा। मैं आपको सदन के सदस्यों को विश्वास दिला कर कहता हूं कि ये केवल नाम मात्र के हैं जो किसी मिनिस्टर को कुछ कह नहीं सकते सुझाव नहीं दे सकते। एक सिपाही को विश्वास हो जाता है। तो इस तरह ग्राम कोछोर के सैनिक किसानों के साथ पक्षपात क के गंगारामजी चौधरी ने अन्याय किया।

मेरी एक शिकायत और है कि फौजियों के लिये कोर्टों में वकील करके लड़ने की सुविधा नहीं है। हमें कहा गया कि आपको वकील रखना पड़ेगा। वकील होना चाहिये और उनसे केस अदालतों में लड़ना चाहिये सब जगह फौजी जीतेगा, पर गंगारामजी की सरकार की अदालत में आ गया तो फौजी हारा। अपील निगरानी की हो रही है, पर होता फैसला है ऐसा अन्याय किसी मन्त्री के हाथों आजतक नहीं हुआ।

काछोर का ही नहीं, रेडार और है वहां की पूरी की पूरी भूमि फौजियों को अलाट करने की थी। वहां पर दूसरों को दी और उन लोगों ने गंगारामजी चौधरी के इलेक्शन के नाम पर तीन-तीन हजार रुपयों का एक एक गांव से उगाही करके जाते हैं। मैं मान लेता हूं गंगारामजी रिश्वत नहीं लेते। पर एक मिनिस्टर के नाम से जीतता है और गलत ढंग से जीतता है इससे क्या माना जावे। या तो नेता खाता है या मिनिस्टर खाता है। यह मेरा सीरियस एलीगेशन है। इस चार्ज की मैं जांच चाहता हूं। और यह सही है तो मन्त्री से यहां पर त्याग-पत्र ले लेना चाहिये। नहीं तो मेरे से ले लें। न्याय के आसन पर बैठकर पार्टी का जाति का नाम भूल जाना चाहिये। वहां न्याय ही करना चाहिये। पर यहां फौजियों की हत्या होती है। फौजी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

एक ताजा केस और रखूंगा। १३।१ को ऐलान हुआ कि फौजियों को आवंटन होगा जमीन का। फौजियों की दरख्वास्तें ली गई। आमंत्रित किया गया उनको और मनासरा के पंचायत सरपंच के विरोध के बावजूद भी वहां के तहसीलदार ने फौजियों को जमीन देकर सीकर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रतनलालजी बड़जात्या से विरोध मोल लिया। पर वह जमीन रतनलालजी को आवंटन हुई आखिर जो फौजी नहीं है और वहां के रहने वाले भी नहीं है। केवल कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते यह सब कुछ हुआ। उनके सम्बन्धित लोगों को भी दी गई। फौजियों को निकाल दिया। इसका केस चलाया! ६ महिने से कलेक्टर सीकर के पास पेन्डिंग है और गंगारामजी उन्होंने कलक्टर सीकर को चेलेन्ज किया और कहा मेरे पास वह ताकत है, जितने आवेदन पत्र

(श्री मदनसिंह)

है वे एक मिनिस्टर के पास जायेंगे और मैं वहां से करवा लूंगा। कलक्टर, सीकर सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं उन्होंने कहा मैं तुमको मौका देता हूं, तुम अपील करो चाहे कुछ भी करो तुम हारोगे। जो यहां आवंटन किया गया है वह फौजी भाइयों के लिये किया गया है और तुमने जमीन ले ली है। कलेक्टर के चेलेन्ज को स्वीकार करके गंगारामजी के पास अपील की और यह हुआ कि वह केस वहां नहीं जायगा, यहीं से हो जायगा फौजियों के लिये कानून बने और दूसरे लोग उस कानून के जरिये अपना घर बनायें। गंगारामजी चौधरी को जाति के आधार पर एक ऐसा पोर्टफोलियो दिया जाता है जहां हमारी हत्या हो जाती है सरासर अन्याय होता है। वे, कागज देखिये खेतसिंह जी अगर आप में हिम्मत है तो देखिये और उनको जांच करिये। पेपर गये हैं और वापिस वहां पर फैसला हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो नाम लेकर मामले को एकदम बढ़ाना चाहते हो।

श्री मदनसिंह : मेरे पास तथ्य हैं। मैं तो फौजियों के तथ्य रख रहा हूं और उसके बीच में आप...

श्री रामनारायण चौधरी : आपने तो एक टार्गेट बना रखा है गंगाराम गंगाराम का नाम ले रहे हैं। यह शोभा की बात नहीं है; डिप्टी मिनिस्टर करके कह सकते हैं। तब तो उपाध्यक्ष महोदय माननीय दांता ने चर्चा उठाई है, यह महत्त्वपूर्ण होगी। देश के उन सैनिकों के लिये हम भी भाग लेंगे लेकिन जिस तरह की चर्चा हो रही है वह आपत्ति-जनक है। जाति विशेष को बदनाम करके बार बार गंगाराम गंगाराम का नाम लिया जा रहा है। राजस्थान सरकार कहें, सरकार के डिप्टी मिनिस्टर है। वे अपील सुनते हैं कलेक्टर के विरुद्ध अब आप बार बार उनका नाम लें यह अच्छी बात नहीं है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने माननीय उप-मन्त्री पर आरोप लगाये हैं तो पूर्व सूचना देने पर ही आरोप लगा सकते हैं माननीय उप मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। उन पर आरोप लगा रहे हैं गंगाराम गंगाराम नाम की माला फेर रहे हैं।

श्री मदनसिंह : माला फेर रहा हूं यह तो अच्छी बात है।

एक माननीय सदस्य : उल्टी माला फेर रहे हैं।

श्री मदनसिंह : उल्टी फेर रहा हूं या सुल्टी फेर रहा हूं। यह तो मैं जानता हूं। वे यहां उपस्थित क्यों नहीं हैं। मैंने तो बहुत पहले ही यह सूचना दे दी थी। मैं तो इतना कहता हूं कि भगवान की सौगन्ध खाता हूं कि उनसे यह पोर्टफोलियो ले लिया जाय। उनके पास आज यह पोर्टफोलियो है तो उनसे कहूंगा, अगर खेतसिंहजी के पास होता तो उनसे कहता और अगर मुख्य मन्त्रीजी के पास होता तो मैं उनसे भी कहता। रही बात नाम लेने की अगर गंगारामजी नहीं कहूंगा तो डिप्टी मिनिस्टर, रेवेन्यू कहूंगा। उनके सम्बन्ध में यह अर्ज करूंगा कि उनके पास दरख्वास्तें आती हैं, वे उनकी सुनवाई नहीं करते हैं और अपनी मर्जी से फैसला देते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इनसे यह पोर्टफोलियो

(श्री मदनसिंह)

ले लिया जाय। वे तो अभी यहां है नहीं। आवंटन के मन्त्री हैं। आवंटन के बारे में होल एण्ड सोल है। जो आवंटन के बारे में निर्णय देते हैं इसलिये उनको उपस्थिति होना जरूरी है। जिस माननीय सदस्य को यह हो कि यह बाद में दिया है, मैं तो जिस दिन दिया था उसी दिन फाइल पेश कर रहा था। इसकी जांच होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा फौजियों के साथ आवंटन में क्या अन्याय हुआ है ? आज फौजी भाई गंगानगर शुगर मिल में जगह है, वहां नहीं है वूलन फैक्ट्री है, वहां नहीं है। उनको कहीं नौकरी नहीं है। अभी माननीय खेतसिंहजी उठेंगे और कहेंगे हमने उनके लिये यह कानून का रिलेक्सेशन कर दिया यह कानून का रिलेक्सेशन कर दिया लेकिन कानून बना कर सारी हत्या कर रखी है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक माननीय सदस्य अगर वे यह मानते हैं कि यह झूठ है तो जो विरोध कर रहे हैं उनसे ही जांच करवायें कि सीकर के कलेक्टर के ऑफिस में क्या हो रहा है ? कलेक्टर सीकर को चैलेन्ज कर रहे है कि हम अमुक-अमुक मिनिस्टर से करा ले आयेंगे और फिर वह हो जाता है इसमें उपाध्यक्ष महोदय, हमारा क्या दोष है ? उपाध्यक्ष महोदय, एक गांव मोरीजा है, उस मोरिजा के अन्दर फौजियों और हरिजनों को आवंटन के सम्बन्ध में एलान हुआ लेकिन उनको न मिल कर जयपुर के वैद्यों, हकीमों और गलियों में रहने वाले लोगों को मिली। मेरे पास लिस्ट है, मैं उसको पेश कर दूंगा ताकि उसको पूरा सदन देख सकता है। यह लिस्ट पहले भी पेश की थी, उस पर आज तक विचार नहीं हुआ। एक रेवेन्यू मिनिस्टर जिनकी हालत बीमार रहते हैं, जब कभी घर पर जाते थे तभी बीमार। अब मैं समझता हूं राम-किशोरजी खुद आ गये हैं। इन फौजी भाइयों के साथ धोखाबाजी क्यों हो रही है ? अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में नियम बने हुए है उन नियमों के अनुसार मोरीजा में उनको जमीनें नहीं दी गई है और जो यहां के रहने वाले हैं जिनके नाम दिये हैं, आज भी दे रहे हैं उन लोगों को आज भूमि आवंटित हुई है उसका आज तक मन्त्री महोदय जवाब दे सके हों ऐसी मेरे पास सूचना नहीं है।

मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केवल एलान करके फौजियों को धोखा देते हो। आप लोग आपस में धोखा-बाजी करो तो अच्छा है। फौजी तो देश का पहरेदार है। आज हम आराम से सोते हैं वे सीमा पर जागते हैं, देश की रक्षा करते हैं उन फौजियों के साथ जुल्म हो, अन्याय हो, यह बर्दाश्त नहीं होता है उपाध्यक्ष महोदय। कानून को दबाया जाय, अनियमितताएं की जायं, पार्टी से उनको दबाया जायं। मैं सैंकड़ों मिसालें दे सकता हूं। पहले तीन साल तक कुछ नहीं हुआ। माननीय सतीशजी इन सबसे पूरे परिचित हैं। फौजी जिनके लड़ाई के अन्दर दोनों हाथ कट गये हैं उनको भूमि आवंटन नहीं हुई है, उनको पीटा जा रहा है, नेताओं का पक्षपात किया जा रहा है। वह यहां भी आया हुआ है, दिल्ली में भी बैठा है। यह सीकर डिस्ट्रिक्ट है, जहां हम उनसे मिलजुल कर सद्भाव रखते हैं। माननीय सदस्य कोई उनके लिये अच्छा काम करना चाहते हैं वह तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, क्या मालूम क्या हो रहा है कांग्रेस फूटी आंख से फौजियों को देखना नहीं चाहती। जो राष्ट्र की सेवा करता है

(श्री मदनसिंह)

और उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये और पहले अध्यक्षजी ने भी यह फरमाया था कि वे खुद महसूस कर रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन के माननीय मन्त्री महोदय इसको गंभीरता से लें। उधर के लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कई दफा चर्चा करते हैं।

दूसरे गंगारामजी चौधरी के बारे में था। उनसे आपसे ज्यादा मेरी मित्रता है। लेकिन यह मित्रता वहां नहीं चलेगी, जहां सच्चाई का प्रश्न है। इसलिये मैं सदन के सभी सदस्यों से मांग करता हूं कि इस तरह का ओहदा उनको मिलना चाहिये जो कि कानून के रूप में सही काम कर सकें और श्री गंगारामजी चौधरी के जो फंक्शन्स हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप उप-मन्त्री कह कर संबोधित करें, उनके ओहदे से कहें।

श्री रामकिशन : नाम लेने में थोड़ी आसानी हो जाती है।

श्री मदनसिंह : उस समय वह न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते हैं जिस समय अलॉटमेन्ट के क्वेश्चन्स डील करते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इसके ऊपर सदन थोड़ा सा विचार करें और हम क्या कहें या मेरे मुंह से कुछ चीज निकल जायें और उसको लेकर फौजियों के आदमियों का अहित करने लग जायें तो यह ठीक नहीं है। इसलिये आवंटन सम्बन्धी मामलों का ठीक तरह से निपटारा करें। उपाध्यक्ष महोदय, और भी मिसालें हैं, उसको मैं लिस्ट प्रस्तुत करता हूं और सम्बन्धित मन्त्री उसकी इन्क्वायरी करें और इन्क्वायरी में ताकत रखें। मैं समझता हूं कि बारह महीने तक जवाब नहीं आये तो फिर बेकार है। जितने भी फौजियों के मसले आते हैं और उनके लिये जो आप रिमाइन्डर्स दें उनमें ताकत होनी चाहिये कि उनका जवाब आये। वर्ना आजकल तहसील लेवल पर मिनिस्टर्स लिख देते हैं और वह परवाह नहीं करते। मैं चाहूंगा कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय इसके सम्बन्ध में कुछ करें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो फौजियों के बारे में कहा उसकी तो मैं ताईद करती हूं लेकिन आपने आक्षेप लगाया कि कांग्रेस पार्टी फौजियों को फूटी आंख नहीं देखती है, मैं कहना चाहती हूं कि आपकी तरफ से कोई युद्ध में या फौज में है या नहीं लेकिन कांग्रेस पार्टी वालों के कितने ही लड़के हैं जो चीन और पाकिस्तान की लड़ाई में लड़े हैं। मेरे घर का बच्चा-बच्चा फौज में लड़ रहा है।

श्री मदनसिंह : आप अपने ही बच्चों को तबाह कर रहे हैं।

श्री भरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस विषय के ऊपर चर्चा उठाई है वह विषय बहुत ही गंभीर है। १९६२ के बाद विधान सभा के हर सत्र में इस विषय पर चर्चा उठाई गई। सरकार की ओर से हर बार इस बात का आश्वासन मिला है कि फौजियों के सम्बन्ध में सरकार ने जो घोषणायें की हैं उन घोषणाओं का ईमानदारी के साथ पालन किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय जो सरकार के किसी भी कार्य को बढ़ा चढ़ाकर बताने में

(श्री भैरोंसिंह)

मशहूर है। उस विभाग ने भी कोई कसर इस बात की नहीं रखी कि वह फौजियों में इस प्रकार का प्रचार करने में सफल हो जाय कि राजस्थान सरकार ने फौजियों के सम्बन्ध में कोई कसर नहीं उठा रखी। इस सत्र में १९६७ के बाद कई प्रश्न इस संबन्ध में विधान सभा में पूछे गये। काश्त की जमीन के अलाटमेन्ट के सम्बन्ध में रिहायशी जमीनों के अलाटमेन्ट के सम्बन्ध में, सरकार ने सर्विसेज में और एजूकेशन इन्सटीट्यूशन में जो एडमीशन्स के लिए रिजर्वेशन कर रखा है उस सम्बन्ध में जितनी भी सरकार ने इस प्रकार की सुविधाओं की घोषणा कर रखी है उन सब के बारे में किसी न किसी रूप में इस विधान में प्रश्न पूछे गये हैं और सरकार की ओर से उत्तर देकर सदन को भ्रम में रखने की भी खूब चेष्टा की गई सरकार इसमें सफल है या असफल यह बात कोई विशेष महत्व नहीं रखती लेकिन सरकार जो कुछ इस सदन में कहती है या सदन के बाहर घोषणायें करती है उनका पालन किस प्रकार से हो रहा है इसका प्रत्यक्ष अनुभव तो उन लोगों को होता है जो लोग वास्तव में इस प्रकार की सुविधायें पाने के हकदार हैं और प्रयत्न करने के बावजूद भी वह सुविधायें उनको मुहैय्या नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा १९६२ से लेकर अब तक हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी ने एक्स-सोल्जर्स को भूमि एलाट की जाये उसके लिए कहां कहां रिजर्वेशन किया जाये, किस मात्रा में रिजर्वेशन किया जाय इस सम्बन्ध में कई बार घोषणायें की हैं और यह उन्हीं का साहस है कि घोषणायें करने के बाद उसके जब इन्टरप्रिटेशन का सवाल आता है तो अपनी सहूलियत के अनुसार उसको बदलते हुए चले जाते हैं। मुझे याद है आरम्भ में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि इरीगेशन प्राजेक्ट्स में राज्य सरकार की ओर से एक्स-सोल्जर्स को भूमि अलाट करने के लिए और खास तौर से जो आपरेशन के अन्दर सोल्जर्स लगे हुए हैं उनको और उनके परिवार के लोगों को जमीन अलाट करने के लिए हम रिजर्वेशन करके चल रहे हैं। २ लाख एकड़ से वह चलते-चलते आज इस स्थिति में पहुंच गये कि राजस्थान सरकार यह नहीं कह सकती कि अमुक क्षेत्र में इस मात्रा के अन्दर इतनी भूमि फौजियों के लिए रिजर्व की हुई है। उससे ऐसा लगता है कि यह खेतसिंहजी का दोष नहीं है और गंगारामजी का भी नहीं है यह तो सरकार के हेड ही ऐसे हैं कि जो घोषणायें करने में तो सबसे आगे और इम्पलीमेन्ट कराने में सबसे पीछे और यह राजस्थान की जनता की खुश-किस्मती है कि मुख्य मन्त्री उसको सौभाग्य से मिले हैं जो अपनी बात कहकर उसको तरकीब से पलट सकते हैं। इस सफलता के लिए मैं मुख्य मन्त्रीजी को बधाई देना चाहूंगा। लेकिन इसका प्रभाव निश्चित रूप से उन जवानों के मानस के ऊपर पड़ता है जिनकी जिम्मेदारी हमने ली है, जो जवान भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर दुश्मन की तोपों और गोलियों के सामने खड़ा होता है आज हम कई बार कहते हैं कि लोगों को फौज में भर्ती होना चाहिए और हम उनको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि तुम हमारे देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर लड़ो हम तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे। इन दोनों में बहुत अन्तर है लेकिन इस अन्तर को कम किया जाय और सरकार उसको कम करने की चेष्टा करे तो

Page No. 90

(श्री भैरोंसिंह)

आज हिन्दुस्तान का प्रत्येक बच्चा वह चाहे मार्शल रेस में हो या दूसरी जगह हो आज फौज में भर्ती होकर अपने आपको कुरबान करने को तैयार रहते हैं। लेकिन आये दिन जब एक्स-सोल्जर्स की बात आती है और वह शिकायत करते हैं कि हमें जमीन नहीं मिली और जो जमीन अलाट की गई उसमें हमारा पजेशन नहीं हुआ और पजेशन भी हो गया हमको बेदखल कर दिया और ऐसे-ऐसे भी केसेज हैं कि जहां उनको भूमि अलाट हो जाने के बाद उन्होंने ६-७ हजार रु० खर्च कर दिया और वे कहते हैं कि आज हम उस जमीन के ऊपर कोई फसल का लाभ नहीं ले पाये। यह जब शिकायतें एक्स-सोल्जर्स करते हैं तो यह लोगों में चिंता का कारण बनता है।

अभी दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य सीकर का और नागौर का हवाला दे रहे थे और झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य उनसे प्रश्न पूछना चाहते थे। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यदि वास्तव में आपके दिल में फौजियों के लिए दर्द है, जो होना भी चाहिए क्योंकि आप उस जिले में हैं जो फौज में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेन्ट के लिए जवान देता है और उसके पश्चात् सीकर और नागौर जिले के फौजी जो एक प्रकार से केनन फाडर हैं, वह जिले जहां केनन फाडर प्रोवाइड करते हैं यदि उस जिले के लोगों के साथ अन्याय होता है तो प्रत्येक सदस्य की चिंता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सीकर में एक व्यक्ति जिसकी १९६२ में चाईनीज एग्रेशन के समय में श्री खेतसिंहजी जरा ध्यान से सुनें–दोनों टांगें कट गई थी, उस व्यक्ति ने जमीन के अलाटमेन्ट के लिए एप्लीकेशन दी और उसको जमीन अलाट कर दी गई और अलाटमेन्ट करने के बाद उपाध्यक्ष महोदय उसने उस पर जाकर पजेशन कर लिया। यह अलाटमेन्ट उपाध्यक्ष महोदय, न तहसीदार ने किया, न वहां की अलाटमेन्ट एडवाइजरी कमेटी ने किया, न यह अलाटमेंट एस० डी० ओ० ने किया बल्कि सीकर के कलेक्टर ने अपनी कलम से तहसील का रेकार्ड देखकर, एस० डी० ओ० से रिपोर्ट लेकर उसको अलाटमेन्ट कर दिया। उसके बाद में एक दिन में नहीं, दो दिन में नहीं, २ महीने में नहीं लेकिन दो वर्ष के बाद में उस आदमी के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी गई कि जो जमीन उसको अलाट की गई है वह गोचर भूमि है और वह कास्त की भूमि नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि प्रारम्भिक रेकर्ड देखा जाय तो इससे मालुम पड़ जायगा कि वह भूमि गोचर भूमि नहीं थी। जब गोचर भूमि उसको डिक्लेयर कराया गया तो कलेक्टर को जब जानकारी मिली कि मेरे द्वारा किये गये अलाटमेन्ट के संबन्ध में एस० डी० एम खुराफात कर रहा है तो कलेक्टर महोदय ने कागज मंगा लिए और फिर कलेक्टर ने आर्डर्स दिये कि यह गोचर भूमि नहीं है और उस फौजी का उस पर कब्जा करना चाहिए। कलेक्टर एक तरफ आदेश दे रहा है लेकिन गांव वालों का पक्ष लेकर एस० डी० एम० ने उसको गोचर भूमि डिक्लेयर कर दी और उस भूमि पर काश्त करने के लिए इन्जेक्शन इश्यू कर दिया। आज सरकार कहेगी कि हमने जमीन का कब्जा करा दिया लेकिन ६-७ हजार का इनवेस्टमेन्ट करने के बाद वह खेती नहीं कर सका और आज वह मारा-मारा अदालतों में घूम रहा है। न सरकार ने जो कन्सेशन्स

(श्री भैरोंसिंह)

डिक्लेयर कर रखे हैं कि फौजी यदि किसी लीगल केसेज में इनवाल्व होते हैं तो सरकार उनको असिस्टेन्स प्रोवाइड करेगी–वही लाभ उसको मिला है। सरकार ने न तो उसको कोई असिस्टेन्स ही प्रोवाइड की और जिस व्यक्ति ने ६-७ हजार रुपया खर्च करके उस जमीन में खेती की वह न तो जमीन के ऊपर काबिज रह सका वह आज मारा-मारा अदालतों में घूम रहा है। माननीय रामनारायणजी को इस बात से भी नाराजी थी कि बार-बार गंगारामजी चौधरी का नाम क्यों लिया जा रहा है ? मैं नाम लेता हूं और यह कहकर लेता हूं कि यदि किसी मंत्री में हिम्मत हो तो वह कहे कि गंगारामजी ने जो एक्शन लिया है वह ठीक है। मैं किसी जाति वाद के आधार पर नहीं कहता और न किसी और आधार पर, क्योंकि इस मामले में मैं अपने आपको डेवल नहीं करना चाहता माननीय उपाध्यक्षजी, यह मामला आपकी जानकारी में भी आया होगा कि नागौर जिले के एक गांव में कुछ फौजियों को जमीन एलाट की गई और वह जमीन सन् ६७ से पहले एलाट की गई। जब जमीन एलाट कर दी गई और फौजियों ने खेती आरम्भ कर दी और एक फसल भी बोदी और एक फसल को भी काट लिया। उसके बाद गांव के लोगों ने देखा कि इन आदमियों को जमीन नहीं मिलना चाहिए तो उन्होंने रेवेन्यू मिनिस्टर, भूतपूर्व राजस्व मंत्री कुम्भारामजी के सामने एप्लीकेशन पेश की तो कुम्भारामजी ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी और कलेक्टर ने एस० डी० एम० से रिपोर्ट मांगी और एस० डी० एम० ने तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट में जब रेवेन्यू मिनिस्टर को इस बात की सूचना दी कि जमीन का एलाटमेंट वाजिब हुआ है तो उस वाजिब एलाटमेंट के आधार पर भूतपूर्व राजस्व मंत्रीजी ने आदेश दे दिया कि जो जमीन का एलाटमेंट हुआ है वह वाजिब है और किसी प्रकार का डिस्टरबेन्स नहीं किया जाय। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं माननीय खेतसिंहजी और रामनारायणजी कि २-३ वर्ष के पश्चात् जब ६७ में चुनाव हुआ तो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष नाथूरामजी मिर्धा वहां से हारे तो उसके सम्बन्ध में कुछ लोगों ने उनको बता दिया कि ये फौजी जिनको एलाटमेंट किया गया है वे खुल्लमखुला उनका विरोध कर रहे हैं तो नाथूरामजी ने एक एप्लीकेशन पर फाइल मंगाकर देख ली। वह एप्लीकेशन भी नहीं केवल दो लाइन पर एक व्यक्ति की एप्लीकेशन जो कि कानून की भाषा में न तो रिवीजन हो सकता है और न अपील हो सकती है एक दो लाइन की एप्लीकेशन लेकर एक व्यक्ति से एप्लीकेशन लेकर गंगारामजी ने सरकार की तरफ से अपील सुनने का अधिकार का प्रयोग करते हुए कागज पर लिख दिया कि इस आदमी को काश्त नहीं करने दी जाय और एक इन्जेक्शन आर्डर इश्यू कर दिया।...

श्री मूलचन्द डागा : अपील तो सुनने ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने दोनों से कहा है रिवीजन या अपील।

श्री मूलचन्द डागा : आप गलत बात कहते हैं। आपने अपील कहा है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी जो एक कान से सुनता है उसको मैं सफाई नहीं देना चाहता।

Page No. 92

श्री मदनसिंह : कुछ भी हो पर अन्याय किया है फौजियों के साथ जुल्म किया है।

श्री मूलचन्द डागा : हाई कोर्ट में जाइये।

श्री मदनसिंह : आप मन्त्रियों से कहें कि इस तरह का एलान न करें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन १३ आदमियों को जमीन एलाट की गई है। एलाटमेंट के वर्ष में किसी ने शिकायत नहीं की। उन्होंने खेती कर ली, कब्जा कर लिया और इन्वेस्टमेंट कर दिया और रेवेन्यू मिनिस्टर ने आॅर्डर कर दिया कि एलाटमेंट वाजिब है, लेकिन चुनावों के बाद एक एप्लीकेशन डिप्टी मिनिस्टर के पास जाती है। मूलचन्दजी डागा को शायद भ्रम हो तो मैंने दोनों शब्दों का प्रयोग किया था कि न रिवीजन हो सकती है और न अपील हो सकती है। वह कम्पलेन्ट है और एक आदमी की एप्लीकेशन है, उस एक आदमी की एप्लीकेशन पर डिप्टी मिनिस्टर, रेवेन्यू बिना कलेक्टर से जानकारी लिये, बिना एस० डी० एम० से जानकारी किये, एलाटमेंट फाइल मंगाये बिना स्टे आर्डर इश्यू कर दे। जब वह सम्बन्धित तहसील में गया तो तहसीलदार ने वापिस लिखा कि इस सम्बन्ध में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के आर्डर्स हो चुके हैं तो दुबारा डिप्टी मिनिस्टर के आर्डर से स्टे नहीं किया जा सकता है तो फिर गंगारामजी ने दूसरा आॅर्डर किया कि स्टेट्स को मेन्टेन किया जाय। यह स्थिति गलत है। उन्होंने स्वयं ने रियेलाइज किया कि उन्होंने जो आर्डर दे दिया है वह गलत है और इसलिये दुबारा स्टेट्सकों का आॅर्डर इश्यू किया है। यह मैं चेलेंज के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चाहते थे कि उनको जमीन एलाट की जाय तो एक व्यक्ति ने, उपाध्यक्ष महोदय, जो कि राजस्थान में एक क्रिमिनल की हैसियत से है नागोर का एस० डी० ओ० श्री सुखदेव मिर्धा जिन्होंने ४२० करके न केवल नाथूराम जी को ही बल्कि राजस्थान और हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र को कलंकित किया है, जब यह देखा कि स्टेट्स को आर्डर दे दिया गया है तो फिर कोशिश की कि इन व्यक्तियों का कब्जा न हो, तो फिर स्टे आर्डर नहीं दे दिया तो उस सूरत में कलेक्टर ने कहा कि तुम स्टे आर्डर नहीं दे सकते हो तो सारा यह विवाद चला। कलेक्टर कहता है कि एलाटमेंट सही हुआ है और भूतपूर्व राजस्व मन्त्रीजी ने इस एलाटमेंट को सही माना है, लेकिन नाथूरामजी अपने राजनैतिक विद्वेश की भावना से इन १३ फौजियों का गला घोटना चाहते हैं।

आज राजस्थान में फौजियों के बारे में सुविधाओं की घोषणा करते हैं। मेरी चुनौती को स्वीकार करें खेतसिंहजी और वह फाइल सदन की मेज पर रखें। गंगारामजी कानून के ज्ञाता हैं, रेवेन्यू के केसेज की उनकी जानकारी है लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि वह एप्लीकेशन रिवीजन के रूप में दी या एक कम्पलेन्ट के रूप में है और बिना फाइल के कोई भी इस प्रकार का स्टे आर्डर इश्यू नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं माननीय रामनारायणजी के सेटिस्फेक्शन के लिये कि इस मामले की, उपाध्यक्ष महोदय, बाकायदा जांच की जानी चाहिये ताकि कम से कम इस बात का तो पता लगे कि वास्तव में गलती कहां है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने कुछेक रेफरेन्स भी इसलिये दिये हैं कि झुन्झुनू से आने वाले

(श्री भैरोंसिंह)

माननीय सदस्य को कान्फ्रीट रूप में कुछ सुनाने की मैंने चेष्टा की है। उसके सुनने के बाद मैं आशा करता हूं कि इसी कैटेगोरिकल वे में सरकार की ओर से उत्तर मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियम बार-बार कैसे बदलते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, या तो राजस्थान सर्विसेज के सम्बन्ध में नियम बदलते हैं या इसके सम्बन्ध में। अभी पे कमीशन के रिपोर्ट के साथ-साथ मैंने और भी बातें देखी। उसमें बताया गया कि राजस्थान में जितने संशोधन राजस्थान सर्विस रूल्स में होते हैं उतने संशोधन किसी भी नियम के अन्दर किसी भी कानून के अन्दर नहीं होता है। उसी प्रकार के संशोधन फौजियों के सम्बन्ध में जो घोषणायें की जाती हैं और उनके सम्बन्ध में जो नियम-उप-नियम बनाये जाते हैं उतने ही संशोधन उसमें किये जाते हैं। सरकार की तरफ से फौजियों के लिये नियम बनाये हैं उनमें कुछ सुधार हुआ है लेकिन कुछ कम्पलीकेशन्स क्रियेट हो गये कि फौजी जमीन लेने से महरूम हो जाते हैं। जितने भी फौजी मेरे पास आते हैं तो मैंने एक तरीका बना लिया है कि मैं उनसे कह देता हूं कि खेतसिंहजी को घेर लो निकलने मत दो ताकि एक दिन वह हालत आयेगी कि खेतसिंहजी परेशान होकर शेरगढ़ चले जायेंगे। सुखाड़ियाजी ने विभाग तो दे दिया लेकिन साथ में चपरासी भी नहीं दिया। वे इस कोशिश में हैं कि कुछ प्राप्ति हो सके, मगर इस प्रकार की स्थिति नहीं है। बेचारे हुक्म देते हैं तो तहसीलदार नहीं मानता है, और यहां सेक्रेटेरियेट के ऊपर के लोग तो कोई सुनाई नहीं करते हैं। डिप्टी मिनिस्टर की हालत, उपाध्यक्ष महोदय, आपने इसके बारे में अनुभव किया है, ऐसी है कि मुझे बहुत ही दया आती है।

श्री उपाध्यक्ष : उस वक्त हालत ऐसी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है।

श्री मदनसिंह : आपने इस बात की ताईद की है कि यह हालत खराब है।

श्री भैरोंसिंह : इस हालत में जो कार्य होता है वही तो चिंता का विषय है।

श्री रणजीतसिंह : "बेचारे" शब्द को एक्सपन्ज कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : बेचारा खेतसिंहजी के लिये नहीं कहा डिप्टी मिनिस्टर के लिये कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने तो केबिनेट मिनिस्टर श्री शोभारामजी को बेचारा गरीब कहा है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले इस सदन के सत्र में एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहा गया था कि जयपुर में अम्बाबाड़ी स्कीम का प्रस्ताव है जिसमें फौजियों को आबादी के लिये पट्टे दे दिये हैं। मैंने इस बात को देखा और क्वेश्चन कुछ लोगों के पास गया और कहा कि आपको पट्टे तो दे दिये तो उन्होंने बताया कि कब्जा दिलाइये कब्जा आज तक नहीं मिला। यहां

(श्री भैरोंसिंह)

पर विधान सभा में कहा कि इतने फौजियों को जमीन एलाट करदी।

आज फौजियों के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा कि दुनियाभर के सोल्जर्स बोर्ड बना रहे हैं और खुद फौजी अधिकारी उनमें काम करते हैं लेकिन उनके काम से सन्तोष नहीं है फौजियों को भी सन्तोष नहीं है। वह सन्तोष केवल इसलिये नहीं है कि जो सोल्जर्स बोर्ड के आफिसर्स जो उसके अन्दर नियुक्त किये जाते हैं तो उनको चिन्ता अपने पेट की रहती है और अपनी सुविधाओं की रहती है और फौजियों को जमीन मिले इस बात की नहीं रहती है। वह इसलिये नहीं रहती है कि सरकार फौजियों को सोलजर्स बोर्ड में नोमिनेट करती है तो इस नोमीनेशन की प्रणाली को खत्म करना चाहिये और मिलिट्री हैडक्वार्टर्स जिस फौजी को नियुक्त करना चाहे वह सोलजर्स बोर्ड के सेक्रेटरी के रूप में काम करेगा। मैं

(३ म० अ०)

समझता हूं कि इससे उनकी लायल्टी और फेथफुलनेस आर्मी हैड क्वार्टर और आर्मी पर्सनल के प्रति रहेगी और फौजियों के साथ लैण्ड एलाटमेन्ट के बारे में न्याय किया जा सकेगा। आज जो भी भूमि के एलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में यह हालत है यह केवल नागौर और झुंझुनूं जिले में ही नहीं है, राजस्थान के अन्दर एक मालुपुरा नाम का गांव है, इस गांव के बारे में माननीय रामनारायण जी जानते होंगे, यह गांव चिड़ावा के पास है। उस गांव के अन्दर फौजियों को जमीन का एलॉटमेन्ट कर दिया गया, उस एलाटेड जमीन पर फौजियों ने कब्जा कर लिया, उसके ऊपर उन्होंने काश्त कर ली लेकिन उसके बाद में उनको मारपीट कर निकाल दिया गया और उनको मुकदमेबाजी में फंसा दिया। मैं माननीय मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की नीयत यह है कि फौजियों को, एक्स सोल्जर्स को जमीन न मिले और उनको जमीन मिले तो उनको मुकदमेबाजी में फंसा दिया जाय? उनको जमीन न देने और उनको मुकदमेबाजी में फंसाने का जो योजनाबद्ध प्रयास चल रहा है क्या इसकी उनको जानकारी नहीं है? मैं आज की हालत में निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आज ही मुझे बिल्कुल ताजी जानकारी मिली है कि लेटेस्ट कि पाकिस्तान की फौजें राजस्थान की सीमा पर खड़ी हैं, किस समय पाकिस्तान की फौजों का राजस्थान की सीमा पर हमला हो जाय इसके बारे में कोई भी अच्छे से अच्छा ज्योतिषी नहीं कह सकता है, इसको तो अय्यूब खां का माइन्ड ही बता सकता है कि किस समय पाकिस्तान की फौजों और राजस्थान पर नियत सैनिकों में संघर्ष हो जायगा। ऐसी स्थिति में जब हम राजस्थान की सरकार को कहते हैं कि राजस्थान की सीमा पर फौजियों को बसाया जाय, तो राजस्थान की सरकार उनको राजस्थान की सीमा पर नहीं बसाती है, फौजियों को राजस्थान के अन्दरूनी क्षेत्र में नहीं बसाती है, जहां पर उनको जमीन उपलब्ध हो सकती है वहां पर उनको वह जमीन उपलब्ध नहीं कराती है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय मेडीकल कालेज में एडमीशन हुए थे उस समय फौजी मारे-मारे फिर रहे थे। इसके अलावा राजस्थान सरकार और राजस्थान मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी कि जो आर्मी ऑफिसर और आर्मी पर्सोनल्स डिमोबिलाइज होंगे उनको राजस्थान की सरकार राजस्थान की सर्विसेज में एब्जोर्ब

(श्री भैरोंसिह)

करेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो आर्मी ऑफिसर्स डिमोबीलाइज हुए, जिनको छुट्टी मिली उन बड़े-बड़े ऑफिसर्स को क्या राजस्थान की सर्विसेज में किसी ओहदे पर सर्विसेज दी गई ? राजस्थान के स्टेटुअरी कोर्पोरेशन में पिछले दिनों नियुक्तियां हुई हैं, सेमी गवर्नमेन्ट आफिसेज में नियुक्तियां की गई हैं, गवर्नमेन्ट आफिसेज में अपाइन्टमेन्ट्स हुए हैं—उन सबमें से आपने कितने फौजियों को सर्विस दी है।

माननीय मन्त्री जी, आप जो आंकड़े लेकर आये हैं और जो आंकड़े आप देंगे उनका सवाल यहां नहीं है, यहां तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन चपरासियों की जगह पर, उपाध्यक्ष महोदय, फौजी भर्ती हो गये थे, उनमें से कई को सरप्लस डिक्लेअर कर दिया गया है। तो लैन्ड एलाटमेन्ट का जहां तक प्रश्न है उसमें किसी प्रकार का संरक्षण राजस्थान में फौजियों को नहीं मिलता, यही हालत एजुकेशन की है, यही हालत मेडीकल की है और यही हालत लीगल मामलों में है, लॉ डिपार्टमेन्ट जहां से लीगल मामलों में ओपिनियन फौजियों को मिलनी चाहिये, वह लीगल ओपिनियन फौजियों को नहीं मिलती है। यही जमीन के एलाटमेन्ट की हालत है, यही सिंचाई की हालत है। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मन्त्रीजी यह बताये कि सिंचित भूमि कितने फौजियों को एलाट की गई है। आपने बारानी बंजर जमीन फौजियों को एलाट की है—यह बात सही है, जिस जमीन को कोई किसान लेने को तैयार नहीं होता वह जमीन एक्स सोल्जर्स को देकर आपने आंकड़े तैयार कर लिये हैं कि इतने हजार एकड़ जमीन एक्स सोल्जर्स और फौजियों को डिस्ट्रिब्यूट कर दी है, लेकिन मैं आपसे एक जानकारी करना चाहूंगा कि एक्स सोल्जर्स को कितनी सिंचित भूमि एलाट कर दी गई है। यह बात सही है कि बृजसुन्दर शर्मा जो पहले रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनको कमान्ड एरिया की जमीन खाने की आदत पड़ी हुई थी, इसलिये ही वह फौजियों को कमान्ड एरिया में से जमीन देना भूल गये। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आप इस बात के आंकड़े इस सदन में प्रस्तुत करें कि इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स में कितने एकड़ भूमि एक्स सोल्जर्स को दी गई। इस प्रश्न को लेकर रामचन्द्र आर्य हमेशा चिल्लाया करते हैं कि आश्वासन में फौजी खड़े नहीं हो सकते इर्रिगेशन लैन्ड का प्रश्न हो नान इर्रिगेटेड लैन्ड का प्रश्न हो फौजी आश्वासन में खड़े होकर जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य !

श्री भैरोंसिह : अब दो एक मिनिट का काम है।

श्री मदनसिंह : बहुत संक्षेप में कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिह : मैं निवेदन कर रहा था कि इर्रिगेटेड लैण्ड के एलॉटमेन्ट का कुछ क्राइटेरिया फिक्स अप करके तो चलें। जो फौजी डिसएबल्ड हो गये हैं उनको इर्रिगेटेड लैण्ड मिलेगा, या जो मेरिटोरिअस सर्विस में हैं उनको इर्रिगेटेड लैण्ड मिलेगा—इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया फिक्स अप करके चलें। लेकिन आप क्राइटेरिया फिक्स अप नहीं करते और उनको आप बंजर-भूमि ही देना चाहते हैं। मैं आपको शेरगढ़ का उदाहरण देना

(श्री भैरोंसिंह)

चाहता हूं। खेतसिंहजी, शेरगढ़ तहसील के बारे में जानते हैं, पूरे राजस्थान के अन्दर अकेली यह तहसील है जो सबसे ज्यादा लैण्ड फौजियों को प्रोवाइड करती है और उसके ही वोट लेकर खेतसिंहजी यहां पर बैठे हुए हैं। इसलिए उसके नाम पर, अपने निर्वाचन क्षेत्र के नाम पर आप इस सरकार के ऊपर फौजियों के मामलों को लेकर दबाव डालें। अगर आपकी नहीं चलती है तो आप अपनी पोर्टफोलियो त्याग कर, अगर हमारे साथ नहीं बैठे तो नहीं सही, रामनारायण जी की पंक्ति में जाकर तो बैठें जिससे हमें यह तसल्ली हो कि इस आदमी ने प्रोटेस्ट किया है. इसमें प्रोटेस्ट करने की ताकत है, फौजियों के लिए इसके दिल में दर्द है और फौजियों को सहायता और सुविधा मिले—इस बात की चेष्टा करने की बात इसके दिमाग में है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार सिर्फ घोषणा ही नहीं करे, घोषणा करे और उन घोषणाओं को इम्प्लीमेन्ट कराये। इसलिये ही मैंने पिछले सत्र में कहा था कि जो कन्सेशन्स सरकार ने दिये हैं उन कन्सेशन की किताब प्रकाशित की है लेकिन इसके साथ ही जितने कन्सेशन्स सरकार ने आज तक डिक्लेयर किये हैं इनका इम्प्लीमेन्टेशन किस सीमा तक हुआ है—इस प्रकार की सूचना की सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश होनी चाहिये प्रत्येक सत्र में ताकि सारे फौजियों में इस बात का प्रचार किया जा सके कि राजस्थान की सरकार फौजियों के लिये हर बात में हर प्रकार की कुर्बानी करने के लिये तैयार है। लेकिन इस प्रकार की लिस्ट यह सरकार प्रोवाइड नहीं करती है तो ऐसा लगता है कि इस सरकार ने जो घोषणायें की हैं उनको इम्प्लीमेन्ट करने की इस सरकार से और खास तौर से इस सदन से निवेदन करूंगा कि यह फौजियों का मामला है, यह मामला न जाति-पांति का और न धर्म का है, न किसी सम्प्रदाय विशेष का है। यह मामला एक्स सोल्जर्स का है, सोल्जर्स का है जिसमें जाति-पांति और धर्म नहीं है, इसमें देश की सुरक्षा का सवाल आता है, यह एक महत्व का सवाल है इसलिये सरकार जिम्मेदारी के साथ में आचरण करे। इतना ही निवेदन करते हुए मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने जो सैनिकों को भूमि एलाटमेंट के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये उनके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है। मेरे ख्याल से यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। हम एक आधुनिक सरकार हैं, हम एक सभ्य सरकार हैं और आज के देश के वातावरण को देखते हुए मेरे ख्याल में सैनिकों को महत्व देना सरकार का पुनीत कर्त्तव्य है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर एक सैनिक सारी जिन्दगी भर हथेली में अपनी जान रख कर रिटायर होता है और रिटायर होने के पश्चात् सरकार आश्वासन देती है कि उसको यह यह सुविधायें मिलेंगी, उसको भूमि मिलेगी। लेकिन हमारी सरकार की नीति क्योंकि अस्पष्ट है इसलिए भूमि मिलने की जगह वह दर-दर भटकता फिरता है, उसका अपमान होता है, उसको जलील किया जाता है, और भूमि एलाटमेंट के बजाय उसको हर तरह से तंग और परेशान किया जाता है क्या यह सरकार की शोभनीय

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

व्यवस्था है ? सरकार की नीति अस्पष्ट क्यों है, यह मेरी समझ में नहीं आता। किसी भी सभ्य देश के अन्दर, मेरे ख्याल में किसी भी मॉडर्न देश के अन्दर ऐसा नहीं होता कि वह अपने आर्मी पर्सनल्स रिटायर्ड पर्सनल्स को ऐसा शैबी ट्रीटमेंट दे। मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि एलाटमेंट के लिए भूमि सैनिकों के लिए रिजर्व होनी चाहिए और उसके एलाटमेंट के अन्दर आर्मी पर्सनल्स से सरकार के सहयोग के साथ, सरकार के कॉपरेशन के साथ यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई रिटायर हुआ कि तुरन्त उस सैनिक को भूमि एलाटमेंट के योग्य करार दिया जाय और उसको शीघ्रातिशीघ्र भूमि का एलाटमेंट किया जाय, और स्थिरता और स्टेबिलिटी के साथ में उनको एलाटमेंट किया जाय। उनको भूमि देना और भूमि देने के पश्चात् सैंकड़ों मुकदमे करना, और यहां माननीय मंत्री के ऊपर यह आक्षेप लगाना कि वह जाति-पांति के विचार, क्षुद्र बुद्धि, नैरो माइन्ड के साथ उनको परेशान करते हैं मैं नहीं जानता यह कहां तक आरोप तथ्य रखते हैं। इसमें कोई तथ्य भी है तो मेरे ख्याल में एक बहुत बुरी बात है। सरकार को चाहिए इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट साफ नीति रखे और इसमें रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण !

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मदनसिंहजी दांता के प्रस्ताव, नियम १२७ के अन्तर्गत दिये गये, पर भूतपूर्व फौजियों, सेवारत फौजियों को काश्त भूमि, आबादी भूमि के आवंटन की समस्या को लेकर सदन में चर्चा चल रही है। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं भी इस चर्चा में भाग लूं लेकिन बहस के तरीके के कारण और बाद में माननीय जनसंघ के नेता महोदय के विचार सुनने के बाद मैंने भी आपसे निवेदन किया कि मुझे भी संक्षेप में बोलने की अनुमति प्रदान की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को सब मानते हैं और महसूस करते हैं कि देश की सुरक्षा का सवाल और देश की सुरक्षा की समस्या हमारे देश के सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों के हाथ मे है इसलिए इनकी आबादी की भूमि और काश्त की भूमि की समस्या को सुलझाने में सरकार को मदद करनी चाहिये और उनके लिए एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। इसके लिए एक कार्यक्रम बनाया भी गया है, भूमिहीन फौजियों और सेवारत फौजियों को भूमि दी गई है और उस विषय में हुई जो अनियमिततायें हैं उस सम्बन्ध मे चर्चा उठाई गई हैं। यह सही बात है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों को पूरी मात्रा में संतोष हो सके उस मात्रा में उस तरीके से आबादी और काश्त की भूमि नहीं मिल सकी है, लेकिन यह समस्या है उपाध्यक्ष महोदय, कि देश में इतनी जमीन नहीं है, इतनी भूमि काश्त को नहीं है कि सबको मांग पूरी की जा सके। पर जितनी भूमि हमारे पास है, उसका वितरण ठीक प्रकार से हो, डिजर्विंग सोल्जर्स हैं, मेरीटोरियम्स सोल्जर्स हैं, जो एक्सज सोल्जर्स हैं, उनको जमीनें मिलें, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, हम मानते हैं कि सैनिकों की समस्याओं का समाधान संतोष-

(श्री रामनारायण चौधरी)

उनको ढंग से किया जाना चाहिये, उनको जमीनों का अलॉटमेंट होना चाहिये। मैं इस बात को भी मानता हूं कि फौजियों को जमीनों का जो अलोटमेंट हुआ है, वह इस प्रकार की जमीनों का कर दिया कि वह जमीन गोचर भूमि की है, गोचर भूमि की जमीन होने की वजह से गांव वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ और फौजी को लिटिगेशन में फंसना पड़ा और उसको हैरानी हुई मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि सरकार को उतनी ही घोषणा करनी चाहिये कि जितनी वह पूरी कर सके। आज हम एलान कर देते हैं कि फौजियों को इतनी-इतनी सुविधाएं देंगे, तो सरकार को एलान करने से पहले पूरे आंकड़े एकत्रित कर लेने चाहिये कि फौजियों को इतनी मात्रा में सुविधाऐं दे सकते हैं और फिर घोषणा करनी चाहिये कि इतनी भूमि जिलों में मौजूद है, इतनी हम फौजियों को अलॉट करेंगे।

एक बात मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि फौजियों को भूमि का अलांटमेंट हो जाने के बाद में, उच्च अधिकारियों के पास कोई भी उस अलॉटमेंट के सम्बन्ध में अपील हो तो उसका सारा खर्चा सरकार को देना चाहिये मैं इस बात को मानता हूं। मेरे पास काफी फौजी आते हैं, अपनी दलीलें पेश करते हैं पर इसका समाधान तो सरकार ही कर सकती है। सदन के माननीय सदस्यों को फौजियों की समस्याएं सरकार के सामने रखना चाहिये और वाजिब सुझाव उनकी समस्या के समाधान के लिये देने चाहिये।

माननीय भैरोंसिंहजी इस बात को महसूस करेंगे, मैंने सिर्फ इस बात पर आक्षेप किया था कि बार-बार प्रस्तावक महोदय गंगारामजी का नाम ले रहे थे, मैंने यह एतराज किया कि वे भी सरकार के अंग हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिये, सरकार का नाम लेना चाहिये। खैर उनकी मर्जी।

मैं इस बात को चाहता हूं कि काश्त की भूमि सिंचित भूमि भी फौजियों को दी जानी चाहिये। फौजियों के लिये एक कोटा निर्धारित कर दिया जाना चाहिये और क्राइटेरिया फिक्स कर देना चाहिये। जो मेरिटोरियस सर्विसेज के फौजी हैं, जो मोर्चे पर अपाहिज हो गये हैं या बीमारी की वजह से खेती करने के योग्य नहीं रहे हैं, ऐसे फौजियों को सिंचित भूमि भी दी जानी चाहिये...

श्री मदनसिंह : ऐसे नियम हैं, इसी नियम के आधार पर दिया है, गोचर नहीं है, पर दूसरों को दिला रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : भूमि अलाटमेंट के रूल्स को संशोधित किया गया है लेकिन इसके बाद भी इस बात की जरूरत है कि इनको और संशोधित किया जाना चाहिये और जो इन्डिपेन्डेन्ट इंडिया की रक्षा कर रहे हैं, नेफा और लद्दाख में जो लोग तैनात हैं, उनको विशेष रूप से सुविधाएं देनी चाहिये। आज इस फौजी फैसिलिटी का ज्यादातर वे लोग फायदा उठा रहे हैं जो कि आज से २०-३० वर्ष पहले ब्रिटिशर्स के टाइम की फौजों में थे। मैं यह निवेदन करूंगा सदन से और सरकार से कि चायना और पाकिस्तान के एग्रेसन के समय नेफा

(श्री रामनारायण चौधरी)

और लद्दाख में और अग्रिम मोर्चों पर जिन फौजियों ने देश की सेवा की है, उनकी सूची बनाई जाय और उस सूची के आधार पर उन्हें भूमि का अलॉटमेन्ट किया जाना चाहिये आबादी की भूमि भी उनको दी जानी चाहिये।

मेरी यह कतई मंशा नहीं है कि फौजियों को सुविधाएं नहीं दी जायं, मैं तो चाहता हूं कि फौजियों को सुविधाएं दी जाय और तहेदिल से इस बात का समर्थन करता हूं कि फौजियों की समस्याओं को सन्तोषजनक ढंग से सुलझाया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस राजस्थान में फौजियों का कितना स्वागत किया गया, कितना सम्मान किया गया, यह मैं जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि पाली जिले में कितनी भूमि उनको दी गई, अच्छी और उपजाऊ भूमि उनको अलोट की गई। फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि फौजियों को ऐसी भूमि अलॉट कर दी जो ओक्यूपाइड लैंड है, जिन पर दूसरों का कब्जा है, जिन पर ओक्यूपाइड हैं, ऑलरेडी उनको अलॉट कर दी और फौजी भाइयों ने जाकर अपनी ताकत के बल पर उन लोगों को बेदखल कर दिया। यह भी देखा गया कि जिन लोगों के पास सैंकड़ों बीघा जमीन है, उन फौजी को जिनके पास कुए हैं, उपजाऊ भूमि है, उनको भी भूमि अलॉट कर दी। जो आज से २० साल पहले लड़ाई मे काम करता था, क्लर्क था, उनको जमीनें अलॉट कर दी।

मन्त्री महोदय ने जजमेन्ट दे दिया, एक-दो जजमेन्ट दे दिये, गलत जजमेन्ट दे सकते हैं, उस गलती को चुनौति दी जा सकती है कोर्ट में, आप उसका उदाहरण देते हैं, एक जजमेन्ट गलत हो सकता है, किसी मन्त्री महोदय ने एक गलत जजमेन्ट दे दिया, उसे कई बार आप कह रहे हैं कि राजस्थान फौजियों के प्रति वफादार नहीं है, राजस्थान फौजियों के प्रति जागरूक नहीं है, यह कदापि उचित नहीं है। राजस्थान फौजियों के प्रति जागरूक है, सजग है। आपने कहा अयूब के माइण्ड का क्या होगा, आप नहीं जानते, अयूब का माइण्ड कैसा है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं, भारत सरकार अयूब के माइण्ड का मुकाबला करने में समर्थ है...

श्री मदनसिंह : अयूब का जानते हैं, शेख अब्दुला का और आपके पांवों में पड़े हैं, उनका तो जानते ही नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : हम शेख अब्दुला को भी जानते हैं और उसकी कार्यवाहियों को भी जानते हैं।

आप कहते हैं कि अयूब के माइण्ड को नहीं जानते। एक तरफ सरकार की सहानुभूति चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह सतर्क है, फौजी सिपाही का काम पहले करती है। हमने देखा है कि हमारे वहां पाली का कलेक्टर और अधिकारी, जब भी कोई फौजी अफसर काम लेकर आता है तो पहले उनका काम किया जाता है। मेजर शैतानसिह और दूसरे सिपाही थे, उनके परिवार वालों को हमारे यहां की नगरपालिका में अच्छी और कीमती जमीनें और प्लॉट्स हमने अलॉट किये हैं।

Page No. 100

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : देश के फौजी को ठोकर देकर निकाला था, वह भी उसने चीनी के लिये एप्लीकेशन दी थी . .

श्री गिरधारीलाल व्यास : बिलकुल गलत ।

(शोरगुल)

(३.१६ म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

श्री मूलचन्द डागा : फौजी के ठोकर देकर बाहर निकाल दिया, या तो नाम लें कि किस अधिकारी ने ठोकर देकर निकाला ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान विधान सभा के ६२-६३ के सत्र में यह मामला आ चुका है, आप उस समय इस सदन के सदस्य नहीं थे ।

श्री मूलचन्द डागा : एक छोटी सी बात को लेकर इमारत मत बनाइये....

श्री मदनसिंह : आप इसे छोटी सी बात कहते हैं...

श्री आलम अली : कदेई थांका बाप-दादा भी मिलिटरी में रया है के मिलिटरी वालां को थांने के पतो ?

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सदस्य जो भाषा बोलते हैं बाप और दादों की, मैं तो यह समझता हूं कि जो फौजी है वह देश की सेवा करना जानता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, असली फौजी यह नहीं चाहता । सरकार एक फौजी के काम को सिर पर लेकर चलती है, फिर इस प्रकार की बातें कहना कि फौजियों के लिये कुछ नहीं किया जाता, सदन में विरोधी दल के नेता बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि यह मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, उस ही ढंग से सुलझाना चाहिये, और आप सदन में यह आवाज देते हैं कि फौजियों के प्रति सरकार कुछ नहीं करती, जबकि आपके नेता महोदय कहते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, इसको मनोवैज्ञानिक ढंग से लेना चाहिये ।

हम कहते हैं कि हम फौजियों के प्रति सजग हैं । गलती हो सकती है । कौन कह सकता है ? लेकिन ऐसे उदाहरण देना कि ठोकर मार दी, यह कर दिया, वह कर दिया । एक उदाहरण देकर सारी बात को गलत रास्ते पर ले जाना, यह उचित नहीं है । हम कहते हैं कि फौजियों को जमीन देना चाहिये, दी जा रही है, हम सिद्धान्त को मानते हैं । मदनसिंहजी ने कह दिया कि गलत फैसले होते हैं । मैं कहता हूं कि आप में ताकत नहीं है, इस प्रकार के गलत फैसलों को आप हाई कोर्ट में जाकर चुनौती दें ।

श्री मदनसिंह : इसलिये ताकत नहीं है कि वे फौजी सीमा पर लड़ रहे हैं । वहां मोर्चे पर हैं, हाई कोर्ट में नहीं लड़ सकते, वे गरीब हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि अच्छी से अच्छी भूमि और बढ़िया से बढ़िया भूमि कलेक्टर और तहसील-दार ने मौके पर जाकर इन फौजी भाइयों को दी है । हम अच्छा नहीं समझते कि हम इस बात को कहें कि हम जमीन देते हैं । हम देने का नाम नहीं लेना चाहते ।

श्री मदनसिंह : फौजियों के लिये एनाऊन्समेन्ट होता है तो फिर सिविलियन्स को क्यों मिलती है ?

Page No. 101

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कहा, आप ख्वामख्वाह छोटी सी बात को बड़ा मत बनाइये। आपके पास एक-दो उदाहरण हो सकते हैं लेकिन उसके कारण सारी बात पर पानी मत डालो।

श्री मदनसिंह : सैंकड़ों उदाहरण हैं।

श्री मूलचन्द डागा : बार-बार बीच में बोलते हैं। आप फौजी हैं, फौजियों की तरह विधान सभा में आपको अनुशासन से रहना चाहिये, आप में अनुशासन नहीं है।

श्री मदनसिंह : मैं ही एक ऐसा फौजी हूं जिसने आपको बोलना सिखाया।

श्री मूलचन्द डागा : फौजी हैं लेकिन अनुशासन नहीं जानते हैं और नियमों के विरुद्ध काम करते हैं।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : इन फौजियों के बिना तो यह राज्य सरकार नहीं रह सकती।

श्री मूलचन्द डागा : हम चाहते हैं कि हरेक आदमी में फौजी के गुण होने चाहिएं। जैसे विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा है, यह मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, उसको उस ढंग से देखना चाहिए, आपकी वाणी में सुझाव होने चाहिए लेकिन राज्य सरकार के प्रति फौजियों के दिमाग में गलत बातें पैदा न करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आतोन्द) : सभापतिजी, आज जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है वह फौजियों को सुविधायें देने के संबंध और कैसे उनको तकलीफ पहुँचाते हैं, इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने है। जहां तक सरकार की मन्शा का प्रश्न है, सरकार फौजियों की मदद करना चाहती है या नहीं, इस प्रश्न को देखें। फौजियों के संबंध में राज्य सरकार ने समय-

(३-२५ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

समय पर घोषणायें की हैं उसके अनुसार राज्य सरकार ने इन फौजियों को जो सेवा निवृत हो चुके है या आजकल सेवा में हैं, उन सभी लोगों को जमीन देने का प्रावधान किया। जो आंकड़े मंत्री महोदय प्रस्तुत करेंगे उनसे आपको मालूम होगा कि फौजियों को कितनी जमीन एलाट की है, कितनों को बस्तियों के लिए दी है और किस प्रकार से उनको बसाने के लिए सहायता देने के लिए कोशिश की है। उससे मालूम हो जायगा कि राज्य सरकार की नीयत बराबर बनी हुई है और सरकार इन फौजियों को जो सेवा में पहले रह चुके हैं या आजकल देश की सेवा कर रहे हैं, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए बराबर वह तैयार है। इस प्रकार का प्रश्न अवश्य पैदा हुआ है जैसे मदनसिंहजी ने थोड़ी देर पहले कहा के गांवों के अन्दर जो जमीन का एलॉटमेंट किया जाता है, उनके अन्दर गांवों की तरफ से कुछ न कुछ एतराज खड़ा हो जाता है, जिसके कारण फौजियों को तकलीफ होती है। मैं मानता हूं कि वहां पर अगर पटवारी और तहसीलदार सावधानी बरतें सावधानी से फौजियों को एलाट करायें और सोल्जर्स बोर्ड अगर सावधानी से उन को सहायता करे तो जो कठिनाइयां आज महसूस हो रही हैं, वह अपने आप दूर हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस प्रकार जो आरोप राज्य सरकार की नीयत पर

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

लगाए गए कि सरकार फौजियों की सहायता नहीं करना चाहती, बिल्कुल निराधार है। निराधार होने का कारण यह है कि जिस प्रकार सरकार इन फौजियों को जमीन एलाट करती है, बस्तियों में मकानों के लिए जमीन देती है जिसके लिए कायदे कानून बने हुए हैं, उससे साफ तौर से साबित है कि सरकार फौजियों को बसाना चाहती है, जमीन देना चाहती है। हालांकि इस प्रकार के फौजी भी हैं जो उनके परिवार के लोगों को सैकड़ों बीघा जमीन सरकार की तरफ से दी गई, हालांकि उसमें प्रावधान है सीलिंग का और दूसरे प्रावधान आड़ में आते हैं क्योंकि एक परिवार के कारण उनको नहीं मिलनी चाहिए। मैंने एक दो केसेज देखे हैं जहां सैकड़ों बीघा जमीन परिवार वालों के पास थी उसके बावजूद भी एलाटमेंट हुआ है। बाकी सरकार की नीयत में फर्क नहीं है। मगर जहां तक गांवों में झगड़ों का प्रश्न है, वाकई यह गंभीर प्रश्न है और सबको मिलकर विचार करना चाहिए। बाकी यह कहना कि सरकार फौजियों को जमीन नहीं देना चाहती उचित नहीं। गांवों में जहां फौजियों को एलाटमेंट होता है वहां गांव वालों ने झगड़ा पैदा कर दिया, उनका एतराज होता है कि पहले गांव वालों को दो, फिर दूसरे लोगों को। ऐसे झगड़ों को रोकने के लिए जो पटवारी व तहसीलदारों की मशीनरी है उसको गेयर अप करना चाहिये ताकि ऐसे स्थानों पर जहां गांव वाले एतराज करते हैं वहां जमीन एलाट न करके ऐसे स्थानों पर एलाट की जाय जिससे वे सुविधा पूर्वक खेती कर सकें और जमीन पर कब्जा करके डेवलप कर सकें। इस प्रश्न को गंभीरता से सोचना चाहिए। इसमें सरकार की बदनीयती का प्रश्न नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि फौजियों को ऐसी बन्जर भूमि दी जाती है जिसमें खेती नहीं हो सकती। इसका कोई आधार नहीं है और आपने देखा होगा कई जगह कमांड एरिया की जमीन उनको दी गई है और बराबर दी जा रही है और जब-जब भी जिस प्रकार की जमीन फौजियों ने मांगी, सरकार ने या एलाटमेंट कमेटी ने बराबर उनको फर्स्ट प्रिफरेन्स दी है। जो भी फौजी हमारे क्षेत्र में या आसपास जहां पर जमीन मांगता है उसको प्राथमिकता देकर सबसे पहले जमीन एलाट की जाती है उसके साथ-साथ तकावी का प्रबंध, दूसरे प्रबंध और वह जमीन को उपजाउ और खेती योग्य कैसे बनाए उसके लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वे सब साधन दिलाने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जाता है।

आप एलाटमेंट तो कर रहे हैं, बस्तियों में जमीने भी दे रहे हैं, मकान बनाने के लिए भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ासा फर्क है। सोल्जर्स बोर्ड में बड़े-बड़े अधिकारी हैं जो बड़े-बड़े अधिकारियों का ध्यान रखते हैं और बेचारे सिपाहियों को देने में कुछ कमी आती है। इसलिए सिपाहियों का पहले ध्यान करना चाहिए और आफिसर्स का बाद में। अधिकारियों को बड़ी-बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, उनको अगर जमीन न भी मिले तो कोई बात नहीं लेकिन जो छोटी श्रेणी के सिपाही हैं उनको प्राथमिकता देकर जमीनें दी जायं। सोल्जर्स बोर्ड की मार्फत हमारी तहसील और अलाटमेन्ट कमेटी के द्वारा इस प्रकार के सर-

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कुलर्स भेजे जायं ताकि फौजियों की जमीन पर कब्जा करने पर झगड़े होते हैं वे न हों और जल्दी से जल्दी उनको कब्जा मिल जाय। ठीक प्रकार से पैदावार वे लोग करने लग जायं। यही मेरी निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आज के मुख्य विषय की जो कार्यवाही है वह लेनी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल में जो फौजियों को जमीन दी गई उसमें पानी कभी भी नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : फौजियों के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : फौजियों के बारे में मुझे कुछ कहना है...

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपका नाम लेकर सम्बोधित करता हूं कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य काफी अनुभवी हैं, नियमों से भी परिचित हैं। फिर भी नियमों के विपरीत माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : फौजियों को जमीन दी गई है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : फरजी ..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

आप जान बूझ कर कई दफा सदन के जो नियम हैं उनकी अवहेलना करते हैं माननीय सदस्य। इस प्रकार सदन की कार्यवाही में बाधा डालना उचित नहीं है। सदन का समय है वह वास्तव में काफी कीमती समय है और कार्य सूची में जो कार्य निर्धारित किया गया है उसी पर चर्चा करनी चाहिये माननीय सदस्यगण उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिये आगे से आप इस पर ध्यान रखें।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य बोलते हैं तब ही कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो जाती है?

श्री उपाध्यक्ष : यह बात सही है। इसकी गवाही पूरा सदन देगा कि आसन द्वारा पुकारा जाता है न उस समय उसकी कोई कीमत है और न नियमों की उनके पास कोई कीमत है। जब चाहें जब किसी विषय पर वे बोल देते हैं। उस हालत में आसन को हस्तक्षेप करना पड़ता है। हमारे लिये यह मुश्किल कार्य जरूर है लेकिन यह करना पड़ता है।

श्री दौलतराम सारण : हम भी यहां बैठते हैं और नियमों की जानकारी रखते हैं और पूरा सहयोग देने का प्रयत्न करते हैं। कई माननीय सदस्य बोलते हैं तो उनको इजाजत मिल जाती है या इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन नोहर से आने वाले माननीय सदस्य जब शोरगुल करते हैं तो माननीय आर्य, माननीय रामचन्द्र आर्य पुकारा जाता है। नियमों में है चेतावनी पहले देना चाहिये। लेकिन नियमानुसार आसन कार्यवाही नहीं करता है सुबह भी आपत्ति उठायी थी और अभी भी उठाई गई है। सब ही माननीय सदस्य आसन से समान व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। जब आसन समान व्यवहार नहीं करता है तो आपत्ति उठाई जाती है। यदि आसन स्ट्रिक्टली नियमों का पालन चाहता है तो सभी माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं उनको समय देना चाहिये और एक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और उनको समय नहीं दिया जाता है और दूसरे माननीय सदस्य को समय दे दिया जाता है तो यह आपत्तिजनक हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी बात नहीं है। १८४ माननीय सदस्यों का यह हाउस है।

लोक सभा ५०० माननीय सदस्यों को है।

श्री दौलतराम सारण : लोक सभा को कार्यवाही इस प्रकार से नहीं चलती है।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह नहीं चलती है यह मैं जानता हूं। उससे सबक लेकर यहां को कार्यवाही भी अच्छी तरह से चले इसलिये आसन को इस प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ती है। नोहर से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। गलत कार्यवाही जो की जाती है सरकार के द्वारा उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बार बार यहां खड़े होकर गलत बात कही जाती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं यहां बार बार खड़ा होकर बोलता हूं वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं होती कि मैं बार बार खड़ा होकर बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जो फरमा रहे हैं यह अधिकार आपको ओर से आसन को दिया हुआ है। गलत बात है तो हम टोकेंगे और सहयोग चाहेंगे माननीय सदस्यों का तो आप दें।

श्री आईदानसिंह।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब पिछले सत्र में भूतपूर्व सैनिकों के विषय में बात हो रही थी तो जालोर शहर में भूतपूर्व सैनिकों के लिये प्लोट्स के लिये निवेदन किया था। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि मैं इसको हाथ में लूंगा। तो इस विषय में उन्होंने क्या किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे दो मिनिट दिये जांय।

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं दिया जावेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : दो मिनिट ही दिये जांय।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट भी नहीं दिया जावेगा।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। ४ बजने आये हैं।

श्री आलमअली : मैं तो भूतपूर्व फौजी हूं। मुझे तो टाइम दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वेतन आयोग पर बोल लीजिये, उस समय भूतपूर्व सैनिकों पर भी बोल लीजिये।

श्री आलमअली : सही बात बोल कर बताउंगा। मैं आदेश का पालन करवा वाला हूं, तोड़वा वालो नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री आलमअली : आपके बिना आदेश के नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : फिर बिराज जाओ।

श्री आलमअली : मांग करने को हक है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मन्त्री महोदय।

श्री खेतसिंह (उप-मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में मन्त्री महोदय।

श्री खेतसिंह : जितनी बातें कही हैं उनका तो जवाब देना ही है। संक्षेप में ही कहने का प्रयत्न करूंगा।

विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि सरकार की अनिश्चित नीति होने के कारण सैनिकों को इधर उधर भटकना पड़ता है और उनको भूमि का आवंटन नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि विभाग की ओर से नीति निश्चित है और उसी अनुसार आवंटन हो रहा है। जो बाधायें आती हैं उस सम्बन्ध में भी निवेदन कर दूंगा। माननीय सदस्यों ने जितने पौइन्ट्स उठाये थे उनका एक-एक का जवाब देने का प्रयत्न करूंगा।

भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम १९५७ के नियम १२ में संशोधन कर कृषि भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी गई है। इन्हीं नियमों के नियम ११ के उप-नियम (२) में परन्तुक जोड़ा जाकर ग्रामीण क्षेत्र में भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी गई है..

श्री रामचन्द्र आर्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री खेतसिंह : जो भारतीय शस्त्र सेना में विभिन्न पदों पर नियुक्त हैं। कुल मिला कर २,७३७ सैनिकों को ३९,०९२ बीघा भूमि आवंटन की गई है।

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है। माइक की डिफेक्ट है तो बदल लीजिये।

श्री खेतसिंह : अक्टोबर सन् १९६७ से अगस्त, १९६८ तक यह भूमि आवंटित की गई है।

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मन्त्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : हम यह स्पेसिफिकली जानना चाहते थे कि चाही जमीन कितनी दी।

श्री खेतसिंह : आप सुनते जाइये।

एक माननीय सदस्य : दूसरा माइक आप ले लीजिये।

श्री खेतसिंह : इसके अतिरिक्त प्रथम पंचवर्षीय योजना से जून, १९६७ तक ४,१७९ भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित की जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिला कर ६,६१३ भूतपूर्व सैनिकों को १ अगस्त, १९६८ तक भूमि आवंटित की जा चुकी है।

युद्ध अथवा संघर्ष में सेवारत होते हुए जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं उनके आश्रितों अथवा विकलांग सैनिकों को राजस्थान विकलांग भूतपूर्व सैनिकों तथा मृत प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रितों को विशेष सहायता, नियम १९६३ तक अन्तर्गत कृषि भूमि का आवंटन किया जाता है। इस वर्ग के ३४१ परिवारों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में एवं ११८ परिवारों को विभिन्न तहसीलों में भूमि का आवंटन किया जा चुका है। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है पहले तो इन व्यक्तियों को अलग-अलग तहसील में भूमि दी गई। वहां एक फसली भूमि है।

श्री मदनसिंह : वे पुराने जागीरदार हैं, उनको जागीर की तरफ से...

श्री उपाध्यक्ष : रनिंग कमेण्टरी साथ में नहीं होनी चाहिये। पहले मंत्रीजी का भाषण समाप्त करने दीजिये। बाद में चाहें तो सवाल कर लें।

श्री खेतसिंह : उन व्यक्तियों को जिनको शौर्य पदक प्राप्त हुए थे, उन व्यक्तियों में से से १७ सैनिक परिवारों को राजस्थान नहर परियोजना में अच्छी से अच्छी जमीन देने का गवर्नमेण्ट ने प्रयत्न किया है। उन्होंने उस पर कब्जा भी ले लिया है। अब दो परिवार ऐसे रहे जिनको अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। वे इसलिये बच रह गये कि उन्होंने इस जमीन को पसन्द नहीं किया। इस प्रकार से कुल मिलाकर यदि आप राजस्थान के भूमि आवंटन के कार्यक्रम को देखेंगे तो वह काफी संतोषजनक रहा है। आज तक कुल मिलाकर जो प्रार्थना-पत्र हमारे पास आये थे, वे इस प्रकार से थे :— ८१०३ कुल प्रार्थना-पत्र हमारे पास आये उनमें से ४९५१ प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिये इसलिये कि या तो उनके पास जमीन थी, या उनके प्रार्थना-पत्र ठीक नहीं थे, या वे सेवारत थे। हम उनको भूमि आवंटन करते हैं जिनकी या तो पेंशन हो गई है, जो पांच वर्ष की फौजी सेवा के बाद पृथक् कर दिये गये हों, या जिनके रिटायरमेंट में दो वर्ष रह गये हों, उन व्यक्तियों को भूमि आवंटित होती है, हरेक को आवंटित नहीं की जा सकती।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं संक्षेप में ही क्योंकि सारा स्टेटमेंट पढ़ने का समय नहीं है, आवंटन के लिये अलग-अलग नियम बने हुए हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया है, पहले उन व्यक्तियों को केटेगरी में लिया गया है जिनको शौर्य पदक मिला है, दूसरी केटेगरी में उनको लिया गया है जो लड़ाई के मोर्चे पर मर गये हो, या परमानेन्ट डिसएबिल्ड हो गये हैं। तीसरी केटेगरी उन व्यक्तियों की है जो भूमिहीन हैं और सैनिक

(श्री खेतसिंह)

थे और वे पेन्शन में आ गये हैं और उनके पास में भूमि नहीं है। इन तीनों आदमियों को भूमि का आवंटन किया है। अब इसके बाद में निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर भी जो भूमिहीन सैनिक हैं उनकी भी केटेगरी बना दी है। भूमिहीन हर प्रकार के सैनिक होते हैं जो लड़ाई के मोर्चे पर नहीं जाते, फील्ड सर्विस नहीं करते, टेरीटोरियल आर्मी में रहे हों। लड़ाई के मोर्चे पर जो सैनिक मारे गये उनके ज्यादा नम्बर रखे हैं। इस प्रकार हर प्रार्थना-पत्र पर जिस वक्त आवंटन होता है, ऐसे मारकिंग सिस्टम के द्वारा प्राथमिकता तय कर देते हैं ताकि किसी भी सैनिक को किसी प्रकार से कोई नुकसान न हो और उनकी किसी प्रकार की कोई ग्रिवेन्सेज न हो।

एक माननीय सदस्य : आबादी की भूमि की बात बतायेंगे।

श्री खेतसिंह : सब बतला रहा हूं। जहां तक इन नियमों के तहत भूमि के आवंटन का प्रश्न है, जिन-जिन गांवों में, तहसीलों में भूमि उपलब्ध हुई है, वहां आवंटन किया है। तहसील के अलावा जिले में भूमि का आवंटन किया गया है। इस सम्बन्ध में दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक एतराज पेश किया है। इस प्रकार के केसेज हमारे सामने आये हैं कि भूमि आवंटन के बाद जब कब्जा लेना चाहते हैं तो गांव वाले कब्जा नहीं लेने देते हैं। कहते हैं गोचर के काम की है। गांव वाले जमीन में किसी प्रकार इन्ट्रेस्टेड होते हैं। कई दफा झगड़े होते हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार के जो केसेज हमारे सामने आये हैं, हमने पुलिस की मदद देकर उन सैनिकों को कब्जा दिलाया है। ऐसी बात नहीं है। झुंझुनूं के चार केसेज हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो पुलिस को आदेश दिया और पुलिस ने जाकर उन व्यक्तियों को कब्जा करवाया है। कभी २ काम अच्छा होता है इसलिए थोड़ा बहुत तो शुक्रगुजार होइये। फिर यहां मत कहिये कि सरकार ने कुछ नहीं किया।

श्री मदनसिंह : दरिया दिली के लिये धन्यवाद।

श्री खेतसिंह : अब रहा सवाल प्लाट्स के आवंटन का। यह आप जानते हैं कि जितने प्लाट्स हैं, उनके आवंटन का काम अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करता है। यह आटोनामस बाडिज है। उनकी खुद की कमेटी बनी हुई है। उनकी परेशानियां हैं। फिर भी आपसे कहता हूं कि जो कार्यक्रम हमने अपने हाथ में लिया है काफी हद तक उसमें हमें सक्सेस मिली है। जो टारगेट हमने तय किये हैं वे यह हैं। जयपुर में १,००० प्लाट्स, जोधपुर में ५००, बीकानेर में २५०, अजमेर १५०, अलवर १००, भरतपुर १००, टोंक १००, नागौर १००, कोटा १००, उदयपुर १००, झुंझुनूं १०० और सीकर में १०० प्लाट्स। इसके अलावा जालोर के लिये एक माननीय सदस्य ने कहा है। परन्तु इनकी जो कमेटी बनी थी, उसी कमेटी ने यह राय दी थी उन्हीं जिलों के लिये अपनी स्पेसिफिक राय दी थी कि इन्हीं जिलों में भूतपूर्व सैनिकों को प्लाट देने की व्यवस्था की जाय। जालोर उनमें नहीं था, अतः इसके लिये अलग से सोचा जा सकता है। जयपुर के अन्दर २८१ प्लाट्स इनको दिलवाये हैं।

एक माननीय सदस्य : कब्जा कितना करवाया ।

श्री खेतसिंह : नारी के नाका में १४८ प्लाट्स दिये हैं और अम्बाबाड़ी में ८९ प्लाट्स। नारी का नाका में उनको कब्जा दिलवाया जा चुका है । अम्बाबाड़ी में यह सवाल है । इसलिये कब्जा दिलाने से रह गये कि डिफेंस वाले यह चाहते थे कि वे इस एरिया को अपने तहत में लेना चाहते थे । उनसे बातचीत समाप्त हो गई है और अब उनको जरूरत नहीं है । इसलिये जिनको ये प्लाट्स आवंटित किये गये थे उनको इत्तला भेज दी है कि आप अपने पैसा जमा कराके इन प्लाटों पर कब्जा करें । अम्बाबाड़ी के अलावा बनीपार्क एक्सटेंशन स्कीम में ४८ प्लाट्स जिनको देने थे उनको भी दे दिये हैं। इस प्रकार २८१ प्लाट्स जयपुर में इनको आवंटित हो चुके हैं अब जिन्होंने कब्जा नहीं लिया है तो आप समझिये यह उनकी लापरवाही है उनके प्रयत्न में कमी है । उनको प्लाट्स मिल गये हैं । दूसरी लालकोठी स्कीम है । यह स्कीम जब तैयार हो जायेगी तो इसमें भी भूतपूर्व सैनिकों को प्लाट्स आवंटित किये जायेंगे । इसके अलावा उदयपुर में ९८ प्लाट्स दे दिये गये हैं । झुंझनूं में १०८ प्लाट्स आवंटित कर दिये गये हैं । चूरू में १३४ प्लाट्स दे दिये हैं । अलवर में ३१ प्लाट्स दे दिये हैं । भरतपुर में ७ प्लाट्स दे दिये हैं । इसलिये जोर से कह रहा हूं कि यहां आपने कहा कि कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है । इतना आप भी कृपया नहीं कहें । हां कुछ कमी है, जितना काम होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ है । इतना काम होते हुए भी यह कहते हैं बेचारा खेतसिंह, बेचारी सरकार । आपको कम से कम इतना अहसान-फरामोश नहीं होना चाहिये । डूंगरपुर में ४ और पाली में ३ प्लाट्स...

श्री भैरोंसिंह : बेचारा खेतसिंह... ... बेचारा शेरसिंह तो नहीं बताया ।

श्री खेतसिंह : इसी प्रकार जोधपुर में आवंटित किये जायेंगे । जोधपुर में एक बहुत अच्छी स्कीम है । वह वहां की अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के विचाराधीन है। जल्दी ही वह पास हो जायगी । जोधपुर के लोको क्लब के पास एक बहुत बड़ा एरिया है जो एरोड्राम से नजदीक है । वह सारा का सारा एरिया सैनिकों के लिये देने का प्रावधान है । जैसा कि आपने अखबार में पढ़ा होगा, वहां की यू. आई. टी के जो नये अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने स्टेटमेन्ट दिया है कि जल्दी से जल्दी वे सैनिकों को आवंटन करेंगे । कुल मिलाकर आप देखेंगे प्लाट्स के अन्दर हमने काफी सक्सेस पायी है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : कुल कितने प्लाट्स दिये हैं ?

श्री खेतसिंह : टोटल मैंने नहीं किया है । आपने सुन तो लिया है । मेहरबानी करें । तो इस प्रकार से भूखण्डों के आवंटन का प्रश्न था जिसे आपने सुन लिया है । उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां उठाया गया है, उसमें कुछ दूसरे मुद्दे भी उठाये गये हैं । जयपुर शहर के माननीय सदस्य ने यह कहा कि सैनिकों को भूखण्ड का आवंटन किया जाता है किन्तु उनको लीगल असिस्टेन्स नहीं मिलने से बड़ी परेशानी होती है । आज जो नियम इस प्रकार के हैं इमरजेंसी जिस वक्त में हो और जो मोर्चे पर लड़ रहे हों उसके पीछे अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा चलता है तो उसको

(श्री खेतसिंह)

लीगल असिस्टेन्स मिल सकता है। हर सैनिक को लीगल असिस्टेन्स देने लगे तो लाखों रुपयों का प्रावधान करना पड़ेगा। अलग-अलग तरह के केसेज में हर केसेज से लीगल असिस्टेन्स मिलती रहे तो हमें नियमों के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान करना पड़ेगा। सारा सदन यदि चाहे तो सैनिकों के लिये और भी ज्यादा व्यवस्था कर सकता है।

श्री मदनसिंह : आपने कहा इतने सैनिक और दूसरी तरफ आपने कहा कि केवल दो चार मुकदमे हैं।

श्री खेतसिंह : सैनिकों के ऊपर कितने मुकदमे हो सकते है और कितने हैं यह न तो आप कह सकते हैं और न मैं। न तो आपने सैनिकों का ठेका ले रखा है और न मैंने कि उनके बारे में सभी जनकारी हो।

श्री भैरोंसिंह : कानून में जो प्रावधान है वह पर्याप्त है या अपर्याप्त आपकी क्या राय है ?

श्री खेतसिंह : पर्याप्त है या अपर्याप्त वह मैं नहीं कह सकता....

श्री उपाध्यक्ष : पहले मन्त्रीजी का उत्तर सामने आने दीजिये उसके बाद कुछ पूछना हो पूछिये।

श्री खेतसिंह : इसके अलावा यह भी बताया गया कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन के सिलसिले में कुछ बातें बतायी थीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर सैनिकों के अन्दर अगर हम राजनीति ले आये वह सबके लिये खराब होगा। सैनिकों में किसी प्रकार भी राजनीति न आने पाये इसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। वरना यह सबके लिये खतरनाक है। कइयों ने सैनिकों से गोदनामे बनवा लिये इसलिये कुछ एडमिशन में दिक्कतें आयी हैं ..

श्री आलमअली : हरिजनों के तो गोदनामे को आपने मान लिया लेकिन सैनिकों के गोदनामे को नहीं मानते हैं।

श्री खेतसिंह : थे भाई काइ कह दियो म्हारी तो समझ में आयो नहीं। सैनिकों के लड़कों के एडमिशन के बारे में मैं कह रहा था मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कौनसा केस जायज था, कौनसा नहीं। लेकिन मैं जहां तक जान पाया हूं एक-दो केसेज हैं जो विचाराधीन है उनको भी एडमिशन समय पर मिल जायगा।

यह मैं मानता हूं सैनिकों के लिये जितना काम होना चाहिये वह नहीं हुआ। मैं समझता हूं आप भी सब जानते हैं ज्यों-ज्यों हम प्रगति करेंगे अपने आप सभी प्रकार की सुविधायें सैनिकों को भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध करायेंगे और उनको राहत देने का प्रयास करेंगे।

श्री मदनसिंह : इस सवाल को मैं ज्यादा नहीं उठाना चाहता सम्बन्धित मन्त्री महोदय यह स्वीकार करते हैं कि जितना काम इनके लिये होना चाहिये था वह नहीं हुआ। अनेक कानून पास किये लेकिन जो राहत मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली।

अब आपने जो गलत स्टेटमेन्ट दिया है वह मैं बताना चाहता हूं। आप उपाध्यक्ष महोदय, उनके स्टेटमेन्ट को करेक्ट करवा लें। आपने कुछ स्टेटमेन्ट दिया है और चीफ मिनिस्टर ने कुछ दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नया प्रश्न नहीं उठायें।

श्री मदनसिंह : He has announced that so many villages have been allotted.

श्री खेतसिंह : It is a new question.

श्री मदनसिंह : आप इस वक्त बोल रहे हैं हम जब बीच-बीच में बोलते थे उस समय आप कहते थे कि बाद में पूछ लेना अब आप कह रहे हैं मत बोलिये। अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि ९ हजार भूतपूर्व सैनिकों को जमीन दी है। १२-९-६७ को माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने स्टेटमेन्ट दिया था उसमें कहा था कि ४,४९५ सैनिकों को भूमि अलॉट की थी। उससे पहले मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य ९-५-६७ को दिया था उसमें कहा था २,९५५ व्यक्तियों को अलॉट की गई। इस तरह से ९ हजार की संख्या तो एक साल पहले ही हो जाती है। यह तो आपने वही लिस्ट दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके समझ में नहीं आया एक तारीख को २ हजार उसके बाद ४ हजार और उसके बाद फिर २ हजार इस तरह से है।

श्री मदनसिंह : वक्तव्य की कॉपी मेरे पास मौजूद है ४,४९५ तो राजस्व मन्त्री ने बताया था १२-९-६७ को। उसके पहले एक वक्तव्य मुख्य मन्त्रीजी ने दिया था जिसमें कहा था कि राजस्थान के अन्दर २९५५ भूतपूर्व सैनिकों को भूमि अलाट की है अब आप इसको जोड़ लें करीब ७००० तो यही पड़ जाते हैं जो आपके पहले मन्त्रियों ने वक्तव्य दे दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न को आप और किसी तरीके से उठा सकते हैं।

श्री खेतसिंह : वापिस एक्सप्लेन कर दूं। आप नोट कर लीजिये फिर आप चेलेन्ज मत करना। १ अक्तूबर, १९६७ से ३१ अगस्त, १९६८ तक २,७३७ सैनिकों को कुल जमीन देना बतलाया जो ३९ हजार ९२ बीघा है। इससे पहले ४,१७६ भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन किया गया इस तरह से कुल ९,९१३ हुए। ३१ अगस्त, ६८ तक इनको आवंटन किया जा चुका है। दूसरी केटेगरी वालों को। ३४१ परिवारों को जमीन दी जा चुकी है जिनमें से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको भूमि आवंटन नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : तीसरी केटेगरी में एक्स सोल्जर्स के नाम पर जो राजस्थान में नहीं रहते हैं उन अधिकारियों के रिश्तेदार उस केटेगरी वालों को जितनी जमीन मिली है यह भी बता दें।

श्री खेतसिंह : पहली केटेगरी में इनको भी शामिल किया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री मदनसिंह : सैनिकों के नाम से ..

श्री आलमअली : आप एक बात बता दें जितने मिलिटरी मेन को आपने जमीन देने की आपने बात कही है उन पर कितने तो काश्त कर रहे हैं और कितनों पर मुकदमा चल रहा है।

श्री खेतसिंह : अधिकांश लोग काश्त कर रहे हैं कुछ पर मुकदमा चल रहा है।

Page No. 111

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह) : शांता भाईजी ने जो फौज के बारे में बात कही वह बिलकुल ठीक है। फौज के लिये जो कानून बनता है उसका पालन नहीं होता, फौजी आदमी कानून जानता है रेवेन्यू पटवारी कानून को नहीं जानता है। फौजी आज कानून नहीं जानता तो आप लोग यहां नहीं बैठे रहते।

राणावत वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राणावत वेतन आयोग की रिपोर्ट तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों पर जिनकी प्रतियां दिनांक ६ सितम्बर, १९६८ को सदन की मेज पर रखी गई हैं, विचार किया जावे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्रीजी कुछ कहना चाहेंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सोरी।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने ७ जून, ६८ को वन मैन पे कमीशन राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन के बारे में कायम किया था। जिसकी रिपोर्ट एक जुलाई, ६८ को राज्य सरकार के सामने पेश हुई। उसके बाद में राज्य सरकार ने अपनी आज्ञा ३१, मई ६८ द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के कर्मचारियों के बारे में भी वेतन आयोग को उनकी वेतन शृंखला के बारे में भी सिफारिशें करने के लिये निवेदन किया। उसकी रिपोर्ट भी वेतन आयोग ने दी जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्त ज्यादा समय सदन का लेना पसन्द नहीं करूंगा और माननीय सदस्यों की राय जानने के बाद में जो राज्य सरकार ने निर्णय लिये हैं उन पर और वेतन आयोग की सिफारिशों पर माननीय सदस्यों की राय जानने के बाद में राज्य सरकार की तरफ से उत्तर दूंगा। मगर दो चार पांच बातें इस मौके पर जो रिपोर्ट के बारे में है सदन के सामने रखते हुए निवेदन करना चाहूंगा।

इस रिपोर्ट के अन्दर माननीय सदस्यों के लिये मैं निवेदन करना पसन्द करूंगा कि इसमें कई चेप्टर हैं। राज्य सरकार ने अभी तक एक चेप्टर के स्केल पर फैसला किया है जो सदन की मेज पर रख दिया गया। राज्य-सरकार ने रिवसेशन पे पर नई स्केल पर कर्मचारियों को तनख्वाह मुकर्रर की जावे इसके ऊपर भी फैसला किया है और राज्य सरकार ने नान प्रेक्टिस अलाउन्स डाक्टरों के चेप्टर पर भी फैसला किया है। इसके अलावा बाकी स्पेशल पे और दीगर मामलात जो कि पे कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर हैं वे अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और माननीय सदस्यों की राय उन मामलों पर राज सरकार को उचित और वाजिब निर्णय करने के लिये इमदाद देगी और इस तरह माननीय सदस्यों की राय इन मामलों पर भी सदन में आनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगा कि वे अपनी राय देते वक्त इस बात को जरूर दिमाग में रखें

(श्री मथुरादास माथुर)

कि जो कुछ भी वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश की हैं और जो कुछ राज्य सरकार ने मन्जूर किया है उनमें ज्यादातर वेतन आयोग की सिफारिशें ही राज्य सरकार ने मन्जूर की हैं। पर कहीं पर उसके अन्दर राज्य सरकार ने तब्दीली की है तो उसके भी आधार हैं।

राज्य सरकार ने उनको मानते वक्त और उन सिफारिशों पर विचारते वक्त इस बात को ख्याल में रखा कि देश में इस वक्त क्या स्थिति है, दूसरे प्रदेशों के अन्दर और भारत सरकार में वेतन स्केल और पे स्केल और पे स्ट्रक्चर कैसा है इस पर भी खयाल रखा है। साथ-साथ देश में और दूसरे प्रान्तों के अन्दर राज्यों में जहां पर इस तरह के वेतन आयोग मुकर्रर हुए हैं और उनकी रिपोर्ट आ चुकी हैं और राज्य सरकार के विचाराधीन है उन पर भी ध्यान रखा है। राज्य सरकार ने राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति जो कुछ भी है उसको भी खयाल में रखा है। इन सबको खयाल में रखकर निर्णय लिया है।

इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि किसी वेतन स्केल पर चर्चा करते वक्त राज्य सरकार के सामने जो मुद्दे थे उनको सामने रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। मैं मानता हूं कि कई पे स्केलों पर अलग-अलग माननीय सदस्यों के विचार हो सकते हैं और यह बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि पे स्केल ज्यादा होना चाहिए। अमूमन जो मांग की जाती हैं वे ये ही होती हैं। पर माननीय सदस्यों पर पूरी जिम्मेदारी है वे सभी हालात को देखते हुए और दूसरी जगहों के पे स्केल को, पे स्ट्रक्चर को और वित्तीय आधार को देखते हुए विचार करेंगे जिससे राज्य सरकार को लाभ हो सकेगा बहुत ज्यादा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अलग-अलग पे स्केलों पर इस वक्त जाना पसन्द नहीं करूंगा क्योंकि पहले राज्य सरकार के सामने जो हमारा मौजूदा पे स्ट्रक्चर था जिसमें करीब-करीब ३८ पे स्केलें थीं उसको वेतन आयोग ने घटा कर २८ करदी और राज्य सरकार को फिर उस पर विचार करके ३३ करनी पड़ी। वैसे पे कमीशन की २९ भी गिन सकते हैं। एक १२५०) फिक्स पे स्केल थी वह मिलाकर १, खास तौर से कुल खर्चा वेतन आयोग की सिफारिशें ज्यों की त्यों मान लें, उनकी पूरी सिफारिशें पे स्केल की, और फिक्सेशन की भी मान लें तो करीब ४॥ करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भार पड़ता। मगर राज्य सरकार ने कुछ हेर फेर करके पे स्केल में जो कई पे स्केल बढ़ाई थीं उनको इम्प्रूव किया। उसको देखते हुए भी फिक्सेशन में राज्य सरकार ने पे कमीशन से इत्तफाक नहीं किया, खास तौर से इस मुद्दे पर कि जहां तक ६५० की तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं उस तक तो राज्य सरकार ने पे कमीशन की सिफारिश स्वीकार कर लीं कि उनको नये पे स्केल में फिक्स करते वक्त नेक्स्ट स्टेज पर जो बनता वह दे दिया जावे। यह राज्य सरकार ने मन्जूर किया है और ६५० के ऊपर तनख्वाह वालों को पे स्केल में इक्वल स्टेज हो तो इक्वल स्टेज पर फिक्स किया जावे और हायर हो तो हायर पर तब किया जावे पर ६५० की हायर स्टेज की बात मानी।

Page No. 113

(श्री मथुरादास माथुर)

दूसरी बात यह कही कि जिस कर्मचारी ने १२ साल की नौकरी कर ली है उसको एस स्टेज एक इन्क्रीमेन्ट देकर फिक्स किया जाय। यह उन्होंने कहा। राज्य सरकार इस बात को मंजूर नहीं कर सकी। इसके कई कारण हैं। १२ साल की नौकरी उसी पे स्केल में गिनी जावे या १२ साल की शुरू से कर्मचारी जब से राज्य सेवा में आया है वह गिनी जावे और इसको मानने में आपत्ति और कठिनाइयां थीं जिसका विस्तृत जवाब बाद में अगर माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे पर बहस में जोर दिया, तो दूंगा। इसके बदले में एक बात सोची कि जो कर्मचारी है और जो ५५ वर्ष के बाद में रिटायर होने वाला है ऐसों की जिनकी कि दस साल की सेवाएं बाकी रह गई हैं उनको एक इन्क्रीमेन्ट दे दिया जाय। इसका यह कारण है कि वह आदमी रिटायर होते वक्त एक इन्क्रीमेन्ट हो जाता है तो आखिर में जाकर पेन्शन पर असर पड़ता है। इसलिए जिनकी उम्र ४५ साल की है या अधिक है उन लोगों को हमने फिक्सेशन के अन्दर एक इन्क्रीमेन्ट देकर उनको कवर करने का फैसला किया। यह सिफारिश इस नीयत से की गई थी कि जो इस पे स्ट्रक्चर से इमीजिएट फायदा न उठा सकें उनको फायदा हो और दस साल बाद रिटायर हों तो उनको पेन्शन में फायदा हो। यह समझकर यह फिक्सेशन का कार्य किया। राज्य सरकार को सिफारिशों के आधार पर ३॥ करोड़ रुपयों का वजन इन सब सिफारिशों को मन्जूर करने पर पड़ेगा।

यह बात मैंने माननीय सदस्यों के सामने इसलिये निवेदन की कि इस प्रोब्लम का, समस्या का पे कमीशन की रिकमण्डेशन का फाइनेन्सियल इफेक्ट क्या होगा। और बहुत सी बातें अभी बाकी हैं। जैसे स्पेशल पे। इसका चैप्टर आपने पढ़ा होगा! उस पर वेतन आयोग ने जो कुछ भी मूल भूत स्पेशल पे देने के कारण बताये हैं और जिस पर दो अपेन्डिक्स मुकर्रर करके किन को तो मिलना चाहिये और किन को नहीं मिलना चाहिये, यह बताया है। ये सब बातें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। सिर्फ इसके अन्दर वेतन आयोग के पे स्ट्रक्चर के मुकर्रर करने से जो कुछ बढ़ोतरी होती है वह बढ़ोतरी केवल राज्य सेवा कर्मचारियों को नहीं होगी बल्कि उसके साथ साथ में अगर जो डीयरनेस है, मंहगाई भत्ता है उसके अन्दर पे स्केल के रिविजन से किसी केटेगरी में अफसर चला जाता है तो डीयरनेस बढ़ जाता है जिसकी वजह से टोटल पे बनती है उसके अन्दर हमारे नीचे के कर्मचारियों को काफी लाभ पहुँचा है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। दो बातें निवेदन करना चाहता हूं जहां तक हमारे छोटे छोटे कर्मचारी है जिसके लिये लेबर की सिफारिशों को देखते हुये कम कम से १३६ रूपये मिलना चाहिये। मगर आज की हालत मंहगाई सब बातों को देखते हुये १३६ रूपये मिलना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय राज्य सरकार ने १२५ रूपया देने का फैसला किया है। भारत सरकार है उसके अन्दर, उसके अन्दर सिर्फ एक तो भारत सरकार है.... ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरी केरल है ....

श्री मथुरादास माथुर : जिनके कर्मचारियों को दूसरी यू० पी० है जहां पर

Page No. 114

(श्री मथुरादास माथुर)

१३५ रु० मिलता है। १२५ रु० पे कमीशन की सिफारिश पर मंजूर किया है वह सब प्रान्तों से अधिक है। गुजरात, महाराष्ट्र से अधिक है। न्यूनतम वेतन हमारे कर्मचारियों को राजस्थान में १२५ रु० से कम नहीं मिलेगा। प्रश्न अब यह भी उठता है उपाध्यक्ष महोदय कि सरकार इस तरह का विचार रखती है कि बेसिक पे और डीयरनेस अलाऊन्स है—हर पे कमीशन ने डीयरनेस को साथ में रखा है, यह भी हवा चल रही है कि यह डीयरनेस पे में मर्ज हो जाना चाहिये। यह अभी केन्द्र के कर्मचारियों ने देश भर में किया, यह भारत सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार भी भारत सरकार के निर्णय को देख रही है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा पहले भी हमने डीयरनेस को मर्ज किया है तो मेरा इस वक्त यह निवेदन है कि कुल हमारे कर्मचारियों के जेब के अन्दर कम से कम इतना रूपया जाना चाहिये केवल ४४-४५ कर्मचारियों पर जो पियोन, जमादार की केटेगरी में आते हैं १२५ रु० देने की जो शुरुआत की है मैं नहीं चाहता कि आप सराहना करें ये हमने किया है। पे कमीशन ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लोएस्ट १२५ रु० की सिफारिश की है और हाइयेस्ट २३५० रु० की सिफारिश की है। हमारे यहां पर २३५० रु० से अधिक पाने वाले कुछ गिनती के कर्मचारी है। चीफ इंजीनियर्स है और १-२ कर्मचारी हैं वे ही २३५० से २५०० तक पाते हैं। अब इन इंजीनियर्स की सर्विस भी आल इंडिया सर्विस बनने जा रही है। २५०० रु० इंजीनियर्स को दी जाती है क्योंकि अब वह आल इंडिया सर्विस में जा रही है। उसमें हमने पे कमीशन की सिफारिशों से क्योंकि आल इंडिया की सर्विसेज पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती हैं। हमारी स्टेट के अन्दर पहले २५०० दिये हुए थे उसको कम करके २३०० किया है। राज्य सरकार की यह धारणा है कि मिनिमम वेतन पाने वाले और मैक्सिमम वेतन पाने वालों में जितनी कम खाई हो उतनी अच्छी है। मिनिमम पाने वाले से ज्यादा पाने वाले में एक से लगभग १६-१७ तक का रेशो है......

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता था कि माननीय सदस्य कहेंगे कि जो वेतन २५०० रु० मिलता है उसको ४०० रु० इन्कम टेक्स के निकल जाते हैं। उन सब में यह केलकुलेट करने वक्त इस बात को ध्यान में रखा है। १२५ रु० पर कोई टैक्स नहीं कटता है। २५०० पाने वाले के ४०० कटकर २१०० रह जाते हैं। मैंने कोई नया इनोवेशन नहीं रखा है। सब जगह इसी प्रिन्सिपल को माना है इसलिये एक से १६-१७ का मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेन्स है। यह उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिये रखा है कि माननीय सदस्य इस चर्चा करते वक्त कई पे स्केल्स हैं, करीब ३३ पे स्केल्स हैं इसके अन्दर। पे कमीशन ने एक बात और की है जो राजस्थान सरकार में आज तक नहीं थी हमारे यहां लम्बे लम्बे स्केल्स हुआ करती थी, इन कारणों से इनसेन्टिव कम हो जाता था और सबार्डीनेट की स्प्रिट नहीं रहती थी उन्हें तोड़कर सेपेरेट स्केल्स कर दिये हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

कई जगह आपको मैक्सिमम में कमी नजर आयेगी लेकिन वह कमी नहीं है, उसके दो स्केल कर दिये गये हैं मैक्सिमम में बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई है। मिनिमम का सवाल है हमने करीब करीब सभी ग्रेड्स के अन्दर बढ़ाया है ताकि नये एन्ट्रेन्स को अच्छी तनख्वाह मिले। मैक्सिमम में भी करीब-करीब सब जगह बढ़ाया गया है। इसके अन्दर खास तौर से उपाध्यक्ष महोदय, जो रेट ऑफ इन्क्रीमेंट है वह राज्य सरकार ने मंजूर किया है। रेट ऑफ इन्क्रीमेंट हमारे पे स्केल्स में ज्यादा हुये हैं। यह एक हैल्दी फीचर इस पे कमीशन का है। मैं मानता हूं कि फिक्मेसन का फारमूला अपना-कर कुछ पे स्केल्स को बढ़ाने का फैसला किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन के माननीय सदस्य, क्योंकि इसके अन्दर पूरे दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेंगे और उनके पुख्ते विचारों से सदन को लाभ मिलेगा, मैं इसको सदन के सामने पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है। जो पे कमीशन की रिपोर्ट दो या तीन दिन पहले प्रस्तुत की गई है उस रिपोर्ट के साथ गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिये हैं उसका एक नोट दिया है उस नोट के अन्दर एक बात लिखी है कि राज्य सरकार ने पे कमीशन की रिपोर्ट और तीन अधिकारियों की एक रिपोर्ट इन दोनों को ध्यान में रखते हुये जो डिसीजन लिये हैं वे किस प्रकार के लिये हैं। तीन अधिका-रियों को एक सब-कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट हमें नहीं मिली है और उसके बिना पे स्केल्स जो गवर्नमेंट ने किये हैं, उनके रीजन्स क्या हैं, किस प्रकार अमेन्डमेंट किया है इसका पता नहीं चलता। मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि उस सब-कमेटी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें ताकि सदस्य उन मुद्दों की तरफ जिनका डिसिजन हो गया है नहीं जायें और सदन का वक्त भी जाया न हो। आपने जो रिविजन किया है उसके बेसिस का अन्दाज नहीं लगता। इसलिये डिबेट ज्यादा अच्छी हो और रूल्स के अनुसार भी जो रैफरेन्स हाऊस दे रहा है उसके अनुसार यह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने कोई भी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इस तरह की कमेटी मुकर्रर नहीं की है बल्कि राज्य सरकार ने विभागीय अधिकारियों को जो इसी विषय से सम्बन्ध रखते हैं। इस विषय से दो विभाग सम्बन्ध रखते हैं एक तो अपोइन्टमेंट्स डिपार्टमेंट और दूसरा फाइनेन्स डिपार्टमेंट। इसलिये दोनों फाइ-नेन्स कमिश्नर और दो अपोइन्टमेंटस के सेक्रेटरी इन चारों को यह कहा था कि राज्य सरकार के पे कमीशन के बारे में जो रिप्रेजेनटेशन आये हैं और कोई एनोमलीज पोइन्ट आऊट की गई हो इसलिये केबिनेट ने इन चारों अफसरों को कहा कि रिप्रेजेन्टे-शन और एनोमलीज को देखकर फारमल रिपोर्ट पढ़कर इस तरह सदन की मेज पर रखी।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है कि कमेटी अपाइन्ट नहीं की।

Page No. 116

श्री मथुरादास माथुर : ऐसी रिपोर्ट नहीं थी कि सदन की मेज पर रखी जाये। डिपार्टमेन्टल ऑफिसर्स जो कि ४ ऑफिसर्स कन्सर्न्ड हैं चीफ सेक्रेटरी, अपॉइन्टमेन्ट सेक्रेटरी, फाइनेन्स कमिश्नर और फाइनेन्स सेक्रेटरी इनको कहा गया था कि वे इस पे कमीशन की रिपोर्ट को एग्जामिन कर लें और फिर केबिनेट को एडवाइज कर दें। और उसके बाद में केबिनेट ने बैठकर अपना डिसीजन लिया था और फैसला किया था जो कि अब सदन की मेज पर रख दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है कि आपने कोई कमेटी अपॉइन्ट नहीं की और उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी ?

श्री मथुरादास माथुर : They were for the guidance of the Cabinet.

श्री भैरोंसिंह : कमेटी थी या नहीं क्वेश्चन यह है।

श्री मथुरादास माथुर : उसको आप कमेटी कह दीजिए। उसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए।

श्री भैरोंसिंह : आप क्या कहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : आप उसको कमेटी कह दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस कमेटी के निर्माण का कोई नोटीफिकेशन निकला था क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जिस रिपोर्ट का रेफरेन्स इस हाउस में आता है या जिस रेफरेन्स के ऊपर डिबेट की जाती है उस कमेटी की रिपोर्ट हो या किसी प्रकार का डॉकुमेन्ट हो वह सदन में पेश किया जाना चाहिए। जिस डाकुमेन्ट के ऊपर पे कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार ने डिसीजन लिया है वह डोकुमेन्ट तो चाहिए। उसके बिना सरकार ने पे स्केल की लिस्ट पेश कर दी उसके लिए हम कहेंगे कि कमीशन ने जो सजेस्ट किया उसको कैसे चेन्ज किया है। तो कम से कम हमें यह जानकारी तो मिले कि पे कमीशन की रिपोर्ट पर इस कमेटी ने यह रिकमन्डेशन्स दीं और सरकार ने इसको स्वीकार किया है। यह पता तो लगे।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया कि यह कमेटी कहें या डिपार्टमेन्टल ऑफिसर्स कहें। रूल्स आफ बिजनेस के हिसाब से हमारी रिपोर्ट आती है तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट वाले एग्जामिन करते हैं। चारों ही कन्सर्न्ड सेक्रेटरीज ने बैठकर विचार कर लिया और उन्होंने केबिनेट को एडवाइज कर दिया। उन्होंने एडवाइज कर दिया और हमने फैसला ले लिया और जो फैसला हुआ और जो कमीशन की रिपोर्ट आई वह हमने सदन की मेज पर रख दी। इसलिए सेक्रेटरीज ने जो एडवाइस किया है They must be considered as best as notings.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा :

The report of Pay Commission and the Memorandum No .... dated 12th August, 1968 containing the

(श्री भैरोंसिंह)

note prepared by the committee..............

श्री मथुरादास माथुर : यह केबिनेट का नोट आता है।

I cannot place that on the table of the House. That was a note placed before the Cabinet. That is as good as an Administrative Deptt. Committee and their note.

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट ने डिसीजन लिया वह किस बेसिस पर लिया? रिवीजन किस बेसेस पर किया? आप चाहते हैं कि पहले कमीशन को अलग से डिसकस करें और आपने जो किया है उसको अलग से डिसकस करें? मैं समझता हूं कि आपको मेटिरियल पूरा देना चाहिए जिसके बेसिस पर यह पता लग सके कि आप किस डिसीजन पर किस कारण से पहुंचे हैं। आखिर पे कमीशन के अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। उनकी रिपोर्ट को आपने चेन्ज किया है तो उसके लिए कुछ रीजन्स होने चाहिए? आपने तो अमेन्डमेन्ट्स बता दिये और रीजन्स नहीं बताये। क्या गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी नहीं है रीजन्स बताने की?

श्री मथुरादास माथुर : उस कमेटी की रिपोर्ट में रीजन्स नहीं मिलेंगे। वह कमेटी की रिपोर्ट नहीं है।

That was considered as a Cabinet Memo for Cabinet decision and we took a decision.

श्री भैरोंसिंह : यह केबिनेट मीमो नहीं है। केबिनेट मीमो की डेफीनेशन और है और नोट की डेफीनेशन दूसरी है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्रिमण्डल का निर्णय है इसमें निर्णय ४ कॉलम में बताये हैं-एक तो वेतन आयोग की सिफारिश, मौजूदा पे स्केल, ज्ञापन और चौथा मंत्रिमण्डल का निर्णय तो यह जो ज्ञापन है, यह क्या है?

श्री मथुरादास माथुर : ज्ञापन तो रिप्रेजेन्टेशन है।

श्री शंकरलाल : यह किसके रिप्रेजेन्टेशन्स हैं?

श्री मथुरादास माथुर : वेरियस एसोशियेशन्स के।

श्री शंकरलाल : यह तो ३ आदमियों की कमेटी है इसका तो नहीं?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष राणावत वेतन आयोग का प्रतिवेदन और उस पर राजस्थान सरकार के लिये हुए निर्णयों का प्रतिवेदन विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान छोटी-बड़ी इकाइयों में विभाजित था। उन इकाइयों के अन्दर कर्मचारी थे। उन कर्मचारियों के वेतन विभिन्न इकाइयों में विभिन्न रूप से कायम

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

किये हुए थे। स्वतन्त्रता प्राप्त हुई उसके पश्चात् भूतपूर्व राजस्थान की रियासतों का विलीनीकरण हुआ। उस विलीनीकरण के फलस्वरूप कुल इकाइयों के कर्मचारी राजस्थान के कर्मचारी की संज्ञा के अन्दर आये। इसलिए इन विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों के वेतन के अन्दर समानता लाने के लिए, सामंजस्य लाने के लिए वेतन वृद्धि, क्रमोन्नति आदि करने के लिए १० मई, १९४९ को एक समिति का गठन किया गया। उस समिति में मुख्य सचिव और महालेखाकार द्विसदस्यीय यह समिति कायम की गई। इस समिति ने जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुँची कि चपरासी, जमादार, पटवारी की वेतन श्रृंखला करीब-करीब समान रूप की थी अर्थात् १५ से २० रु० माहवार की इन कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला थी। कम्पाउन्डर्स की वेतन श्रृंखला २० से ४० रु० तक की थी। पुलिस के कान्सटेबलों की भी उसी तरह से समान रूप की वेतन श्रृंखला २२ से ३० रु० माहवार की थी। अध्यापकों की वेतन श्रृंखला उपाध्यक्ष महोदय, २५ रु० से ४० रु० महावार थी। कमेटी की सिफारिशों को राजस्थान सरकार ने विचार में लेने के पश्चात् १-४-५० से लागू की। इन सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वेतन 'मिनिमम स्केल ऑफ पे' चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की २५ रु० माहवार कायम की गई। इस कमेटी की सिफारिशों के फलस्वरूप राजस्थान की सरकार के निर्णय के पश्चात् कर्मचारी सन्तुष्ट नहीं हुए। इन सिफारिशों में भी कुछ ही समय के बाद खामियां नजर आने के कारण सेक्रेटेरियेट लेवल पर दूसरी कमेटी गठित हुई और उसकी सिफारिशों को, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्राप्त करने के पश्चात् १-३-५९ को लागू की गई। इस समिति ने भी यह सिफारिश की कि न्यूनतम वेतन २५ रु० माहवार हो। किन्तु न्यूनतम वेतन के साथ यह भी सिफारिश की कि इस न्यूनतम वेतन की ग्रेड देकर ३० से ४० तक की ग्रेड दे दी जाय। इस सरकार के निर्णय के पश्चात् भी कर्मचारियों को और खास करके छोटे वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सन्तोष प्राप्त नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बार ९ जुलाई, १९६१ को राव्त कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी ने केन्द्रीय वेतन आयोग द्वितीय की सिफारिशों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् राजस्थान सरकार को अपनी सिफारिशें पेश कीं। इन सिफारिशों को राजस्थान सरकार ने विचार में लेने के पश्चात् संशोधित किया और वे आंशिक संशोधित रूप में लागू की गईं। इस व्यवस्था से भी सारांश में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि कर्मचारी राजस्थान के सन्तुष्ट नहीं हो पाये।

सरकार ने फिर थक कर चौथी बार एक दूसरी कमेटी नियुक्त की जिसकी सिफारिशें १-४-६६ से लागू की गईं। मैं बहुत लम्बी बात इस सम्बन्ध में नहीं करना चाहूंगा संक्षेप में मैं यह निवेदन करूंगा कि ये सिफारिशें जो १-४-६६ को लागू कीं उससे भी सरकार के कर्मचारियों को सन्तोष नहीं हो पाया। आखिरकार यह चौथी कमेटी कायम करने के पश्चात्....

(४.३५ म. प.)

(श्री रामनारायण, सभापति, पदासीन)

....पांचवी बार सरकार ने अन्ततोगत्वा राणावत कमीशन नियुक्त किया। यह पहला

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ही कमीशन था और इस राणावत कमीशन ने अपनी सिफारिशों के अन्दर, सारांश के अन्दर मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान सरकार के २,०६०१५ कर्मचारियों के वेतनमान जैसा कि अभी माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा २८ पे स्केल्स, २८ वेतन-श्रृंखलाओं में विभाजित किया, मैं सुन नहीं पाया कि २८ कहा, पर मेरे ख्याल से मैंने देखा है कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि २९ वेतन-श्रृंखलाओं के अन्दर विभाजित किया है। चाहे कुछ भी कहो २८ या २९ इन वेतन-श्रृंखलाओं में, पे स्केल्स में विभाजित किया है। इस राणावत कमीशन की रिपोर्ट को संशोधित रूप में राज्य सरकार ने मान ली। अलबत्ता कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन इस रिपोर्ट के अन्दर राजस्थान सरकार ने किये जिस सम्बन्ध में मैं चर्चा आगे चलकर करने की चेष्टा करूंगा।

मेरा मुख्य तात्पर्य निवेदन करने का यह है कि इस कमीशन और राजस्थान सरकार के कमीशन के निर्णयों पर निर्णय लेने के पश्चात् जो भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई उससे भी कर्मचारी सन्तुष्ट नहीं हुए, और इसके बावजूद कि २५ रुपये माहवार न्यूनतम वेतन जो कायम किया गया था सन् ५१-५२ में उसको उठाकर १२५ रुपये माहवार न्यूनतम वेतन कायम किया तब भी सरकार के कर्मचारी सन्तुष्ट नहीं हुए। आखिरकार, सभापति महोदय, सरकार को गम्भीरतापूर्वक इस समस्या पर विचार करना चाहिए और २५ रुपये से बढ़ाकर १२५ रुपये न्यूनतम सरकार ने कायम किये तब भी सरकार अपने कर्मचारियों को सन्तुष्ट क्यों न कर पाई ? यह असन्तोष का कारण मेरे ख्याल से गम्भीर है, और इस सम्बन्ध में भी मेरे दल की जो विशेष विचार-धारा है वह सदन के समक्ष रखने की चेष्टा करूंगा।

बड़े कर्मचारियों का वेतन जिनका २५०० माहवार है और छोटे कर्मचारी जिनका वेतन १२५ रुपये माहवार है और यह सरकार जो समाजवाद लाने का नारा बुलन्द करती है वहां पर असमानता की पराकाष्ठा हो वह मेरे ख्याल में यदि मैं अपने आपको प्रतिक्रिया-वादी भी कहूं तो भी इसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। यह सरकार १२५ रुपये और २५०० रुपये मिनिमम और मेक्जीमम स्केल्स आफ पे के अन्दर अपने आपको सन्तुष्ट समझती है, तो यह सरकार के विचार करने की रीति-नीति सरकार जाने इससे मुझे कोई विशेष मतलब नहीं है, किन्तु देश की आज यह परिस्थिति सभापति महोदय, हो गई है कि सरकार के कर्मचारी आन्दोलन करने को तैयार हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकारों के कर्मचारी आन्दोलन करने को तैयार हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार कर्मचारियों से मिलकर समझौता करने की चेष्टा निरन्तर कर रही है। वेतन, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सुरसा राक्षसी के समान बढ़ रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कर्मचारियों की मांगें उसके साथ-साथ इसी रूपरेखा से बढ़े तो वह वास्तविकता से परे नहीं होना चाहिए। मांगों की बढ़ोतरी, वेतन की बढ़ोतरी और दूसरी भी जो देश के अन्दर व्यवस्था है उसको देखते हुए अन्ततोगत्वा इसका क्या परिणाम होगा, यह कोई नहीं कह सकता। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, सभापति महोदय, कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर इस आयोग की सिफारिशों को मन्जूर करने से बहुत असर पड़ेगा। उसके

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

साथ-साथ आज राजस्थान के अन्दर जो अकाल के बादल मंडरा रहे हैं उनके ऊपर भी अगर दृष्टिपात किया जाय तो राजस्थान की वित्तीय स्थिति मेरे ख्याल से बुरी से बदतर होने की सम्भावना मुझे प्रतीत होती है। आखिर, सभापति महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि यह सब जो दोष और कमियां आई है इनके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार वही दलविशेष हो सकता है कि निरन्तर स्वतन्त्रता के पश्चात् २० वर्ष तक शासन की बागडोर जिसके हाथ में खासकर राजस्थान में कांग्रेस दल के हाथ में रही है, तो ये मांगें, यह महंगवारी, हमारे देश भर में व्याप्त असन्तोष, इन सबका मूल कारण क्या है? सभापति महोदय, मेरा यह निश्चय अभिमत है कि ये योजनाएं इसकी बुनियाद, इसकी जड़ और कारण है, चाहे वे ओवर-एम्बीशस प्लान हों, अधिक खर्चीली योजनाएं, जिन योजनाओं के अन्दर आपने कोटा, परमिट, लाइसेन्स, कन्ट्रोल की व्यवस्था कर रखी उसका यह फलस्वरूप है। इस कोटा, परमिट, लाइसेन्स और कन्ट्रोल की व्यवस्था के अन्दर भ्रष्टाचार अनिवार्य रूप से निहित होना चाहिए। उस भ्रष्टाचार के फलस्वरूप हम क्या देखते हैं कि आपको इस प्लान को असफल करने की योजना के अन्दर इन्फ्लेशन (मुद्रा-प्रसारण) निहित है। इस इन्फ्लेशन के अन्दर इन्फ्लेशन वह प्रक्रिया है जहां कि माल की ओछाई हो और नहीं आने की बहुतायत हो, उस प्रक्रिया को इन्फ्लेशन कहते हैं और वह इन्फ्लेशन महंगवारी को अवश्य उत्पन्न करेगा, यह निर्विवादित बात है। घाटे की योजनायें, आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्राइसेज रैसिंग कॉमोडिटीज-यह आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि यह आपकी सब घातक नीतियां हैं। इसके ऊपर हमने बराबर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, यह घातक नीतियों को अगर आप अपनायेंगे तो देश को मेरे ख्याल में एक बड़ी शोचनीय स्थिति के अन्दर आप गिरा देंगे। सभापति महोदय, आज हम देखते हैं कि कर्जों में हम डूबते जा रहे हैं और राजस्थान सरकार की स्थिति से मेरी सहानुभूति है लेकिन उसके साथ-साथ मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसके लिए एक हद तक आप जिम्मेदार हैं कि इस सरकार की स्थिति आज आर्थिक रूप से दिवालिया है। राजनैतिक रूप से आज स्वतंत्र हैं, राजनैतिक स्वतन्त्रता है हमारी लेकिन उसके साथ-साथ हमारी आर्थिक परतन्त्रता? आर्थिक स्वतन्त्रता हम प्राप्त नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से राजनैतिक स्वतंत्रता एक मृग तृष्णावत स्वतन्त्रता है, अवास्तविक स्वतंत्रता है। जब तक स्वावलंबी नहीं बनें तब तक हम स्वतंत्रता का कभी भी मजा नहीं उठा सकते। सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री से पूछना चाहूंगा, प्लान फोर दी पीपुल या पीपुल फोर दी प्लान है? आपकी योजना जनता के अन्दर खुशहाली लाने के लिए है या जनता को आप योजना की बलिवेदी पर चढ़ाने के लिए और योजना की सफलता के लिया चेष्टा और आकांक्षा कर रहे हैं? यह मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्लान को सफल बनाने के लिए आपने डिवेल्यूएशन किया, आपने अवमूल्यन किया? सभापति महोदय, इस सरकार की नीयत का क्या कहें? नीयत नहीं तो बरकत कहां से हो। सौ रुपये का नोट छोटा बना दिया, दस रुपये का नोट छोटा बना दिया, पांच रुपये का नोट छोटा बना दिया, एक रुपये का नोट छोटा बना दिया....

श्री रामकिशन : कागज का कोटा यह खा गये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : रामकिशनजी ! पैसे को तांबे की टिकली जैसा बना दिया।

श्री शंकरलाल : यह स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। सेन्टर का सब्जेक्ट है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : संसार में कहीं पर भी ऐसा पैसा नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाड़वार : इन्होंने अपने पेट मोटे बना लिये और सारी चीजें छोटी बना दी हैं।

श्री शंकरलाल : यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट बनाती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इनको तो आपा-धापी के सिवाय कुछ नहीं आता। सभापति महोदय, मेरा निवेदन करने का अर्थ यह है कि आप कहेंगे, समझेंगे कि मैं विषयान्तर हो रहा हूं। मैं विषयान्तर नहीं हुआ हूं। मैं बिल्कुल एब्सोल्यूटली ओन दि पाइन्ट हूं। I am hitting every nail on the head आपकी योजना को आप बिल्कुल परिवर्तित करें, योजना पर आप गम्भीरतापूर्वक विचारें। आप सरकार हैं। सरकार के नाते आप विचार करें। नहीं निकम्मे, अनफिट और नाकारा तो आप हैं। देश के अन्दर खुशहाली आने के बजाय, सभापति महोदय, आज देश खुशहाली से सौ कोसों दूर रहा है। आज बरबादी हम देख रहे हैं, चारों तरफ असंतोष, असंतोष, असंतोष—चाहे विद्यार्थियों में देखें, चाहे कर्मचारियों में देखें, चाहे रिक्सा वालों में देखें, चाहे किसानों में देखें, चाहे व्यापारियों में देखें, चाहे मजदूरों में देखें सब में असंतोष व्याप्त है और महंगवारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सरकार जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं की कीमत के ऊपर काबू नहीं पा सकती तब तक आपकी बेसिक वेज क्या है—इसका आप पता नहीं लगा सकते और You are gropping in the dark. Price control is the basis for your trouble.

मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि जब तक आप जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं की कीमत के ऊपर काबू नहीं पा सकते तब तक आपको बेसिक वेज क्या है—इसका आप कभी कोई अनुमान नहीं कर सकते। Basic wage and price control goes hand in hand. यह समानान्तर वस्तु हैं पैरेलल चीजें हैं। मेरे खयाल में सारे देश का रोग और हमारी आपत्ति है उसका बेसिक कॉज यह है कि आप प्राइसेज को कंट्रोल करें। आप कहते हैं, लोक सभा में चर्चायें होती हैं, विधान सभा में चर्चायें होती हैं, वित्त मंत्री लोक सभा में कहें कि हम जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं की कीमत पर काबू पायेंगे, लेकिन आप अभी तक नहीं पा सके हैं। इसका मूल कारण यह आपकी महत्वाकांक्षिणी योजनायें हैं, अत्यधिक खर्चीली योजनायें हैं, जिसके अन्दर यह सब आपत्तियां, जैसा मैंने आपको निवेदन किया, निहित हैं। सभापति महोदय, सन् १९५१–५२ में राजस्थान की आय १९.०९ करोड़ थी और खर्चा १७.२३ करोड़ था। उसकी जगह सन् १९६८–६९ में अनुमानित आय १२७.७८ करोड़ है। अनुमानित खर्चा १४१.७७ करोड़ है। अर्थात, सभापति महोदय, आय बढ़ी आय

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आठ गुनी बढ़ी। कर भार बढ़ा, कर भार इतना बढ़ा – यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता लेकिन यह सामान्य बात है सोचने की कि फोर टाइम्स, चार गुना कर भार बढ़ा। लेकिन वेतन मान इतना नहीं बढ़ा। खास करके छोटे कर्मचारियों का वेतन मान इतना नहीं बढ़ा और आप बढ़ा भी नहीं सकते। आपके बूते के बाहर की चीज है कि आप प्राइसेज को कंट्रोल करके आपके कर्मचारियों को संतुष्ट कर सकें, आप कामन मेन को संतुष्ट कर सकें। इस वर्तमान इन्फ्लेशन को, इस प्लान को जब तक आप परिवर्तित नहीं करते आपकी दशा बुरी से बदतर होगी। मैं आपको चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूं। कर्जा आज देश के ऊपर पांच हजार करोड़ का हो गया है। मैं विषयान्तर तो होता हूं, इसका पांच परसेन्ट सूद भी हो तो भी पचास करोड़ होता है। आप प्रीवी पर्स को काट कर पांच करोड़ की मितव्ययता लाना चाहते हैं, आपके घर के अन्दर दीये के नीचे अंधेरा है – यह आप स्वंय देख सकते हैं। इसका परिणाम क्या है पांच हजार करोड़ का कर्जा इसका परिणाम स्वरूप असंतोष बढ़ता है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपका बजट भी, उसका भी कोई ठिकाना नहीं, मान्यता नहीं। आपके फिगर्स बजटिंग के हैं वह भी बिल्कुल गलत हैं और आप निरन्तर घाटे का बजट बनाते जा रहे हैं। डेफिसिट बजट बनाने के फलस्वरूप, मैं आपको एक-दो उदाहरण देना चाहूंगा। मैं आपको बोखारो की प्लान्ट का उदाहरण नहीं दूंगा, उस पर १,२५९ करोड़ खर्च करके फिजूल अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में पानी में डाल दिया। मैं एक पुरानी और प्रतिष्ठित संस्था के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, आपके समक्ष कुछ निवेदन आपकी आज्ञा से करना चाहूंगा और वह रेल्वे के सम्बन्ध में फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेल्वेज ने कहा है :—

"The Railways are the oldest, the largest and, perhaps also the most organised public enterprise in India, employing nearly one and a half million people. The Railways contribute over 150 crores to the exchequer."

मेरा मतलब यह है कहने का कि जो कुछ होता है घाटा ही घाटा होता है, लाभ कहीं नहीं।

According to Mr. Mukerji "Much concern has naturally been shown that the Indian Railways have run into a shortfall for the second year in succession despite the increase in fares and freight rates. Coming, as it does, after a long un-broken period of comfortable surplus, it can easily raise misgivings about the basic soundness of the railways finances and operations."

मेरा मतलब यह है कि वह इन्फ्लेशन, यह दिन ब दिन बढ़ती हुई मंहगवारी, इन्क्रीजिंग प्राइसेज आफ कोमोडिटीज को लाकर आप कोई भी उद्योग में कामयाब नहीं हो सकते, आप चाहे कितना ही राष्ट्रीयकरण करें, जब तक आप प्राइसेज पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते तब तक आप कभी कामयाब नहीं हो सकते।

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

हमको यह कहा गया, मुख्य मंत्री ने प्लानिंग बोर्ड में कहा कि यह स्वतन्त्र वाले तो फिजूल की बातें करते हैं, उनके पास कोई योजना नहीं है, हमारे पास योजना है। इस सदन में कहा, हमारे पास ठीक खरी, ठोस योजना है। मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की थोथी और निकम्मी योजनाएं हैं।

You have no plans at all. Your plan is just muddle headed.

आप किंकर्त्तव्यविमूढ़ हैं, आपके पास प्लान की क्या रूपरेखा है कोई नहीं जानता, आप स्वयं जानते हैं तो प्रकट नहीं कर सकते। हमने बार-बार कहा कि इस प्लान को स्थगित करिये, प्लान होली डे होना चाहिये। आप कहें कि हमारा निर्णय है, आपने निर्णय लिया तो स्वागत है। पर हमारा बार-बार कहना था उसका आपके बहरे कानों पर कोई असर हुआ और प्लान होली-डे कुछ दिन के लिये किया, इन थोथी और निकम्मी योजनाओं को, हानिकारक योजनाओं को स्थगित किया, और पुनर्विचार किया, यह स्वस्थ परम्परा कायम की। मैं कहना चाहता हूं कि योजनाओं पर पुनर्विचार करके कोई न कोई ठोस निर्णय लेंगे, जिसके द्वारा गरीब आदमी, गरीब मजदूरों के लिये, यह राज्य कर्मचारियों के लिये है, पर कामन मैन के लिये क्या किया, भुखमरी, जलालत और रिश्वतखोरी से कामन मैन को बचाने के लिये क्या किया? तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई ठोस निर्णय लेकर योजना को हाथ में लेंगे जिससे कि गरीबों को, किसानों और मजदूरों को राहत मिले।

राणावत आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में कैबिनेट ने ६ दफा मंत्रिमण्डल की बैठकें कीं और ६ दफा मंत्रिमण्डल ने बैठकर गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिया, उस निर्णय के अनुसार जो सरकार ने ३५० लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आपने स्वीकार किया है, अगर राणावत आयोग की सिफारिशें ज्यों की त्यों आप मान लेते तो आपके ऊपर व्यय भार ५ करोड़ रुपये का और बढ़ता, यह ५ करोड़ का व्यय भार आप वहन करने के सर्वथा असमर्थ तो हैं ही किन्तु मैं यह भी कहता हूं कि ३॥ करोड़ का भी यह जो व्यय भार आपने स्वीकार करने का निर्णय लिया है, यह भी अवास्तविक निर्णय है, और केन्द्र के पास बिल्कुल भीख मांग कर खिलखिलाओगे शायद मिले नहीं भी मिले, और नहीं मिले तो बिल्कुल खिसियानी बिल्ली की माफिक बैठ जाओगे। तो मेरा निवेदन है कि जो ३॥ करोड़ का विशेष भार व्यय करने का आपने लिया है यह भी बिल्कुल अवास्तविक निर्णय है।

सभापति महोदय, यह जो निर्णय राणावत कमीशन के थे, इसके साथ-साथ संशोधित निर्णय सरकार ने लिये हैं, इनको एक सितम्बर के दिन से आपने लागू किया और १३ सितम्बर को अब रिपोर्ट को सदन के सामने लाकर मैं समझता हूं सदन का अपमान करना है। आपको रिपोर्ट सदन के सामने लानी ही थी तो ३०-३१ अगस्त को लाते, २९ अगस्त को विधान सभा को समन किया, इसमें आपको क्या आपत्ति थी? वैसे आप सरकार हैं, बहुमत से कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं पर यह अभद्र व्यवहार है, विरोधी पक्ष के लिये ऐसा व्यवहार है, जिसके लिये आपत्ति प्रकट किये बिना

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मैं नहीं रह सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करनी है तो आखिर हमारा भी समय है ३५० पेज पढ़ने पड़ते हैं, रात को दो-दो बजे तक बैठना, किस वास्ते, इस बकवास के लिये, अगर यह बकवास है और अगर एक्सरसाइज है तो यह आपके लिये अशोभनीय है।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों की जो भी राय रिपोर्ट के बारे में मिलेगी, हालांकि राज्य सरकार को खुशी होती अगर यह रिपोर्ट ३१ अगस्त के पहले सदन में प्रस्तुत हो जाती, पर क्योंकि अंग्रेजी में रिपोर्ट पेश हुई थी, इसका तर्जुमा हो कर, छप कर सदन में आने में देर होना स्वाभाविक था फिर भी कई बातों पर राज्य सरकार के निर्णय बाकी हैं और जो निर्णय लिये गये हैं उनके बारे में आपके सुझाव वजनदार होंगे तो उन पर पुनर्विचार किया जायगा।

(४.२५ म० प०)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं लम्बी-चौड़ी बहस में नहीं उतरना चाहता।

श्री दुर्गालाल बाड़वार : यदि इस सदन के निर्णयों को इतना महत्त्वपूर्ण मानते थे तो इम्प्लीमेन्ट पहले क्यों कर दिया ?

श्री मथुरादास माथुर : वह तो आपकी इच्छा नहीं है तो बाद में कर सकते हैं, सदन कह दे तो बाद में इम्प्लीमेन्ट करने का सोच सकते हैं।

श्री दुर्गालाल बाड़वार : एक तरफ डेमोक्रेट होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ सदन का अपमान करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : पे कमीशन ने तो इसका इम्प्लीमेन्टेशन पहले लागू कर दिया था, सरकार ने उसके बाद से इम्प्लीमेन्ट करने का निर्णय लिया, आप इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर आप यह कहते हैं कि पहले लागू क्यों किया तो इसको इसके बाद से इम्प्लीमेन्ट करने पर विचार कर सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : हम यह नहीं कहते। हम यह कहते हैं कि यह आपकी अयोग्यता है, सदन के प्रति आपका यह व्यवहार अपमानजनक है कि इतनी देर में रिपोर्ट को सदन में पेश किया। जब कि हिन्दी को राजस्थान की राज्य भाषा घोषित कर दिया तो यह सरकार की अयोग्यता है कि अंग्रेजी में रिपोर्ट मंगवाई, पहले हिन्दी में रिपोर्ट आनी चाहिये थी। रिपोर्ट अंग्रेजी में आई तो उसका हिन्दी में उसी समय अनुवाद नहीं करा सके हम आपकी अयोग्यता, सिद्धान्तों में निष्ठाहीनता के लिये आपको कन्डेम करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : बात समझ में नहीं आई।

श्री नत्थीसिंह : बात तो समझ में आगई पर समझदार हो कर भी नासमझ बन रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय जब तक....

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय सदन की अनुमति से एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के संबंध में मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहता और विशेष इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। सरकार को जो निर्णय लेना हो ले, मेरा जो अधिकार था सरकार को कहने का वह मैंने कह दिया।

श्री रामकिशन : कहना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बराबर कहूंगा।

श्री रामकिशन : वही मैं कह रहा हूं कि कहना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : राजस्थान के न्यूनतम वेतन पाने वाले ४२,४४६ कर्मचारी हैं, उनको क्या मिला? राणावत पे कमीशन की सिफारिश है कि अधिक से अधिक वेतन २३५०, आपने शायद २३५० कहा

श्री मथुरादास माथुर : २५००।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : २५०० रखा, उसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है, आप अपने बड़े अधिकारियों को, बड़े कर्मचारियों को संतुष्ट रखेंगे तो इसी में आपका भला है क्योंकि आपकी इस मझधार डूबती नैया के कर्णधार वे ही हैं, उनको संतुष्ट नहीं रखेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा...

(विरोधी पक्ष की ओर से हीयर हीयर)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी इच्छा हो तो उनका कुछ कम करें, आप कुछ विचार तो रखें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर हमारी चले तो २५०० से कम नहीं करेंगे पर जिनके १२५ हैं उनके २५० करेंगे।

(५ म. प.)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : न्यूनतम वेतन आखिरकार आपने २५ रुपये से १२५ अब कर दिया दिया है लेकिन उसके साथ ही साथ सन् १९५२ में रुपयें की क्रय शक्ति क्या थी, उस समय का रुपया खड़ा रुपया था, आज का रुपया डिवेल्ड रूपी है डीवेल्यूड रूपी। तो १२५) की क्या क्रय शक्ति है। मेरे खयाल में सन् १९५० और १९५१ में २५) में ज्यादा बरकत थी, ज्यादा क्रय शक्ति थी बनिस्पत आज के १२५) के तो यह आपका विंडो ड्रेसिंग है। गरीब आदमी सम्मानपूर्वक जीवन कैसे व्यतीत करे, क्या बच्चों को पढ़ाए, उनको कपड़ा पहनाए, क्या वह खुद खाए और खिलाए और किस तरह से रहे। यह समस्या जटिल है जो आपकी कांग्रेस सरकार द्वारा उत्पन्न हो गई है।

मैं सरकार का ध्यान कार्यपालिका और न्यायपालिका के वेतन स्तर के संबंध में भी दिलाना चाहता हूं। मेरे खयाल से समान रूप के अधिकारी कार्यपालिका और न्यायपालिका में हैं उनके वेतन स्तर में डिस्क्रिमिनेशन और असमानता है, इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। मैं समझता हूं, यह व्यवस्था सर्वथा अनुचित है। आज इस कोटा, परमिट, कन्ट्रोल और लाइसेन्स के राज्य के अन्दर इस डिवेल्ड रूपी ने हमारी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जो बहुमूल्य वस्तु थी वह छीनली। वह बहुमूल्य वस्तु क्या थी ? हमारी ईमानदारी और नैतिकता। नैतिकता का आज सर्वथा ह्रास हो चुका है, आज हमारी सिद्धांतविहीनता पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी है लेकिन विदेशों में, हम लोगों पर और खास तौर पर सरकार पर, दूसरी सरकारें हंसती हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा॰ राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता दिवस १९६९ पर देश के अन्दर क्राइसिज ऑफ करेक्टर बताया। जहां पर क्राइसिज ऑफ करेक्टर है वहां आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कितनी ही बड़ी-बड़ी योजनायें सरकार की हों, उनका संचालन तो मनुष्य ही करेगा। अगर हम में चरित्र ही नहीं, कोई नैतिकता ही नहीं तो हम कहां हैं ? मैं आप पर गंभीर आरोप लगाता हूं कि आपके २० वर्ष के शासन में हमारी नैतिकता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और इसका मूल कारण आप हैं। ओवरस्पेंडिंग और अरबों, खरबों और करोड़ों रुपए दुष्काल के अन्दर किया। अभी बीकानेर और डूंगरपुर के अन्दर लोगों को १२-१२, १५-१५ पैसे देना कहां तक उचित है ? वे हमारे नागरिक हैं, स्वतंत्र देश के, उनकी मजदूरी खा जाना, आधे पैसे खा जाना; मजदूरी नहीं देना, तीन-तीन सप्ताह तक मजदूरी नहीं चुकाना, यह हमारी नैतिकता है ? यदि चुकाना तो भी आधे चुकाना और अकाल के अन्दर लोग मर रहे हैं बीकानेर में, जैसलमेर में दुर्दशा है, वहां की व्यवस्था बुरी से बदतर होती जा रही है और आप आराम में बैठे हुए राणावत आयोग की रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं। इस संबंध मे आडीटर जनरल ने एक नई पुस्तक प्रकाशित की है, उसको "इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन" की संज्ञा दी है। उसका एक एक्सट्रेक्ट मैं पढ़कर सदन के सामने सुनाना चाहूंगा :

"The Indian Bureaucracy is the world's largest working anarchy. To say that it moves at snail's pace is a euphemism. To have truck with it at any level is a nightmare. Yet, surprisingly, it works. One might even hasten to add that its higher and middle echelons are solely responsible for holding the country together in the face of numerous divisive forces. The problems of nightmarish, red tapism, corruption, harassment of the public at the hands of petty officials have been dealt with perfunctorily. The State takes no note of the fact that one-twelfth to one-fourteenth of the total labour force in the country consists of Government employees—an absurdly high figure. During a recent year the annual rate of increase of recruitment to services was as high as 8.5 percent. This is much higher than the annual rate of growth of our national income."

इससे स्वयं आप अनुमान कर सकते हैं कि हमारा लक्ष्य कहां था और हम कहां गये। महात्मा गांधी के पवित्र विचारों से हम १०० कोस दूर जा चुके हैं। प्रतिदिन कम से कम १३ औंस अनाज, तीन औंस दाल, कुछ दूध और थोड़ी सी सब्जी प्रति व्यक्ति को उपलब्ध होनी चाहिये। हम उपलब्ध कर पाये हैं या नहीं, इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कम से कम १८ गज कपड़ा सालाना और एक मकान

Page No. 127

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो होना चाहिये। देश जब परतन्त्र था, कांग्रेस के नेता कहते थे कि हम दूध, दही और घी की नदियां बहायेंगे। आज दूध-दही तो कहां गया, लेकिन डालडा का बोलबाला और घी का मुंह काला...

श्री केशरीसिंह हाड़ा : डालडा भी तो ब्लेक में मिलता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : छोटे-छोटे बच्चे गाया करते थे गलियों के अन्दर कि छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में। आज छोटा सा घर, बादलों की छांव में बड़े-बड़े शहरों के अन्दर पेवमेन्ट पर हजारों की संख्या में पड़े हुए हैं। आदिवासियों और हरिजनों की कच्ची बस्तियों में तो जायं एपेलिंग कन्डीशन्स मेरे खयाल से इट इज एन इन्सल्ट टू ह्यूमन डिग्निटी ऐसीएपेलिंग कंडीशन के अन्दर कच्ची बस्तियां और वहां पर आपकी कोई हाउसिंग स्कीम नहीं है। हाउसिंग स्कीम के सम्बन्ध में आप ७५० रु. अनुदान देते हैं, वह क्या इस अनुदान से मकान बनाएगा? यह आपकी बिल्कुल निकम्मी और निरर्थक योजनायें हैं। आज ७५० रुपये से मकान नहीं बन सकते। इसलिये मकान बनाने वाले भाग जाते हैं, भागने के पश्चात् अनुदान ऋण बन जाता है और फिर आप उस पर अत्याचार से वसूली करते हैं। आज यह सरकार करना क्या चाहती है? लेकिन मेरे खयाल से कुछ नहीं कर पाई है, कामन मैन के लिये कुछ नहीं कर पाई है. छोटे वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये कुछ नहीं और बड़े वेतन के कर्मचारियों को राजी रखें इससे देश में केयोस हो जायेगा। यह रोबरी है, माकरी है और इस माकरी के अधिनायक हैं मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया जो सेंट्रल फिगर ऑफ दिस ड्रामा हैं। इतना ही निवेदन कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री दौलतराम सारण : यह कब तक चलेगा?

श्री उपाध्यक्ष : एक घंटे के लिये समय बढ़ाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में मैंने और कुछ माननीय सदस्यों ने मिल कर एक प्रस्ताव नियम ११६ के तहत दिया था। जो इस प्रकार हैं। राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों एवं उन पर राज्य सरकार के निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् इस सदन की यह सम्मति है कि सदन के ६ सदस्यों की एक विशेष समिति नियुक्त की जाय जो वेतन आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकार के निर्णयों पर विचार कर अपनी सिफारिशें सदन के समक्ष १० दिन के अन्दर प्रस्तुत करें। सदस्यों की सूची प्रस्ताव करते समय प्रस्तुत की जायगी।"

हमने यह सुझाव रखा है कि इस वेतन आयोग की रिपोर्ट और उस पर सरकार के निर्णय हैं उन पर विचार करने के लिये,.,....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर। माननीय उपाध्यक्षजी, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री दौलतरामजी सारण, श्री केदारनाथजी एवं श्री दुर्गालाल बाढदार ने एक सबस्टेन्टिव मोशन रखा है जो इस प्रकार है:—

"राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों एवं उन पर राज्य सरकार के निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् इस सदन की यह सम्मति है कि सदन के ६ सदस्यों की एक विशेष समिति नियुक्त की जाय जो वेतन आयोग की

(श्री रामनारायण चौधरी)

सिफारिशों और राज्य सरकार के निर्णयों पर विचार कर अपनी सिफारिशें सदन के समक्ष १० दिन के अन्दर प्रस्तुत करें। सदस्यों की सूची प्रस्ताव करते समय प्रस्तुत की जायेगी"।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरी एक आपत्ति है, उपाध्यक्ष महोदय। इस प्रकार का प्रस्ताव इस स्टेज पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि अब तक राणावत वेतन आयोग की रिपोर्ट एवं उस पर सरकार के निर्णयों पर यहां सदन के अन्दर विचार नहीं हुआ है। यहां सदन में केवल रिपोर्ट रखी गयी है और उस पर विरोधी दल के नेता का भाषण हुआ है। इस सम्बन्ध में जब तक सदन के सामने पूरी बहस न हो जाय और दोनों तरफ की बातें न रख दी जायं तब तक इस प्रकार का सबस्टेन्टिव मोशन यहां इस स्टेज पर पेश नहीं हो सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बहुत सीधी सी बात है कि प्रस्ताव रखा जा रहा है उस रिपोर्ट के सम्दर्भ में। माननीय सदस्यों को उस पर विचार करने का मौका मिलेगा। अन्त में निर्णय लेंगे कि कमेटी मुकर्रर की जाय या नहीं इसलिये मैं समझता हूं कि रूल ११६ के तहत इसको माननीय अध्यक्ष महोदय ने एडमिट किया है और इस पर कोई ऐसी बात नहीं है कि आपत्ति उठायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ओब्जेक्शन इज ओवर-रूल्ड।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने आज जो रिपोर्ट है जिस पर इस सदन को अपना निर्णय लेना है, अपने विचार व्यक्त करने हैं, राजस्थान के केवल राज्य कर्मचारियों के लिये ही नहीं लेकिन राजस्थान के तमाम उन लोगों के लिये जो मेहनत करने वाले हैं, कर्मचारी हैं कहीं पर भी नौकरी करके काम करते हैं उन तमाम लोगों के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में यह पहला वेतन आयोग है जो कि बाकायदा सरकार की ओर से नियुक्त करके यह पहली रिपोर्ट हमारे सामने पेश की गई है। इससे पहले भी राजस्थान में गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंटल तरीके से कुछ रूल्स में परिवर्तन करके सन् १९५० में, फिर सन् १९५६ में, फिर १९६१ में और बाद में सन् १९६६ में समय-समय पर जो भी दिक्कतें सामने आयीं जो भी कर्मचारियों ने अपनी समस्यायें सामने रखीं उन्होंने उनके बुनियादी सवालों पर न जाकर उनको अस्थायी तौर पर हल करने का प्रयत्न किया। लेकिन पहली बार कुछ बुनियादी मुद्दों पर विचार करके इस राणावत वेतन आयोग ने अपने विचार अपने सामने रखे हैं जिन पर हम अपना मत जाहिर कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में उस राज्य की वेज पोलिसी क्या है, वेतन पोलिसी क्या है, वेतन के सम्बन्ध में नीति क्या है वह उस राज्य का आर्थिक नीतियों का दर्पण है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस रूप में आज हमको इस वेतन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करते समय हमको उन तमाम बातों पर विचार करना होगा कि वास्तव में हम अपने प्रान्त की, अपने देश की कौनसी बुनियादी आर्थिक नीतियों के आधार पर इस तमाम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

समाज का निर्माण करना चाहते हैं और किस ग्राधार पर हम अपने कर्मचारियों को, हम अपने काम करने वाले लोगों को, मजदूरों को किस आधार पर उस नेशनल इन्कम का, उस राष्ट्रीय आय का जो उनकी मेहनत से, उनके काम से, उनकी सेवाओं से पैदा होती है उसका वितरण हम किस रूप में करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि आज हमारे देश में इस बात का नारा खुद सरकार की ओर से लगाया जाता है कि वह इस देश में एक समाजवादी अर्थ व्यवस्था के आधार पर समाज का निर्माण करना चाहती है। किस हद तक वह कामयाब हुई है या नाकामयाब हुई है उस प्रश्न में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जाना चाहता परन्तु उस माप दण्ड में उस घोषित उद्देश्य की दृष्टि से मैं इस रिपोर्ट को अवश्य देखना चाहता हूं कि उस उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से यह रिपोर्ट कहां तक इस दिशा में हम को ले जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी राज्य कर्मचारी के वेतन का आधार क्या हो, कर्मचारियों को या मजदूरों को वेतन क्या मिले इस सम्बन्ध में किसी भी समाजवादी विचारधारा में यह बुनियादी बात होती है कि मेहनत करने वालों के श्रम से जो राज्य चलता है या उत्पादन समाज में होता है उस उत्पादन में उनको पूरा उसका हिस्सा मिलना चाहिये। एक पिछड़ी अर्थ व्यवस्था शोषण और उत्पीड़न की व्यवस्था सदियों से चलते हुए आयी है चाहे कर्मचारी हो या मजदूर हो उन लोगों को उस समाजवादी व्यवस्था में, उस राष्ट्रीय इन्कम में से उनको वाजिब हिस्सा मिलना चाहिये। केवल उतना हिस्सा नहीं जो उसमें वे लगाते हैं, बल्कि सदियों से पीड़ित रहे, शोषित रहे, उस शोषण और उत्पीड़न को खत्म करना और जिन लोगों ने उत्पीड़न किया है भेदभाव समाप्त करना है. राष्ट्रीय आय के हिस्से से जो हिस्सा प्रोपोर्शनेटली मिलना चाहिये उससे उनको अधिक मिले तब ही खाई पाटी जा सकती है और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी समाजवादी समाज की स्थापना करने वाली सरकार को अपने दृष्टिकोण में अपने राज्य कर्मचारियों या मजदूरों के वेतन स्तर को निर्धारित करते समय इस बात को लाजमी तौर पर ध्यान रखना होगा कि इस राष्ट्रीय इन्कम में से उनको उनका वाजिब हक मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी दृष्टिकोण से आज सारे हिन्दुस्तान का महनतकश तबका, वर्किंग क्लास, एक नेशनल वेज मुकर्रर हो और उसके आधार पर कम से कम उस आधार पर हो कि उनकी जितनी सामान्य आवश्यकता है एक सभ्य इन्सान के तौर पर रहने की वह हम उनकी कम से कम पूर्ति कर सके और इसको १५वीं लेबर कान्फ्रेन्स ने और सब ही लोगों ने, हमारे देश की सरकार ने और लेबर में काम करने वाली संस्थाओं और एम्प्लोयर्स ने भी, सभी ने उसको माना है। इस दृष्टि को सामने रखते हुए यह १५वीं लेबर कान्फ्रेन्स का निर्णय है वह भी समाजवादी दृष्टि से कम है। वह मिनिमम स्टेन्डर्ड एक लीविंग गारन्टी की बात करता है मिनिमम स्टेन्डर्ड ओफ लिविंग की गारन्टी करने से समाज में जो भेदभाव हैं उसको ज्यादा से ज्यादा पाटने की बात नहीं कर सकते। पन्द्रहवीं लेबर कान्फ्रेन्स से आगे जाने की जरूरत है। यदि यह आधार या तो राष्ट्र में जो मजदूर पैदा करता है, किसान पैदा करता है जो राज्य

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर्मचारी अपने सेवा से पैदा करते हैं उनको इस बात का हक है मांगने का कि देश का विकास हो रहा है, करोड़ों रुपया लग रहा है, कल और कारखाने ये सब चीजें लग रही हैं उनकी तमाम मेहनत से राष्ट्रीय आय हो रही है तो उनका वितरण इस रूप में से कम से कम हो या आमदनी पहले रही है उसमें बढोतरी न हो तो कम न हो उनको कम से कम मिनिमम स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग तो मिले। यह आधार तो उनका होना चाहिये। और इस बुनियाद पर, इस बहाने पर यह कहेंगे कि हमारे सामने वित्तीय संकट है, आर्थिक स्थिति खराब है। लेकिन इस बहाने से मजदूरों को मेहनतकशों को, कर्मचारियों को यह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने राज्य के विकास के काम में मेहनत की है। रात-दिन काम किया है। उनको यह नहीं कहा जा सकता कि आप अपने पेट पर पट्टी बांध लो। यह नहीं हो सकता कि कुछ लोग मालामाल हो जाय और उनकी करोड़ों, खरबों की सम्पत्ति बढ़ जाय। इस दृष्टिकोण से उपाध्यक्ष महोदय इस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राणावत आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें उन्होने खुद ने डिस्कस किया हैं इस बात को कहा है कि आज के जमाने में इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है :—

"Question like removal of social inequality and inequitable distribution of national income affect the conscience of society and cannot be lost sight of in the present context."

तो इन दृष्टिकोण को नजरअंदाज नही किया जा सकता। एक दृष्टिकोण और पेश किया जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो केवल सप्लाय और डिमाण्ड का प्रश्न है। लोगों को जरूरत हो तो सरकार की नौकरी करे, सरकार इतना ही पैसा देगी। तो जो गरीब हैं, वे इतने पैसे में ही नौकरी करने के लिये मजबूर होंगे और वे लोग कहते हैं कि काम के आधार पर वेतन तय हो जाना चाहिये। इसको राणावत आयोग ने कहा है।

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार यह दलील नहीं देती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी रूप में देख रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय जब इतनी बेकारी है, यह आसानी से कहा जा सकता है कि मार्किट के लोग इतनी छोटी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। प्राइवेट दफ्तरों में इतनी भी तनख्वाह नहीं मिलती है। हमारे पास इससे भी कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं। इस तरह का दृष्टिकोण समाजवाद में विश्वास करने वाले लोगों का नहीं हो सकता। राणावत आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, मैं निवेदन करूंगा कि जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उनको राणावत साहब ने खुद ने स्वीकार किया है। यह राणावत कमीशन की रिपोर्ट अमलीतौर पर उन तमाम बेसिक प्रिन्सिपलों का वाइलेशन है, उनका उल्लंघन है। उनको एक तरफ रखकर, उनको घोषणा के रूप में किन्हीं जगह पर रखकर अमली तौर पर जो पे स्केल सामने रखी है, वे मारकिट वेल्यू के उन सप्लाय और डिमाण्ड बेसिस पर कम से कम तनख्वाह दी जाती हो उस दृष्टिकोण को सामने रखा है। गरीबो, मजबूरी और बेकारी की हालत को देखकर, उस दृष्टिकोण से सारे सुझाव दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राणावत साहब ने १५ वीं लेबर कान्फ्रेंस का जिक्र किया है और अपने आप ही आरबीट्रेरी तरीके से मीनीमम वेजेज १२५ रु० की घोषणा कर दी है। आपने डा० पटवर्धन को इसका एक्सपर्ट बताकर उनकी बुनियाद पर १३६.७० वेजेज निकाला है और उसे मान लिया। वित्त मन्त्रीजी ने भी इसका उल्लेख किया। जब खुद उन्होंने माना है कि सेकेण्ड पे कमीशन, जिसको सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया था। वह एक बड़ी अथोरिटी थी। उसको डिसकस किया था। उनसे बुनियादी तौर पर १२५ रु० सन् १९५८ में मीनीमम वेजेज प्रिसक्राइब किया था। इसके बुनियाद पर राणावत आयोग ने २२० रु० स्वीकार किया है। उस हिसाब से मीनीमम वेजेज २२० रु० होना चाहिये था। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो भी निर्णय इस मीनीमम वेजज के बारे मे लिया है, जो कि एक बुनियादी बात है, जिसके ऊपर ४२, ४५ हजार व्यक्ति राजस्थान के २ लाख एम्पलाईज में से है, जो कर्मचारियों में सबसे बड़ा बल्क है, जिनको बुनियाद पर ही यह सारा स्ट्रक्चर बनाया है उसके लिये जो उन्होंने सिफारिश की है वह है १२५ रुपया। उसमें भी ६० बेसिक पे और ६५ डी० ए०। इस डी० ए० में ऊंचे और नीचे होने की गुंजाइश है। भाव घट जाये तो १० प्रतिशत घट जायेगा। मंहगाई भत्ते में कमी हो जायेगी और भाव बढ़े तो मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो जायेगी। इसलिये जो १२५ रु० मीनीमम वेज स्वीकार किया है, वह वास्तविक नहीं है, उसमें कमी की गुंजाइश है। भाव कम कम होने से कम होने की गुंजाइश है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि १५ वीं लेबर कान्फ्रेंस का, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सेकेण्ड पे कमीशन द्वारा निर्धारित तमाम सिद्धान्तों के अलावा राणावत साहब ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें बिलकुल आरबीटेटरी तरीके से अच्छे सिद्धान्तों की घोषणा करके मारकिट वेल्यू के सिद्धान्त को कायम करके १२५ रु० मीनीमम वेज की तजवीज की है। उपाध्यक्ष महोदय, राणावत साहब ने जिन सिद्धान्तों को आधारभूत बनाया है जिनको कहा है इस रिपोर्ट में कि हम इन बुनियादी सिद्धान्तों पर चलना चाहते हैं, उसके अन्दर उन्होंने एक बेसिक वेज को लिया। दूसरी इस बात को माना कि समान कार्य के लिये समान वेतन सबको मिलना चाहिये। स्पेशल पे लोगों को नहीं दी जाय। इस प्रकार की बात कही लेकिन जो अमली तौर से, अमली रूप से सुझाव दिये हैं, वे इन बातों के, इन घोषणाओं के सिद्धान्तों के विपरीत पड़ते हैं। यह मेरा निवेदन करना है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम गौर से देखें तो राणावत रिपोर्ट में जो उन्होंने सुझाव दिये हैं, उनके बारे में गौर करें तो हमको क्या मिलता है? हमारे सामने यह नजारा होता है कि उन्होने नीड बेस्ड पे, आवश्यकता के आधार पर मीनीमम वेज मुकर्रर की जाय, उसको २२० की बजाय १२५ मुकर्रर किया। जो समान कार्य के लिये समान वेतन करने की बात थी, उसको उन्होंने कितना किया है? जगह-जगह उन्होंने डिसक्रिमिनेशन किया है। एल० डी० सी० और यू० डी० सी में डिस्टिंक्शन किया है। जो डिस्ट्रिक्टस में काम करते हैं उनकी अलग पे स्केल है और सेक्रेटेरियेट में जो स्टाफ है उसके लिये अलग पे स्केल्स रखे हैं। इस तरह कितने ही मामले हैं जिसमें उन्होंने अपने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आप ही इन प्रिन्सिपल्स का वाइलेट किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो पे स्केल्स उसके अन्दर दिये हैं, मुख्य तौर से जो हमारे क्लास फोर सरवेन्ट्स जो चपरासी, जमादार वगैरह हैं और जिनकी संख्या ४२ हजार, ४५ हजार है, उनको पहले ४५-८० की पे, ग्रेड मिलती थी और इस तरह से ६५ मंहगाई भता मिलाकर ११० रुपया मिलता है। अब कमीशन इसके लिये कहता है कि ६० रु० वेतन और ६५ रु० मंहगाई भता मिलाकर १२५ रु० कर दिया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इनकी जो सिफारिश है जिस रिपोर्ट को राज्य सरकार ने स्वीकार किया उसका मतलब यह है कि इसका फायदा वही उठा सकते हैं जो नई भरती होने वाली है उसको मिलने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति ४५ से स्टार्ट हुआ था और दस साल बाद ६० पर पहुँचा है उसको इस ग्रेड से क्या फायदा ? जो दस-पन्द्रह वर्ष से सर्विस में है उसको आज इससे कुछ मिलने वाला नहीं। उसके लिये मेक्जीमम ८० से बढ़ाकर ८५ जरूर कर दिया है लेकिन यह भी कब मिलेगा जब वह बूढा हो जायेगा और रिटायरमेंट पर होगा। नया रिक्रूटमेंट करने की बात राणावत साहब ने कही नहीं उन्होंने तो फोर्थ क्लास सरवेन्ट्स को निकालने की बात की है। उन्होंने सिफारिश की है कि आर्डरलीज को खत्म किया जाय और उसकी बजाय जिनके पास आर्डरलीज का प्रावधान है उनको ७५ रु० स्पेशल पे भता दे दिया जावे। इस तरह से ७५ रु० और उनकी जेब में डाल दिया। राणावत साहब अपनी क्लास का ध्यान कैसे नहीं रखते आखिर है उन्हीं क्लास में से ? वे यह जानते हैं, इस तरह से ७५ रु० और मिल जायेगा और चपरासी तो घर पर आयगा ही बर्तन उनको मांजने पड़ेंगे, उससे और तो काम लेवेंगे ही और जो आर्डरली के बजाय ७५ रु० मिलेगा वह जेब में आजायगा। दूसरी तरफ राणावत कमीशन ने यह भी सिफारिश की है फोर्थ क्लास सरवेन्ट्स को रिट्रेंचमेंट किया जाय। आज एक तरफ बेरोजगारी है गरीबी है दूसरी तरफ फोर्थ क्लास सरवेन्ट्स को कमी करने की सिफारिश की जाती है और दूसरी तरफ ७५ रु० मासिक अधिकारियों को देकर उनको इनडाइरेक्ट फायदा पहुँचाने की घोषणा है। यह बात न केवल फोर्थ क्लास कर्मचारियों पर लागू होती है और भी जितने अन्य वेतन ग्रेड हैं जिस प्रकार कोन्स्टेबल्स का है। जिनका पहले ५० से ६० था अब ७० से ११० कर दिया गया है। यू० डी० सी० और एल० डी० सी०, जिनका वेतन क्रम पहले ६० से २०० था अब ११० से २१० कर दिया है। जब आप पुराने लोगों को सर्विस के आधार पर इन्क्रीमेंट देने के लिये तैयार नहीं हैं तो जो इनीशियल ग्रेड तय किया है तो इस वेतन क्रम में जो पहले से सर्विस में हैं उनको क्या फायदा होगा ? ६० से जहां स्टार्ट होता था वहां ११० कर दिया तो नयी भरती तो आप कर नहीं रहे पहले ही आपके पास सरप्लस स्टाफ है वैसी हालत में जो मेक्जीमम वेतन २० रुपये बढ़ाया है यह किनको फायदा देने वाला है ? जो इस वेतन श्रृंखला में रुक गये हैं उनको जरूर फायदा है कि वे दो साल और इन्क्रीमेंट ले लें। आप हमें इस बारे में फेक्ट्स दें कि कितने कर्मचारियों की सर्विस दस साल से कम है, उनमें कितने फोर्थ क्लास सरवेन्ट हैं और कितने एल. डी. सी. और यू. डी. सी.

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तभी हर श्रेणी के अन्दर पता लग सकता है कितने लोगों को आपके इस तरह से मेग्जीमम बढ़ाने से फायदा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा वेतन आयोग ने जो डेसपेरिटी कम करने की बात कही थी और जो कुछ निर्णय उसने लिया था और उस पर राज्य सरकार ने जो अपना निर्णय लिया है उस बारे में राणावत आयोग ने जो सिफारिश की है उसको स्वीकार नहीं किया। राणावत आयोग ने अधिकतम वेतन २३५० करने का सुझाव दिया था। इसको भी स्वीकार नहीं करके सरकार ने २५०० अधिकतम वेतन माना है। इसका मतलब यह है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है उससे उनका समाजवाद बहुत ही निराले किस्म का लगता है। सरकार के निर्णय के अनुसार बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं उनकी तनख्वायें जहां बहुत बढ़ायी गई पहले ही जिनकी तनख्वायें अधिक थी वहां छोटे कर्मचारियों को वहीं रोक दिया गया और किन्हीं केसेज में तो कम भी कर दिया गया। राणावत कमीशन ने सुझाव दिया था उससे भी कम कर दिया गया अजीब तरह का समाजवाद है। हमारे माथुर साहब को फोटो खीचाने का बहुत शोक है और जिस अखबार में उनका फोटो आ जाता है उस अखबार को वे पांच मिनिट के बजाय दस मिनिट तक पढ़ते हैं। इस रिकमनडेशन में वित्त मन्त्री का जो नजरिया रहा है वह साफ झलकता है। सिनीयर फोटोग्राफर जो पब्लिक रिलेशन्स में काम करते हैं उनका वर्तमान में जो ग्रेड है वह २७५ से ६५० तक का है राणावत कमीशन ने उसके लिये ३७५ से ८५० का रखा है जब कि हमारी गवर्नमेन्ट ने उससे भी बढ़ाकर ६०० से ११०० का मन्जूर किया है। २७५ से तो बढ़ाकर राणावत कमीशन ने ३७५ कर दिया और सरकार ने उसको ६०० से शुरू कर दिया। माथुर साहब ने ६०० से ११०० का मन्जूर कर दिया। इसी तरह से गवर्नमेन्ट ने अपने पुलिस आफिसर्स को भी खुश करने का भरसक प्रयत्न किया है क्योंकि वे जानते हैं कि पुलिस का इन्सपेक्टर और पुलिस के अधिकारी खुश रहे तो उनका शासन चल सकता है। पुलिस वालों का सिलेक्शन ग्रेड किया है आइ० जी० प्रिजन्स का ५०० से ६५० था वह बढ़ाकर ८०० से १३०० कर दिया। इस तरह से २५० रुपया बढ़ा दिया। मेग्जीमम ९५० था उसको १३०० कर दिया इस तरह से ३५० बढ़ा दिया।

इसी तरह आर० पी० एस० का सिलेक्शन ग्रेड ६५० से १२५०। इस तरह से सरकार ने १२५० रुपया इनीशियल पे कर दिया है इसी तरह डाइरेक्टर आफ पब्लिक रिलेशन्स जिनकी खाल हमारे भैरोंसिहजी खीचा करते हैं....

श्री भैरोंसिह : आपने गलत कह दिया खाल तो अमृतलाल यादव खीचा करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माथुर साहब ने इन डी० पी० आर को, जो वर्तमान में इनका ग्रेड ६५० से १२५० था उसको बढ़ाकर ३५० उसमें और बढ़ा दिये और इनका ग्रेड १००० से १५०० कर दिया। एग्रीकल्चर इन्जीनियर १३०० से १६०० इस तरह से इसमें भी ३५० बढ़ा दिया है और वह ११५० से २००० कर दिया। डायरेक्टर ऑफ आरकीव्ज ६५० से १२५० था उसको बढ़ा-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर १००० से १५०० कर दिया है डाइरेक्टर आफ एज्युकेशन को १८०० से २२५० कर दिया है।

डाइरेक्टर आफ संस्कृत एज्युकेशन जिनका ग्रेड ७५० से १२५० था उसका १००० से १५०० कर दिया। डाइरेक्टर आफ माइन्स बहुत गरीब आदमी है जिनका खर्चा इस महंगाई में चल नहीं सकता इनका ग्रेड १८०० से २२५० था उसको बढ़ाकर २००० से २५०० कर दिया है। डाइरेक्टर आफ टूरिज्म इनको अच्छी तनख्वाह चाहिये रहने के लिये अच्छा बंगला चाहिये तनख्वाह बेचारों को कम मिलती है ५५० से ११०० का ग्रेड कम है इनका बढ़ाकर १००० से १५०० कर दिया। यह सरकार ने रिवीजन कर राणावत कमीशन द्वारा जो भयंकर भूलें की गई थीं हमारी सरकार ने उन पर सात दिन के गंभीर अध्ययन और मेहनत से विचार करने के बाद उपरोक्त निर्णय लिये हैं और इस तरह से नये पांच ग्रेड क्रियेट किये हैं जो बड़ी-बड़ी सर्विस के लिये किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन पांच-सात दिनों में बैठकर जो निर्णय लिये हैं वे छोटे कर्मचारियों को कोई फायदा देने वाले नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में निर्णय लिया। बी. एस. सी. एग्रीकल्चर हैं उनका १५५-४८५ सजेस्ट किया हुआ है। राणावत कमीशन ने २७५-६५० सजेस्ट किया। हमारे गवर्नमेन्ट ने कहा ये एग्रीकल्चर वाले फील्ड के लोग हैं। न टूरिस्ट हैं, न फोटोग्राफर। फोटो खींचना ये नहीं जानते। उन्होंने राणावत कमीशन के सुझाव से ५० घटा दिया। २२५–२२५ मेग्जिमम इस ग्रेड में फिक्स किया।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, कितनी ही ग्रेडें हैं जिसमें जिन लोगों को जो मेग्जिमम मिलता था उसमें भी प्रोवन कट कर दिया। जो लोग १३०–३२० मेग्जिमम ग्रेड में फिक्स थे एक दम २० घटाकर १३० ३०० की ग्रेड में कर दिया।

मैं पूछना चाहूंगा माथुर साहब से। पुराने कर्मचारी हैं १३० से ज्यादा ले रहे हैं उनको क्या मिलेगा? उनका २० कट कर दिया। मिलेगा एक पैसा भी नहीं।

इस तरीके से कमीशन मुकर्रर करके लोगों की महंगाई में तनख्वाह में बढ़ोतरी कुछ करने की बात थी, पर नतीजा उल्टा निकला, इनकी एक्चुअल तनख्वाह ही कम कर दी। इस तरह की कितनी ही ग्रेडें हैं जिनका कि बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इतना समय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कर्मचारियों की मांगें थीं उसके मुकाबले में राणावत कमीशन ने निर्णय लिया वे अपने आप में बहुत दकियानुसी रिएक्शनरी लोगों की मांग की पूर्ति करने वाले नहीं बल्कि समस्याएं पैदा करने वाले हैं। आज आप देख रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय कि केन्द्रीय कर्मचारी जो मौजूदा उनका वेतन स्तर है, उनसे आज वे असन्तुष्ट हैं। उन्होंने हड़ताल का नोटिस दिया हुआ है। कौन जाने कि अगर गवर्नमेन्ट आॅफ इण्डिया ने उनकी जायज मांगों को स्वीकार नहीं किया तो १९ सितम्बर को आल इण्डिया तौर पर हड़ताल करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आज हमारी गवर्नमेन्ट इस बात को ध्यान में नहीं रखे और राजस्थान के कर्मचारी भी उन तमाम मांगों से आज उनकी सहानुभूति है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और आज मांग रखते आ रहे हैं उनके साथ उनका समर्थन है उनको मांगों के साथ उनका समर्थन है। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी से कि आप आखिर १२५ मुकर्रर करते हैं मिनिमम। आप ९० और ९५ रुपया महंगाई भत्ता देते हैं। इस महंगाई को वेतन में मर्ज क्यों नहीं करते? क्यों यह मानकर चल रहे हैं कि यह टेम्परेरी फेनोमेना है महंगाई। जिस तरह की देश की हालत है, जिस तरह की इकोनामी चल रही है तब आप यह उम्मीद करके चल रहे हैं कि यह ९५ टेम्परेरी फेज है? प्राइसेस को कन्ट्रोल करके आप वापिस उसी पुराने स्तर पर ले आवेंगे? मैं वह समझता हूं कि आज राज्य कर्मचारियों के साथ यह घोर गैर-इन्साफी है। पेन्शनों पर और दूसरे इमोल्युमेन्ट पर टी. ए. डी. ए., की रेट पर सब पर असर पड़ता है। मौजूदा इमोल्युमेन्ट बेसिक पे को है उस पर सब कुछ आधारित है। टी. ए., डी. ए. पेंशन और भत्ते आदि इस आधार पर तै किये जाते हैं कि उनकी बेसिक पे क्या है? पेन्शन भी बेसिक पे पर तै होती है। अगर आप यह मानते हैं कि वास्तव में १२५ का काम कर रहा है आप उसके जीवन में तमाम राइट्स को १२५ के आधार पर तै क्यों नहीं होने देते। ९० रुपये के आधार पर तै क्यों करते हैं? उसके पे पैकेट को इमोल्युमेन्ट को तमाम जिन्दगी के आधार क्यों नहीं बनाने देते ताकि पेन्शन में भी उसका हिस्सा ठीक मिल सके। यह सेन्ट्रल पे कमीशन ने पहले भी किया। आपने राणावत कमेटी बिठाई। उसने बड़े-बड़े अफसरों को जिनको ३९० से ज्यादा तनख्वाह मिलती थी उनको तो पूरा महंगाई भत्ता मर्ज कर दिया, और छोटों का पार्शल किया।

आप यह सोचते हैं कि बड़े लोग आपके हाथ में होने चाहिये। वे आपकी उंगलियों पर नाचने वाले होने चाहिये। फिर तो सबको डंडे से ठीक कर देंगे। आप उन बड़े-बड़े अफसरों को आउट आफ दी वे जाकर भी खुश करना चाहते हैं और दूसरे लोगों को हर तरीके से दबाना चाहते हैं, उनकी बेसिक मांग को भी पूरा करना नहीं चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कुछ सर्विसेज हैं जिनके बारे में ये जो मौजूदा पे स्केल्स जिन्होंने लागू किये उनका असर, मैंने आपसे अर्ज किया था, कि जो लोग नये भरती होने वाले हैं उन्हीं को उसका लाभ मिलेगा। जो स्पेशल पे के बारे में कमीशन ने निर्णय दिया है यह खुशी की बात है। मन्त्रीजी ने कहा है कि हमने इसके बारे में सभी निर्णय नहीं लिया है। जो हमारे पास रिपोर्ट है उससे तो ऐसा विदित होता नहीं। आपने उसमें कोई रिजर्वेशन रखा नहीं। उससे तो ऐसा मालूम होता है कि तमाम चेप्टरों पर विचार करके फैसला दिया है। पर खैर। जैसा आपने अभी कहा उसे हम ठीक मान लेते हैं। फिर भी अपनी मन्शा से हो तो विचार करें। पर राणावत साहब ने जो सजेशन दिया है उसके अन्दर कोई बेसिक नहीं है स्पेशल पे का कि किसको नहीं दें। होना तो यह चाहिये था कि जो लो पेड हैं उनकी स्पेशल पे को उनकी बेसिक पे के साथ मर्ज करके एबोलिश करना चाहिये। उनका पे पैकेट बन्द नहीं होना चाहिये। और जो बड़े अफसर हैं जिनको मोटी-मोटी तनख्वाह मिलती है उनको जबर्दस्ती के साथ आपने दिया है कहीं डेपुटेशन अलाउन्स, कहीं प्रोजेक्ट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अलाउन्स कहीं स्पेशल अलाउन्स। हमारे डिप्टी सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज आफिस में बैठे हैं। खस की टट्टियों में और पंखों के नीचे और उन लोगों को स्पेशल अलाउन्स मिला। उन लोगों को स्पेशल पे मिली और आश्चर्य की बात है कि हमारे इन्जीनियर साहब जो हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट हैं और वह काम डिप्टी सेक्रेटरी का या सेक्रेटरी का करते हैं तो चूंकि उनको अपनी जीविका में खस की टट्टी के नीचे बैठना पड़ता है तो कमीशन ने माना है कि यह उनकी आईयुअस ड्यूटी है इसलिये उनको स्पेशल पे मिलनी चाहिये और जो कर्मचारी उसका नोट तैयार करता है, स्टेनो लिखता है या यू. डी. सी., एल. डी. सी. सब कुछ तैयार करते हैं सेक्रेटरियट के काम के लिये सारे नोट आते हैं उनके लिये स्पेशल अलाउन्स की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट में काम करने वाला कर्मचारी है, जो हैड आफिस अलाउन्स मिलता था उस रिपोर्ट के अन्दर उस हैड ऑफिस अलाउन्स को भी खत्म कर दिया गया। पर उन अफसरों को जो इमीजिएट बास हैं उनको वहां खस की टट्टियों में जाने के लिये स्पेशल पे जरूर मुकर्रर की है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्पेशल पे का जो मामला है उसमें जितने भी बड़े-बड़े कर्मचारी हैं, उनको स्पेशल पे का कोई सवाल होना नहीं चाहिये। इसके पे में मर्ज होने का सवाल नहीं होना चाहिये उनको पे तो कम करने का सवाल है। अगर आप राजस्थान में समाजवादी समाज की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको रेडिकली इस बात को सोचना पड़ेगा कि हम एक हजार से ज्यादा तनख्वाह लोगों को नहीं दें। हम इससे ज्यादा अफोर्ड कर नहीं सकते। हमारी स्वतन्त्र पार्टी के नेता इस बात से सहमत नहीं होंगे। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम कहा करते हैं कट योर पेन्ट अकोर्डिंग टू योर क्लॉथ। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम २५०० नहीं दे सकते। लेकिन हमको समाज के अन्दर क्या स्टेन्डर्ड आफ लिविंग चाहिये, मिनिमम स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग गारंटी कर नहीं सकते और मेग्जिमम स्टेन्डर्ड आफ लिविंग पर हाथ नहीं लगा सकते। वे बाल डांस क्लब में जाते रहे उनकी शराब की बोतलों में कमी नहीं आने पावे। आप यह चाहते हैं कि लोगों के पास दो-दो कोठियां, अंगूरों की बेल लगाने के लिये काफी जमीन होनी चाहिये, बगीचा होना चाहिये। उसमें किसी तरह की कमी नहीं आवे। माथुर साहब इस तरह से समाजवाद पैदा नहीं होने वाला है। जिस तरह का स्वरूप, जो स्टेन्डर्ड आप मेन्टेन कर रहे हैं। आप अगर समाजवाद सही माने में ईमानदारी से लाना चाहते हों तो चपरासी में और आपके अन्दर इतना भारी फर्क है उसमें कमी आनी चाहिये। क्या यह कमी आप नहीं ला सकते हैं? इसके अन्दर कमी नहीं आ सकती है। आप दूर हटते जा रहे हैं। आप नहीं जानते हैं आपका चपरासी जो बाहर खड़ा रहता है उसके दिल में क्या अरमान गुजरते होंगे? आपके ड्राईवर की भावनाओं को जो आपको यहां पर छोड़ कर जाता है किस तरह की उसके अंदर भावनायें पैदा होती हैं। आप दरवाजा बन्द कर लेते हैं, दरवाजा बन्द करने पर वह आपके शीशे की तरफ झकांकर देखता है कि आप क्या करतूतें कर रहे हैं? क्या आप उनके कुछ लिये महसूस नहीं करते हैं?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, स्पेशल पे जो राणावत कमीशन ने बन्द किया है वह बिल्कुल रिट्रोगेट है, वह कर्मचारियों के खिलाफ है, उनको अबोलिश करने का और बड़े-बड़े आफिसरों को काफी हद तक कायम रखने का सजेशन है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस कमीशन की रिपोर्ट में सारे मामलों में मैं नहीं जा सकता हूं लेकिन कुछ बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। अभी-अभी निवेदन किया है कि हमारे यहां चार जगह एग्रीकल्चर कालेज हैं और वहां की प्रोबलम यह है कि विद्यार्थी पास होकर निकलते हैं, पहले वेटेरीनरी हास्पिटल का सवाल है उनके पे स्केल कम रखे गये हैं मेरी समझ में नहीं आता है कि जो एग्रीकल्चरल में ग्रेज्यूऐट्स हैं उनको हायर सेकेन्ड्री करने के बाद ४ साल लगाने पड़ते हैं एक प्रिपेरेटरी का होता है और तीन साल ग्रेज्यूएट होने में बिल्कुल इसी तरह जो वेटनरी में जाने वाले हैं उनको चार साल लगाने पड़ते हैं। हायर सैकेन्ड्री के बाद वोही चार साल लगते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वे २७५ से शुरू होकर ५५० तक के और आपके जो बी० डी० ओ० हैं उनकी तनख्वाह ३७५ से ८०० तक जाती है, इसका मतलब यही एग्रीकल्चरल ग्रेज्यूऐट्स जो बराबर की योग्यता और बराबर की मेरिट है आपने २२५—५२५ के ग्रेड में रखा है। यह क्लियर कट गैर इन्साफी है, यह क्लियर कट डिस्क्रीमिनेशन है। हो सकता है यह ओवर साईट से हुआ हो इसको दुरुस्त किया जाना चाहिये। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सर्विसेज में ही एनीमल हस्बेन्डरी की सर्विसेज हैं इन दोनों में काफी बड़ा फरक रखा गया है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं रखा है उसको दुरुस्त किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यापकों के बारे में कहना चाहूंगा। सीनियर ग्रेड के अध्यापकों को आपने २२५—५२५ ग्रेड दिया है अभी भी यह २२५—४८५ मिलता था। आपने उनको कोई इन्क्रीमेन्ट किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की, उनका उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना है कि जो जूनियर लेक्चरार होते हैं—जूनियर लेक्चरार प्रिप्रेटरी क्लास को पढ़ाते हैं। कालेज में इलेवेन्थ को और ये हायर सैकेन्डरी में इलेवेन्थ को पढ़ाते हैं। बिल्कुल उसी योग्यता के लोग हैं। यह बात अलग है कि वहां फर्स्ट डिविजनर्स और सैकिन्ड डिविजनर्स को लेते हैं और यहां....

एक माननीय सदस्य : यहां भी सैकिन्ड डिविजनर्स को ही लेते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिये योग्यता बराबर है लेकिन पे स्केल्स में बहुत बड़ा डिफरेन्स है। पहले डिफरेन्स बहुत थोड़ा था। पहले मैक्सिमम में ५० का था, यह अनुचित है इसको ठीक किया जाना चाहिये। यह खुशी की बात है कि उनको बी० एड०, एम० एड० की ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो जूनियर को नहीं करनी पड़ती है। उनका जस्टीफाई केस है। उनकी बात पर विचार होना चाहिये। इस तरह आपने उनके लिये दो ग्रेड कर रखे हैं। अभी तक उनको इन्क्रीमेंट एन्युअल इन्क्रीमेन्ट १०) रु० था आप उसको बढ़ाने के बजाय घटाते हो। मैं समझता हूं यह रिट्रोगेट तरीका है। १६० रु० पहले से उनको मिलते थे उसको अब १ सितम्बर से २, रु० का घाटा हो गया क्योंकि पहले १६० मिलते थे उसको सालाना तरक्की होती थी वह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

१०) ८० के बजाय ८) ८० होने लगेगी। वेतन आयोग से उनको यह मिला है। इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा बी० ए० जो नान ट्रेन्ड है उनको आपने १३० के ऊपर जाकर रोक दिया यह दुरुस्त नहीं है। उनको जो लोग ट्रेन्ड नहीं हुये हैं, उनकी लेन्थ आफ सर्विस के लिहाज से ट्रेन्ड मैट्रिक माना है (घंटी) यहां तक कि मिडिल है उन तक को आपने ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड दिया है तो आप ग्रेज्यूएट्स को क्यों ड्राप करना चाहते हो। कमीशन ने यह सजेशन दिया है कि एफिसियेन्सी बार को क्रास करने में टाईपिंग टेस्ट के नाम से एल० डी० सी० को रोका गया है। जो उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल गलत है, जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास टाईप राईटर नहीं है, टाईपिंग का काम नहीं है वह एल० डी० सी० कहां टाईप की प्रैक्टिस करेगा, उसकी प्रैक्टिस कैसे जारी रहेगी ? तहसील के अन्दर कोई टाईप नहीं है वहां टाईप होनी चाहिये। आपके पास टाईप राइटर्स नहीं है। अगर किसी क्लर्क की ८० की स्पीड है तो तीन साल वह काम न करे तो २० ही रह जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसको रिलेक्स किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वेतन कमीशन ने यह सजेशन किया है कि प्रमोशन के चान्सेज अपने सेवा काल में होना चाहिये। कम से कम दो बार प्रमोशन मिल जाय ऐसा स्ट्रक्चर सर्विसेज का बनाना चाहिये और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन बनाया है उसको भी यही रिकमन्डेशन थी कि अगर किसी सिस्टम में हायर ग्रेड न हो तो प्रमोशन के चान्सेज सलेक्शन ग्रेड कायम करके कर देना चाहिये, इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के जो रिपोर्टर्स हैं जबसे वे कायम हुये हैं, जबसे उनको यह काम मिला लगातार रिपोर्टिंग का काम करते आ रहे हैं। कोई प्रमोशन का काम नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये कमीशन की रिपोर्ट में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिये मैं समझता हूं कि उनको तरक्की के एवेन्यूज मिलना चाहिये और उनके लिये जो भी हो करना चाहिये। सिलेक्शन ग्रेड कायम कर देना चाहिये। ताकि इनको आइन्दा आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो वेतन आयोग की रिपोर्ट है और राजस्थान गवर्नमेंट के जो डिसिजन हैं ये तमाम के तमाम उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते, उन उम्मीदों को पूरा नहीं करते, जिस उम्मीद से ये कर्मचारी इन सिफारिशों को देखते थे और राज्य सरकार के निर्णय को देख रहे थे। माननीय मंत्री महोदय ने जो अभी निर्णय लिया है उसमें कहा है कि साढ़े तीन करोड़ का राज्य के बजट पर असर पड़ता है और राणावत कमीशन की सिफारिशें पूरी मान ली जाती तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सवा चार करोड़ का बजट पर असर पड़ता। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, आज गवर्नमेंट को बहुत बड़ा भ्रम है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास साधन नहीं है। साधन नहीं है तो हम पैसे कहां से दें ? इसके लिये मैं उपाध्यक्ष महोदय यह कहना चाहूंगा कि यह एक बुनियादी सवाल है। आपकी गलत नीतियों के कारण साधन नहीं है उन नीतियों के कारण आप स्वतन्त्र पार्टी के आईडियोलोजी को अपना कर चल रहे हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपने प्लान बन्द कर दिया तो इस तरीके से बुनियादी सवालात हैं और आप मंहगाई को नहीं रोक पाते हैं उनकी समस्याओं का आप हल नहीं कर सकते ...

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर क्या होगा 'आई विल कन्टीन्यू टूमारो ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मुझे थोड़ा समय दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : १० मिनिट के लिए बैठक का समय और बढ़ाया जाता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो फ्री ट्रेड के प्रोटैगेनिस्ट हैं और स्वतंत्र पार्टी तो खास तौर से यह कहती है कि कोई कन्ट्रोल आफ प्राइस नहीं होना चाहिए, कोई कन्ट्रोल आफ मार्केट नहीं होना चाहिए, उनको भी जाकर आज कहना पड़ा कि आप कन्ट्रोल कीजिए मार्केट प्राइस पर । लेकिन उसके ऊपर आप काबू नहीं पा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि राज्य कर्मचारी को या किसी भी मजदूर को इसमें खुशी नहीं है कि उनकी तनख्वाह नाममात्र के लिए संख्या के अन्दर उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाये, वह तो अपनी रियल वेजेज को बढ़ाना चाहते हैं । उनकी वास्तविक मांग यह है कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद अगर आप आंकड़ों का मुकाबला करें तो जो ४७ में वेजेज मिलती थीं कर्मचारियों को आज ६८ में इन टर्म्स आफ गुड्स याने चीजों के रूप में आज उनको रीयल वेजेज बढ़ी नहीं हैं बल्कि किन्हीं न किन्हीं मात्रा में घटी है । वह मांग यह कर रहे है कि देश में विकास हो रहा है, देश समाजवाद की तरफ जाना चाहता है, देश का इन्डस्ट्रियेलाइजेशन हो रहा है, देश के अन्दर दौलत बढ़ रही है हमको इसका क्या मिलेगा ? क्या इस इन्डस्ट्रियेलाइजेशन का मतलब, क्या इस विकास का मतलब यह है कि वह सोचे कि मेरी झोंपड़ी के ऊपर से छांद उड़ जायेगी, मेरी झोंपड़ी पर टीनें नहीं रहेंगी मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकूंगा और बच्चा बीमार हो जाये तो मैं इलाज नहीं करा सकता । अगर इस योजना का मतलब, करोड़ों रुपये खर्च करने का मतलब इन ४२ हजार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में और आम कर्मचारियों की जिन्दगी पर यह असर होता है तो उनके दिलों में इन योजनाओं के प्रति उत्साह नहीं हो सकता । वह नहीं समझ सकते कि यह योजना हमारे देश की है । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आज कर्मचारी यह नहीं कहता कि मेरी तनख्वाह का स्केल बढ़ाओ । वह यह कहता है कि आज की जो कीमतें हैं, जिस स्तर पर हैं और जो मेरी जरूरियात हैं, रोटी खाने की, पीने की, मकान की, शिक्षा की, इलाज की वह मेरी मौजूदा तनख्वाह से पूरे नहीं होते इसलिए हर माह घाटा पड़ता है । आप तो डेफिसिट बजट करके केन्द्रीय सरकार से सबसीडी ले आते हैं लेकिन यह कौनसी सरकार से सबसीडी लायें ? यह कहां से लायें घाटे को पूरा करने के लिए ? आप तो ४०० करोड़ रुपया क्रेडिट का लाये लेकिन उनका क्रेडिट भी नहीं मार्केट में कि इतना पैसा क्रेडिट करके जिन्दा रहें । इसलिए जो प्रचार किया जाता है कि कहां

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तक तनख्वाह बढ़ेगी और जैसा महारावल साहब ने कहा कि यह व्यवहारिक निर्णय है मैं कहना चाहता हूं कि कर्मचारी ज्यादा खुश होंगे और आप मार्केट को कन्ट्रोल करें और उन चीजों का गारन्टी करें कि सन् ४७ में जैसे २० और २५ रुपये की तनख्वाह मिलती थी उस तनख्वाह में जितना गेहूं जितना शक्कर, जितना तेल और जितना घी, और कपड़ा आता था उतना भी आप अगर नहीं दें और वह भी करोड़ों रुपया डम्प करने के बाद तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि तो फिर आखिर में वह क्या करें। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि कर्मचारियों की मांग अपने जीवन-यापन की मांग है। जबरदस्ती देश के धन मे से लूट करने की मांग नहीं है। वह उसका जो स्टैन्डर्ड है उसको कायम रखने की मांग है। आप उसमें से छीनें नहीं अगर आप मार्केट को कन्ट्रोल कर सकेंगे, अगर उसके ऊपर नियंत्रण कर सकेंगे तो इससे बड़ी खुशी और किसी को नहीं होगी जितनी कि लो पेड कर्मचारियों को होगी। लेकिन उसके लिए आपको बुनियादी कदम उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए महारावल साहब को भी उन रैडिकल कदमों को मन्जूर करने के लिए तैयार होना पड़ेगा जो कि उस रास्ते को हल कर सकते हैं। जो प्लान महत्वाकांक्षी हैं उसके ऊपर प्रिवीपर्स को बचाने की बात करें, अगर इस प्लेटफार्म पर निजी स्वार्थों को बचाने की बात करें तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सवाल यह है कि हम अपने देश के अन्दर प्राइस लाइन मेन्टेन नहीं कर सके। एक तरफ पूंजीपतियों का राज्य, प्राइस ग्रॉफ कन्ट्रोल नहीं करें और एक तरफ तो महारावल साहब कहें कि प्राइस को कन्ट्रोल करें और उनके प्रतिनिधि पार्लियामेंट में कभी सीमेन्ट का डी कन्ट्रोल करते हैं, कभी शुगर का करते हैं और कभी आईरन का करते है और इस तरह से बड़े बड़े सेठों को खुली छूट देते हैं बड़ा-बड़ा मुनाफा कमाने की। कहां कायम रहेगी प्राइस लाइन ? कहां गई गेहूं की आपकी कीमतें ? स्टेट ट्रेडिंग भी फूड ग्रेन्स की प्राइसेस पर कन्ट्रोल नहीं कर सकीं। आपने बफर क्राप्स को भी देख लिया और अकाल को भी देख लो। बफर क्राप्स हो जायें तो आपके पास अनाज रखने के लिये जगह नहीं है और अकाल हो जाये तो अनाज देने के लिए नहीं है। यह एनार्किक पालिसी है और इसके कारण सारी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज का मजदूर वर्ग उतना कान्शश है कि आपके कर्मचारी जिस प्रकार से आपको सलाम करते हैं — आपका ड्राइवर जो आपकी मोटर चलाता है जब आपके यहां से ड्यूटी देने के बाद अपनी यूनियन में जाता है तो शान के साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है और कहता है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे और हम अपनी तनख्वाह को बढ़वाकर रहेंगे और आपके सामने सीना तानकर खड़ा होता है। आपने पहले सेक्रेटेरियेट में मीटिंग नहीं करने दी लेकिन आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। १९ सितम्बर सामने आने वाली है, आ रही है ९ दिन के बाद और इससे पहले आपको निर्णय लेना चाहिए। आपको निर्णय लेना चाहिए उनको बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए वर्ना लाजिमीतौर पर उसका

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नतीजा यह है कि मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग, न केवल राज्य कर्मचारी आज तमाम हिन्दुस्तान के कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि यह केवल राज्य कर्मचारियों का ही सवाल नहीं है। जो कारखानों में काम करते हैं मजदूर उनके सामने भी यह सवाल है। जो प्राइवेट इन्डस्ट्रीज में काम करते हैं उनके सामने भी यही सवाल है। इनके साथ जो होता है वही उनके साथ होगा। इसलिए यह सारे आज इकट्ठे हो रहे हैं, यूनाइटेड हो रहे हैं और यूनाइटेड होकर आगे मार्च कर रहे हैं। महारावल साहब कहने लगे कि शटर कर रहे हैं। होगा क्या ? होगा वही जब जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेंगे तो जनता उठी और झण्डे हाथ में लेकर उठी और राजाओं के तख्त उलट दिये। यही होता है 'हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ'। जो मौजूदा राज्य के चलाने वाले लोग हैं उनकी समस्याओं का हल नहीं करेंगे तो इस तख्तताज को भी उलट दिया जायेगा, नयी गवर्नमेंट कायम होगी जो इन समस्याओं का हल कर सकेगी। इस बुनियाद पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस रिजोल्यूशन को मूव करता हूं और मैं समझता हूं कि हाउस से मुझे इसका पूरा समर्थन मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ६–१० बजे दिनांक १४ सितम्बर, १९६८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ३८४ की सूची)

S. No.	E. C. No.	Date	Period	Items	Amount	Licence Number	Date	C. F. Value
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SSI/60/373	14-8-60	April, 60 to March, 61	Clock parts	28,000/-	721215/60	9-2-61	14,000/-
2.	SSI/AS/61/215	13-8-61	-do-	-do-	24,000/-	665298/61	1-3-62	10,000/-
	JM/GM/62/298	12-2-62	-do-	-do-	12,000/-	664808/61	30-3-62	22,000/-
3.	SSI/60/373	14-8-60		Time pieces	8,000/-	721214/60	23-7-61	4,000/-
	SSI/60-61/318	13-3-61	-do-	-do-	10,000/-	715015/60	14-9-61	9,900/-
	SSI/AS/61/215	13-8-61	-do-	-do-	10,000/-	666823/61	9-2-62	8,250/-
	UP/OM/62/297	12-2-62	April, 61 to March, 1962	-do-	8,250/-	664807/61	30-3-62	8,250/-
4.	SSI/60-61/810	13-1-61	Oct., 69 to March, 61	Spring Steel	9,750/-	ROM/IL/CDL/Raj./28/2817/CM/60-61	1-8-61	8,250/-

1	2	3	4	5	6	7	8	
5.	SSI/AS/61/43	18-7-61	April 61 to March, 62	Stainless Steel	5,500/-	BOM/OL/C/DI/Raj./28/4184/AS-61/	28-10-61	5,500/-
	JP/DM/90	13-1-62	do	-do-	5,500/-	12/97/01301/55	28-4-62	5,500/-
6.	SSI/6(/374	14-8-60	April, 60 to Sept., 60	Nickel Chromimum material	7,500/-	718988/60	3-1-61	62/-
7.	SSI/60-61/324	14-3-61	Oct., 60 to March, 61	Instrument	5,000/-	713912/60	30-9-61	2,500/-
	SSI/60-61/325	14-3-61	-do-	Machine Tools	4,000/-	715774/60	28-8-61	2,500/-
						715800/60	28-8-61	500/-
						715772/60	28-8-61	400/-
						715771/60	28-8-61	300/-
8.	SSI/AS/61/217	13-8-61	April, 60 to Sept., 61	Machine hand Tools	5,000/-	662234/61	31-3-62	7,500/-
				Assembling repairing Tools	5,000/-			
				Persian M. Tools	5,000/-			

9.			April, 62 to March, 63	Clock parts Raw material		571459/62	28-2-63	50,625/-
				Time piece		571473/62	27-2-63	6,187/-
				Raw material		571460/62	28-2-63	18,562/-
10.	SSI/AM/64/54	13-2-64	April, 63 to March, 64	Time piece parts	13,200/-	Case pending	Indevelopment wing, NewDelhi	
	SSI/AM/64/54	13-2-64	do	Time piece Raw material	39,600/-	-do-		
11.	JP/AM/62/299	15-11-63	April, 63 to March, 64	Clock parts, pendulum	54,000/-	Pending		
	JP/AM/64/300	15-11-63		Lever	28,000/-	=do-		
	JP/AM/64/295	30-11-63		Lever Excap- ment move- ment.	27,000/-	-do-		

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ३८९ की सूची)

क्रम संख्या	किस कार्य हेतु अनुदान ऋण दिया	वर्ष जिसमें ऋण अनुदान दिया	ऋण राशि जो दी	अनुदान राशि जो दी	किस कार्य हेतु ऋण अनुदान दिया उसका उपयोग उस काम में हुआ या नहीं	कितनी राशि अब देनी बकाया है तथा कब से: राशि	कितनी राशि अब देनी बकाया है तथा कब से: दिनांक जब से बकाया है
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	व्यवस्थापकीय व्यय हेतु अनुदान	५९-६०	—	१२५०)	अनुदान राशि का उपयोग व्यवस्था व्यय में हो चुका है	—	—
२.	गोदाम निर्माण हेतु ऋण	६०-६१	१८७५०)	—	गोदाम ऋण का उपयोग गोदाम निर्माण में हो चुका है	१२५००)	१-४-६८ से
३.	गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	६०-६१	—	६२५०)	गोदाम निर्माण हेतु अनुदान राशि को अनुदान राशि का उपयोग गोदाम बनाने में किया जा चुका है	—	—
४.	व्यवस्थापकीय व्यय हेतु अनुदान	६१-६२	—	६००)	अनुदान राशि का उपयोग व्यवस्था व्यय में हो चुका है	—	—
५.	उपभोक्ता शाखा के अतिरिक्त स्टाफ हेतु अनुदान।	६७-६८	—	२५००)	अनुदान राशि का उपयोग उपभोक्ता शाखा के अतिरिक्त स्टाफ पर किया जा चुका है	—	—

परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

वूलपैक खरीदने के टेन्डर

३९४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या भेड़ व ऊन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में संचालक भेड़ व ऊन विभाग ने वूलपैक खरीदने के टेण्डर मांगे थे ? यदि हां, तो कब कितने वूलपैक के लिये तथा किस-किस फर्म से कितने मूल्य के टेण्डर प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त टेण्डरों में से किस फर्म के टेण्डर स्वीकृत किस कारण से किये गये व रेट कितनी थी ?

(३) उपरोक्त फर्म से कितने वूलपैक कितने मूल्य के खरीदने का अग्रिम पेमेन्ट किया तथा संचालक को इस प्रकार की खरीद के सम्बन्ध में किन-किन परिस्थितियों में क्या-क्या अधिकार है ?

(४) क्या यह भी सही है कि जिस फर्म का टेण्डर मंजूर किया गया है उसी फर्म से सन् १९६५-६६ में भी तीन हजार वूलपैक की अनियमित खरीद की गई थी जिसके लिये संचालक को राज्य सरकार द्वारा चार्ज शीट दी गई है ? यदि हां, तो बार-बार इसी फर्म से अनियमित रूप से सौदा करने का क्या कारण है ?

(५) क्या यह भी सही है कि इस मामले में निम्न रेट वाले के साथ एग्रीमेन्ट किया जाता है तो सरकार को काफी फायदा होता ? यदि हां, तो कितने रुपयों का ?

(६) क्या सरकार इस सारी कार्यवाही को नियमानुसार उचित समझती है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां यह सत्य है कि इस वित्तीय वर्ष में १७०० वूलपैक खरीदने के लिये निविदा आमंत्रित की गई थी। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) मैसर्स बन्शीधर बद्रीनारायण निविदा की समस्त शर्तें पूरी करते हुए सबसे नीची दर १३-४९ प्रति वूलपैक की दी थी। अतः संचालक के अधिकारों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(भेड़ व ऊन विभाग मंत्री)

(३) इस फर्म को कोई भी अग्रिम राशि नहीं दी गई है। अतः संचालक के अधिकारों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) यही सही है कि उक्त फर्म ने सन् १९६५-६६ में तीन हजार वूलपैक सप्लाई किये थे। परन्तु इस खरीद को अनियमित नहीं कहा जा सकता जब तक सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता साबित नहीं हो जाती। कोई भी फर्म निविदा की शर्त पूरी करके यदि दरें उचित देता है तो उससे खरीद करना अनियमित नहीं है।

(५) प्रश्न दो से यह साफ जाहिर है कि जिन फर्मों ने निविदा की सब शर्त पूरी की थी उनमें से सबसे निम्न दर इसी फर्म की है।

(६) वह सारी कार्यवाही लेख एवम् वित्तीय नियमों के अनुसार है, अनियमित नहीं है। अतः अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रियों द्वारा यात्रा

३६५. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कौन-कौन से मंत्री सन् १९६८-६९ वर्ष में जुलाई तक राजस्थान के बाहर यात्रा के लिये गये और किस-किस काम से ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) राजस्थान के बाहर वे किन-किन स्थानों पर और कहां-कहां ठहरे ? यदि होटलों में ठहरे तो उसके खर्च का विवरण और यदि व्यक्तिगत लोगों के यहां ठहरे तो उनके नाम एवं व्यवसाय का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

डाइरेक्टर का ऑफिस में कार्य करने का समय

३६६. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) डाइरेक्टर, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का ऑफिस में कार्य करने का समय कितने बजे से कितने बजे तक का है ?

(२) क्या यह सही है कि उनके ऑफिस में दो घण्टे से ज्यादा का काम नहीं होने के कारण वे केवल दो घण्टे के लिये ही ऑफिस आते हैं ?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(१) दस बजे से पांच बजे तक।

(२) यह सही नहीं है।

बाड़मेर-फलसूंड मार्ग पर बसें

३९७. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) — क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बाड़मेर-फलसूंड मार्ग पर, कितनी बसें रोजाना चलती हैं ? इन बसों की पैसेन्जर केपेसिटी कितनी है ?

(२) इस मार्ग पर किन-किन व्यक्तियों को कितने परमिट दिये गये हैं ? क्या और अधिक परमिट देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(१) इस मार्ग पर एक बस रोज आती है और एक रोज जाती है। प्रत्येक बस की सीटिंग केपेसिटी प्रश्न के दूसरे हिस्से में बताई गई है।

(२) इस मार्ग पर निम्न व्यक्तियों को परमिट दिये हुऐ हैं।

१. श्री चन्द्रसिंह गाड़ी नं० आर. जे. सी. ३१०, सिटिंग केपेसिटी २०

२. श्री दलपतसिंह गाड़ी नं० आर. जे. सी. २१६, सिटिंग केपेसिटी ४०

३. श्री नरपतसिंह गाड़ी नं० आर. जे. क्यू. ३७३६, सिटिंग केपेसिटी ३१

४. श्री भैरुसिंह गाड़ी नं० आर. जे. क्यू. ३०२६, सिटिंग केपेसिटी ३६

अधिक परमिट देने का मामला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के विचाराधीन है जो नवम्बर ४, ५, ६, १९६८ को मीटिंग में निर्णय लिया जायगा।

जिला बांसवाड़ा में खोले गये नये स्कूल

३९८. श्री हीराभाई- (कुशलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जिला बांसवाड़ा में वर्ष १९६८ में कौन-कौन सी पंचायत समितियों के क्षेत्रों में हायर सैकेन्डरी व माध्यमिक स्कूलें खोली गई हैं और कहां-कहां और ये स्कूलें खोले जाने का निर्णय कौन-कौन सी तारीखों में लिया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत छोटी सरवा में माध्यमिक स्कूल खोली गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(श्री हीराभाई)

(३) क्या यह सही है कि छोटी सरवा की माध्यमिक स्कूल को चालू करके फिर बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो किस तारीख को और क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल के बन्द करने के कारण और अन्य स्कूलों में प्रवेश की तिथि निकल जाने के कारण यहां के विद्यार्थियों को किसी अन्य जगह पर प्रवेश नहीं मिल सके हैं ।

(५) सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों की पढ़ाई का क्या प्रबन्ध किया है ? यदि नहीं किया है तो क्यों ?

उत्तर

(१) लिस्ट साथ में संलग्न है।

(२) यह सही नहीं है ।

(३) ग्राम छोटी सरवा में कक्षा ६ चालू नहीं की गई है। अतः बन्द करने का कोई प्रश्न नहीं रहता ।

(४) किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश तिथि निकल जाने पर प्रवेश नहीं मिल सका हो ऐसा कोई मामला नहीं है।

(५) कोई भी विद्यार्थी प्रवेश बिना नहीं रह गया है । अतः विशेष प्रबन्ध का प्रश्न ही नहीं है।

प्राथमिक शालाओं से माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत की गई:—

क्र० सं०	स्कूल का नाम	पंचायत समिति	लिये गये निर्णय की दिनांक
१.	भूखिया	भूखिया	१२-७-६८
२.	मूंगड़ा	घाटोल	३१-७-६८
३.	छींच	बागीडोरा	३१-७-६८

प्राथमिक शालाओं से उच्च माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत की गई:—

क्र० सं०	स्कूल का नाम	पंचायत समिति	लिये गये निर्णय की दिनांक
१.	शहरी क्षेत्र	बांसवाड़ा	१५-७-६८
२.	पिपलखूंट	पिपलखूंट	१५-७-६८
३.	सरवावड़ी	कुशलगढ़	१-८-६८
४.	कूंपड़ा	बांसवाड़ा	३१-[illegible]-६८

———

सुरक्षा कोष की राशि का दुरूपयोग

३९९. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर की स्थानीय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति द्वारा संग्रहीत सुरक्षा कोष की राशि में हजारों रुपये का गोलमाल हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सुरक्षा कोष समिति के अध्यक्ष एवं भूतपूर्व संसद सदस्य ने भी इस कोष के दुरुपयोग पर गत आम चुनावों के अवसर पर वक्तव्य दिये थे ?

(३) क्या यह सही है कि प्रशासनिक स्तर पर आज तक इस बारे में न तो कोई जांच की गई है और न कोई स्पष्टीकरण ही दिया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त कोष के धन संग्रह अभियान में एकत्रित हजारों की राशि ऐसी है जिसकी वसूली को प्रमाणित करने वाली रसीदें तो काटी जा चुकी हैं लेकिन धन राजकीय कोष में आज तक नहीं पहुँचा है ?

(५) क्या यह सही है कि कई दान-दाताओं में दान की राशि को बकाया बताया जाता है हालांकि उन्हें रसीदें काट कर दी जा चुकी है ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त समिति के एक जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा उन दान-दाताओं से जिनमें राशि बकाया बताई जाती है, यह लिखवाया जा रहा है कि अब वे यह राशि देना नहीं चाहते हैं ?

(७) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर के अलावा जिले के अनेक गांवों में भी धन संग्रह के लिये जो अनेक रसीद-बुकें बांटी गई थी, उनका हिसाब भी सम्बन्धित व्यक्तियों से अब तक नहीं मांगा गया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं।

(मुख्य मंत्री)

(७) जिन व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये धन संग्रह करने हेतु रसीद की किताबें दी गई थीं उनसे हिसाब मांगने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को बहुत समय पूर्व आदेश भेज दिये गये थे।

चने व सरसों की फसल को चेपा की बीमारी

४००. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पिछले साल चना व सरसों की फसल को चेपा की बीमारी से बचाने के लिये सरकार ने हवाई जहाज द्वारा किस-किस जिले में दवा छिड़कवाई थी और उसमें सरकार का कितना धन खर्च हुआ ?

(२) अलवर जिले में इस कार्य में किस-किस तहसील में कितना-कितना खर्चा हुआ ?

(३) क्या अलवर जिला परिषद् ने प्रस्ताव पारित किया है कि किसानों से चेपा मारने की दवा छिड़कने की कोई कीमत वसूल नहीं की जावे ?

(४) क्या सरकार को यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) जिला अलवर व भरतपुर में सरसों व चने की फसल में हवाई जहाज द्वारा औषधियां छिड़कवाई गई थी। दोनों जिलों में १४ लाख ८९ हजार ९९१ रु० ७२ पैसे (१४,८९,९९१.७२) खर्च हुए।

(२) अलवर जिले में अलवर, किशनगढ़ तिजारा, लक्ष्मणगढ़, मण्डावर तहसील ग्यारह लाख इकत्तीस हजार पांच सौ पैंतीस रु० पन्द्रह पैसे (११, ३१, ५३५. १५) खर्च हुए। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सरकार के पास ऐसे प्रस्ताव की कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(४) जी नहीं। जिलाधीश अलवर से अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

जिला अलवर में हवाई जहाज द्वारा औषधियां छिड़कवाने पर पंचायत समिति वाइज खर्चा निम्न प्रकार है :—

पंचायत समिति का नाम १	रकम जो खर्च हुई २
१. अलवर तहसील	३,३१,९८८.९१
२. किशनगढ़ तहसील	४,४१,३९८.५३

(कृषि मंत्री)

१	२
३. तिजारा तहसील	१,१५,२३६.०६
४. मण्डावर तहसील	३२,०११.८८
५. लक्ष्मणगढ़ तहसील	२,२८,६३०.५७
	११,३१,५३५.१५

माउन्ट आबू में बिजली की व्यवस्था

४०१. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, (भीम)

दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) माउन्ट आबू में बिजली की क्या व्यवस्था है ? क्या वहां पर प्राईवेट सप्लायर को स्वीकृति दे रखी है ? यदि हां, तो वह कौन है और उसको किन शर्तों पर दी हुई है ? कृपया कान्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे ।

(२) क्या यह सही है कि इस कान्ट्रेक्टर ने बिजली की दरें बढ़ा दी है और अब वह ८० पैसे प्रति यूनिट चार्ज कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या दरें बढ़ाने की उसको स्वतन्त्रता है ? यदि हां, तो कांट्रेक्ट के किस नियम के तहत ? यदि नहीं, तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

(४) क्या सरकार माउन्ट आबू पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने पर विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(५) क्या सरकार इसे अपना एकमात्र समर स्टेशन मानते हुए प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त फर्म मिनिमम चार्ज भी उपभोक्ताओं से वसूल करती है जब कि भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा १९६० में यह निर्णय लिया गया था कि मिनिमम चार्ज वसूल नहीं होगा ?

उत्तर

(१) माउन्ट आबू में बिजली प्राईवेट कम्पनी द्वारा वितरित की जाती है एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(मुख्य मन्त्री)

(२) जी हां, यह दर १-४-६६ से कम्पनी के लाभ तथा हानि के लेखों के आधार पर बढ़ाई है।

(३) जी हां, विद्युत् रसद नियम, १९४८ के परिशिष्ट ६ के अन्तर्गत पाबन्दी नहीं है।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) जी हां, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बूंदी के सेन्ट्रल कॉग्रॉपरेटिव बैंक के चेयरमैन

४०२. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु०): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बूंदी सेन्ट्रल कॉ० बैंक के चेयरमैन कौनसी सरकारी समिति के प्रतिनिधि हैं ?

(२) इस सोसायटी में कितना कर्जा बकाया है ?

(३) इस समिति के कर्जा न चुकाने के कारण क्या राज० सह० अधि० की धारा ३४ (४) के अन्तर्गत चेयरमैन रहने के अयोग्य हो गये हैं ?

(४) क्या सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बूंदी ने रजिस्ट्रार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट भेजी है ?

(५) क्या ट्रेजरी आफिसर ने भी इस संबंध में वित्त आयुक्त को कोई रिपोर्ट भेजी है ?

(६) यदि हां, तो इन दोनों रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(७) क्या यह सही है कि सहायक रजिस्टार व ट्रेजरी आफिसर, बूंदी चेयरमैन की अयोग्यता के बावजूद उनके द्वारा कार्य संचालन करने के कारण संचालक मंडल की बैठक से उठकर चले गये और मंडल की बैठक कोरम के अभाव में न हो सकी ?

(८) क्या यह सही है कि सैंट्रल कॉ० बैंक बूंदी का काम ठप्प हो रहा है और काश्तकारों को गन्ना उत्पादन के लिये जो ऋण दिया जाता है वह नहीं बंट रहा है ?

(९) अब तक इस बैंक पर प्रशासक क्यों नहीं नियुक्त किया गया ?

परिशिष्ट-११ सितम्बर, १९६८-परिशिष्ट

(सहकारिता मन्त्री)

उत्तर

१. बूंदी सेन्ट्रल कॉआपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री गिर्राज किशोरदत्त ,खटकड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रतिनिधि हैं।

२. इस समिति पर बैंक का ३४,७७५) रु० का कर्जा बकाया है, जो कि अवधिपार नहीं है।

३. धारा ३४ (४) के तहत कोई भी सहकारी समिति अगर ३ माह से अधिक डिफाल्ट करती हो तो उस सूरत में उस समिति का प्रतिनिधी यदि वह संचालक मण्डल पर है तो उस दशा में स्वयं ही संचालक मण्डल के पद पर नहीं रह सकता। जहां तक खटकड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति का प्रश्न है जिसके श्री दत्त प्रतिनिधि हैं, वह समिति बैंक की दो बार तीन माह से अधिक समय के लिए डिफाल्टर रही है इस कारण श्री दत्त चेयरमैन रहने की योग्यता नहीं रखते हैं। इस प्रकार का वाद खड़ा होने पर इसका फैसला रजिस्ट्रार या राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार ने इस मामले को रजिस्ट्रार को सहकारी अधिनियम की धारा ३४ (८) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए भेज दिया गया है। समिति इस समय बैंक की डिफाल्टर नहीं है।

४. जी, हां।

५. जी, हां।

६. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बूंदी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार ने उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा को बैंक का चुनाव पुनः कराने हेतु सह० अधि० की धारा ३१ के तहत स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाने को लिखा। वित आयुक्त महोदय ने क्या कार्यवाही की, उसकी जानकारी सहकारी विभाग को नहीं है।

७. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां व ट्रेजरी ऑफिसर ने चेयरमैन को सहकारी अधिनियम की धारा ३४ (४) के अन्तर्गत अयोग्य मानकर संचालक मण्डल की बैठक में भाग नहीं लिया और इस प्रकार संचालक मंडल की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो सकी।

८. जी, नहीं।

९. विषय गम्भीर नहीं था। अतः प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया।

आदर्श प्राथमिक पाठशाला सवाईमाधोपुर को अपग्रेड करने की मांग

४०३. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सवाईमाधोपुर नगर में कितनी राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शालाएं हैं और उनमें विगत सत्र में कुल कितनी छात्र संख्या थी तथा वर्तमान सत्र में क्या छात्र संख्या है ?

(२) उच्चतर माध्यमिक शाला सवाईमाधोपुर में गत सत्र में क्या छात्र संख्या थी और वर्तमान सत्र में क्या छात्र संख्या थी ?

(३) क्या सवाईमाधोपुर नगर में कोई माध्यमिक शाला है ?

(४) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों से आदर्श प्राथमिक पाठशाला सवाई-माधोपुर को माध्यमिक शाला में उन्नत करने हेतु बराबर मांग की जाती रही है और शिक्षा निरीक्षक ने भी इसका अनुमोदन किया है ?

(५) यदि हां, तो इस शाला को माध्यमिक शाला में उन्नत न किए जाने के क्या कारण हैं।

उत्तर

१. राजकीय ६ प्राथमिक शालायें सत्र में १२७२ व इस वर्ष १००४ छात्र संख्या हैं।

२. गत सत्र १९६७-६८ में छात्र संख्या ११८८ थी इस सत्र में ११८० हैं।

३. एक माध्यमिक शाला है।

४. जी हां।

५. क्रमोन्नत किया जा चुका है।

जालोर-सिरोही को बिजली देने की योजना

४०४. श्री आईदानसिंह (भीनमाल): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर कि बरली ट्रांसमिशन लाइन व सलगांव नम्बेर नला हाइडल स्कीम से जालोर-सिरोही को बिजली देने की योजना है ?

(२) अगर हां तो अब तक कौन सी योजना की जांच करा ली गई है ?

(आईदानसिंह)

(३) इन योजनाओं से कब तक बिजली मिलना शुरू हो जायगी ?

(४) इन योजनाओं से किन-किन गांवों को बिजली दी जायगी ?

उत्तर

१. योजनाएं हैं।

२. उदयपुर से किवरली तक १३२ के० वी० का प्रसारण लाइन ले जाने की योजना की जांच करली गई है। सालगांव गंभीर नला हाइडल स्कीम की भी प्रारम्भिक जांच करली गई है।

३. योजना के स्वीकृत होने के पश्चात् व धन की प्राप्ति होने पर निर्भर करता है।

४. यदि उक्त योजना स्वीकार हुई तो उपरोक्त योजना से सिरोही जिले एवं जालौर जिले के कुछ क्षेत्र को बिजली दी जा सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल नहीं हैं।

जैसलमेर का आइरन व स्टील का कोटा

४०५. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि जैसलमेर को आइरन व स्टील का कोटा कुछ समय से नहीं मिल रहा है? अगर हां तो इसके क्या कारण हैं?

(२) क्या यह भी सच है कि न तो जी० सी० न बी० पी० न जी० पी० प्रकार की शिट्स का ही कोटा है जबकि हर जिले को यह कोटा दिया जाता है ?

(३) क्या यह भी सच है कि इसी कारण वहां की मेहता ब्रदर्स नाम की फर्म आज कार्य नहीं कर रही है ?

उत्तर

१ आइरन व स्टील पर से सभी प्रकार का नियंत्रण हट जाने के कारण आइरन व स्टील का जिलेवार कोटा नहीं दिया जाता है। केवल लघु उद्योगों को आइरन व स्टील का कोटा दिया जाता है।

२ जी० सी० शिट्स का कोटा १९६२ से इमर्जेन्सी के कारण किसी राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा अलोट नहीं किया गया इसी कारण जी० सी० शिट्स का कोटा जैसलमेर को ही नहीं अपितु किसी भी जिले को नहीं दिया गया। पहली बार

(उद्योग मन्त्री)

यह कोटा ४२४ टन सन् १९६७–६८ में मिला जिसमें से ७० प्रतिशत कृषि विभाग को दे दिया गया। बाकी १३० टन उद्योगों के लिये दिया गया। (जैसलमेर से किसी लघु उद्योग की मांग न आने के कारण इसमें से भी कोई कोटा जैसलमेर को नहीं दिया गया। बी० पी० और जी० पी० शिट्स केवल लघु उद्योगों को ही दी जाती है। जैसलमेर की डिमाण्ड सन् १९६७–६८ में प्राप्त न होने के कारण इसका भी कोई कोटा जैसलमेर को १९६७–६८ में नहीं दिया गया।)

३. जी नहीं, मेहता ब्रदर्स, जैसलमेर को जब-जब सहायक निदेशक, उद्योग, जोधपुर की सिफारिश प्राप्त हुई, चद्दरों का कोटा दिया जाता रहा है। सन् १९६७–६८ में इनकी मांग सहायक निदेशक, उद्योग, जोधपुर द्वारा प्राप्त न होने के कारण इनको इस वर्ष का कोटा नहीं दिया गया।

गर्ल्स हाई स्कूल नागौर का भवन

४०६. **श्री मोहम्मद उस्मान (नागौर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नागौर में गर्ल्स हाई स्कूल का भवन कब बना ?

(२) उसका क्या रकबा है व कितने कमरे हैं ?

(३) उक्त पाठशाला में कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं ?

(४) क्या उक्त पाठशाला भवन गर्ल्स हाई स्कूल के लिए बिल्कुल उपयुक्त है व लड़कियों के लिए पूर्ण सुविधाएं हैं ?

(५) क्या उक्त पाठशाला की लड़कियों के लिये भवन में खेल-कूद की भी पूर्ण व्यवस्था है ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त भवन में पहले डिस्पेंसरी थी व बाद में कन्या माध्यमिक पाठशाला उसमें शुरू की गई व अब उसी भवन को हाई स्कूल की कन्याओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है ?

(७) क्या उक्त भवन गर्ल्स हाई स्कूल के लिए उपयुक्त न होने से अन्य स्थान पर गर्ल्स हाई स्कूल भवन बनाने की योजना है ?

उत्तर

(१) कन्या सैकेण्डरी स्कूल नागौर का भवन बनवाया नहीं गया। वर्तमान भवन शाला के क्रमोन्नत होने पर जुलाई, १९६० में मिला था।

(शिक्षा मन्त्री)

(२) कुल रकबा ३७४३ वर्ग फीट है व १६ कमरे तथा ४ क्वार्टर्स हैं।

(३) छात्राओं की संख्या ६ से १० तक ३२२ है।

(४) पाठशाला भवन न तो कन्या विद्यालय के उपयुक्त है और न छात्राओं के लिये इसमें पूरी सुविधायें हैं।

(५) खेलकूद के लिये इस भवन में पर्याप्त मैदान नहीं है।

(६) जी हां।

(७) कन्या हाई स्कूल का भवन उपयुक्त न होने की दशा में इसमें विस्तार हेतु अपर निदेशक के कार्यालय द्वारा जिलाधीश, नागौर से चैरिटी फण्ड से धनराशि की मांग की गई थी जिस पर उन्होंने पुलिस लाइन भवन कन्या शाला हेतु दिलाने का आश्वासन दिया था और इस सम्बन्ध में उन्होंने गृह विभाग, जयपुर से निवेदन किया था लेकिन उनकी स्वीकृति उपलब्ध नहीं हुई। अब इस स्कूल के लड़कों के मिडिल स्कूल में स्थानान्तर हेतु कार्यवाही चल रही है क्योंकि लड़कों वाला भवन इस भवन की अपेक्षा बड़ा है तथा इसमें खेल के लिये मैदान भी है। भवन के परिवर्तन किये जाने की आशा है जिससे वांछित सुविधायें मिल सकेंगी। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने की दशा में वर्तमान में भवन निर्माण की कोई योजना नहीं है।

गबन के मामले की जांच

४०७. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बूंदी के पशु चिकित्सालय के एकाउन्टेंट कृष्णबिहारी माथुर ने कितनी रकम का गबन किया ?

(२) क्या यह सत्य है कि एकाउन्टेन्ट ने जुर्म से बचने के लिये आत्म हत्या की ?

(३) क्या विभाग ने इसकी अभी तक जांच करवाई और उसका दोषी किसको ठहराया गया ?

(४) इस गबन की गई रकम को सरकार किस प्रकार व किससे वसूल करना चाहती है ?

उत्तर

(१) २२,१११ रुपये ८४ पैसे का गबन जिला पशु पालन अधिकारी, बूंदी के कार्यालय में हुआ था।

(पशुपालन मन्त्री)

(२) श्री के. बी. माथुर जो लेखा लिपिक था उसकी मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई जैसा कि आयुर्वेदिक अस्पताल, बूंदी के मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज था।

(३) प्रारंभिक जांच श्री दामोदरलाल, भूतपूर्व लेखाधिकारी द्वारा करवाई थी और उन्होंने तीन राजपत्रित अधिकारी सर्व श्री किशोरसिंह हाड़ा, जिला पशुपालन अधिकारी कोटा (निलम्बित,) श्री जे. एस. सक्सेना, सहायक पशु चिकित्सक, श्री लक्ष्मणपुरी, सहायक पशु चिकित्सक, व श्री के. बी. माथुर लेखालिपिक को दोषी पाया। तीनों राजपत्रित अधिकारियों को दिनांक २६-६-६७ से निलम्बित कर दिया गया है चार्जशीट उन्हें दे दी गई है। उनकी नियुक्ति एन्तृतीय विभाग में आगे जांच हो रही है।

(४) जांच के निर्णय के अनुसार रकम वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

कृषि अधिकारी, नागौर द्वारा बीज का विक्रय.

४०८. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि सन् १९६७ में जिला कृषि अधिकारी, नागौर ने गेहूं का जो बीज विक्रय के माध्यम से वितरित किया था वह मेक्सिकन गेहूं का बीज न होकर गंगानगर जिले में लेवी से वसूल किये गये गेहूं के स्टाक में से था जिससे किसानों को पांच लाख से भी अधिक रुपये की हानि हुई ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी श्री सबलसिंह ने जिला परिषद्, नागौर को अपना कोई स्पष्टीकरण भेजा है ? क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है ? यदि करायी है तो जांच के नतीजे की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं कराई, तो क्यों तथा अब कब तक जांच करालो जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

जयपुर-दिल्ली मार्ग की वातानुकूलित बसें.

४०९. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर, सु.): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) यातायात निगम की जयपुर से दिल्ली चलने वाली वातानुकूलित बसों में किराया क्या है ?

(२) क्या ये बसें सामान्यतया भरी हुई जाती हैं ?

(३) इन बसों पर स्टाफ का १९६७-६८ में कितना खर्चा हुआ और किराये के रूप में कितनी आमदनी हुई ?

(यातायात मन्त्री)

उत्तर

(१) वातानुकूलित बसों में जयपुर से देहली का किराया १० रु० प्रति यात्री लिया जाता था।

(२) जी नहीं।

(३) सन् १९६७-६८ में स्टाफ पर ४१,०४३-३७ खर्च हुए। तथा १२५६१४-७० रु० किराये के रूप में प्राप्त हुए। जिसमें यात्री कर भी शामिल है।

ग्राम मगरासर के व्यक्तियों द्वारा ऋण के लिये दरख्वास्तें

४१०. रावतराम (छापर-सु.) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मगरासर, त० सुजानगढ़ (जिला चुरू) के हरिजनों एवं काश्तकारों ने चुरू जिला भूमि बंधन बैंक से लोन प्राप्त करने के लिये दरख्वास्तें दी हैं ? यदि हां, तो दरख्वास्तें कब और किन-किन ने दी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त लोगों को अभी तक लोन न मिलने का क्या कारण है और अब निश्चित तौर से कब तक लोन दे दिया जायगा ?

उत्तर

(१) ग्राम मगरासर के हरिजनों या काश्तकारों की ओर से ऋण प्राप्त करने हेतु कोई दरख्वास्त बैंक को प्राप्त नहीं हुई है।

(२) जब कोई दरख्वास्त ही प्राप्त नहीं हुई है, तो ऋण देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

शाहपुरा-भीलवाड़ा मार्ग पर चलने वाली बसों से यात्रियों को असुविधा

४११. कल्याणमल (जहाजपुर – सु.) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि शाहपुरा से भीलवाड़ा मार्ग पर चलने वाली बसें ओवरलोड चलती हैं ? यदि हां, तो पुलिस बसों का चालान क्यों नहीं करती ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त मार्ग पर बसों के ओवरलोड चलने से जनता को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इसके सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

(श्री कल्याणमल)

(३) क्या यह सही है कि इस मार्ग पर बसें ओवरलोड चलने के कारण सरकार और परमिट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने और कब तक?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) ओवरलोड इस मार्ग पर चलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इस मार्ग पर एक बस का परमिट दे दिया गया था परन्तु राज्य यातायात प्राधिकरण द्वारा निषेधाज्ञा जारी होने से वो गाड़ी बन्द है। अन्तिम निर्णय होने पर जो भी आज्ञा होगी उसके अनुसार बस चलाने की कार्यवाही की जावेगी।

बिजली की न्यूनतम दरें

४१२. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के लिये बिजली की कोई न्यूनतम दरें निर्धारित कर रखी है? यदि हां, तो यह मिनिमम रेट खेती व कारखानों के लिये एक है या पृथक्-पृथक्?

(२) बिजली विभाग ने यह न्यूनतम दरें कब और किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी निर्धारित की है? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(३) क्या कृषकों को बिजली रियायत से दी जाती है? यदि हां, तो क्या, उसके लिये उन्हें प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है?

(४) क्या यह सही है कि कृषि प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बिजली कृषक को दी जाती है और इसके उपरान्त भी हर बार उसे नया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को बाध्य होना पड़ता है अन्यथा विद्युत् विभाग रियायत नहीं देता?

उत्तर

(१) जी हां। पृथक्-पृथक्।

(२) न्यूनतम दरें राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की दरों का एक अंग होता है। और न्यूनतम विद्युत् दरें मई ६४ से लागू है। न्यूनतम दरों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(मुख्य मन्त्री)

(३) जी नहीं। कृषकों को विद्युत् मण्डल के उपरोक्त विद्युत् दरों व उन दरों पर अधीन ६६ से लगाये जाने वाले सरचार्ज के अनुसार दी जाती है, प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) इस प्रकार के कोई नियम नहीं है।

न्यूनतम शुल्कों की दरें

वर्गीकरण	वाष्प व जल विद्युत् क्षेत्र	डीजल क्षेत्र
घरेलू उपयोग		
(अ) प्रकाश पंखों व रेडियो	रु० २-०० प्रति सेवा प्रति माह	रु० २-०० प्रति सेवा प्रति माह
(ब) अन्य ताप व शक्ति	रु० ३-०० प्रति सेवा प्रति माह	रु० ३-०० प्रति सेवा प्रति माह
वाणिज्य उपयोग		
(अ) प्रकाश पंखों व रेडियो	रु० २-०० प्रति सेवा प्रति माह	रु० २-०० प्रति सेवा प्रति माह
(ब) अन्य ताप शक्ति	रु० ५-०० प्रति सेवा प्रति माह	रु० ५-०० प्रति सेवा प्रति माह
मिश्रित लोड	रु० ५-०० कि० वा० या उसका अंश कनेक्टेड लोड प्रति सेवा प्रति माह	रु० ३-०० प्रति कि० वाट या उसके अंश कनेक्टेड प्रति सेवा प्रति माह
सार्वजनिक प्रकाश	रु० २-०० प्रति पोइन्ट प्रति माह	रु० ५०-०० प्रति पोइन्ट प्रति माह
कृषि के पम्प	रु० ४२-०० प्रति अ० शक्ति प्रति वर्ष	रु० ४२-०० प्रति अ० शक्ति प्रति वर्ष
लघु व मध्यम उद्योग	(अ) ३० यूनिट प्रति माह प्रति सेवा होर्स पावर की दर से	रु० ३० प्रति यूनिट प्रति माह होर्स पावर की दर से
	(ब) सीजनल उद्योगों के लिये रु० ४२-०० प्रति बी० एच० पी० प्रति वर्ष	सीजनल उद्योगों के लिये रु० ८४-०० प्रति बी० एच० पी० प्रति वर्ष
उच्च वोल्टेज की सेवाएं	बिलिंग डिमान्ड पर डिमान्ड चार्जेज	

पल्लू-रावतसर व रावतसर-नोहर बस का किराया

४१३. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नोहर-रावतसर व रावतसर-पल्लू के फासले में २ मील का फर्क है ? यदि हां, तो पल्लू-रावतसर व रावतसर-नोहर का बस किराया एक जितना क्यों है ?

(२) क्या यह सही है कि किराया अधिक वसूल किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) नोहर से रावतसर कितनी मील है व रावतसर से पल्लू कितनी मील ? और इनका किराया कितना-कितना वसूल किया जाता है ?

(४) क्या सरकार जो अधिक किराया वसूल किया है, वह बस मालिक से वसूल करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो अब तक कितना किराया अधिक वसूल किया गया है ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) पी० डब्ल्यू० डी० बोर्ड के अनुसार पेट्रोल पम्प के पास तिराहे से रावतसर से पल्लू ४३ किलोमिटर है व नोहर ४२ किलोमिटर है लेकिन नोहर से मादरा सड़क स्टेशन के पास से मुड़ती है जहां से किलोमीटर शुरू होते हैं नोहर कस्बे का बस स्टेन्ड से १।८ किलोमीटर दूर है। ऐसी सूरत में रावतसर से दोनों स्थान (पल्लू व नोहर) ४३ किलोमीटर दूर है।

इनका किराया १-६५ (१-६५) पैसे प्रति टिकट चार्ज किया जाता है जो कानूनन सही है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली जिले में आधुनिक यंत्रों एवं औजारों का वितरण

४१४. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले में पैकेज कार्य चालू किया गया और उसके फलस्वरूप नाना प्रकार के आधुनिक यन्त्रों एवं औजारों का वितरण काश्तकारों को किया गया ?

Page No. 164

(श्री पृथ्वीसिंह)

(२) क्या यह भी सही है कि अब यन्त्रों एवं औजारों में से बहुत से ऐसे हैं जिनके स्पेयर पार्टस् बाजार में उपलब्ध नहीं है और उन्हें काश्तकार ठीक नहीं करवा सकते ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

शहीदों की याद में स्मारक

४१५. रतनलाल रोत (चौरासी-सु.) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) आजादी के पूर्व राजस्थान में देश को आजाद कराने के लिये कितने व्यक्ति शहीद हुए हैं और उन सबकी याद में स्मारक हेतु राजस्थान सरकार ने क्या एक स्थान पर कोई संग्रहालय स्थापित किया है ?

(२) क्या अब तक देश के लिए शहीद होने वाले व्यक्तियों के परिवार में से कोई प्रमुख व्यक्ति जिन्दा है और क्या ऐसे परिवार को कोई राजनैतिक पीड़ित मान कर सहायता दी जा रही है ?

(३) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

परिशिष्ट ४

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४४६ की सूची)

औषधालयों की सूची

क्र० सं०	नाम जिला	औ० सं०
१.	गंगानगर	६७
२.	बीकानेर	३६
३.	जोधपुर	४४
४.	जैसलमेर	२०
५.	बाड़मेर	४७
६.	पाली	५४
७.	जालोर	२६
८.	सिरोही	२३
९.	कोटा	४८
१०.	झालावाड़	३६
११.	बून्दी	२८
१२.	टोंक	४५
१३.	डूंगरपुर	५६
१४.	बांसवाड़ा	५३
१५.	भीलवाड़ा	८०
१६.	चित्तौड़	६१
१७.	उदयपुर	१२४
१८.	जयपुर	१८५
१९.	सवाईमाधोपुर	११४
२०.	अलवर	७७
२१.	भरतपुर	७५
२२.	अजमेर	६६
२३.	नागौर	६६
२४.	झुन्झुनू	७०
२५.	चुरू	४८
२६.	सीकर	७८
		१६३५

Page No. 166

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४५६ की सूची)

निम्नांकित मेले राज्य सरकार द्वारा उनके समक्ष अंकित स्थानों एवं तिथियों में लगाये जाते हैं:—

क्र० सं०	मेले का नाम	स्थान	जिला	तिथि
१.	पशुमेला तेजाजी	परबतसर	नागौर	भाद्रपक्ष कृष्णा ११ से भाद्रपक्ष शुक्ला ११
२.	गोगामेड़ी मेला	गोगामेड़ी	गंगानगर	श्रावण शुक्ला १५ से भाद्रपक्ष शुक्ला १५
३.	श्री जसवंत प्रदर्शनी व पशु मेला, भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर	आश्विन शुक्ला ५ से आश्विन शुक्ला १४
४.	श्री चन्द्रभागा पशु मेला	झालरापाटन	झालावाड़	कार्तिक शुक्ला ११ से मार्गशीर्ष कृष्णा ५
५.	श्री रामदेवजी पशु मेला	नागौर	नागौर	माघ शुक्ला १२ से फाल्गुण कृष्णा ४
६.	श्री पुष्कर पशु मेला	पुष्कर	अजमेर	कार्तिक शुक्ला ११ से कार्तिक शुक्ला १५
७.	श्री शिवरात्रि पशु मेला	करौली	सवाईमाधोपुर	फाल्गुण कृष्णा ११ से फाल्गुण शुक्ला ४
८.	श्री कल्लोनाथजी मेला	तिलवाड़ा	बाड़मेर	चैत्र कृष्णा ११ से चैत्र शुक्ला ११
९.	श्री बलदेव पशु मेला	मेड़ता	नागौर	चैत्र शुक्ला १५ से वैशाख कृष्णा ६
१०.	श्री गोमतीसागर वैशाखी पशु मेला	झालरापाटन	झालरापाटन	वैशाख शुक्ला १३ से ज्येष्ठ सुदी ५

सूची

पशु मेलों में पुरस्कार हेतु निम्नांकित राशि खर्च की गई है एवं अन्य व्यय भी निम्न प्रकार हैं :—

क्र० सं०	नाम मेला	पुरस्कार वितरण हेतु व्यय	कुल व्यय (रोशनी, पानी तथा अन्य)
१.	परबतसर	४,०००	२०,०००
२.	गोगामेड़ी	५,०००	१२,०००
३.	भरतपुर	३,५००	३५,०००
४.	चन्द्रभागा (झालावाड़)	५,५००	१०,०००
५.	पुष्कर	४,०००	३५,०००
६.	नागौर	५,०००	१७,५००
७.	करौली	३,०००	१२,०५०
८.	तिलवाड़ा	४,५००	६,०००
९.	मेड़ता	२,५००	१०,०००
१०.	गोमतीसागर	२,५००	१०,०००

Page No. 168

सूची

पशुओं पर निम्नांकित मेला टैक्स विभाग द्वारा लिया जाता है तथा विभाग को निम्नांकित आमदनी हुई है। बिक्री कर का विवरण वाणिज्य कर विभाग ही दे सकता है:—

क्र० सं०	पशु मेले का नाम	आय रुपये पैसे
१.	परबतसर	३,०६,७८०.००
२.	गोगामेड़ी	९३,७४८.००
३.	भरतपुर	७३,८८८.००
४.	चन्द्रभागा (झालावाड़)	४८,२९१.००
५.	पुष्कर	१,१८,९८३.००
६.	नागौर	१,९१,२८६.००
७.	करौली	७२,९६७.००
८.	तिलवाड़ा	१,३७,६३१.००
९.	मेड़ता	६२,७७१.००
१०.	गोमतीसागर (झालावाड़)	२६,६५२.००

नोटः—उपरोक्त मेलों में प्रति पशु, मेला टैक्स निम्न प्रकार से वसूल किया जाता है:—

क्र० सं०	किस्म जानवर	दर
१.	बैल	५.०० रुपया प्रति बैल
२.	भैंसा व भैंसें	२.५० रुपया प्रति भैंसा व भैंसें
३.	घोड़ा व घोड़ी	६.०० रुपया प्रति घोड़ा व घोड़ी
४.	खच्चर	२.५० रुपया प्रति खच्चर
५.	गधे व गधी	२.०० रुपया प्रति गधा व गधा
६.	भेड़, बकरी व बकरे	०.५० रुपया प्रति भेड़, बकरी व बकरे
७.	ऊंट व ऊंटनी	८.०० रुपया प्रति ऊंट व ऊंटनी

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४६० की सूची)

रबी १९६७ में खरीदे गये गेहूं बीज का स्टेटमेंट— पंचायत, समिति रामगढ़ [अलवर]

क्र० सं०	नाम काश्तकार	किस्म गेहूं	मात्रा (क्विं०)		दर प्रति क्विं०	कुल कीमत	बाजार भाव प्रति क्विं०	विशेष विवरण
१.	श्री अमृतसिंह, पाटा	लरमारोहो	४०	क्विंटल	१२०.०० रुपये	४८००.०० रुपये		
२.	,, हरलाल, रामगढ़	,,	१२	,,	१२०.०० ,,	१४४०.०० ,,	१२०) रु० से १२२.५० रु. तक	
३.	,, सोहनलाल, टीकर	,,	८	,,	१२०.०० ,,	९६०.०० ,,	प्रति क्विं० । श्रीमान् संचालक	
४.	,, रामजीवन, रामगढ़	,,	६	,,	१२०.०० ,,	७२०.०० ,,	महोदय, कृषि विभाग, राज-	
५.	,, मंगतूराम, नौगांवा	,,	२२	,,	१२०.०० ,,	२६४०.०० ,,	स्थान, जयपुर के पत्रांक एफ	
६.	,, प्रभू पटेल, नौगांवा	,,	२५	,,	१२०.०० ,,	३०००.०० ,,	२४ (६) ६७/ए०/३६००—	
७.	,, कन्हैयालाल, बहाला	,,	७५	,,	११२.५० ,,	८४३७.५० ,,	४८०० दिनांक १-५-६७ के	
८.	,, चिमनलाल, बहाला	,,	११	,,	११२.५० ,,	१२३७.५० ,,	तहत दर दी गई ।	
९.	,, निर्मल टोके, घेधोली	,,	४५	,,	१२०.०० ,,	५४००.०० ,,		
१०.	,, सोहनलाल टोकर	,,	२०	,,	१२०.०० ,,	२४००.०० ,,		
११.	,, रामकिशोर, बाम्बोली	,,	६४	,,	१२०.०० ,,	७६८०.०० ,,		
		कुल योग	३२८	क्विंटल				

क्र० सं०	नाम काश्तकार	किस्म गेहूं	मात्रा (क्विं०)		दर प्रति क्विं०	कुल कीमत	बाजार भाव प्रति क्विं० विशेष विवरण
१.	श्री सीताराम, मुबारिकपुर	सोनारी ६४	३४	क्विंटल	१२०.०० रुपये	४०८०.०० रु०	
२.	,, हरनामसिंह ,,	,,	८०	,,	१२०.०० ,,	९६००.०० ,,	१२०) रु० से १२२.५०
३.	,, हरलाल, रामगढ़	,,	१८	,,	१२०.०० ,,	२१६०.०० ,,	तक प्रति क्विंटल । श्रीमान्
४.	,, जमुनादास भूरामल, रामगढ़	,,	६५	,,	१२०.०० ,,	७८००.०० ,,	संचालक महोदय, कृषि विभाग,
५.	,, रामनारायण, मुबारिकपुर	,,	५	,,	११६.०० ,,	५८०.०० ,,	राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ
६.	,, भगतराम, नौगांवा	,,	७	,,	१२०.०० ,,	८४०.०० ,,	२४ (ε) ६७/ए०/३६००
७.	,, प्रभू पटेल ,,	,,	७०	,,	१२०.०० ,,	८७२०.०० ,,	४८०० दिनांक १-५-६७ के
८.	,, भागमल, रामगढ़	,,	१२	,,	११२.५० ,,	१३५०.०० ,,	तहत दर दी गई ।
९.	,, अमरसिंह, निवालो	,,	५	,,	११२.५० ,,	५६२.५० ,,	
१०.	,, राजसिंह, खिलोरा	,,	७	,,	११२.५० ,,	७८७.५० ,,	
११.	,, जसवन्तसिंह ,,	,,	४६	,,	१२०.०० ,,	५३२०.०० ,,	
१२.	,, सूरतगढ़ फार्म	,,	११५ क्विं. ९९ किलो ५०० ग्राम		११०.०० ,,	१९६२३.१५ ,,	
	योग		४९५ क्विं० ९९ किलो ५०० ग्राम				

हस्ताक्षर,
विकास अधिकारी, पं. स० रामगढ़ (अलवर)

रबी १९६७ में खरीदे गये गेहूं बीज का प्रोफार्मा पंचायत समिति, रामगढ़ [अलवर]

क्र० सं०	नाम काश्तकार	किस्म गेहूं	मात्रा (क्विं०)		दर प्रति क्विं०	कुल कीमत	बाजार भाव प्रति क्विं०	विशेष विवरण
१.	श्री रघुनाथ, रसवाड़ा	आर.एस. ३१-१	१००	क्विंटल	१२०.०० रु०	१२०००.०० रु०		
२.	,, घुटमल, अखलीमपुर	,,	१००	,,	१२०.०० ,,	१२०००.०० ,,	१२०) रु० से लेकर १२२.५०	
३.	,, हुक्मसिंह, मुबारिकपुर	,,	४३	,,	१२०.०० ,,	५१६०.०० ,,	तक प्रति क्विंटल । श्रीमान्	
४.	,, सोहनलाल, टोकर	,,	४८	,,	१२०.०० ,,	५७६०.०० ,,	संचालक महोदय, कृषि विभाग,	
५.	,, मवासी, मेगड़ा	,,	३५	,,	१२०.०० ,,	४२००.०० ,,	राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ	
६.	,, भगतसिंह, मुबारिकपुर	,,	३२	,,	१२०.०० ,,	३८४०.०० ,,	२४ (६) १७/ए०/३९००	
७.	,, महावीरप्रसाद, नौगांवा	,,	१०	,,	१२०.०० ,,	१२००.०० ,,	४८०० दिनांक १-५-६७ के	
८.	,, प्रभुदयाल, पटेल	,,	१०	,,	१२०.०० ,,	१२००.०० ,,	तहत दर दी गई ।	
९.	,, बुद्धा मुबारिकपुर	,,	३५	,,	१२०.०० ,,	४२००.०० ,,		
		कुल योगः—	४१३	क्विन्टल		४९,५६०.००		
१.	श्री महावीरप्रसाद नौगांवा सी. २७३		२४	क्विंटल	१२०.०० रु०	२८८०.०० रु०		
२.	क्रय-विक्रय सहकारी आढ़त को लोकल दुकान, अलवर		९८	,,	११२.५० ,,	११०२५.०० ,,		

हस्ताक्षर ————

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रामगढ़ (अलवर)

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४६७ की सूची)

DETAILS OF POWER CUT OF SMALL SCALE INDUSTRIES

S. No.	Name of the Industry	No. of units fixed on 7-10-64 on the basis of higher of the average of three billing months or twelve billing months for the period. 64	15% cut imposed on 1st Nov. 65 on consumption prior to Oct. 65 — Cons Prior Oct., 65	15% cut	Net quota fixed on 1-11-65	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/S Gillard Badio Corporation, Industrial Esate, Kota	178	236	36	201	
2.	„ Tanwar Rajput & Co., Industrial Area, Kota	143	107	16	91	
3.	„ Golden Dairy Products, Kota.	752	2199	261	1938	
4.	„ Globe Steel Industries, Kota	165	82	12	70	
5.	„ Rajasthan Structural Works, I. E., Kota	—	49	7	42	
6.	„ Krishna Iron Foundary, Kota	788	594	89	505	

1	2	3	4	5	6	7
7.	M/s. Jagdamba Chemical Industries, I. A. Kota	—	309	40	269	
8.	„ Associated Steel Industries, I. E., Kota	311	309	46	263	
9.	„ Premier Industrial Corporation, I. E., Kota	838	723	106	620	
10.	„ Laxmi Industries, I. E., Kota	—	185	28	157	
11.	„ Rainbow Industries, I. E., Kota	143	134	20	114	
12.	„ Kota Rubber Industries, Kota Jn.	727	718	108	610	
13.	„ Batar Metal Works, Kota Jn.	21	20	3	17	
14.	„ Agrawal Industries, Chhawani, Kota		Connection given in 1967			
15.	„ Indo-Engineering (Kota) P. Ltd., I. E., Kota	—	1996	570	1425	
16.	„ Universal Engineering Works, I. E., Kota	283	193	56	137	
17.	„ Subhash Industrial Corporation Chhawani, Kota	—	5600	1600	4000	

18.	,,	Nav Bharat Stone Crushing Plant, I. A., Kota	769	628	180	448
19.	,,	Sundersons Industries, I. E., Kota.	650	1728	494	1234
20.	,,	Nand Ram Suraj Mal Industries, Kota Jn.	580	1290	360	900
21.	,,	Rajasthan Roller Flour Mills, Kota Jn.	8215	Special sanction of 1000 units daily		30,000
22.	,,	Kota Metal Industries, I. E., Kota.	—	1890	540	1350
23.	,,	Jyoti Printing Press, Kota	89	127	17	110
24.	,,	Nandram Bhuralal Industries, Rampura, Kota	266	190	25	166
25.	,,	Janta Engineering Works, Nayapura, Kota	230	300	39	261
26.	,,	Patni & Sons, Nayapura, Kota	58	47	6	41
27.	,,	National Steel Industries, Patanpole, Kota	194	288	38	250

DETAILS OF POWER CUT ON MAJOR INDUSTRIES AT KOTA

S. No.	Name of the Industries	Average daily consumption prior to Oct., 64	Daily Quota after 20% cut from 20-10-64	Daily Quota after 15% cut from 25-5-65	Daily Quota after 60% cut from 1-11-65	Daily Quota after 35% cut from 11-10-67	Daily Quota after 20% cut from 6-12-67
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	M/s S. V. C. I. Kota	326844	251475	222224	190738	212449	261475
2.	„ J. K. Synthatics, Kota	21519	17215	16500	8608	19988	17216
3.	„ Rajasthan Rayons, Kota	2449	1959	1612	980	1593	1960
4.	„ Straw Board, Kota	2861	2289	1883	916	Dis.	Dis.
5.	„ Rajasthan Cables Ltd., Kota	31	25/550	467	275	447	550
6.	„ Wool Tops, Kota	1616	1292	1080	646	1056	1292
7.	„ Indo-Engineering, Kota	277	222	136	111	180	221
8.	„ O. P. C. Ltd., Alnia	4210	3268/5500	4675	2750	4469	5500

9.	M/S Western Railway	7600	6152	5230/7550	3076	9345	11501
10.	„ Gopal Industries, Kota	7800	6242	5292	3132	5075	6245
11.	„ R. P. S. Dam	12027	9620	8177	4811	—	No quota adhered
12.	„ Kota Barrage	497	398	338	199	256	315
13.	„ Kota Dam	1068	854	726	428	—	No quota adhered
14.	„ Multimetals Ltd., Kota. Connected after-power cut			—	—	—	—
15.	„ Instumentation Ltd., Kota. Connected after power cut	—		—	—	—	—

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्न संख्या ४६८ की सूची)

PART I

1. Employment in any Wool Carpet Making or Shawal weaving establish.
2. Employment in any Rice Mill, Floor Mill or Dal Mill.
3. Employment in any Tobacco (including bidimaking) Manufacturing.
4. Employment in any plantation i. e., any estate which is maintained for the purpose of growing cinchone, rubber, tea or coffee.
5. Employment in any Oil Mill.
6. Employment under any local authority.
7. Employment on the construction or maintenance of roads or in building operations.
8. Employment in Stone Breaking or Stone Crushing.
9. Employment in any Lac manifactory.
10. Employment in any mica works.
11. Employment in Public Motor Transport.
12. Employment in tannecies and leather manifactory.
13. Employment in Salt Works.
14. Employment in Wool Cleaning & Pressing Factories.
15. Employment in Cotton Ginning & Pressing Factories.
16. Employment in Printing Press.

PART II

1. Employment in Agriculture.

परिशिष्ट ९

(अ. प्रश्न संख्या ४७० की सूची)

सूची

जनवरी, १९६८ में मेसर्स एम० के. एम. भूपाभाई को एलोटेड नालीदार चद्दरों की सूची इस प्रकार है:—

(१)	५-१-६८	२०.६० टन	१९९९ चद्दरें
(२)	८-१-६८	२०.७७ टन	१८११ चद्दरें
(३)	३०-१-६८	२०.५२४ टन	१६७७ चद्दरें

परिशिष्ट १०

(अ. प्रश्न संख्या २५८ की सूची)

१-९-६८ को गत १० वर्षों से विचाराधीन मुकदमों की जिलेवार सूची

क्र० सं०	जिला	मुकदमों का योग
	सिविल फर्स्ट अपील्स	
१.	अजमेर	४
२.	जयपुर	५
३.	सीकर	१
४.	झुन्झुनू	१
५.	सवाईमाधोपुर	१
६.	जोधपुर	५
७.	बाड़मेर	१
८.	नागौर	१
९.	सिरोही	३
१०.	पाली	२
११.	बीकानेर	१
१२.	चूरू	१
१३.	उदयपुर	१
१४.	चित्तौड़गढ़	३
१५.	कोटा	३
१६.	झालावाड़	१
	सिविल सैकिण्ड अपील्स	
१.	कोटा	१
	योग	३१
	क्रिमिनल केसेज	निल

परिशिष्ट ११

[अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ की सूची]

बूंदी की जुडिशियल अदालतों में गत पांच वर्षों में दायर हुए व फैसल हुए मुकदमों की तालिका

क्र० सं०	न्यायालय का नाम एवं मुकदमात की किस्म	१९६४ दायर हुए	१९६४ फैसल हुए	१९६४ बाकी रहे	१९६५ दायर हुए	१९६५ फैसल हुए	१९६५ बाकी रहे	१९६६ दायर हुए	१९६६ फैसल हुए	१९६६ बाकी रहे	१९६७ दायर हुए	१९६७ फैसल हुए	१९६७ बाकी रहे	१९६८ जून तक दायर हुए	१९६८ जून तक फैसल हुए	१९६८ जून तक बाकी रहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१.	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बूंदी :—															
	सैशन्स केसेज	१७	१९	१५	४६	२९	३२	४३	३८	४१	३६	७७	५०	८	१४	४४
	क्रिमिनल अपील्स	७१	६०	१७	५०	६०	७	५३	३५	२५	७५	६५	६५	४४	६६	१३
	क्रिमिनल रिविजन्स	७७	७२	१४	८३	७५	२२	६८	५९	३१	८४	६५	५०	२३	५४	१९
	सिविल सूट्स	३१	२८	३३	३६	२८	४१	२८	२०	४९	२५	२९	५५	१२	१२	४५
	सिविल अपील्स	११२	९३	४४	१८०	१२०	१०४	१०६	१२७	८३	६४	५३	८४	२३	७३	३४
	एक्ज़ीक्यूशन केसेज	३६	३५	१७	३३	२६	२४	२०	१५	२९	२८	२९	२४	११	१३	२२
	मिसलेनियस केसेज	६३	६३	२८	७७	६७	३८	४६	५०	३४	२८	२४	२८	१३	१३	२८
२.	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बूंदी :—															
	सिविल सूट्स	३०८	२८८	५३६	३३४	२८३	५८७	४२१	४३१	५७७	२२८	३६३	५०२	१५५	१०४	५५३
	क्रिमिनल केसेज	५१२	५४५	८८	७४	१२३	३९	१८	५७	—	—	—	—	—	—	—

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
	एकजीक्यूशन केसेज	३१७	२८६	२४६	२३७	२०४	२७६	२५२	३०८	२२३	२८२	२१०	२६५	१५१	१४८	२६८
	मिसलेनियस केसेज	६१	३९	६१	१३१	६९	६६	६०	१३७	५२	६१	७४	६६	२७	३८	५८
३.	अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बूंदी नं० १ :—					१-७-६४ से										
															९०+२६० Tr.	४३४
	क्रिमिनल केसेज	५२५	२७२	३५३	४५७	३००	५००	७१४	५१७	७०७	२९९	४०७	५८६	१९५	३५०	—
											०+३१ Tr.					
	सिविल सूट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	९	२२	—	१०	११
४.	अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बूंदी नं० २ :—					१०-९-६५ से										
									४४५+२७७ Tr.						१५०+१३३ Tr.	
	क्रिमिनल केसेज	—	—	—	९७६	८३	८९३	४१२	७२२	५८३	२९५	३६३	५१५	१३४	२८३	३९९
	सिविल सूट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
५.	अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बूंदी नं० ३ :—					१-४-६८ से							१-४-६८ से			
	क्रिमिनल केसेज															
													०+३८८ Tr.	२९	३५९	

नोट :— **Tr.** = मुकदमात जो मुन्तकिजी से दायर हुए या फैसल हुए।

[redacted]

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १३ सितम्बर, १९६८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४	८	इन्वोल्व	इन्वोल्वड
८	अन्तिम से ११	स ो	सही
,,	,, १०	ाप्त	प्राप्त
,,	,, ६	वेन्द्रीय	केन्द्रीय
९	२ व ३	ना	न
,,	अन्तिम से ६	विचा ाधीन	विचाराधीन
१६	२	एक्सपें डचर	एक्सपेंडीचर
,,	३	के टिल	कैपिटल
,,	१०	जी	जो
,,	अन्तिम से ६	घाटे	घाटे
१७	,, १५	भरी	मरी
१८	४	ब्रे वेज	ब्रेकेज
,,	६	मागाना	मंगाना
१९	७	कब	अब
२४	३	आयुवदिक	आयुर्वेदिक
,,	अन्तिम से १२	फ सला	फासला
,,	अन्तिम से २	२२-४-६	२२-४-६६
२८	२	फाइनली	फाइनली
४५	७	लड़कियां लड़कियों	लड़कियों
४७	११	ए जामिन	एग्जामिन
४९	अन्तिम से ३	भोमसेन जो	भीमसेन जी
६०	४	एडमिनिस्ट्रेटर पास	एडमिनिस्ट्रेटर के पास
,,	५	फण्ड में ही	फण्ड में से ही
,,	१४	आकर	जाकर
६५	९	उसको	उसका
६७	१४	फूल	फुल
७०	१६	के ल	केवल
७१	अन्तिम से २	२९- -६७	२९-७-६७

[redacted]

१	२	३	४
७४	८	वौ	की
७५	९	ग	गढ़
,,	४	नहुीं	नहीं
८०	अन्तिम से ५	लता	लेता
८७	,, ६	इस ो	इसके
८८	,, ४	सधार	सुधार
८६	अन्तिम से २	कम नियों	कम्पनियों
,,	,,	उ लब्ध	उपलब्ध
६०	,, ३	१, ० ० रू.	१,००० रू.
६६	,, १२	विश्वसनीय	विश्वासनीय
६६	,, १६	नुमानित छात्र संख्या	अनुमानित छात्र संख्या
१०४	१६	सू र्चत	सूचित
११४	अन्तिम से ७	इ की	इसकी
११६	१०	घे	वे
,,	१६	प्लोमा	डिप्लोमा
१२१	७	अम्यर्थियों	अभ्यार्थियों
,,	अन्तिम से १३	सूच	सूची
१२४	,, ६	समझत	समझता
,,	,, ६	इन्टे मि	इन्टेरिम
१२५	,, २	एम्लाईज	एम्प्लाइज
१२७	,, ३	बुल या	बुलाया
,,	,, १५	अइन्दा को ऐसी विति	आइन्दा कोइ ऐसी नीति
,,	अन्तिम से ५	ैरिट	मैरिट
१३४	१	उनके	उनको
१३८	अन्तिम से १५	टेम ोरेरी	टेम्पोरेरी
१४१	अन्तिम से ३	उ।	उस
१४२	,, ६	१५ - ५	१५-१५
१४५	१६	ये ये	ये
१५०	१०	ंदर	अंदर
१५१	८	गरेव	गरीब
,	अन्तिम से १४	आपको	आपकी
१५२	१८	रहैं	रहें
१५७	अन्तिम से ७	पुराना	पुराना
१५६	,, ४	लेन द री	लेनदारी
१६२	,, १६	दय	दिया

Page No. 184

१	२		३	४
१६२	अन्तिम से	७	संसथ	संस्था
१६३	शीर्ष		(श्री हरजीराम बुरड़क)	(श्री धीरसिंह)
१६४	अन्तिम		कर	करते
१६६	,, से	११	क के	करके
१७०	,,	४	स कर	सोकर
१७१		१६	ओ	और
१७७	अन्तिम से	१६	कहता	कहती
,,	,,	७	साल्जर्स	सोल्जर्स
१७८		१७	ता	तो
,,	अन्तिम से	७	का फ ज	को फौज
१७६		३	हों	हो
१८५	अन्तिम से	२	तहस लदार	तहसीलदार
१६४	अन्तिम से	६	जमान	जमीन
१६८		१७ व १८	का	को
,,		१६	उनका	उनको
२१२		१०	याद	यदि
२१४	अन्तिम से	८	जी	जो
,,		४	ज लोर	जालोर
२२५		४	इन्क्र मेन्ट	इन्क्रीमेन्ट
२२६	अन्तिम से	१२	कम कम से	कम से कम
२३६	,,	१०	सं क्षेा	संक्षेप
२३८	,,	४	स्ट	स्पष्ट
२३६	,,	६	प्रक्रि ा	प्रक्रिया
,,	,,	३	योजायें	योजनायें
,,	,,	,,	आ की	आपकी
२५७		१७	उदश्य	उद्देश्य
२६४		३	उ की	उनको
२७३		६	लेकि ा	लेकिन
२७५		७	जा	जो
,,		१५	ह	है
२७६		८	मि ती	मिलती
२८०		२०	कानशश	कान्शस
२८८		४	काय	कार्य
२६८		७	त	गत